

प्रकाशक—श्री जवाहर साहित्य समिति
(अन्तर्गत—श्री जवाहर विद्यापीठ)
भीनासर (बीकानेर) राजस्थान

प्रथम आवृत्ति—१००० (वि० सं० २०१४)
द्वितीय आवृत्ति—११०० (वि० सं० २०३५)

मूल्य—चार रुपया

मुद्रक—
जैन आर्ट प्रेस,
(श्री व० भा० साधुमार्गी जैन सघ द्वारा संचालित)
समता भवन, रामपुरिया मार्ग, बीकानेर (राजस्थान)

प्र का श की य



जवाहर किरणावली की ३३ वीं किरण प्रकाशित करते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है । महामहिम स्व० पूज्य श्री जवाहराचार्य जैन-समाज के महान् सन्त थे । उनकी ओज-स्वी वाणी ने जन-जन के हृदय को उद्वेलित और प्रभावित किया था । उनके प्रभाव-जनक उपदेशों से सहस्रो व्यक्तियों का जीवन परिवर्तित हो गया था । लाखों को नयी प्रेरणा और नयी दिशा का ज्ञान हुआ था । उनके बहुमूल्य व्याख्यान 'जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित हुए हैं । प्रस्तुत प्रकाशन उसी शृंखला की एक कड़ी है ।

इससे पूर्व प्रकाशित ३१ वी किरण में तथा प्रस्तुत ३२ वी और ३३ वी किरण में सम्यग्दर्शन का और गृहस्थ के बारह व्रतों का निरूपण किया गया है । सम्यग्दर्शन सबन्धी व्याख्यान पहले प्रकाश में नहीं आये थे । बारह व्रत रतलाम मडल की ओर से छोटी छोटी पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित हुए थे । उन सब को एक ही साथ प्रकाशित करने की आवश्यकता थी । उनमें भाषा सबधी सस्कार की भी आवश्यकता थी और पूज्य श्री के संगृहीत लिखित साहित्य के आधार पर कतिपय विषयों की वृद्धि की भी आवश्यकता थी । वह कार्य इस सस्करण में किया गया है । उदाहरणार्थ—षडावश्यक गृहस्थधर्म का एक अनिवार्य अंग है । उस पर पूज्य श्री ने अपने व्याख्यानों में हृदयग्राही विवेचन किया है ।

उसको गृहस्थधर्म में सम्मिलित किये बिना गृहस्थधर्म अपूर्ण ही रह जाता था। यह त्रुटि यहां पूरी कर दी गई है। इसी प्रकार अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों में पूज्य श्री के कतिपय तेज-पूर्ण विचार, जो पहले इनके साथ प्रकाशित नहीं हुए थे, यहां शामिल कर दिये गये हैं। आशा है, इस परिष्कार से पाठकों को विशेष लाभ होगा।

श्री जवाहराचार्य के व्याख्यानों में हमें एक क्रान्ति का उद्घोष करने वाले क्रान्तिकारी, सुप्त समाज को जगाने वाले महान् सुधारक, उत्पीड़ितों एवं दुःखों से व्याकुल जनसमूह को धैर्य और साहस बंधाने वाले सहायक तथा जन्म-मरण की पीड़ाओं से त्रस्त जगत् को अमरत्व का संदेश देने वाले शान्तिदूत के दर्शन होते हैं।

इस किरण का प्रथम संस्करण सन् १९५७ में सम्यक् ज्ञान मन्दिर, कलकत्ता की ओर से प्रकाशित हुआ था किन्तु वह समाप्त हो गया। अतः श्रद्धालु पाठकों के आग्रह एवं इसकी लोकप्रियता को ध्यान में रखकर इसका दूसरा संस्करण धर्मनिष्ठ सुश्राविका बहिन श्रीमती राजकुंवर बाई मालू बीकानेर द्वारा श्री जवाहर साहित्य समिति, भीनासर को साहित्य प्रकाशन के लिए प्रदत्त धनराशि से प्रकाशित हुआ है। सत्साहित्य के प्रचार के लिए बहिन जी की अनन्य-निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

आजकल कागज एवं मुद्रण आदि का व्यय काफी बढ़ जाने से इस संस्करण की कीमत बढ़ाने के लिये बाध्य होना पड़ा है।

(३)

प्रकाशन कार्य में श्री अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ और उसके द्वारा संचालित जैन आर्ट प्रेस का समिति को पूर्ण सहयोग रहा है, एतदर्थ समिति उनके प्रति आभार प्रकट करती है ।

मंत्री,

श्री जवाहर साहित्य समिति

(अन्तर्गत-श्री जवाहर विद्यापीठ)

भीनासर (बीकानेर)



विषयानुक्रम

तीन गुणव्रत	१
(१) विषय प्रवेश	१
(२) दिक्परिमाण व्रत	६
व्रत का स्वरूप		६
अन्य व्रतों पर प्रभाव		११
दिग्व्रत की विधि		१४
,, के अतिचार		१८
(३) उपभोग परिभोग		२१
उपभोग परिभोग व्रत के अतिचार			५०
कर्मादान		५४
(४) अनर्थदंड विरमण व्रत		७०
अपव्याय	७४
प्रमादा चरित	७७
हिंसा प्रदान	७६
पापोंपदेश	७६
अतिचार	८३
चार शिक्षाव्रत		.	..	८६
(१) शिक्षाव्रत	८७
(२) सामायिक	९१
उपोद्घात	९२

सामायिक व्रत	६५
सामायिक का उद्देश्य	१०१
सामायिक से लाभ	११७
सामायिक कैसे हो ?	१२७
सामायिक के अतिचार	१४६
(३) देशवकाशिक व्रत	१४८
देशवकाशिक की दूसरी व्याख्या	१५५
देशवकाशिक के अतिचार	१६५
(४) पौषधोपवास	१६८
पौषधव्रत के अतिचार	१८६
(५) अतिथिसंविभाग व्रत	१८६
अतिथिसंविभाग व्रत के अतिचार	२०५
षट् आवश्यक	२०६
षडावश्यक	२११
सामायिक	२१५
चतुर्विंशतिस्तव	२२५
वन्दना	२३२
प्रतिक्रमण	२५१
कायोत्सर्ग	२५८
प्रत्याख्यान	२६७





तीन गुणव्रत

विषय प्रवेश

आत्मा, अनादि काल से सुखाभिलाषी होकर सुख की खोज में इतस्ततः परिभ्रमण करता हुआ स्वर्ग मर्त्य पाताल के सभी स्थानों को एक बार नहीं किन्तु अनेक बार स्पर्श कर आया है और जिन्हे आत्मा सुख का साधन मान रहा है, उन रत्नों, आभूषणों, महलों एवं अप्सराओं का स्वामी बन कर उनका उपभोग भी कर आया है । फिर भी इस आत्मा को कहीं भी सुख नहीं मिला, -किन्तु वे सुख के साधन-भोगे हुए भोग दुःख बढ़ाने के कारण ही हुए तथा हो रहे हैं । कवि ठीक कहता है कि -

न ससारोत्पन्न चरितमनुपश्यामि कुशल ।

विपाकः पुण्यानां जनयति भय मे विमृशतः ॥

महद्भिः पुण्यौघैश्चिरपरिग्रहीताश्च विषयाः ।

महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातु विषयिणाम् ॥

[वैराग्य शतक]

अर्थात्-संसार से उत्पन्न चरित्रों पर जब दृष्टिपात किया जाता है तो उनमें कुशलता नहीं दिखाई देती, अपितु पुण्य-फल स्वरूप प्राप्त हुई स्वर्गादि सम्पत्ति भयावह ही दीख पड़ती है । अर्थात् पुण्य क्षय होने पर स्वर्गादि से भी पतन

होता है और पुण्य-समूह के प्रभाव से बहुत दिनों तक जिस सामग्री का सचय किया है, वह विषय-सामग्री अन्त समय में विषयासक्तों के लिए सन्ताप देने वाली बन जाती है, तथा आत्मा आर्त्त रौद्र ध्यान के कारण दुर्गति का पथिक हो जाता है ।

जैन शास्त्र भी यही कहते हैं कि पहले तो विषय सुख के साधनों को प्राप्त करने में दुःख, यदि प्राप्त हो गये तो रक्षण का दुःख, पश्चात् उन्हें भोगते समय अतृप्ति अथवा इन साधनों को कोई छीन न ले, इस बात की चिन्ता का दुःख और जब वे साधन छूट जाते हैं, तब वियोग का दुःख । इस तरह विषय-सुख के साधनों में दुःख बसा कर ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि—हे आत्मा ! यदि तुझे सच्चे और वास्तविक सुख की चाह है तो जिनमें तूने सुख मान रखा है, उन विषय-सुख के साधनों से अपना ममत्व हटा, उनकी ओर से त्याग-भावना स्वीकार कर । जब तुझमें ऐसी त्याग-भावना होगी और तू विषय-सुख के साधनों को त्यागता जाएगा, तब ही तुझे सुख का अनुभव होगा ।

ऊपर बताई गई त्याग-भावना को आचरण में लाने के लिए शास्त्रकारों ने दो मार्गों का विधान किया है । पहला मार्ग है सासारिक पदार्थों, अथवा वास्तविक सुख प्राप्त होने के बाधक कारणों का सर्वथा (पूर्ण) त्याग और दूसरा मार्ग है आशिक अथवा देश से त्याग । कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्होंने जिनको हेय मान लिया है उन कार्यों या पदार्थों को अविलम्ब पूरी तरह त्याग देते हैं । इस तरह का त्याग करने वाले, महाव्रती कहे जाते हैं । ऐसा त्याग वे ही कर सकते हैं, जिनका निश्चय में तो प्रत्याख्यान-

वरणीय क्रोधादि कषाय का क्षयोपशम हो गया है और व्यवहार में जिन्हे सांसारिक पदार्थों की ओर से उपरति घृणा अथवा वैराग्य भावना हो गई है, तथा जो असमपूर्ण जीवन से निकल कर समपूर्ण जीवन बिताना उचित एवं आवश्यक मानते हैं ।

किन्तु जो लोग इस सीमा तक नहीं पहुँचे हैं, जिनके प्रत्याख्यानवरणीय कषाय का क्षयोपशम नहीं हुआ, अथवा सांसारिक कार्य व्यवहार एवं विषय-भोग के साधनों से जिनका ममत्व पूरी तरह नहीं हटा है, अथवा जो इन सबको सर्वथा त्यागने में असमर्थ है, फिर भी जो इनके त्याग का मार्ग अपनाकर उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे इन सबको आशिक अथवा देश से त्यागते हैं । ऐसे लोगों के लिए शास्त्रकारों ने पाँच अणुव्रतों का विधान किया है । यद्यपि ऐसे देश-त्यागियों का भी ध्येय तो वही रहता है, जो पूर्ण त्यागियों का होता है, परन्तु देश से त्याग करने वाले लोग उस ध्येय की ओर धीरे-धीरे बढ़ना चाहते हैं । शास्त्रकारों द्वारा बताये गये पाँच अणुव्रतों का पालन गृहस्थावस्था में भी किया जा सकता है और इन व्रतों को पालने वाले व्रतधारी श्रावक कहे जाते हैं ।

यद्यपि महाव्रतों न होने वालों के लिए शास्त्र में पाँच अणुव्रतों का विधान है और गृहस्थ श्रावक उन अणुव्रतों को स्वीकार भी करते हैं, परन्तु गृहस्थावस्था में अनेक ऐसी बाधाएँ उपस्थित होती हैं, अथवा ऐसे आकर्षक कारण हैं कि जिनसे स्वीकृत अणुव्रतों का पालन करने में कठिनाइयाँ जान पड़ने लगती हैं । अतः ऐसे अणुव्रत-धारियों को उन कठिनाइयों से बचाने के लिए शास्त्रकारों ने तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत बताये । तीन गुणव्रत पाँच अणुव्रतों में

शक्ति संचार करते हैं, विशेषता उत्पन्न करते हैं, उनके पालन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करते हैं और मूल अणुव्रतो को निर्मल रखते हैं ।

अणुव्रतो की सहायता के लिए बताया गये तीन गुणव्रतो में वृत्ति संकोच को ही विशेषता दी गई है । जब तक गमनागमन कम न किया जावे, उपभोग-परिभोग की मर्यादा न की जावे, आजीविका के लिए की जाने वाली प्रवृत्ति के विषय में औचित्य अनौचित्य का विवेक करके अनुचित प्रवृत्ति न त्याग दी जावे, तब तक धारणा किये हुए अणुव्रतों का पालन करने में कठिनाइयो का उपस्थित होना स्वाभाविक ही है ।

इसी तरह गुणव्रतो की रक्षा के लिए चार शिक्षाव्रतो का जो विधान किया गया है, उन शिक्षाव्रतो को स्वीकार करना भी आवश्यक है क्योंकि गुणव्रतो में स्वीकृत वृत्ति संकोच को सुदृढ बनाने वाले शिक्षाव्रत ही हैं । गुणव्रत एवं शिक्षाव्रत मूल अणुव्रतो के प्राणस्वरूप हैं । जिस तरह शरीर तभी तक उपयोगी एवं कार्यसाधक है, जब तक की उममें प्राण है, उसी तरह गुणव्रत एवं शिक्षाव्रत के होने पर ही मूल अणुव्रत भी उपयोगी एवं कार्यसाधक हो सकते हैं । इस बात को दृष्टि में रख कर शास्त्रकारों ने श्रावक के चारह व्रतो को मूलव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत इन तीन भागों में विभक्त कर दिया है । श्रावक के मूल पांच व्रत स्थूल ग्रहिमा, स्थूल मत्य, स्थूल अचौर्य, स्थूल ब्रह्मचर्य और परिग्रह-परिमाण है । इन पांच मूल व्रतो के पश्चात् दिक् परिमाण, उपभोग-परिभोग-परिमाण और अनर्थ दण्ड विरमण ये तीन गुणव्रत हैं तथा

सामायिक, देशावगासिक, पीपधोपवास एव अतिथि सविभाग ये चार शिक्षाव्रत है ।

दिक्परिमाण व्रत, उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ-दण्ड विरमणव्रत, ये तीनों गुण व्रत है, अर्थात् जिस भावना से अव्रत का त्याग किया जाता है उस भावना को आचरण में लाने के लिए वृत्ति का सकोच करने वाले ये ही तीन व्रत है । इनका धारण एव पालन करने में बहुत ही सावधानी तथा विवेक की आवश्यकता है । यदि इन व्रतों को निभाने के लिए वृत्ति का सकोच न किया गया और विवेक से काम न लिया गया तो गुण के बदले अवगुण पैदा हो जाता है । उदाहरण के लिए त्याग की भावना तो बढी नहीं है, पुद्गलो पर से ममत्व हटा नहीं है, इन्द्रियो को प्रसन्नता देने वाली अच्छी-अच्छी वस्तुएं प्राप्त करने की लालसा बनी हुई है, फिर भी अमुक आरम्भ-समारम्भ अपने हाथ से करने का त्याग कर ले और दूसरे व्यवसायी व्यक्ति द्वारा तैयार किया हुआ पदार्थ लेकर भोग ले तथा यह माने कि हमने आरम्भ-समारम्भ का पाप नहीं किया है, किन्तु सीधी वस्तु भोगी है, इसलिए हमारा पाप टल गया है, हम पाप से बचे हुए हैं, तो यह पाप से बचना नहीं है, अपितु आत्मवचना है । पाप से बचने का यह मार्ग नहीं है । यह मार्ग गुण के बदले अवगुण उत्पन्न करने वाला है । पाप से बचने के लिए तो अपनी लालसा सीमित करके त्याग-भावना को ही महत्त्व देना चाहिए । यदि ऐसा करने की क्षमता अभी नहीं है तो अपनी आवश्यकताओं को सादगी और विवेकपूर्वक पूरी करते हुए ऐसी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना तो ठीक है, परन्तु

वास्तविकता को दूसरा रूप देकर गुण के बदले अवगुण पैदा करना उचित नहीं है ।

मतलब यह है कि गुणव्रतों को धारण एवं पालन करने में सावधानी और विवेक से काम लेना चाहिए । तभी ये गुणव्रत, मूलव्रतों में गुण उत्पन्न करने वाले हो सकते हैं । तीनों गुणव्रतों में किस तरह की मर्यादा करनी पडती है, तीनों का रूप क्या है, और इन गुणव्रतों से किस किस मूलव्रत में क्या-क्या विशेषता आती है, आदि बातों के लिए तीनों व्रतों के विषय में आगे पृथक्-पृथक् विचार किया जाता है ।



दिक्परिमाणा व्रत

१—व्रत का स्वरूप

तीन गुणव्रतो मे से प्रथम गुणव्रत और श्रावक के वारह व्रतो मे से छठे व्रत का नाम दिक्परिमाण व्रत है। दिक् का अर्थ है दिशा। जैन शास्त्रानुसार दिशाएँ तीन है यथा—

दिसिंघ्वए तिविहे पण्णत्तो तजहा—

उड्ढ, अहेयं, तिरिय।

अर्थात्—दिक्व्रत तीन तरह का है, उर्ध्व दिक्व्रत, अध. दिक्व्रत और तिर्यक् दिक्व्रत।

अपने से ऊपर की ओर को ऊर्ध्व दिशा कहते हैं। नीचे की ओर को अधो दिशा कहते हैं और इन दोनों के बीच की ओर को तिर्यक् दिशा कहते हैं। तिर्यक् दिशा के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये चार भेद हैं, जो चार दिशाओं के नाम से प्रसिद्ध है। इन चार दिशाओं के सिवा चार विदिशाएँ भी हैं, जिनके नाम ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य हैं। जिस ओर सूर्य निकलता है, उस ओर मुह करके खड़ा रहने पर सामने की ओर पूर्व दिशा होगी

पीठ की ओर पश्चिम दिशा होगी बाये हाथ की ओर उत्तर और दाहिने हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी । इसी तरह सिर की ओर ऊर्ध्व दिशा तथा पैर के नीचे की ओर अधः (नीची) दिशा होगी । उत्तर तथा पूर्व दिशा के बीच के कोण को ईशान कोण कहा जाता है । पूर्व तथा दक्षिण दिशा के बीच के कोण को आग्नेय कोण कहते हैं । दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच के कोण को नैऋत्य कोण तथा पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का कोण वायव्य कोण कहा जाता है । ये चारो कोण विदिशा कहलाते हैं और विदिशाओ का समावेश दिशाग्रो मे भी हो जाता है ।

इन वताई गई दिशाओ मे गमनागमन करने (जाने आने) के सम्बन्ध मे जो मर्यादा की जाती है, जो यह निश्चय किया जाता है, कि मैं अमुक स्थान से अमुक दिशा मे अथवा सब दिशाओ मे इतनी दूर से आधिक न जाऊंगा, उस मर्यादा या निश्चय को दिक्परिमाण व्रत कहते हैं ।

अब यह देखते हैं कि दिक्परिमाण व्रत क्यों स्वीकार किया जाता है और दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने से श्रावको को क्या लाभ होता है ? श्रावक लोग, जो पाच अणुव्रत स्वीकार करते हैं, उन व्रतो पर स्थिर रह कर आगे बढ़ना श्रावक का लक्ष्यबिन्दु होता है, परन्तु इसके लिए चित्त की शांति के विना ध्येय के मार्ग पर स्थिर ही नहीं रहा जा सकता, तो आगे तो बढ़ ही कैसे सकता है । और चित्त शान्ति का उपाय है—वृत्ति का सकोच । जब तक चित्त मे चंचलता रहती है, जिसकी वृत्ति सकुचित नहीं है, वह जब किसी स्थान के विषय मे कोई बात सुनता है, तब उसे वह स्थान देखने, उस स्थान विषयक अनुभव प्राप्त करने

और वहाँ के पदार्थों को भोगने का विचार हो ही जाता है । असकुचित वृत्ति वाले मनुष्य का यह स्वभाव ही होता है । इस चंचलता के कारण गमनागमन होना भी स्वाभाविक है और तब त्याग-भावना छूट कर विलासिता अपना आधिपत्य जमा लेती है । इसलिए व्रतधारी श्रावक को अपनी साधारण आवश्यकताएं दृष्टि में रख कर दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा करने रूप दिक्परिमाण व्रत अवश्य स्वीकार करना चाहिए ।

२ — दिक्व्रत का अन्य व्रतों पर प्रभाव

अब यह देखते हैं कि दिक्परिमाण व्रत धारण करने पर श्रावक के मूल व्रतों में किस प्रकार क्या विशेषता आती है ? इसके लिए पहले श्रावक के स्थूल अहिंसा व्रत के सम्बन्ध में विचार करते हैं । अपने सांसारिक जीवन को दृष्टि में रख कर श्रावक स्थूल अहिंसा व्रत ही स्वीकार करता है ।

स्थूल अहिंसा व्रत स्वीकार और स्थूल हिंसा का त्याग करते हुए श्रावक लोग जिस आरम्भजा हिंसा का आगार रखते हैं, वह आगार सभी स्थानों के लिए खुला हुआ है । इस आगार की स्थूल अहिंसा व्रत में सीमा नहीं की है, परन्तु दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर इस आगार की भी सीमा हो जाती है । अर्थात् स्थूल अहिंसा व्रत के आगार में जो आरम्भजा हिंसा रखी गई है, वह आरम्भजा हिंसा दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर असीम नहीं रहती, किन्तु केवल उतने ही स्थान के लिए रह जाती है, जितना

स्थान दिक्परिमाण व्रत में गमनागमन के लिए रखा गया है । दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करते समय गमनागमन के लिए रखी गई सीमा के बाहर की आरम्भजा हिंसा भी छूट जाती है और इस प्रकार दिक्परिमाण के द्वारा व्रत स्वीकार करने पर श्रावक स्वीकृत अहिंसाव्रत की मर्यादा विस्तृत तथा आगार में रखी गई आरम्भजा हिंसा का क्षेत्र परिमित हो जाता है ।

श्रावक का दूसरा मूलव्रत स्थूल सत्य है । इस व्रत का रूप भी पहले बताया जा चुका है । इस व्रत को स्वीकार करने वाला श्रावक स्थूल झूठ का तो सभी क्षेत्र के लिए त्याग करता है, परन्तु गृहस्थावस्था के कारण वह जिस सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं कर सका है, वह सूक्ष्म झूठ सभी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है । आगार में रहे हुए सूक्ष्म झूठ के विषय में क्षेत्र की कोई मर्यादा नहीं है । दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर इस विषय की मर्यादा हो जाती है अर्थात् जो सूक्ष्म झूठ नहीं त्यागा गया है, वह सूक्ष्म झूठ भी केवल उसी क्षेत्र के लिए शेष रह जाता है, जो क्षेत्र गमनागमन के लिए दिक्परिमाण व्रत में रखा गया है । उसके सिवा शेष क्षेत्र में जाकर सूक्ष्म झूठ बोलने का त्याग हो जाता है ।

श्रावक का तीसरा मूलव्रत स्थूल चोरी से निवृत्त होना है । श्रावक स्थूल चोरी का त्याग तो सभी क्षेत्र के लिए करता है, परन्तु सूक्ष्म चोरी सभी क्षेत्र के लिए खुली हुई है । दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर वह सूक्ष्म चोरी भी सीमित होकर केवल उतने ही क्षेत्र के लिए रह

जाती है, जितना क्षेत्र दिक्परिमाण व्रत में गमनागमन के लिए रखा गया है ।

श्रावक का चौथा मूलव्रत स्वदार सन्तोष और परदार विवर्जन है । श्रावक यह व्रत भी स्थूल रूप से ही स्वीकार करता है क्योंकि गृहस्थावास में रहते हुए श्रावक परदार का त्याग भी एक देश से ही कर सकता है, सर्वथा अर्थात् त्रिकरण त्रियोग से नहीं कर सकता । उसे अपनी सन्तान को अनीति-मार्ग से बचाने के लिए नीति मार्ग में जोड़ना ही पडता है । श्रावक पर-स्त्री का जो त्याग करता है, वह त्याग तो सभी क्षेत्र के लिए है, परन्तु स्व-स्त्री का जो त्याग नहीं कर सका है, वह स्वस्त्री का सम्बन्ध सभी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है । दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर स्व-स्त्री का क्षेत्र भी सीमित हो जाता है । यानी मर्यादित क्षेत्र के बाहर जाकर स्वदार के साथ न तो दाम्पत्य व्यवहार कर सकता है, न किसी को अपनी पत्नी ही बना सकता है । इस प्रकार दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर इस चौथे व्रत में भी प्रशस्तता आती है ।

श्रावक का पाचवां मूलव्रत परिग्रह-परिमाण है । दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर इस व्रत में भी प्रशस्तता आ जाती है क्योंकि दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर श्रावक मर्यादित परिग्रह का रक्षण अथवा उसकी पूर्ति उसी क्षेत्र में रहकर कर सकता है जो क्षेत्र उसने दिक्परिमाण व्रत में गमनागमन के लिए रखा है । उस क्षेत्र के बाहर जाकर न तो मर्यादित परिग्रह की रक्षा ही कर सकता है, न उसकी पूर्ति के लिए व्यवसाय ही कर सकता है । इसके सिवा जब तक दिक्परिमाण द्वारा क्षेत्र की सीमा नहीं की

जाती, तब तक तृष्णा का क्षेत्र भी सीमित नहीं होता और क्षेत्र सीमित न होने से तृष्णा बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने पर श्रावक का पाचवां मूलव्रत भी प्रशस्त हो जाता है।

३—दिग्ब्रत की विधि

दिक्परिमाण व्रत का श्रावक के पाचो मूलव्रतो पर कैसा सुप्रभाव पड़ता है, यह बताया जा चुका है। अब यह देखते हैं कि दिक्परिमाण व्रत स्वीकार किस तरह किया जाता है। दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करने के लिए किसी एक स्थान को केन्द्र बना कर उस स्थान से प्रत्येक दिशा के लिए यह मर्यादा करनी चाहिए कि मैं अमुक दिशा में इस स्थान से इतनी दूर से अधिक न जाऊंगा। ऊर्ध्व दिशा के लिए यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं अमुक केन्द्र स्थान से वृक्ष, पहाड़, घर महल पर अथवा हवाई जहाज द्वारा या और किसी तरह ऊपर की ओर इतनी दूर से अधिक दूर न जाऊंगा। अधो दिशा के लिए यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं केन्द्र स्थल से नीचे की ओर जल, स्थल, खदान भूमिगृह आदि में इतनी दूर से अधिक नीचा न जाऊंगा। तिर्यक् दिशा-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान, आग्नेय, नैऋत्य तथा वायव्य के लिए भी ऐसी ही प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं पूर्वादि अमुक दिशा और ईशानादि अमुक विदिशा में केन्द्र स्थल से इतनी दूर से अधिक न जाऊंगा। इस तरह अपने गमनागमन के क्षेत्र को सीमित बनाने की प्रतिज्ञा का नाम दिक्परिमाण व्रत है, जो ऊपर बताया गई रीति से धारण किया जाता है।

दिवपरिमाण व्रत स्वीकार करने वाले के लिए यह प्रतिबन्ध नहीं है कि किसी स्थल विशेष को ही केन्द्र बनाया जावे और वही से गमनागमन विषयक मर्यादा की जावे । यह बात व्रत स्वीकार करने वाले की इच्छा और सुविधा पर निर्भर है । व्रत स्वीकार करने वाला यदि चाहे तो जहा व्रत स्वीकार कर रहा है उसी स्थान को केन्द्र मान सकता है, जहा रहता है उस स्थान को केन्द्र मान सकता है, अथवा किसी दूसरे स्थान विशेष को भी केन्द्र मान सकता है । इसी प्रकार वह इस बात के लिए भी स्वतन्त्र है कि किसी दिशा में आवागमन का क्षेत्र कम रखे और किसी में अधिक ।

गमनागमन का परिमाण कोस, मील, हाथ, फुट, इ च के रूप में भी कर सकता है और इस तरह भी कर सकता है कि मैं अमुक दिशा में अमुक देश, प्रदेश, नगर, ग्राम, पहाड, नदी, वन आदि से आगे नहीं जाऊंगा । अथवा इस तरह भी कर सकता है कि मैं माने हुए अमुक केन्द्र स्थल से अमुक दिशा में इतने दिन या इतने समय में पैदल अथवा अमुक वाहन से जितनी दूर तक जा सकूँ, उससे आगे नहीं जाऊंगा । इस प्रकार जिसकी जैसी इच्छा हो, वह उस तरह से दिक्परिमाण व्रत स्वीकार कर सकता है, लेकिन यह व्रत स्वीकार करते हुए जो व्यक्ति गमनागमन की सीमा जितनी भी कम रखेगा, उसका व्रत उतना ही अधिक प्रशस्त होगा और उसके मूल व्रतों को भी अधिक लाभ पहुँचेगा । इसलिए जहा तक सम्भव हो, दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करते हुए मर्यादा में गमनागमन का क्षेत्र कम ही रखना अच्छा है ।


दिकपरिमाण व्रत स्वीकार करते हुए, अपनी स्थिति आवश्यकता तथा शक्ति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए और जीवन-निर्वाह के लिए जितना क्षेत्र गमनागमन के लिए रखना आवश्यक है, उतने क्षेत्र के सिवा शेष क्षेत्र में गमनागमन करने का त्याग करना चाहिए । केवल लालसावश गमनागमन के लिए अधिक क्षेत्र सीमा में रखना उचित नहीं है ।

दिकपरिमाण व्रत जीवन भर के लिए ही स्वीकार किया जाता है । केवल अहोरात्रि या कम समय के लिए की गई गमनागमन की मर्यादा की गणना दसवे व्रत में होगी ।

दिकपरिमाण व्रत स्वीकार करने वाले को वृत्ति का सकोच और ममत्व का त्याग करना पड़ता है । विना ऐसा किये इस व्रत की रक्षा नहीं हो सकती । इस व्रत की रक्षा के लिए समय पर व्रतधारी को हानि भी सहन करनी पड़ती है । उदाहरण के लिए किसी दिकपरिमाण व्रतधारी का कोई वस्त्र या आभूषण मनुष्य पशु पक्षी या देव उठा ले गया अथवा पवन से उड़ गया, वह वस्त्र या आभूषण ऐसे स्थान पर रखा या पड़ा हुआ है, जो उस व्रतधारी द्वारा मर्यादा में रखे गये क्षेत्र से बाहर है । यद्यपि वह व्रतधारी श्रावक अपने उस वस्त्र या आभूषण को पड़ा या रखा हुआ देख रहा है फिर भी वह उस वस्त्र या आभूषण को लाने के लिए नहीं जा सकता ।

यह बात दूसरी है कि वह वस्त्र या आभूषण जिस तरह से गया था, उसी तरह अथवा किसी दूसरी तरह

मर्यादित क्षेत्र में आ जावे और वह व्रतधारी श्रावक अपनी उस चीज को ले ले, लेकिन उस चीज को लाने के लिए वह अपनी मर्यादा के क्षेत्र से बाहर कदापि नहीं जा सकता और यदि जाता है तो वह अपना व्रत तोड़ता है । इस प्रकार इस व्रत का पालन करने में कठिनाइयाँ भी सहनी पड़ती हैं । परन्तु जो उन कठिनाइयों को सहता है, जो अपनी वृत्ति का सकोच करता है और ममत्व का त्याग करता है, वही इस व्रत का पालन करने में समर्थ हो सकता है । साथ ही जो इस व्रत का पूरी तरह पालन करता है, उसकी वृत्ति भी सकुचित होती जाती है तथा उसमें ममत्व-त्याग की क्षमता भी बढ़ती जाएगी ।



द्विक्परिमाणा व्रत के अतिचार

तीर्थंकर भगवान् ने द्विक्परिमाणा व्रत के पाच अति-चार बताये हैं, जो जानने योग्य है किन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं। प्रश्न होता है कि अतिचार कहते किसे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि जो त्याग किया जाता है, उस त्याग का पालन करते हुए प्रसंग विशेष से परिमाणा की धाराओं में परिवर्तन होकर जो खलना होती है, उसको सामान्य और विशेष भेद के कारण अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार इन चार भागों में विभक्त किया गया है। किसी भी त्यागे हुए कार्य या पदार्थ के विषय में परिणामों में मलिनता आना और उस कार्य या पदार्थ को अपनाने का मन में संकल्प करना, यह अतिक्रम है। उस मन के संकल्प को मूर्त स्वरूप देने का प्रयत्न करना—सामग्री जुटाना आदि—व्यतिक्रम कहा जाता है। इस तरह के प्रयत्न में मूर्च्छित होना और ऐसा कार्य करना कि जिससे व्रत का भंग समीप ही जाय, अतिचार कहलाता है और उस त्यागे हुए कार्य को कर डालना, अथवा त्यागे हुए पदार्थ को स्वीकार कर लेना तथा इस तरह व्रत भंग कर डालना, अनाचार है। अतिचार की शुद्धि तो प्रायश्चित्त लेने एवं

पुनः व्रत स्वीकार करने से ही होती है, लेकिन अनाचार, अतिचार के पश्चात् होता है, इसलिए भगवान् ने अतिचार का रूप बता कर व्रतधारी को इस बात की सावधानी दी है कि इन अतिचारो को समझ कर इनसे बचते रहना चाहिए, अन्यथा कभी अनाचार होना और व्रत का टूट जाना स्वाभाविक है। भगवान् ने आनन्द आदि श्रावको को सम्बोधन करके प्रत्येक व्रत के अतिचार बताये हैं। इस दिक्परिमाण व्रत के भी भगवान् ने, पाच अतिचार कहे हैं।

(१) पहला अतिचार ऊर्ध्व दिक्परिमाणातिक्रम है। ऊर्ध्व दिशा में गमनागमन करने के लिए जो क्षेत्र मर्यादा में रखा है, उस क्षेत्र का जानबूझ कर नहीं, किन्तु अनजान में भूल से उल्लंघन हो जाना, वह ऊर्ध्व दिशि परिमाणातिक्रम है।

(२) दूसरा अतिचार अधो दिशि परिमाणातिक्रम है। नीची दिशा के लिए किये गये परिमाण का जान बूझ कर नहीं, किन्तु भूल या असावधानी से उल्लंघन हो जाय, वह अधो दिशि परिमाणातिक्रम है।

(३) तीसरा अतिचार तिर्यक्दिशि परिमाणातिक्रम है। तिर्यक्दिशा-पूर्व पश्चिम आदि के लिए गमनागमन का जो परिमाण किया है, उस परिमाण का भूल या असावधानी से उल्लंघन करना, तिर्यक्दिशि परिमाणातिक्रम है।

(४) चौथा अतिचार क्षेत्रवृद्धि है। इस अतिचार का अर्थ यह है कि एक दिशा के लिए की गई सीमा को कम करके उसे दूसरी दिशा की सीमा में जोड़ कर दूसरी

दिशा की सीमा बढा लेना । उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति ने व्रत लेते समय पूर्व दिशा में गमनागमन करने की मर्यादा ५० कोस की रखी है परन्तु कुछ दिनों के अनुभव के पश्चात् उसने सोचा कि मुझे पूर्व दिशा में ५० कोस जाने का काम नहीं पडता है और पश्चिम दिशा में मुझे सीमा में रखी गई मर्यादा से अधिक जाना है । इसलिए पूर्व दिशा के लिए रखे गये ५० कोस में कुछ कोस कम करके पश्चिम दिशा की मर्यादा बढा दू । इस तरह सोच कर यदि कोई व्यक्ति अपना मर्यादित क्षेत्र ऊपर बढाई गई रीति से बढाता है, तो यह क्षेत्रवृद्धि अतिचार है । यद्यपि ऐसा करने में उसने एक दिशा का क्षेत्र घटा दिया है, फिर भी अतिचार है, क्योंकि उसको अपना मर्यादित क्षेत्र घटाने का अधिकार तो है, लेकिन दिशा विशेष के नाम पर जो मर्यादा की गई है, उस मर्यादित क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार नहीं है । इस कारण एक ओर का क्षेत्र घटा कर उसके बदले दूसरी ओर का क्षेत्र बढाना, व्रत की अपेक्षा होने के कारण अतिचार है ।

(५) पाचवाँ अतिचार स्मृतिभ्रंश है । क्षेत्र की मर्यादा को भूल कर मर्यादित क्षेत्र से आगे बढ जाना, अथवा 'मैं शायद अपनी मर्यादित क्षेत्र की दूरी तक तो चल चुका होऊँगा' ऐसा विचार होने के पश्चात् भी निर्णय किये बिना आगे बढ जाना, स्मृतिभ्रंश अतिचार है ।

इन पाँच अतिचारों को समझ कर व्रत की रक्षा के लिए इनसे बचते रहना चाहिए । ऐसा करने वाला व्यक्ति ही, दिक्परिमाण व्रत का पूरी तरह पालन कर सकता है और मूल व्रत में गुण उत्पन्न कर सकता है ।

उपभोग-परिभोग- परिमाण व्रत

तीन गुणव्रत मे से दूसरा और श्रावक के बाहर व्रतो मे से सातवा व्रत उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत है । दिक्परिमाण व्रत धारण करने के पश्चात् इस व्रत को धारण करने की क्या आवश्यकता है ? यह बताने के लिए कहा गया है कि पाच मूल व्रत धारण करने वाले श्रावक के लिए, उन व्रतो की रक्षा एव उनकी वृद्धि के उद्देश्य से, वृत्ति का सकोच करना आवश्यक है । वृत्ति का सकोच करने के लिए ही दिक्परिमाण व्रत स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस व्रत के द्वारा मर्यादित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एव वहा के पदार्थादि से ही निवृत्ति होती है । मर्यादित क्षेत्र मे रहे हुए पदार्थों का उपभोग-परिभोग उसके लिए सर्वथा खुला हुआ है । मर्यादित क्षेत्र मे रहे हुए पदार्थों के उपभोग परिभोग की कोई सीमा-मर्यादा नहीं है, जिससे जीवन अनियमित रहता है और जिसका जीवन अनियमित है, उसके मूल व्रत भी निर्मल नहीं रह सकते । इस बात को दृष्टि मे रख कर ही यह सतवा व्रत बताया गया है । इस व्रत के स्वीकार करने पर, छठे व्रत द्वारा मर्यादित क्षेत्र मे रहे हुए पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा हो जाती

है और इस प्रकार वृत्ति का संकोच होता है ।

जीवन-निर्वाह के लिए अथवा शारीरिक सुख के लिए, पदार्थों का सेवन करना उपभोग-परिभोग कहलाता है । जो वस्तु एक ही बार काम में लाई जा सकती है, एक बार काम में आ चुकने के पश्चात् तत्काल या समयान्तर में पुनः काम में नहीं लाई जा सकती, वह चीज उपभोग मानी गई है । ऐसी चीज को काम में लेना उपभोग कहलाता है ।

उपभोगः सकृद्भोगः स चाशनपानानुलेपनादीनां ।

टीकाकार का कहना है, कि जो एक बार भोगा जा चुकने के पश्चात् फिर न भोगा जा सके, उस पदार्थ को भोगना-काम में लेना उपभोग है । जैसे एक बार जो भोजन खाया जा चुका है, या जो पानी एक बार पीया जा चुका है, वह फिर खाया-पीया नहीं जा सकता । अथवा अग्ररचना या विलेपन की जो वस्तु एक बार काम में आ चुकी है, वह फिर काम में नहीं आ सकती । इसी तरह जो वस्तु एक बार काम में आ चुकने के पश्चात् फिर काम में नहीं आती, उन वस्तुओं को काम में लेना, उपभोग कहलाता है । इसके विरुद्ध जो वस्तु एक बार से अधिक बार काम में ली जा सकती है, उस वस्तु को काम में लेना, परिभोग कहलाता है । इसके लिए टीकाकार कहते हैं—

परिभोगस्तु पुनर्पुनः भोग स चासन-शयन-वसन-वनितादीनां ।

टीकाकार कहते हैं कि जो वस्तु फिर-फिर भोगी जा सके, उसको भोगना, परिभोग है । जैसे आसन, शैया, वस्त्र,

वनिता आदि ।

उपभोग परिभोग की व्याख्या इस तरह भी की जा सकती है कि जो चीज शरीर के आन्तरिक भाग से भोगी जा सकती है, उसको भोगना उपभोग है और जो चीज शरीर के बाहरी भागों से भोगी जा सकती है, उस चीज को भोगना परिभोग है । ऐसी उपभोग्य और परिभोग्य वस्तुओं के विषय में यह मर्यादा करना कि मैं अमुक-अमुक वस्तु के सिवा शेष वस्तुएँ उपभोग-परिभोग में नहीं लूँगा, इस मर्यादा को उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत कहा जाता है । इस व्रत का उद्देश्य है, शारीरिक आवश्यकताओं को मर्यादित करना । जिसकी शारीरिक आवश्यकताएँ जितनी अधिक होंगी, उसको उन्हें पूरी करने के लिए उतनी ही अधिक प्रवृत्ति करनी पड़ेगी और उतना ही अधिक पाप करना पड़ेगा । इसके विरुद्ध जिसकी आवश्यकताएँ जितनी कम होंगी, उसे उतनी प्रवृत्ति भी नहीं करनी पड़ेगी । वह दूसरे धर्म-कार्य के लिए समय भी बचा सकेगा और अधिक पाप से बचा रह सकेगा ।

यद्यपि शरीरधारियों के लिए भोजनादि वस्तु का उपभोग परिभोग आवश्यक माना जाता है, लेकिन वह उपभोग परिभोग दो कारणों से होता है । एक तो शरीर की रक्षा के लिए अनिवार्य आवश्यकता मिटाने के लिए और दूसरा अनिवार्य आवश्यकता के बिना ही, केवल शारीरिक सुख के लिए यानी विषयजन्य सुख की प्राप्ति के लिए । इन दोनों कारणों में से, दूसरे कारण से किया जाने वाला उपभोग परिभोग सर्वथा त्यागना चाहिए और अनिवार्य कारण से किए जाने वाले उपभोग परिभोग के लिए यह

मर्यादा करनी चाहिए कि मैं शरीर रक्षा के लिए केवल अमुक-अमुक पदार्थों का ही उपभोग परिभोग करूंगा, शेष का नहीं। इस प्रकार इस व्रत का उद्देश्य-विषयजन्य सुख के लिए पदार्थों का उपभोग-परिभोग यथाशक्ति सर्वथा त्यागना और शरीर-रक्षा के लिए उपभोग-परिभोग में लिये जाने वाले पदार्थों की मर्यादा करना है।

उपभोग में आने वाली वस्तुएं, प्रधानतः अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य इन चार भागों में विभक्त हैं। जिन वस्तुओं का शरीर-रक्षा के लिए खाना आवश्यक माना जाता है, अथवा क्षुधा मिटाने के लिए जो चीजे खाई जाती हैं, उन चीजों की गणना अशन में है। अशन से मतलब पूर्ण भोजन है।

जो वस्तुएं दांतों से चबाये बिना ही पी जाती हैं, उन पेय वस्तुओं का पीना 'पान' कहलाता है। जो वस्तुएं उपभोग यानी नाश्ता के रूप में खाई जाती हैं, उनकी गणना खाद्य में है और जो वस्तुएं केवल स्वाद के लिए अथवा मुंह साफ करने के नाम पर खाई जाती हैं, उनकी गणना स्वाद्य में है।

अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य में विशेषतः कौन-कौनसी चीजे त्याज्य हैं, यह बताते हुए कहा गया है कि अशन में आलू, मूला, कादा, लहसुन और मांस ॐ आदि भ्रष्ट पदार्थ त्याज्य हैं। पेय पदार्थों में मांस-मदिरा आदि

ॐ श्री रत्नप्रभसूरि ने जब ओसवाल समाज की स्थापना की थी, तब सर्व प्रथम मांस-मदिरा का त्याग कराया था। तब से ओसवाल जैन समाज मासाहारी नहीं

त्याज्य है । खाद्य यानी फलादि में गूलर, बड़, पीपल, पिलंगू, अजीर आदि वे फल त्याज्य हैं, जिनमें बीज बहुत होते हैं और त्रसजीव भी उत्पन्न हो जाते हैं । इसी प्रकार स्वाद्य में भी वे वस्तुएं त्याज्य हैं, जो ऊपर बताई गई चीजों से मिलती जुलती हैं । मतलब यह है कि श्रावक को ऐसा

है और अभी भी जाति का यह नियम है कि कोई भी ओसवाल मास-भक्षण या मदिरा पान न करे । इस प्रकार वर्तमान समय में जैन धर्मी कहलाने वाले लोगों के घरों में मास मदिरा का सेवन तो प्रायः नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे लोगों के घरों में भी आजकल ऐसी भ्रष्ट चीजों को काम में लिया जाने लगा है जो प्रकारान्तर से मास-मदिरा ही हैं । उदाहरण के लिए रोगमुक्त होने के लिए अथवा शरीर को सशक्त बनाने के लिए उन अंग्रेजी दवाइयों को खाना, पीना जो मास और मदिरा की श्रेणी में हैं । अंग्रेजी दवाइयों में प्रायः भ्रष्ट पदार्थों के सत अथवा शराब आदि का समिश्रण रहता ही है और कई दवाइयाँ तो ऐसी होती हैं कि जिनका नाम ही स्पष्ट निर्देश करता है कि यह दवा ऐसी है, जो श्रावक के लिए किसी भी दशा में खाने या पीने के योग्य नहीं है । जैसे कॉडलीवर आइल, Codliver oil हेमोग्लोबिन Hoemoglovin बकरे का लीवर Goat's Liver और बन्दर का ग्लैंड Monkey's Glands Etc आदि । ऐसी भ्रष्ट चीजों का उपभोग विशेषतः आलस्य अथवा परिस्थिति का ज्ञान न करके आरम्भ समारम्भ छोड़ बैठने या उससे बचने के नाम पर होता है, लेकिन इस प्रयत्न में अल्प पाप के बदले महापाप हो जाता है और श्रावक के लिए पहले महापाप ही त्याज्य है ।

अशन, पान खाद्य और स्वाद्य सर्वथा त्याग देना चाहिए, जो लौकिक दृष्टि से निन्द्य तथा लोकोत्तर दृष्टि से महापाप युक्त हो और ऐसे अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य द्वारा ही जीवन का निर्वाह करना चाहिए, जो लौकिक दृष्टि से निन्द्य तथा लोकोत्तर दृष्टि से महापाप पूर्ण न हो, जिसके बिना जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता हो, जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभप्रद हो और प्रकृति को सात्विक बनाने वाला हो ।

जैसा आहार-संयम श्रावक के लिए जैन दर्शन में बताया गया है, लगभग वैसा ही आहार-संयम अन्य दर्शन-कार भी बताते हैं । गीता में तीन प्रकार की प्रकृति बताते हुए कहा गया है कि किस प्रकृति वाला कैसा भोजन करता है, अथवा कैसे भोजन से कैसी प्रकृति बनती है । सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का रूप बता कर त्रिगुणातीत होने का उपदेश दिया गया है तथा यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति त्रिगुणातीत नहीं हो सकता है तो उसके लिए सात्विक प्रकृति की अपेक्षा राजस प्रकृति और राजस प्रकृति की अपेक्षा तामस प्रकृति त्याज्य है । इस प्रकार इस कथन द्वारा उस आहार का भी निषेध किया गया है, जो राजस या तामस प्रकृति बनाने वाला है ।

कौनसा भोजन किस प्रकृति का उत्पादक या पोषक है, यह बात ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक बताई गई है । ग्रन्थों में कहा गया है कि जिससे बल, उत्साह, आयु और सहन-शीलता की वृद्धि हो, जो रसमय स्निग्ध स्वादयुत एवं धातु-पोषक हो, वह आहार सात्विक है । जो कडुआ, खट्टा, क्षारयुक्त, उष्ण और दाहक हो तथा जो अहकार की वृद्धि

करे, वह आहार राजस है । जो रसहीन, उच्छिष्ट, वासी तथा विगडा हुआ हो और जो क्रोधादि का उत्पादक हो, वह आहार तामस है ।

भोजन से मन, वाणी और स्वभाव का पूर्ण सम्बन्ध है । जो जैसा भोजन करता है, उसके मन, वाणी और स्वभाव में वैसा ही सद्गुण या दुर्गुण आता है । व्यवहार में भी कहावत है कि 'जैसा आहार होता है, वैसा विचार, उच्चार और व्यवहार भी होता है ।' इस प्रकार आहार पर संयम रखना आवश्यक है और ऐसे आहार से बचे रहना भी आवश्यक है, जो विकृति उत्पन्न करने वाला है, जिसके लिए महान् पाप हुआ या होता है और जो लोक में निन्द्य माना जाता है ।

श्रावक की यथासम्भव सचित्त वस्तु भोगने का त्याग करना चाहिए । सचित्त का अर्थ है सजीव, यानी जीव सहित । जिसमें चित् शक्ति मौजूद है, उसे सचित्त कहते हैं, जैसे कच्चा हरा साग, बिना पीसा हुआ या बिना पकाया हुआ अन्न और जिनमें अंकुर उत्पन्न होने की शक्ति है, वे बीज । इसी प्रकार बिना पकाया हुआ या असंस्कृत पानी भी सचित्त है । श्रावक के लिए उचित है कि जहां तक भी सम्भव हो, ऐसे अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य का त्याग करना चाहिए, जो सचित्त हो । यद्यपि ऐसा न करने वाला श्रावक श्रावकत्व से गिरता नहीं है, लेकिन सचित्त का त्याग करना, श्रावकत्व को प्रशस्तता देना है । इसलिए जहां तक हो सके, श्रावक को सचित्त आहार का त्याग करना चाहिए । सचित्त का त्याग करने में, श्रावक को

किसी बड़ी कठिनाई का सामना भी नहीं करना पड़ सकता क्योंकि गृहस्थ श्रावक साधन-सम्पन्न होता है और जब तक उसने आरम्भजा हिंसा को नहीं त्यागा है, तब तक उसके लिए भोजन पानी पकाने यानी अचित्त बनाने का भी निषेध नहीं है । वल्कि शास्त्र मे भी जहां श्रावक के भोजनादि का वर्णन है, वहां यह स्पष्ट कहा गया है कि —

असरां पाणं खाइमं साइमं उवक्खडावेइ उवक्खडावेइत्ता ।

अर्थात् — अन्न, पान, खाद्य और स्वाद्य निपजा कर यानी बना कर भोगा ।

इस प्रकार श्रावक, भोजन पानी आदि को अपने उपभोग मे लाने के योग्य बनाने मे स्वतंत्र है । इसलिए श्रावक को अपना श्रावकत्व प्रशस्त करने के लिए जहां तक भी सम्भव हो, सचित्त अन्न, पान, खाद्य और स्वाद्य का त्याग करना उचित है ।

साधारणतया, श्रावक का खान-पान सादा और सात्विक ही होना चाहिए । इस उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का उद्देश्य भी यही है कि श्रावक ऐसा ही भोजन पानी अपने काम मे ले जो सादा सात्विक और जीवन-निर्वाह के लिए आवश्यक हो तथा ऐसा भोजन पानी आदि त्याग दे, जो विकारी और सात्विक प्रकृति का नाश करने वाला हो । सातवां व्रत स्वीकार करने वाले श्रावक को यह बात दृष्टि मे रख कर ही खान-पान विषयक मर्यादा करनी चाहिए और जो लोग एक दम से स्वाद के लिए किया जाने वाला या सचित्त खान-पान नहीं त्याग करते, उनको अपनी शक्ति अनुसार मर्यादा करके अपनी असीम लालसा सीमित

कर देनी चाहिए । लेकिन ऐसे श्रावक का भी ध्येय यही रहना चाहिए कि मैं स्वाद के लिए किया जाने वाला या सच्चित्त खान-पान का पूर्ण त्यागी बनूँ और इस प्रकार इस सातवे व्रत का उद्देश्य पूर्ण करूँ ।

खान-पान में आने वाले पदार्थों की तरह उन दूसरे पदार्थों के विषय में भी मर्यादा करनी चाहिए, जो उपभोग में आते हैं । इसी तरह परिभोग में आने वाले पदार्थों के लिए भी यह मर्यादा करनी चाहिए कि मैं अमुक-अमुक परिभोग वस्तुओं के सिवा दूसरी वस्तुएं परिभोग में न लूँगा । इस प्रकार की जाने वाली मर्यादा में केवल उन्हीं वस्तुओं की छूट रखना उचित है, जिनका परिभोग जीवन-रक्षा के लिए अनिवार्य है ।

परिभोग्य पदार्थों में उन सब पदार्थों की गणना है, जो शरीर को स्वच्छ, सुन्दर, सुवासित या विभूषित बनाने हैं, अथवा जो शरीर को आच्छादित रखते हैं या शरीर के लिए आनन्ददायी माने जाते हैं । दातुन करना, मुँह धोना, तेल उबटन लगाना, स्नान करना, वस्त्राभूषणपरिधान, पुष्पमाला धारण करना, केसर इत्र आदि सुगन्धित द्रव्य का विलेपन करना, छाता लगाना, जूता पहनना, रथादि वाहन पर बैठना, आसन शैया का उपयोग करना आदि कामों की गणना परिभोग में है । संक्षेप में, द्वाग्नेन्द्रिय श्रोत्रेन्द्रिय और स्पशेन्द्रिय द्वारा अनेक वार भोगी जाने वाली चीजों को भोगना, परिभोग है । कई वस्तुएं ऐसी हैं कि जिनका भोगना उपभोग में भी माना जा सकता है और परिभोग में भी लेकिन किसी में भी मान कर उन सब वस्तुओं को

भोगने का त्याग करना चाहिए, जिनके भोगे बिना भी व्रत-धारी अपना कार्य चला सकता है, जीवन निर्वाह कर सकता है। साथ ही उन वस्तुओं की मर्यादा करनी चाहिए, जिनका भोगना व्रतधारी अपने लिए अनिवार्य मानता है। यानि यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं उपभोग और परिभोग में आने वाली वस्तुओं में से अमुक-अमुक वस्तु सर्वथा न भोगूँगा, अमुक वस्तु इतनी बार से अधिक बार काम में नहीं लाऊँगा, इतने समय से पूर्व या पश्चात् की बनी हुई चीज का उपयोग नहीं करूँगा, अमुक समय पर ही अमुक वस्तु काम में लूँगा, उसके पहले या पीछे काम में न लूँगा, और अमुक वस्तु इतने समय तक ही काम में लूँगा, इस समय के पश्चात् काम में न लूँगा। इस तरह वस्तु के उपभोग और परिभोग के लिए द्रव्य, क्षेत्र और काल से मर्यादा करने का नाम ही उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत है।

उपभोग और परिभोग में आने वाली वस्तुओं को, शास्त्रकारों ने २६ बोलो में संग्रह कर दिया है। प्रायः वे सभी उपभोग्य परिभोग्य वस्तुएं इन २६ बोलो में आ गई हैं, जिनका उपयोग करना जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। इन २६ बोलो का आधार मिल जाने से व्रत लेने वाले को बहुत सुगमता होती है। वह इस बात को समझ जाता है कि जीवन के लिए प्रधानतः किन-किन वस्तुओं का उपभोग-परिभोग आवश्यक है और यह समझने के कारण वह वैसे चीजों को मर्यादा में रखना नहीं भूलता, जिससे उसे किसी समय कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। शास्त्रकारों द्वारा बताये गये वे २६ बोल नीचे दिये जाते हैं -

(१) उल्लग्न्याविहि परिमाण —मनुष्य जब प्रातः-काल उठ कर शौचादि से निवृत्त हो हाथ मुह धोता है, तब उसे हाथ मुंह पोछने के लिए गीले वस्त्र की आवश्यकता होती है । वर्तमान समय में ऐसा वस्त्र रुमाल टुवाल आदि कहा जाता है । ऐसे वस्त्र की मर्यादा करना ।

कई लोग ऐसा वस्त्र रखना शौक या फैशन में मानते हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा वस्त्र जीवन-सहायिका सामग्रियों में से एक है । हाथ-मुह पोछने के लिए अलग वस्त्र न रख कर पहने हुए कपड़ों से अथवा अस्वच्छ वस्त्र से हाथ मुह आदि पोछना हानिप्रद है । ऐसा करने से या तो पहने हुए वस्त्र खराब होते हैं, अथवा मलिन वस्त्र के परिमाण शरीर में प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न करते हैं । इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से हाथ-मुंह आदि पोछने के लिए एक विशेष वस्त्र रखना उचित है । वह वस्त्र कैसा हो, यह बात आनंद श्रावक के वर्णन से प्रकट है । आनन्द श्रावक ने इस सातवें व्रत के सम्बन्ध में जो मर्यादा की थी, उसमें उसने हाथ मुह पोछने के लिए ऐसा वस्त्र रखा था, जो रगीन और सुवासित था तथा जिसके स्पर्श से आलस्य उडकर स्फूर्ति आती थी ।

(२) दन्तवर्णविहि परिमाण:—रात के समय सोये हुए मनुष्य के मुख में, श्वासोच्छ्वास के वायु द्वारा जो विकृत पुद्गल एकत्रित हो जाते हैं, उनको साफ करने के लिए दन्तधावन किया जाता है । उस दन्तधावन से सम्बन्धित पदार्थों के विषय में मर्यादा करना दन्तवर्णविहि-परिमाण कहलाता है ।

(३) फलविहि परिमाणः—दातुन करने के पश्चात् मस्तक और बालो को स्वच्छ तथा शीतल किया जाता है। ऐसा करने के लिए जिन वस्तुओ की आवश्यकता होती है, उनके सम्बन्ध मे मर्यादा करना फलविहि-परिमाण कहा जाता है ।❀

(४) अभ्यगणविहि परिमाणः—त्वचा सम्बन्धी विकारो को दूर करने और रक्त को सभी अवयवो में पूरी तरह संचारित करने के लिए जिन तैलादि द्रव्यो का शरीर पर मर्दन किया जाता है, उन द्रव्यो की मर्यादा करना अभ्य-गणविहि परिमाण है ।

(५) उवटण विहि परिमाण—शरीर पर लगे हुए तेल की चीकट तथा मैल को हटाने और शरीर मे रफूति तथा शक्ति लाने के लिए उवटन (पीठी) लगाया जाता है । उस उवटन के सम्बन्ध मे मर्यादा करना ।

❀ मस्तक को स्वच्छ तथा शीतल रखने से बुद्धि विकसित होती है और विकार शात रहते हैं, लेकिन आज कल के अनेक नवयुवक मस्तक को स्वच्छ शात रखने के लिए शक्तिवर्द्धक फलो के बदले अंग्रेजी सेण्ट तेल आदि ऐसी चीजो का उपयोग करते हैं, जिनसे बुद्धि विकृत होती है, मस्तक अशात होता है और विकार उत्तेजित होते हैं । मस्तक को स्वच्छ करने के लिए आवला त्रिफला आदि फल जैसे उपयोगी माने जाते हैं, वैसे उपयोगी विलायती सेण्ट तेल आदि नहीं हो सकते बल्कि विलायती सेण्ट आदि चीजें हानिप्रद होती हैं । इसलिए श्रावक को ऐसी चीजें काम मे न लेनी चाहिये ।

(६) मज्जणविहि परिमाणः—इस बोल में स्नान-विधि का परिमाण करना बताया है। अभ्यङ्गन और उवटन के पश्चात् स्नान किया जाता है। उसके सम्बन्ध में यह मर्यादा करना कि इतनी बार से अधिक बार स्नान नहीं करूंगा, अथवा स्नान में अमुक प्रकार के इतने जल से अधिक जल व्यय न करूंगा।

(७) वस्त्रविहि परिमाण —स्नान के पश्चात् वस्त्र परिधान किया जाता है। उन वस्त्रों के विषय में मर्यादा करना कि मैं अमुक-अमुक तरह के इतने वस्त्र से अधिक वस्त्र शरीर पर धारण न करूंगा। इस तरह की मर्यादा में ऐसे वस्त्र रखना ही उचित है, जो लज्जा की रक्षा करने वाले और शीतोष्णादि से बचाने वाले तो हो परन्तु विकार पैदा करने वाले न हो।

(८) विलेपणविहि परिमाण —वस्त्र परिधान के पश्चात् शरीर पर ऐसे द्रव्यों का विलेपन किया जाता है, जो शरीर को शीतल तथा सुशोभित करने वाले होते हैं। जैसे चदन, केसर, कुकुम आदि। इस तरह के द्रव्य की मर्यादा करना।

(९) पुष्पविहि परिमाण इस बोल में पुष्पों की मर्यादा करने के लिए कहा गया है। मैं अमुक वृक्ष के इतने फूलों के सिवा दूसरे तथा अधिक फूल काम में न लूंगा, ऐसी मर्यादा करना पुष्पविहि परिमाण है।

(१०) आभरणविहि परिमाण —शरीर पर धारण किये जाने वाले आभूषणों की मर्यादा करना कि मैं इतने मूल्य

या भार (वजन) के अमुक आभूषण के सिवा और आभूषण शरीर पर धारण न करूंगा ।❧

(११) धूपविहि परिमाण — इस बोल मे वायु-शुद्धि के लिए की जाने वाली धूप का परिमाण करना बताया गया है । जिस स्थान पर निवास किया जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वहां का वायु शुद्ध रहना आवश्यक है और धूपादि का उपयोग वायु-शुद्धि के लिये ही किया जाता है परन्तु इसके लिये भी मर्यादा करना उचित है ।

ऊपर जिन विधियो का परिमाण करना बताया गया है, वह उन पदार्थों के लिये है, जिनसे या तो शरीर की रक्षा होती है, अथवा जो शरीर को विभूषित करते हैं । अब नीचे ऐसी चीजो की विधि का परिमाण बताया जाता है, जिनसे शरीर का पोषण होता है, शरीर को बल मिलता है, अथवा जो स्वाद के लिये काम मे लाये जाते हैं ।

(१२) पेज्ज-विहि परिमाण — जो पीये जाते हैं, उन पेय पदार्थों का परिमाण करना । पूर्व काल मे भोजन मध्याह्न मे किया जाता था, इस कारण प्रात काल के समय

❧शरीर पर आभूषण इसलिए धारण किये जाते हैं कि शरीर अलंकृत भी रहे और समय पर उन आभूषणो से सहायता भी ली जा सके । लेकिन आज ऐसे आभूषण धारण किये जाते हैं कि जिनसे यह उद्देश्य पूरा नही होता । जो केवल फैशन के लिए पहने जाते हैं, जिनका मूल्य अधिक नही होता, केवल दिखाऊ होते हैं । श्रावको को ऐसे आभूषणो से वचना चाहिए ।

कुछ ऐसे पदार्थ पीये जाते थे जिनसे अजीर्णादि विकार मिट कर क्षुधा की वृद्धि होती है ।❧

(१३) भक्खणविहि परिमाण — इस बोल में उन पदार्थों का परिमाण करने के लिये कहा गया है, जो भोजन से पहले नाश्ते के रूप में खाये जाते हैं, जैसे मिठाई आदि ।

(१४) ओदणविहि परिमाणः—ओदन में उन द्रव्यों का समावेश है, जो विधिपूर्वक अग्नि द्वारा उबाल कर खाये जाते हैं, जैसे चावल, थूली, खिचड़ी आदि ।

(१५) सूपविहि परिमाणः - सूप में उन पदार्थों का समावेश है, जो दाल आदि के रूप में खाये जाते हैं और जिनके साथ रोटी या भात आदि खाया जाता है ।

(१६) विगयविहि परिमाणः—विगय में वे पदार्थ हैं,

❧ आजकल भी कई लोग प्रातःकाल के समय चाय आदि पिया करते हैं, लेकिन यह उन पाश्चात्य देशों की नकल है, जहाँ सर्दी का प्रकोप रहता है । भारत, उष्ण देश है । यहाँ के लिये चाय, स्वास्थ्यवर्द्धक नहीं हो सकती, किन्तु हानि देने वाली है । यहाँ के लिये प्रधानतः दूध अनुकूल है । परन्तु हमारी असावधानी से दूध के कल्पवृक्ष सूखते जा रहे हैं । हमारी उपेक्षा के कारण भारत का पशुधन नष्ट हो रहा है । भारत में अनेक कत्लखाने खुल गये हैं, फिर भी हमारी आँखें नहीं खुलती । हम दुधारु पशुओं की रक्षा न करके उन्हें उन लोगों के हाथों सौंप देते हैं, जो उन्हें कत्ल कर डालते हैं ।

जो भोजन को सुस्वादु एवं पौष्टिक बनाते हैं । जैसे दूध, दही, घृत, तेल और गुड, शक्कर आदि मिठाई । दूध, दही, घृत, तेल और मिठाई, इन पाच की गणना विगय (विकृति उत्पन्न करने वाले) में है । मधु (शहद) और मक्खन, विशेष विकृति उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए श्रावक को विशेष कारण के बिना इनका उपयोग न करना चाहिए । मद्य और मास महा-विगय (बहुत ही विकृति करने वाले) हैं । इनसे बुद्धि भी भ्रष्ट होती है और ये त्रस जीवों की घात से उत्पन्न होते हैं । अतः ये श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य हैं ।

(१७) सागविहि परिमाण—साग में उन पदार्थों की गणना है, जो भोजन के साथ व्यजन रूप से खाये जाते हैं । पन्द्रहवें बोल में उन दालों की ही प्रधानता है, जो अन्न से बनती हैं । शेष मूखे या हरे साग की गणना शाक विषयक मर्यादा को साग-विहि परिमाण कहते हैं ।

(१८) माहुरविहि परिमाण—इस बोल में मधुर फलों की मर्यादा करना बताया है । आम, जामुन, केला, अनार आदि हरे फल और दाख, वादाम, पिश्ता आदि सूखे फलों की मर्यादा करना माहुरविहि परिमाण है ।

(१९) जीमण-विहि परिमाण—इसमें उन पदार्थों की मर्यादा करना कहा गया है, जो भोजन के रूप में क्षुधा-निवारणार्थ खाये जाते हैं, जैसे रोटी, वाटी, पूरी, पराठे आदि ।

(२०) पाणीविहि परिमाण:—इसमें पानी की मर्यादा

करने को कहा गया है । स्थान-नाम या संस्कार-भेद से जिसके नाम अलग-अलग द्रोते हैं, अथवा द्रव्य सयोग से जिसकी पर्याय पलट गई है, ऐसे पानी की मर्यादा करना पाणीविहि परिमाण है । शीतोदक, उष्णोदक, गन्धोदक अथवा खारा पानी, मीठा पानी आदि पानी के अनेक भेद होते हैं । इसलिए पानी के विषय में भी यह मर्यादा की जाती है कि मैं अमुक प्रकार के पानी के सिवा दूसरा पानी न पीऊंगा ।

(२१) मुखवासविहि परिमाणः— इस बोल में उन पदार्थों की मर्यादा करना कहा गया है, जो भोजनादि के पश्चात् स्वाद या मुख-शुद्धि के लिए खाये जाते हैं, जैसे पान, सुपारी, इलायची आदि ।

(२२) उवाहणविहि परिमाण— इसमें उन वस्तुओं की मर्यादा करना बताया गया है, जो पैर में पहनी जाती हैं, जैसे जूता, खडाऊ आदि ।

(२३) वाहणविहि परिमाण — इसमें उन साधनों की विधि का परिमाण करने को कहा गया है, जिन पर चढ़ कर भ्रमण या प्रवास किया जाता है— जैसे घोड़ा, हाथी, ऊट, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी, रथ पालकी, नाव, जहाज आदि ।

(२४) सयणविहि परिमाण — इसमें उन वस्तुओं को मर्यादा है, जो सोने बैठने के काम आती हैं जैसे पलंग, ढोलिया, खाट, पाट, आसन, विछौना, मेज कुर्सी आदि ।

(२५) सचित्तविहि परिमाण — इसमें सचित्त यानी

जीव सहित ऐसे पदार्थों की मर्यादा बताई गई है, जो बिना अचित्त बनाये ही खाये जाते हैं और जिनके स्पर्श से मुनि महात्मा बचते हैं। श्रावक, श्रमणोपासक होता है। श्रमणों की सेवा उपासना उन्हें प्रासुक, आहार, पानी, वस्त्र, पात्र आदि देकर ही की जाती है और किसी तरह की यानी शारीरिक-सेवा तो साधु लोग गृहस्थ से कराते ही नहीं हैं। श्रावक प्रासुक आहार पानी आदि तभी श्रमण को दे सकता है, जब वह स्वयं अचित्त भोग रहा हो। इसलिए जहा तक सम्भव हो, श्रावक को सचित्त का सर्वथा त्याग करना चाहिए और यदि ऐसा न कर सके तो सचित्त की मर्यादा करनी चाहिए।

(२६) द्रव्यविहि परिमाण.—इस बोल में यह कहा गया है कि ऊपर के बोलों में जिन पदार्थों की मर्यादा की है, सचित्त और अचित्त पदार्थों का जो परिमाण किया है, उन पदार्थों को द्रव्य रूप में संग्रह करके उनकी मर्यादा करे कि मैं एक समय में, एक दिन में या आयु भर में इतने द्रव्य से अधिक का उपयोग न करूंगा। जो वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिए अलग-अलग मुंह में डाली जाएंगी, अथवा एक ही वस्तु स्वाद की भिन्नता के लिए दूसरी-दूसरी वस्तु के संयोग के साथ मुंह में डाली जाएगी, उसकी गणना भिन्न-भिन्न द्रव्य में होगी। इसलिए जहा तक बन सके श्रावक को रसलोलुप न रहना चाहिए।

ऊपर बताये गये २६ बोलों में पहले के ११ बोल शरीर को स्वच्छ, स्वस्थ और सुशोभित बनाने वाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं, मध्य के १० बोल खान-पान में आने वाले पदार्थों से सम्बन्धित हैं और अन्त के शेष बोल शरीर की रक्षा करने वाले अथवा शौक पूरा करने वाले पदार्थों से

सम्बन्धित हैं। इन बोलो में जीवन के लिए आवश्यक सभी उपभोग्य पदार्थ आ जाते हैं। इन बोलो में कई बोल तो ऐसे पदार्थों से सम्बन्धित हैं, जो वर्तमान समय के लोगो को आवश्यकता से अधिक जान पड़ते हैं, परन्तु शास्त्र में जो वर्णन है, वह त्रिकालज्ञो द्वारा सामान्य विशेष सभी लोगो को दृष्टि में रख कर किया गया है। व्रत धारण करने वालो में साधारण लोग भी होते हैं और राजा लोग भी होते हैं। इसीलिए शास्त्र में ऐसी विधि बताई गई है कि जिससे किसी को कठिनाई में न पड़ना पड़े। शास्त्रकारो ने अपनी ओर से तो सभी बातें बता दी हैं, फिर जिसको जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह उसे त्याग सकता है।

उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत का उद्देश्य श्रावक के जीवन को मर्यादित तथा सादा बनाना है और उसकी आवश्यकताओं को इतना कम करना है कि जिससे अधिक कम करना व्रत लेने वाले श्रावक के लिए सम्भव नहीं है। यह बात दूसरी है कि कोई श्रावक एक दम से अपनी आवश्यकताएँ न घटा सके और इस कारण उसे व्रत की मर्यादा साधारण से अधिक रखनी पड़े, फिर भी उसका ध्येय तो यही होना चाहिए कि मैं अपना जीवन विलकुल ही सादा बनाऊँ और अपनी आवश्यकताएँ बहुत ही कम कर दूँ। जो श्रावक एक दम से आवश्यकताओं को नहीं घटा सका है तथा अपना जीवन पूरी तरह सादा नहीं बना सका है, वह यदि इस ओर धीरे-धीरे बढ़ता है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको यह लक्ष्य विस्मृत न करना चाहिए।

श्रावक का यह कर्त्तव्य है कि जिस तरह वह स्वयं जीवित रहना चाहता है, उसी तरह दूसरे को भी

जीवित रहने दे । इस कर्तव्य का पालन वही कर सकता है, जिसकी आवश्यकताएं साधारण हैं, बढी हुई नहीं हैं । जिसकी आवश्यकताएं बढी हुई हैं, वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे को कष्ट में डाले, अथवा उसकी आवश्यकताओं के कारण दूसरे को कष्ट हो, यह स्वाभाविक है । जब चार आदमियों के निर्वाह योग्य भोजन वस्त्र आदि को एक ही आदमी अपने काम में ले लेगा तब शेष तीन आदमियों को कष्ट उठाना ही पड़ेगा । यदि सब लोग अपना जीवन सादगी से बितावे, अपनी आवश्यकताएं न बढ़ने दें, तो संसार में किसी को उपभोग परिभोग पदार्थों की ओर से कोई कष्ट नहीं रह सकता । किन्तु जब ऐसा नहीं होता तो हजारों लाखों मनुष्यों को जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं से वंचित रहना पड़ता है । एक ओर तो कुछ लोग राजसी कही जाने वाली सुख-सामग्री भोगते हैं और दूसरी ओर बहुत से लोग अन्न के बिना त्राहि-त्राहि करते हैं । इस प्रकार संसार में महान् विपमता फैली हुई है और इस विपमता का कारण है कुछ लोगों का अपनी आवश्यकताएं अत्यधिक बढ़ा लेना । जो लोग अन्न-वस्त्र आदि जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों के न मिलने या कम मिलने से कष्ट पा रहे हैं, उनके लिए वे ही लोग उत्तरदायी हैं जो ऐसी चीजों का दुरुपयोग करते हैं, अधिक उपभोग करते हैं, अथवा अपने पास संग्रह करके रखते हैं । जिनकी आवश्यकताएं बढी हुई हैं वे लोग यदि अपनी आवश्यकताओं को घटा दें, उतना ही अन्न-वस्त्र आदि काम में ले जितना कि काम में लेना अनिवार्य है और अपने पास ऐसी चीजें अधिक संग्रह न कर रखें, तो दूसरे लोगों के अन्न-वस्त्र आदि न मिलने या कम मिलने के कारण कष्ट ही क्यों

उठाना पड़े तथा साम्राज्यवाद और साम्यवाद की दलबन्दी क्यों हो ?

वास्तविक बात यह है कि सांसारिक पदार्थों का उपयोग किसलिए होना चाहिए, लेकिन किसलिए किया जा रहा है, इस विषय में लोगो से भूल हो रही है। उस भूल के कारण ही लोग अपनी आवश्यकताएँ बढ़ा लेते हैं, अथवा अधिक से अधिक पदार्थ अपने अधिकार में रखना चाहते हैं। सांसारिक पदार्थों का उपयोग किसलिए है, लेकिन माना किसलिए जाता है, यह सब बताने के लिए भर्तृहरि कहते हैं -

तृषा शुष्यत्यारये पिवति सलिल स्वादु सुरभि
क्षुधार्तं सन् शालीन् कवलयति शाकादिवलितान् ।
प्रदीप्ते कामाग्नौ मुहढतरमाश्लिष्यति वधू
प्रतीकारो व्याधे सुखमिति विपर्यस्यति जन ॥

अर्थात्—मनुष्य का कठ जब प्यास से सूखने लगता है, तब वह शीतल सुगन्धित जल पीता है। मनुष्य जब क्षुधा से पीड़ित होता है, तब शाकादि सामग्री के साथ भोजन करता है और जब कामाग्नि प्रदीप्त होती है, तब सुन्दर स्त्री को हृदय से लगाता है। इस प्रकार पानी, भोजन स्त्री—अथवा ऐसी ही दूसरी चीजे पृथक्-पृथक् व्याधि की औषधियाँ हैं। एक-एक दुःख मिटाने की दवा हैं—परन्तु मनुष्यो ने इनमें सुख मान रखा है।

इस प्रकार लोगो ने उन पदार्थों में सुख मान रखा है, जिनका उपयोग किसी दुःख को मिटाने के लिए ही किया जाता है और इसी कारण आवश्यकता न होने पर

भी उन पदार्थों का उपभोग परिभोग किया जाता है, अथवा ऐसा प्रयत्न किया जाता है कि जिससे उन पदार्थों का अधिक से अधिक उपभोग परिभोग किया जा सके। अन्यथा खाने के लिए पकवान, शाक और इसी प्रकार अन्य सुस्वादु वस्तुओं की क्या आवश्यकता है ? भूख तो साधारण रोटी आदि से भी मिट सकती है। भूख लगने पर रूखी-सूखी रोटी भी प्रिय एवं सुस्वादु लगती है। ऐसी दशा में पकवान मिष्टान्न एवं शाक, चटनी, अचार, मुरब्बे या अन्य ऐसे ही पदार्थों की क्या आवश्यकता रहती है ? लेकिन लोगो ने खाने पीने में आनन्द मान रखा है। लोग चाहते हैं कि हम बिना भूख भी अधिक से अधिक खावे। इस तरह लोग क्षुधा मिटाने के लिए खाने के बदले, रसेन्द्रिय का अधिक से अधिक पोषण करना चाहते हैं और इसीलिए क्षुधा न होने पर भी ऐसी सुस्वादु चीजे खा जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद, रोग उत्पन्न करने वाली, अधिक खर्च कराने वाली और अधिक पाप द्वारा तैयार होती है। रोग उत्पन्न होने का प्रधान कारण ऐसा खानपान ही है, जो क्षुधा न होने पर भी केवल स्वाद के लिए खाया पिया जाता है।

स्वाद-लोलुप लोग, स्वाद के लिये अधिक खा पीकर अपना जीवन तक भी नष्ट कर डालते हैं। इसके लिये रोम के एक बादशाह की बात प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रोम का एक बादशाह स्वादिष्ट पदार्थ खाने पीने का बहुत शौकीन था। वह अपने लिए अनेक प्रकार के सुस्वादु भोज्य पदार्थ बनवा कर खाता। खाने के पश्चात् वह ऐसी श्लेष खाता, जिससे वमन हो जाता और फिर खाने के

लिए पेट खाली हो जाता । पेट खाली होने पर वह फिर खाता और फिर वमन करता । वह एक दिन में ऐसा कई-कई बार किया करता । परिणाम यह हुआ कि उसे क्षय रोग हो गया और वह जल्दी मर गया ।

रोम के इस बादशाह की बात तो इस कारण प्रसिद्धि में आई कि वह बादशाह था तथा खाने के लिए औषध की सहायता से वमन किया करता था, लेकिन इसी तरह केवल स्वाद के लिए खाने वाले लोग अजीर्णादि के कारण प्रति वर्ष न मालूम कितने मर जाते हैं । उनकी बात प्रसिद्धि में नहीं आती । इस तरह स्वाद के लिए खाना हानिप्रद है । फिर भी बहुत से लोगो ने, अधिक मात्रा में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ खाना गौरवास्पद मान रखा है । साधारण जनता भी यही मानती है कि जो अनेक प्रकार के सुस्वादु भोजन करता है, वही प्रतिष्ठित और सद्भागी है । ऐसा मानने के कारण जनता उम व्यक्ति की निन्दा भी करने लगती है, जो धनवान् होकर भी सादगी से जीवन विताता है और स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाता है । परन्तु वास्तव में वह व्यक्ति निन्दा के योग्य नहीं अपितु प्रशंसा के योग्य ही है, जो धनवान् होकर भी केवल शरीर-रक्षा के लिए ही भोजन करता है, स्वाद के लिए भोजन नहीं करता । उपासकदशाङ्ग सूत्र में जिन आनन्द आदि दम श्रावको का वर्णन है, वे श्रावक करोडो की सम्पत्ति वाले थे, फिर भी उन्होंने उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत लेते समय मर्यादा में जीवन निर्वाह की सामग्री के बिना ऐसी कोई वस्तु न रखी थी, जो स्वाद या विलासिता के लिए हो ।

बहुत से लोगो ने जिस तरह भोजन में सुख मान

रखा है, उसी तरह वस्त्र में भी सुख मान रखा है। उनकी दृष्टि में, वस्त्र, शीत-ताप से बचने के लिये नहीं पहने जाते, किन्तु शृंगार के लिये पहने जाते हैं और इस कारण अधिक एव मूल्यवान् वस्त्र पहनना और वस्त्रों का अधिक परिवर्तन करना बडप्पन माना जाता है। इस तरह की धारणा बन जाने से लोग शरीर पर इतने अधिक वस्त्र नाद लेते हैं, जो शरीर के लिये बोझ रूप होने के साथ ही स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और व्यय बढ़ाने वाले भी होते हैं। साथ ही इनने अधिक वस्त्र संग्रह कर रखते हैं, जो पड़े-पड़े खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, या कीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं। इस प्रकार एक ओर तो बहुत से वस्त्र पड़े-पड़े नष्ट होते हैं और दूसरी ओर अनेक लोग, शीत-ताप से बचने के लिये वस्त्र न मिलने के कारण दुःख पाते तथा मरते हैं।

इस उष्ण प्रदेश भारत में अधिक वस्त्र पहनना कदापि आवश्यक या लाभप्रद नहीं है। इस देश में तो केवल लज्जा की रक्षा के लिए अथवा शीत से बचने के लिये वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, लेकिन अधिकांश लोग आवश्यक वस्त्रों के सिवा और भी बहुत से वस्त्र, केवल अपना बडप्पन दिखाने के लिए अथवा शीत-देशवासी लोगों का अनुकरण करने के लिये शरीर पर लादे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि शरीर को पूरी तरह हवा नहीं लगती, इस कारण शरीर का पसीना रोम कूपों में जम कर मूख जाता है जिससे वायु का संचार रुक जाता है। अथवा वह पसीना वस्त्रों में प्रविष्ट हो कर सूख जाता है और शरीर के आस-पास गन्दगी पैदा कर देता है। इस प्रकार अधिक वस्त्र पहनना, स्वास्थ्य-विधातक होने के साथ ही, शरीर की त्वचा में

शीत-ताप या पवन का आघात सहन करने की जो शक्ति है, उस शक्ति का भी विनाशक है और शरीर को दुर्बल रुग्ण एव अल्पायु बनाने वाला है ।

लोगो ने वस्त्र पहनना किसी दुःख से बचने के लिए नहीं, किन्तु शृंगार अथवा वर्त्तमान-कालीन सभ्यता का पालन करने के लिए मान रखा है । इस कथन का एक और प्रमाण है, लोगो का मूल्यवान् एव महीन वस्त्र पहनना । यदि शीतादि से बचने और लज्जा की रक्षा के लिये ही वस्त्र पहनना माना जाता तो फिर चित्र-विचित्र रंग बाने, अधिक मूल्यवान् या महीन वस्त्र पहनने की कोई आवश्यकता न होती, बल्कि ऐसे ही वस्त्र पहने जाते, जिनके द्वारा शीत ताप से बचा जा सके, लज्जा की रक्षा हो सके, जो सर्व-साधारण को प्राप्त होने योग्य सादे हो और जिनके निर्माण में महापाप न हुआ हो, इसी प्रकार जो बालक लज्जा को जानते ही नहीं है, उनको वस्त्रों से जकड कर उनके शारीरिक विकाम को भी न रोकना जाता । बच्चो को वस्त्र पहनाये जाने का विरोध करते हुए कविसम्राट् रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि बच्चो को सिले हुए वस्त्र पहनना, उनके शारीरिक विकास को रोकना और एक प्रकार से उनकी हत्या करना है । स्वयं बच्चे भी सिले हुए वस्त्र पहनाना पसन्द नहीं करते । बल्कि जब उन्हें वस्त्र पहनाया जाने लगता है, तब वे रोककर विरोध करते हैं, लेकिन यदि भारतीयों द्वारा किया गया कोई विरोध अंग्रेज सुनते हो तो बालक द्वारा किया गया वस्त्र पहनाने का विरोध माता-पिता भी सुने अर्थात् जिम तरह अंग्रेज

लोग भारतीयों पर जबरदस्ती करते हैं, उसी तरह माता-पिता बालको पर जबरदस्ती करते हैं ।

मतलब यह है कि भोजन और वस्त्र में सादगी का न होना, प्रत्येक दृष्टि से हानिप्रद है । जो सादगी से जितना दूर रहता है और फैशन को जितना अपनाता है, वह दूसरे लोगों को उतना ही अधिक दुःख में डालता है । भारत के लोगों की दैनिक आय औसतन डेढ़ या पौने दो आने है । इसलिए जो व्यक्ति जितना अधिक खर्च करता है, वह उतने ही अधिक लोगों को भोजन-वस्त्र से वंचित रखता है । जैसे, नौ भारतीयों को दैनिक एक रुपया मिलता है यानि नौ आदमियों के हिस्से में एक रुपया आया है । वह एक रुपया ही उन नौ-आदमियों के जीवन-निर्वाह का साधन है । यदि उनमें का कोई एक आदमी बुद्धि-बल, शारीरिक बल या द्रव्य बल से उस एक रुपये को आप अकेला हो हड़प लेता है, आप अकेला ही एक दिन में एक रुपया खर्च कर देता है तो शेष आठ आदमी भूखे रहे, यह स्वाभाविक ही है । इस प्रकार जो भोजन वस्त्र या फैशन-शौक के लिये अधिक व्यय करता है, वह दूसरे कई लोगों को भूखी मारने का पाप कमाता है । अपने ऐसे व्यवहार के कारण दूसरे को भूखी मारना, उस दूसरे की हत्या करना ही है । ऐसा करके उन लोगों के हृदय में प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न करना है कि जो लोग भोजन, वस्त्र आदि के बिना कष्ट पाते हैं । कभी कभी तो भोजन वस्त्र न मिलने के कारण दुःखी लोगों का असन्तोष इतना बढ़ जाता है कि उनके हृदय में प्रतिहिंसा की भावना उत्पन्न हो जाती है और वे असन्तुष्ट और दुःखी होकर उन लोगों का धन-जन नष्ट

कर डालते हैं, जो अपने रहन-सहन में अधिक खर्च करते हैं तथा अन्न वस्त्र के बिना दुःखी लोगों की ओर ध्यान तक नहीं देते। इस का इतिहास इस बात की साक्षी दे रहा है।

लोगों ने इस तरह भोजन और वस्त्र के अधिक उपभोग में आनन्द एवं गौरव मान रखा है परन्तु विचार करने पर मालूम होगा कि आभूषण और ऐसी ही दूसरी चीजें-जीवन के लिये आवश्यक नहीं हैं, किन्तु हानिप्रद हैं। जिन आभूषणों को सुख और शृंगार की वस्तु मान कर पहना जाता है, क्या उनके कारण कभी जीवन नहीं खोना पड़ता? क्या उनकी रक्षा के लिये चिन्तित नहीं रहना पड़ता? और क्या वे शरीर के लिये भार-रूप नहीं हैं?

इसी प्रकार जिन नशीली चीजों को आनन्द के लिये सेवन किया जाता है, क्या वे चीजें स्वास्थ्य को नष्ट नहीं करती? क्या साबुन, क्रीम आदि वस्तुएँ त्वचा में रही हुई प्राकृतिक क्षमता नष्ट करके त्वचा को कमजोर नहीं बनाती? वास्तव में ऐसी सभी चीजें हानि करने वाली हैं और इनके उपयोग में किसी प्रकार का सुख भी नहीं है, बल्कि ये जीवन को दुःखी करने वाली हैं। फिर भी लोग ऐसी चीजों में आनन्द मानते हैं और जब ये चीजें प्राप्त नहीं होती, तब मनस्ताप करते हैं तथा अपने जीवन का अविभाज्य भाग ऐसी चीजों की प्राप्ति के प्रयत्न में ही लगा देते हैं। इस प्रकार आवश्यकताओं के बढ़ जाने पर जीवन अशान्त रहता है और सदा हाय-हाय ही बनी रहती है।

सारांश यह कि जिन वस्तुओं का उपयोग किये बिना

साधारणतया जीवन-निर्वाह नहीं हो सकता, उनका परिमाण करके शेष चीजों के उपभोग-परिभोग का त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से अपनी आवश्यकताओं को मर्यादित कर लेने से जीवन बहुत शांति से व्यतीत होता है। जीवन में उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थ सम्बन्धी अशांति नहीं रहती। इसके सिवा, 'जो अपना खर्च कम रखता है, उसे कमाना भी कम पड़ता है और जो अधिक खर्च रखता है, उसे कमाना भी अधिक पड़ता है,' इस लोकोक्ति के अनुसार अपना रहन-सहन और खान-पान सादा न रखने पर खर्चिले रहन-सहन एवं खान-पान के लिये अधिक कमाना पड़ेगा, जिनमें जीवन में अशांति रहना स्वाभाविक है। जिसका जीवन खाने-पीने तथा पहनने ओढ़ने आदि के लिये कमाने में ही लगा रहता है, उसके द्वारा धर्म-कार्य कम होंगे? ऐसे व्यक्ति का चित्त आवश्यकता-पूर्ति की चिन्ता से अस्थिर रहता है और जिसका चित्त ही अस्थिर है, उसके द्वारा आत्मकल्याण और परोपकार के कार्य कैसे हो सकते हैं ?

उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत स्वीकार करने से-यानी अपनी आवश्यकताएँ मर्यादित बना लेने से जीवन भी बहुत शांति से व्यतीत होता है और मूलव्रतों का विकास भी होता है। यह व्रत स्वीकार करने वाले का जीवन सादा होता है, जिससे मूलव्रत दैदीप्यमान होते हैं। जनता में सकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और लोगों की दृष्टि में वह श्रेयस्पात्र माना जाता है।

मूलव्रत स्वीकार करते समय श्रावक कुछ अव्रत तो करण तीन योग से त्यागता है और कुछ एक करण तीन

योग से अथवा एक करण एक योग से भी । इस कारण व्रत में जो कुछ छूट रह जाती है—यानी जो अव्रत शेष रह जाता है वह दिक्व्रत धारण करने पर क्षेत्र से और उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत धारण करने पर द्रव्य से सकुचित हो जाता है अर्थात् शेष रहे हुए अव्रत सीमित हो जाते हैं और मूलव्रत प्रशस्त हो जाते हैं । दिक्व्रत और उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत, मूलव्रतों में गुण उत्पन्न करके उन्हें देदीप्यमान बनाते हैं । उदाहरण के लिए एक आदमी आम्रफल खाता है और दूसरा आदमी आम्रफल खाने का त्यागी है । इन दोनों में से जिसने आम्रफल खाना त्याग दिया है, उसको यः विचारने की आवश्यकता ही न रहेगी कि इस वर्ष आम की फसल कैसी है ? आम का क्या भाव है ? अथवा बाजार में आम आते हैं या नहीं ? इस प्रकार वह आम विषयक विचारों एवं सकल्प-विकल्प आदि के पाप से बचा रहेगा । इसके विरुद्ध जो आम्रफल खाता है, उसको आम सम्बन्धी अनेक विचार होंगे, वह आम सम्बन्धी चिन्ताओं की परम्परा से घिरा रहेगा और पाप का भागी बनता रहेगा । उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत स्वीकार करने और न करने वाले में प्रत्येक पदार्थ के सम्बन्ध में ऐसा ही अन्तर रहता है । जो उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत स्वीकार कर लेता है, उसकी आत्मा चिन्ताओं एवं पाप से बहुत कुछ मुक्त रहती है और उसे शांति का अनुभव होता है । इस प्रकार उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत स्वीकार करने पर मूलव्रतों में गुण उत्पन्न होता है तथा उनमें प्रशस्तता आती है ।



उपभोग-परिभोग-परि- स्नाणव्रत के अतिचार

पहले बता चुके हैं कि उपभोग-परिभोग-परिमाणव्रत दो प्रकार का है। यथा —

उपभोग-परिभोग परिमाणवए दुविहे ।

पन्नत्ते, तजहा-भोयणाओ य कम्मओ य ॥

अर्थात् — उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत दो प्रकार का है, भोजन से और कर्म से ।

दो प्रकार के उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत में से भोजन सम्बन्धी व्रत के पांच अतिचार बताये गये हैं । ॐ श्रावक को इन अतिचारों से बचते रहना चाहिए, अन्यथा व्रत में मलिनता आयेगी । श्रावक लोग इन अतिचारों से बचे रह सकें, इसीलिए इनका स्वरूप बताया जाता है ।

ॐ उपभोग-परिभोग के सभी पदार्थ भोजन में गर्भित समझ लेने चाहिए । यहाँ भोजन को मुख्य और अन्य को गौण किया है ।

(१) भोजन सम्बन्धी पांच अतिचारों में से पहला अतिचार सचित्ताहार है। सचित्ताहार का अर्थ है सचित्त पदार्थ का आहार। जिस खान-पान की चीज में जीव विद्यमान है, उसको सचित्त कहते हैं। जैसे घान, बीज, पृथ्वी, जल, वनस्पति आदि। ऐसी चीजें जो सचित्त हैं, मर्यादा होने पर भी भूल से खाना अतिचार है। इस अतिचार की व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं—

कृतसचित्ताहारप्रत्याख्यानस्य कृततत्परिमाणरय वाऽना-
भोगादि प्रत्याख्यान सचेतन भक्षयतस्तद्वा प्रतीत्यातिक्रमादौ
वर्तमानस्य ।

अर्थात्—जिस सचित्त आहार का त्याग किया है, अथवा जिसके सम्बन्ध में कोई मर्यादा विशेष की है, भूल से उस पदार्थ को खाना वह सचित्ताहार अतिचार है ॥

॥ अतिचार का मूल पाठ है 'सचित्ताहारे।' इस पाठ पर से व श्री हरिभद्रीय आवश्यक टीकानुसार यह मतलब भी निकलता है कि श्रावक को यथा-सम्भव ऐसा खान-पानादि रखना चाहिए और ऐसी चीजें काम में लेनी चाहिए, जो साधुओं के उपयोग में भी आ सकें क्योंकि श्रावक, श्रमणोपासक है। श्रावक, श्रमण की सेवा उपासना तभी कर सकता है जब उसके पास श्रमण की सेवा उपासना के योग्य आहार, पानी, वस्त्र पात्र, शैया, सयारा, औषध और घर (मकान) आदि हो। श्रावक के पास ये वस्तुएं तभी प्राप्त और निर्दोष मिल सकती हैं, जब वह स्वयं ऐसी

वस्तुओ का उपयोग करता हो । जो श्रावक ऐसा आहार पानी या वस्त्र पात्र आदि काम मे नही लेता है किन्तु ऐसी चीजे काम मे लेता है जो मुनिके काम मे नही आती, वह श्रावक साधुओ को उनके योग्य चीजे कहां से दे सकता है ? और साधुओ को प्रतिलाभित करके उनकी सेवा भक्ति कैसे कर सकता है ? उदाहरण के लिए, कोई श्रावक कच्चा पानी पीता है, सचित्त भोजन करता है, वस्त्र भी रगीन पहनता है, औपधादि भी सचित्त खाता या रखता है, मकान भी पौषधशाला के रूप मे अलग नही रखता है, सोने-बैठने के लिए बेत, निवार या रस्सी से बुने हुए बड़े-बड़े पलग कुर्सी आदि रखता है और पात्र भी धातु के ही रखता है, तब वह साधुओ को ऐसी चीजे कहा से देगा, जो साधुओं के लिए उपयोगी हो । फिर तो साधुओ के लिये ऐसी चीजे की उसे पृथक् व्यवस्था करनी पडेगी, लेकिन ऐसा करने पर क्या साधु लोग उन चीजे को ले सकते हैं, जो उन्ही के लिये लाई या तैयार की गई हो ? साधु लोग वेही चीजे ले सकते है, जो प्रासुक, एषणिक एव अचित्त हो और ऐसी चीजे श्रावको के यहां से तभी मिल सकती हैं, जब श्रावक स्वय भी ऐसी ही चीजे काम में लेते हो । इसलिए श्रावक को उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत की मर्यादा मे ऐसी ही चीजे रखने का प्रयत्न करना चाहिए जो साधु मुनिराज के उपयोग मे आ सकती हो । साधु लोग श्रावको से कायिक सेवा तो ले नही सकते, इसलिए श्रमणोपासक होने के नाते श्रावक साधुओ की वही सेवा कर सकते हैं, जो साधुओ के समय मे सहायक हो, अन्य क्या सेवा करें ? इसलिए श्रावको को यथासम्भव अपना भी रहन-सहन साधु मुनिराज की तरह का सादा रखना चाहिए ।

(२) दूसरा अतिचार है सचित्त पडिवद्धाहार । वस्तु तो अचित्त है, परन्तु उसको सचित्त वस्तु से सम्बन्धित रख कर खाना यह सचित्त प्रतिवद्ध-आहार है जैसे हरे पत्तों के दोने मे दूध, मिठाई आदि है । दूध या मिठाई तो अचित्त हैं, लेकिन हरा दोना सचित्त है, इसलिए इस तरह का खाना अतिचार है । खाता तो है आम्रफल का निकाला हुआ रस, जो अचित्त है लेकिन उमके साथ सचित्त गुठली भी है तो ऐसा रस खाना सचित्त प्रतिवद्धाहार अनिचार है ।

(३) तीसरा अतिचार 'अप्पउलि ओसहि भक्खणया' अतिचार है । जो वस्तु पूर्ण पक्व नहीं है, यानी जो पूरी तरह पकी हुई नहीं है और जिसे कच्ची भी नहीं कह सकते, ऐसी अर्द्धपक्व चीज खाना तीसरा अतिचार है । यद्यपि ऐसी चीज सचित्त नहीं है, फिर भी अर्द्ध पकी होने के कारण मिश्र मानी जाती है और ऐसी चीज शकास्पद तथा हानि करने वाली होती है, इसलिए ऐसी चीज का खाना अतिचार है ।

कई वस्तुएं या तो पूरी तरह पक जाने पर ही हानि न करने वाली होती है, या पूरी तरह कच्ची रहने पर ही । जो वस्तु न तो पूरी तरह पकी हुई है, न पूरी तरह कच्ची है, वह वस्तु शरीर के लिए भी हानि करने वाली होती है । इसलिए भी ऐसी चीजें न खानी चाहिए ।

(४) चौथा अतिचार दुप्पोलिओसहिभक्खणया है । जो वस्तु पकी हुई तो है, परन्तु बहुत अधिक पक गई है और पक कर विगड गई है, अथवा जो बुगी तरह मे पकाई गई है, जिसे पकाने की रीति घृणित है, वैसी वस्तु का

खाना दुष्पोलि ओमहि भक्खणया अतिचार है । श्रावक को ऐसी वस्तु न खानी चाहिए ।

(५) पाचवा अतिचार तुच्छोसहिभक्खणया है । यहा तुच्छौपघ से मतलब ऐसी चीज से है, जिसमे क्षुधा निवारक भाग कम है और व्यर्थ का भाग अधिक है । श्रावक को ऐसी चीज नहीं खानी चाहिए । जैसे मूग की कच्ची फली, जिसमे पौष्टिक तत्त्व बहुत कम होता है और जिसका अधिक खाना भी क्षुधा निवारण के लिये पर्याप्त नहीं होता । ऐसी चीजों का खाना श्रावक के लिए अतिचार रूप है ।

कसविान

उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत के भोजन सम्बन्धी विभाग के अतिचारों का यह स्वरूप है । श्रावक को ऊपर बताये गये इन पांच अतिचारों से सदा बचते रहना चाहिए । अब इस व्रत के दूसरे (कर्म) विभाग के सम्बन्ध में कहा जाता है ।

यहा कर्म का मतलब आजीविका है । आजीविका का प्रभाव उपभोग परिभोग पर और उपभोग परिभोग का प्रभाव आजीविका पर पडता ही है । उपभोग्य परिभोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए आजीविका करनी पडती है यानी कोई धन्धा रोजगार करना ही पडता है । जिसकी आवश्यकताएं बढी हुई होती हैं, उसको धन्धे द्वारा अधिक आय करनी पडती है और जिसकी आवश्यकताएं कम हैं, उसे कम आय करनी पडती है, परन्तु गृहस्थ श्रावक को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कोई धन्धा तो

करना ही पडता है । हा यह बात अवश्य है कि जिसने अपनी आवश्यकताएं मर्यादित कर दी हैं, वह थोड़ी आय से ही सन्तुष्ट रहता है तथा ऐसी रीति से आजीविका करता है जिसमें पाप का भाग कम और धर्म का भाग अधिक हो । इसके विरुद्ध जिसकी आवश्यकताएं बढ़ी हुई है, उसको बहुत आय होने पर भी सन्तोष नहीं होता तथा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ऐसी रीति से भी आजीविका करता है, जिसमें पाप का भाग अधिक हो और जो निषिद्ध हो ।

शास्त्र में, श्रावको के लिये पन्द्रह कार्यों द्वारा आजीविकोपार्जन का निषेध किया गया है । वे पन्द्रह कार्य, पन्द्रह कर्मादान के नाम से प्रसिद्ध हैं । श्रावक धर्मपूर्वक ही आजीविका कर सकता है । इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि गृहस्थ-श्रावक भोजन माग कर खावे । किन्तु जिस कार्य में महापाप नहीं है, वह कार्य करके आजीविका चलाना, धर्म की ही आजीविका कहलाती है । यद्यपि आजीविका के लिये किये जाने वाले व्यवसाय में पाप का भाग भी होता है, लेकिन किसी व्यवसाय में पाप का भाग अल्प होता है और किसी में ज्यादा । जिसमें पाप का भाग ज्यादा है उस व्यवसाय द्वारा आजीविका करना पाप की आजीविका है और जिसमें पाप का भाग अल्प होता है, उस व्यवसाय द्वारा आजीविका करना धर्म की आजीविका कहलाती है, यद्यपि गृहस्थ श्रावक के लिए जो धर्म की आजीविका कहलाती है, उसमें पाप का कुछ भाग होने पर भी वह आजीविका उसी प्रकार पाप की आजीविका नहीं कही जाती, जिस प्रकार चन्द्र में थोड़ी सी कालिमा देखने में आती है,

फिर भी यह नहीं कहा जाता कि चन्द्रमा काला है । इसी प्रकार जिन कार्यों में पाप का अंश कम है, वे कार्य भी पाप पूर्ण नहीं माने जाते, किन्तु दृष्टि सम होने से धर्मपूर्ण माने जाते हैं । जहां श्रावक के आरम्भादि का वर्णन किया जाएगा, वहां तो यही कहा जाएगा कि श्रावक आरम्भ समाप्त करते हैं, लेकिन सामान्यतया श्रावक की गणना धार्मिक में ही होगी क्योंकि उसने महापाप त्याग दिया है । किसी पर एक लाख रुपये का ऋण हो, उस समय तो वह ऋणी माना जाएगा, लेकिन जिस पर एक लाख रुपये का ऋण था और जिसने उसमें से ९९९९९ रुपया चुका दिया है, उसको अऋण कहा जाने में किसी प्रकार आपत्ति नहीं हो सकती । यद्यपि अभी उसे एक रुपया ऋण चुकाना शेष है, लेकिन एक लाख रुपये को दृष्टि में रखते हुए एक रुपया कुछ भी नहीं है । उस पर जो एक रुपये का ऋण शेष है, वह नहीं के बराबर माना जाएगा और उसकी गणना अऋणी में होगी । इसी प्रकार श्रावक में पाप तो शेष है परन्तु अल्प पाप है और उसने महापाप-त्याग दिया है, इसीलिए उसकी गणना धार्मिक में ही होगी । इसीलिए शास्त्र में श्रावक का वर्णन करते हुए उन्हें ये विशेषण दिये गये हैं —

अत्पारम्भा, अप्परिगहा, धम्मिया,
 धम्माणुया, धम्मिदुा, धम्मक्खाई ।
 धम्मप्पलोइया, धम्मपज्जलणा,
 धम्मसमुदायारा, धम्मेण चैव,
 वित्ति कप्पेमाणा विहरति ।

श्रावक के लिए जिन पन्द्रह कर्मादानों का निषेध किया है, वे पन्द्रह कर्मादान महापाप पूर्ण होते हैं। इसीलिए श्रावक के वास्ते पन्द्रह कर्मादान निषिद्ध हैं। कर्मादान शब्द 'कर्म' और 'आदान' इन दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है—

कर्मणा उत्कटज्ञानावरणीयादीना
पापप्रकृतीना आदानानीति कर्मादानानि

यानी गाढ कर्मों को ग्रहण करने के कारण भूत महापापपूर्ण होने से, पन्द्रह कार्यों को कर्मादान कहा गया है।

पन्द्रह कर्मादान इस प्रकार हैं—१ इङ्गालकम्मे, २ वणकम्मे, ३ साठीकम्मे, ४ भाडीकम्मे, ५ फाडीकम्मे, ६ दन्तवणिज्जे, ७ लक्ख वणिज्जे, ८ रसवणिज्जे, ९ विसवणिज्जे, १० केसवणिज्जे, ११ जन्तपीलणकम्मे, १२ निल्लच्छणकम्मे, १३ दवग्गिदावणियाकम्मे, १४ सरदहतलायशोसणयाकम्मे, १५ असईजणपोसणया कम्मे।

ये पन्द्रह कर्मादान महान् कर्मबन्ध के हेतु हैं। इनमें से कुछ कर्मादान तो ऐसे हैं जो लोक में भी निन्द्य माने जाते हैं और जिनके करने से सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। साथ ही ये कर्मादान परलोक भी विगाडने वाले हैं। नीचे इन पन्द्रह कर्मादानों पर प्रकाश डाला जाता है—

१ इङ्गालकम्मे, यानी अङ्गारकर्म। अगारकर्म से

मतलब है, कोयले बना कर बेचना और इस प्रकार जीविका चलाना । इस कार्य में छद्म काय के जीवों की बहुत विराघना होती है और लाभ कम होता है । कोयले के लिए बड़े-बड़े हरे वृक्ष काट डाले जाते हैं, जिससे वन का प्राकृतिक सौन्दर्य नष्ट होता है । इसके सिवा जो वृक्ष काट डाले जाते हैं, वे यदि न काटे जावे तो उनके द्वारा मिलने वाला स्वास्थ्य-वर्द्धक पवन भी मिले और सूखने पर लकड़ी भी मिले । आजकल बड़े बड़े वृक्षों को तो काट डाला जाता है और घर पर कुडो में वृक्ष के दो चार पौधे लगा कर उनसे ऑक्सिजन (स्वास्थ्यवर्द्धक पवन) की आशा की जाती है । लेकिन ऐसे कुडो से कितना ऑक्सिजन मिल सकता है ? इसके सिवा ऐसे कुडों से ससार के सभी लोगों का काम नहीं चल सकता । ससार के लोगों का काम वन के वृक्षों से ही चलता है । वृक्ष, खराब हवा अपने में खींच कर, उसके बदले अच्छी हवा छोड़ते हैं, जिससे ससार के लोग जीवित रहते हैं । ऐसे उपकारी वृक्षों को कोयले के लिए काट डालना महान् पाप है ।

२. वणकम्मे, यानी वनकर्म । जंगल से लकड़ी बांस आदि काट कर बेचने का नाम वनकर्म है । इस कार्य से तत्काल और परम्परा से बहुत हानि होती है । वन में रहने वाले कई पचेन्द्रियादि त्रस जीवों का नाश होता है तथा वन का प्राकृतिक सौन्दर्य भी नष्ट होता है । वन द्वारा पशु-पक्षियों को जो आधार मिलता है वह आधार छूट जाता है । ऐसा अनर्थकारी व्यापार श्रावक के लिए त्याज्य है ।

कई लोग जंगल का ठेका ले लेते हैं और जंगल के वृक्ष काट कर तथा बेच कर आजीविका करते हैं । इस व्यवसाय की गणना 'वनकम्मे' में ही है । श्रावक के लिए

यह व्यवसाय त्याज्य है ।

३ साडीकम्मे, यानी साटिक कर्म । बैल-गाडी या घोडागाडी आदि द्वारा भाड़ा कमाना, अथवा शकट यानी गाड़ा-गाड़ी आदि वाहन बनवा-बनवा कर बेचना या किराये पर देना साडीकम्मे है । इस कार्य से परम्परा से पंचेन्द्रिय जीवों को महान् त्रास होता है, जो महापाप का कारण है । अतः श्रावक को ऐसे कार्यों द्वारा आजीविका न करनी चाहिए ।

४. भाडीकम्मे, यानी भाटिकर्म । जिस तरह इंगाल कर्म और वनकर्म का परस्पर सम्बन्ध है, उसी तरह साडीकर्म और भाडीकर्म का भी आपस में सम्बन्ध है । साडीकर्म में गाड़ा-गाडी आदि वाहन मुख्य हैं और भाडीकर्म में पशु यानी घोड़े, ऊंट, भैंस, गधे, खच्चर, बैल आदि मुख्य हैं । इस तरह के पशुओं को भाड़े पर देकर उस भाड़े से आजीविका चलाना भाडीकर्म द्वारा आजीविका चलाना है । श्रावक, पशुओं द्वारा अपना मर्यादित बोझ तो ढुवा सकता है परन्तु बोझ ढोने के लिए दूसरे को पशु भाड़े पर देना श्रावक के लिए निषिद्ध है । क्योंकि भाड़े पर लेने वाले लोग, अपने लाभ के सम्मुख पशुओं की दया की उपेक्षा कर डालते हैं ।

५. फोडीकम्मे, यानि स्फोट कर्म । हल, कुदाली, सुरग आदि से पृथ्वी को फोडना और उसमें से निकले हुए पत्थर मिट्टी, धातु आदि खनिज पदार्थ को बेचना 'फोडीकर्म' है अथवा जमीन खोदने का ठेका लेकर जमीन खोदना और इस प्रकार आजीविका करना फोडीकर्म द्वारा आजीविका करना है । श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय त्याज्य है ।

कई लोग कृषि कर्म को भी फोडीकर्म में मानते हैं और कहते हैं कि खेती करने में हल द्वारा भूमि खोदनी पड़ती है, इसलिए खेती करना भी फोडीकर्म है। परन्तु यह कथन गलत है। खेती करना फोडीकर्म नहीं है। आजी-विकार्थ खनिज पदार्थ निकालने के लिए भूमि खोदना फोडीकर्म है, खेती के लिए भूमि खोदना फोडीकर्म नहीं है। यदि कृषि कर्म की गणना फोडीकर्म में होती तो आनन्द आदि श्रावक खेती कैसे कर सकते थे ? भगवती सूत्र में भगवान् का कथन है कि मेरे श्रावक कर्मादान के विकरण से त्यागी होते हैं और आनन्द श्रावक का श्रावकपना भगवान् ने स्वीकार किया है। ऐसी दशा में यदि कृषि कर्म की गणना फोडीकर्म अथवा कर्मादान में होती तो आनन्द तथा दूसरे श्रावक खेती न करते और यदि करते रहे तो उनकी गणना आदर्श श्रावकों में न होती, न भगवान् उनका श्रावकपना ही स्वीकार करते। आनन्द श्रावक खेती करता था, यह बात शास्त्र में स्पष्ट है। आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आनन्द श्रावक ने भूमि से उत्पन्न अन्न आदि ढोने के लिए पाच सौ गाड़े मर्यादा में रखे। इस विषय में टीकाकार कहते हैं—

सवाहन क्षेत्रादिभ्यस्तृणकाष्ठघान्यादिर्गृहा-
दावानयन तत्प्रयोजनानि संवाहनिकानि ।

इन सब बातों से स्पष्ट है कि आनन्द श्रावक खेती करता था, अन्यथा खेती से उत्पन्न अन्न ढोने के लिए पाच सौ गाड़े मर्यादा में क्यों रखता ? इस प्रकार यह सिद्ध है कि कृषिकर्म की गणना फोडीकर्म में नहीं है।

ये पांच कर्म हुए । अब पांच निषिद्ध वाणिज्य बताए जाते हैं जिनकी गणना पन्द्रह कर्मादान में है ।

६ दन्तवाणिज्य, यानी दांत का व्यापार । हाथीदांत लाने वाले लोगो से दात खरीद कर बेचना दन्तवाणिज्य है । ऐसे लोगो को यदि दात लाने का आर्डर दिया जायेगा, उनसे दात लेने का सौदा किया जायेगा, अथवा उनके लाये हुये दात खरीदे जायेंगे तो वे लोग हाथियो को मार कर दात लायेगे, यह स्वाभाविक है । इसलिए श्रावक के लिए ऐसा वाणिज्य त्याज्य है ।

दन्तवाणिज्य में उपलक्षण से शंख, हड्डी अथवा ऐसी ही उन दूसरी चीजो के वाणिज्य का भी समावेश हो जाता है जो इसी श्रेणी की होती हैं और त्रस जीवो को हिंसा द्वारा प्राप्त की जाती हैं ।

७ लखवाणिज्य, यानी लाख का व्यापार । लाख, वृक्षो का रस (मद) है । लाख निकालने में त्रस जीवो की बहुत हिंसा भी होती है और लाभ भी अधिक नहीं होता । इसलिए श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय त्याज्य है ।

८. रसवाणिज्य, यानी रस का व्यापार । यहा रस से मतलब मदिरा है । जो पदार्थ मनुष्य को उन्मत्त बना देते हैं, जिन पदार्थो के सेवन से बुद्धि नष्ट होती है, उन पदार्थो की गणना मद यानी मदिरा में है । ऐसे पदार्थो का सेवन करने वाला मनुष्य अनर्थ कर डालता है ।

शक्कर, गुड, घृत, तेल, दूध, दही आदि के व्यापार को रस वाणिज्य में वताना असंगत है । रसवाणिज्य किसे

कहते हैं, यह बताने के लिए टीकाकार ने स्पष्ट कर दिया है कि:—

रसवाणिज्ये सुरादिविक्रयः ।

इसमें सुरा (मदिरा) तथा ऐसी ही दूसरी चीजों के बेचने को रस-वाणिज्य में बताया गया है; दूध, दही आदि बेचने को नहीं। गुड, घृत, दूध, दही आदि पदार्थ मनुष्य के लिए हितकारी हैं और जीवन को पुष्टि देने वाले हैं। इसलिए इनका व्यवसाय इस कोटि का निन्द्य अथवा त्याज्य नहीं है।

६ विसवाणिज्ये, यानी विष का व्यापार। अफीम, संखिया आदि जीवन-नाशक पदार्थों की गणना विष में है। जिनके खाने या सूँघने से मृत्यु हो जाती है, ऐसे विषैले पदार्थों का व्यवसाय हानिप्रद है, इसलिए श्रावक यह व्यवसाय न करे। लोक में भी ऐसे विष पदार्थ के क्रय-विक्रय पर सरकार का नियन्त्रण रहता है और यदि कोई व्यक्ति विष खाकर मर जाता है अथवा किसी दूसरे को मार डालता है तो जिसके यहाँ से वह विष खरीदा गया है, वह व्यापारी भी न्यूनाधिक अंश में अपराधी माना जाता है।

१० केशवाणिज्ये, अर्थात् केश का व्यापार। यहाँ केशवाणिज्य से मतलब सुन्दर केश वाली दासियों का क्रय विक्रय करना है। पूर्व समय में अच्छे केश वाली स्त्रियों का क्रय विक्रय होता था और ऐसी स्त्रियाँ दासी बना कर भारत से बाहर यूनान आदि देशों में भी भेजी जाती थी। प्राचीन काल में दासियों का क्रय-विक्रय राज्य का अपराध नहीं माना जाता था। इससे भारत में भी दासियों का व्यापार होता

था । इसका प्रमाण है, कौशाम्बी में सती चन्दनबाला का और काशी में महारानी तारा का क्रय-विक्रय होना । यह व्यवसाय निन्द्य है, इसलिए श्रावक इस तरह के व्यवसाय द्वारा आजीविका न करे ।

आजकल के लोगो ने सरकारी कायदे से विवश होकर दास दासी का क्रय-विक्रय चाहे त्याग दिया हो, लेकिन जहां तक सुना जाता है, आजकल दास-दासी के क्रय-विक्रय का स्थान वर-कन्या के क्रय-विक्रय ने ले लिया है । इस मानव-विक्रय की प्रथा के कारण हैं धनिक लोग । कन्या के बदले में या वर के बदले में द्रव्य वे ही लोग देते हैं अथवा दे सकते हैं, जिनके पास द्रव्य है । धनिको को जब तीसरी या चौथी पत्नी बनाने के लिए किसी की कन्या की आवश्यकता होती है, तब वे रुपये के बल से किसी गरीब की कन्या खरीदते हैं । पहले या दूसरे विवाह के समय तो धनिक लोग गरीबो से घृणा करते हैं, उनकी लडकी लेने की बातचीत करना भी अपमान की बात समझते हैं और धनवान् की लडकी लेना ही पसन्द करते हैं, लेकिन दूसरे, तीसरे या चौथे विवाह के समय जब कि आयु अधिक हो जाने के कारण कोई धनिक अपनी कन्या नहीं देता है, तब गरीब से जानीय समता का सम्बन्ध बता कर और उन्हें प्रलोभन में डाल कर यानी रुपये देकर उनकी कन्या ले लेते हैं ।

यही बात वरविक्रय की है । धनिक लोग, अपने लडके को एक प्रकार से नीलाम पर चढा देते हैं । जो अधिक धन देना स्वीकार करता है, उसी की कन्या से अपने लडके का विवाह करते हैं । धनिको के इस वर-कन्या के क्रय-विक्रय

से समाज में बहुत ही विपमता उत्पन्न हो गई है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे व्यवहार के कारण समाज में एक ओर तो बहुत से गरीब, लडकी न मिलने के कारण अविवाहित रह जाते हैं और दूसरी ओर विधवाओं की संख्या बढ़ गई है। यदि समाज के लोग मिल कर इसके लिए कोई नियम बनावे तो यह मानव-विक्रय की प्रथा भी नष्ट हो सकती है और इस प्रथा के कारण होने वाला अनिष्ट भी रुक सकता है। भगवान् ने जब दास-दासी का क्रय-विक्रय भी त्याज्य बताया है और राजकीय व्यवस्था से भी दास-दासी का क्रय-विक्रय निषिद्ध है, तब वर कन्या का बेचना उचित कैसे हो सकता है? यह बात तो बहुत लोगों के अनुभव की ही होगी कि जिस कन्या के बदले में रुपया ले लिया जाता है, उस कन्या की रुपया देने वाले की दृष्टि में एक गृहिणी या कुलवधू की सी प्रतिष्ठा नहीं रहती, किन्तु उसको ठीक मोल ली हुई दासी की तरह ही माना जाता है। इसलिए श्रावक को इस तरह का व्यवसाय कदापि न करना चाहिए। ❀

कई लोग केशवाणिज्य में ऊन या ऊनी वस्त्र का व्यवसाय भी बताते हैं, लेकिन ऊन या ऊनी वस्त्र के व्यवसाय को केशवाणिज्य में बताना असंगत है। टीकाकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केशवाणिज्य किसे कहते हैं।

❀ आजकल अनेक लोग वर-कन्या के क्रय-विक्रय की दलाली करते हैं तथा ऐसा कार्य करते हुए भी स्वयं को जैन धर्मी कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा व्यक्ति जैन धर्म को बदनाम करने वाला है। जो वस्तुतः जैन धर्मी है, वह ऐसे निन्द्य कार्य द्वारा कदापि आजीविका नहीं कर सकता।

ये पाच प्रकार के व्यापार निषिद्ध हैं । अब आगे पाच प्रकार के और निषिद्ध कर्म बताये जाते हैं ।

११. जंतपीलणियाकम्मे—यानी यन्त्र द्वारा पीलने का कर्म । कोल्हू द्वारा तिल या गन्ने आदि का तेल या रस निकालने का घन्धा करना जंतपीलणियाकम्मे कहा जाता है । श्रावक को इस घन्धे द्वारा आजीविका न करना चाहिए क्योंकि इस घन्धे में अनेक त्रस जीवों की हिंसा सम्भव है ।

जन्तपीलणियाकम्मे का रूप बताते हुए टीकाकार ने तेल या रस निकालने के लिए कोल्हू चला कर आजीविका करना ही बताया है । इससे स्पष्ट है कि उस समय भारत में यन्त्र के नाम पर केवल गन्ना या तिल पीलने के देशी कोल्हूओं का ही प्रचलन था और कोई यन्त्र अस्तित्व में न थे । अन्यथा टीकाकार उनका भी उल्लेख करते ही । पूर्व समय में, जब कि भारत आधुनिक यन्त्रवाद से वंचा हुआ था, तब यह देश बहुत सम्पन्न था और लोगों का जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत होता था । उस समय भारत का धन भी विदेशों को नहीं जाता था तथा श्रमजीवी लोगों के लिए श्रम करने का भी विस्तृत क्षेत्र रहता था । इस कारण किसी को भूखी भी न मरना पड़ता था और लोगों का जीवन भी स्वावलम्बी था । लेकिन जब से भारत में यन्त्रवाद का प्रचार हुआ है, तब से कुछ लोग तो अवश्य धनवान् बने होंगे, लेकिन साधारण लोग आजीविकाहीन-निरुद्यमी और परावलम्बी हो गये हैं । ससार में नङ्गों भूखों की संख्या यन्त्रवाद ने ही बढ़ाई है । इस प्रकार यन्त्रवाद के आधिक्य से भारत का धन विदेशों में जा रहा है और भारत दिन-प्रतिदिन कगाल तथा पतित होता जा रहा है ।

यन्त्रवाद से होने वाली ऐसी हानियों को दृष्टि में रख कर ही भगवान् ने इस व्यवसाय को कर्मादान में बताया है।

कोई कह सकता है कि यदि गन्ना या तिल (जिसमें से तेल निकलता है) पीलना कर्मादान में है, तब कोई कृषक जैन धर्म कैसे स्वीकार कर सकता है? क्योंकि कृषक तो गन्ने की भी कृषि करता है तथा तिल की भी। इसलिए उसके लिए कोल्हू की सहायता लेना आवश्यक है। इस प्रकार के कथन का उत्तर यह है कि अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए कोल्हू का उपयोग करने में और कोल्हू का धन्धा करने में बहुत अन्तर है। भगवान् ने कोल्हू के धन्धे को ही कर्मादान में बताया है।

१२ निल्लक्षणकम्मे-यानी पशुओं को खसी (नपुंसक) करके आजीविका करना। श्रावक के लिए ऐसा व्यवसाय त्याज्य है। इस व्यवसाय से पशुओं को दुःख भी होता है और उनकी नस्ल भी खराब होती है।

१३ दवग्गिदावणिया कम्मे-यानी वनदहन करना। भूमि साफ करने में श्रम न करना पड़े, इसलिए बहुत से लोग आग लगा कर भूमि के ऊपर का जगल जला देते हैं और इस प्रकार भूमि साफ करते या कराते हैं तथा इस प्रकार आजीविका करते हैं। लेकिन इस कार्य से बहुत जीवों की हिंसा होती है, इसलिए श्रावक के लिए यह व्यवसाय त्याज्य है।

१४. सरदहतलाय-सीसणियाकम्मे, यानी तालाब नदी आदि के जल का सुखाना। कई लोग तालाब नदी आदि

का पानी सुखा कर वहाँ की भूमि को कृषि करने योग्य बनाने का धन्धा किया करते हैं । इस धन्धे के कारण जल में रहने वाले जीव मर जाते हैं, इसलिए श्रावक को ऐसा धन्धा त्याज्य है ।

१५. अमईजणपोसणिया कम्मे—यानी असतियों का पोषण करके उनके द्वारा आजीविका चलाना । कई लोग कुलटा स्त्रियों का इसलिए पोषण करते हैं कि उनसे व्यभिचार कराकर द्रव्य प्राप्त किया जाये । यह धन्धा महान् पापपूर्ण एवं निन्द्य है, इसलिए श्रावको के लिए सर्वथा त्याज्य है ।

ऊपर बताये गये दस कर्म और पांच वाणिज्य, ये पन्द्रह कर्मादान हैं । श्रावक के लिए ये पन्द्रह कर्मादान सर्वथा त्याज्य हैं । कोई कह सकता है कि संसार में ऊपर बताये गये व्यवसाय तो होते ही हैं और यदि श्रावक न करें तब भी ये व्यवसाय होंगे ही, फिर श्रावको को इन व्यवसायों द्वारा होने वाले लाभ से क्यों वंचित रखा जाता है ? वल्कि यदि ये कार्य श्रावक करेंगे तो अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ तो पाप टालेंगे ही । इसका उत्तर यह है कि वैसे तो संसार में सभी पाप होते हैं, लेकिन इस कारण यह युक्ति सगत नहीं हो सकती कि श्रावको के न करने पर भी वे पाप तो होंगे ही, इसलिए श्रावको को उन कामों के लाभ से क्यों वंचित रखा जावे ? संसार में पाप होते हैं, इसी कारण श्रावको को पाप से बचने का उपदेश दिया जाता है । श्रावको के करने पर भी पापपूर्ण कार्य तो होते ही हैं, इस बात को दृष्टि में रख कर यह विधान नहीं किया जा सकता कि पाप करना चाहिए । कोई पापपूर्ण कार्य संसार में चाहे

किसी भी रूप में होता हो, श्रावक को तो वैसे कार्य से वचने का ही उपदेश दिया जाएगा। यह नहीं हो सकता कि संसार में वह पाप-कार्य होता है, इसलिए उसे अनिषिद्ध माना जावे। संसार में मांस का व्यवसाय होता ही है, लेकिन क्या इस कारण श्रावको के लिए मांस का व्यापार निषिद्ध न होना चाहिए? जो कार्य पाप है, निन्द्य है, श्रावक को उससे वचने के लिए ही उपदेश दिया जायेगा, फिर वह कार्य संसार में कितना ही फायदेमन्द क्यों न हो!

इसी के अनुसार पन्द्रह कर्मादानों में बताये गये कार्य संसार में कितने भी क्यों न होते हो, लेकिन श्रावक को वे कार्य कदापि न करने चाहिए क्योंकि वे कार्य महान् पाप द्वारा होते हैं। ये कार्य यदि विलकुल ही वन्द हो जावें तो इनके वन्द होने से संसार के लोगो का कोई काम नहीं रुक सकता। उदाहरण के लिए यदि कोई आदमी कोयला बना कर बेचने या जङ्गल से लकड़ी काट कर बेचने का धन्धा न करे अथवा किसी से न करावे तो इससे संसार के लोगो का क्या काम रुक सकता है? जिसे लकड़ी या कोयले की आवश्यकता होगी, वह स्वयं अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है। कर्मादान में बताये गये व्यवसायो में जितना अधिक पाप होता है, उतना अधिक आर्थिक लाभ भी नहीं होता। इसके सिवा ये व्यवसाय, प्रकृति का सौन्दर्य नष्ट करने वाले एवं जनता को प्राकृतिक लाभ से वंचित रखने वाले भी हैं।

इन सब बातों को दृष्टि में रख कर श्रावकों को महान् पाप से वचाने एवं उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त

कराने के लिए ही भगवान् ने श्रावकों के लिए कर्मादान निषिद्ध कहे हैं । कर्मादान मे गिने गये व्यवसाय करने वाला समाज की दृष्टि में भी प्रतिष्ठित नही माना जाता ।

पन्द्रह कर्मादान का त्याग, श्रावक के मूल व्रतों में गुण उत्पन्न करने वाला होने के साथ ही बुद्धि को निर्मल तथा चित्त मे समाधि रखने वाला है और आत्मा को कल्याण की ओर बढ़ाने वाला है । इसलिए श्रावक को इन पन्द्रह कर्मादानों का त्याग करना चाहिए । इनके द्वारा आजीविका नही करनी चाहिए ।

पन्द्रह कर्मादान, सातवे व्रत के अतिचारो मे हैं । सातवें व्रत के २० अतिचार है जिनमे से १५ अतिचार, १५ कर्मादान ही कहाते है और इनसे पहले पाच अतिचार दूसरे वताये गये हैं । श्रावक को इन २० अतिचारो से बचते रहना चाहिए ।



किसी भी रूप में होता हो, श्रावक को तो वैसे कार्य से वचने का ही उपदेश दिया जाएगा । यह नहीं हो सकता कि संसार में वह पाप-कार्य होता है, इसलिए उसे अनिषिद्ध माना जावे । संसार में मांस का व्यवसाय होता ही है, लेकिन क्या इस कारण श्रावको के लिए मांस का व्यापार निषिद्ध न होना चाहिए ? जो कार्य पाप है, निन्द्य है, श्रावक को उससे वचने के लिए ही उपदेश दिया जायेगा, फिर वह कार्य संसार में कितना ही फायदेमन्द क्यों न हो !

इसी के अनुसार पन्द्रह कर्मादानों में बताये गये कार्य संसार में कितने भी क्यों न होते हों, लेकिन श्रावक को वे कार्य कदापि न करने चाहिए क्योंकि वे कार्य महान् पाप द्वारा होते हैं । ये कार्य यदि विलकुल ही वन्द हो जावे तो इनके वन्द होने से संसार के लोगो का कोई काम नहीं रुक सकता । उदाहरण के लिए यदि कोई आदमी कोयला बना कर बेचने या जङ्गल से लकड़ी काट कर बेचने का धन्धा न करे अथवा किसी से न करावे तो इससे संसार के लोगो का क्या काम रुक सकता है ? जिसे लकड़ी या कोयले की आवश्यकता होगी, वह स्वयं अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है । कर्मादान में बताये गये व्यवसायो में जितना अधिक पाप होता है, उतना अधिक आर्थिक लाभ भी नहीं होता । इसके सिवा ये व्यवसाय, प्रकृति का सौन्दर्य नष्ट करने वाले एव जनता को प्राकृतिक लाभ से वंचित रखने वाले भी हैं ।

इन सब बातों को दृष्टि में रख कर श्रावकों को महान् पाप से वचाने एव उन्हे सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त

कराने के लिए ही भगवान् ने श्रावकों के लिए कर्मादान निषिद्ध कहे हैं । कर्मादान में गिने गये व्यवसाय करने वाला समाज की दृष्टि में भी प्रतिष्ठित नहीं माना जाता ।

पन्द्रह कर्मादान का त्याग, श्रावक के मूल व्रतों में गुण उत्पन्न करने वाला होने के साथ ही बुद्धि को निर्मल तथा चित्त में समाधि रखने वाला है और आत्मा को कल्याण की ओर बढ़ाने वाला है । इसलिए श्रावक को इन पन्द्रह कर्मादानों का त्याग करना चाहिए । इनके द्वारा आजीविका नहीं करनी चाहिए ।

पन्द्रह कर्मादान, सातवें व्रत के अतिचारों में हैं । सातवें व्रत के २० अतिचार हैं जिनमें से १५ अतिचार, १५ कर्मादान ही कहाते हैं और इनसे पहले पांच अतिचार दूसरे व्रतों में गये हैं । श्रावक को इन २० अतिचारों से बचते रहना चाहिए ।



अनर्थदण्ड विरमण व्रत

श्रावक के बारह व्रतो में से आठवें और तीन गुण व्रतों में से तीसरे व्रत का नाम 'अनर्थदण्ड विरमणव्रत' है । अनर्थदण्ड किसे कहते हैं, यह बताने के लिए टीकाकार कहते हैं:—

अर्थः प्रयोजनम्, गृहस्थस्य क्षेत्रवास्तुघनधान्यशरीर-परिपालनादिविषयं, तदर्थे आरम्भो भूतोपमर्दोऽर्थ-दण्ड ।

दण्डो-निग्रहो यातना विनाश इति पर्यायाः, अर्थेन प्रयोजनेन दण्डोऽर्थदण्ड । स चैवंभूत उपमर्दनलक्षणदण्ड-क्षेत्रादि—प्रयोजनमपेक्षमाणोऽर्थदण्ड उच्यते । तद्विपरीतोऽनर्थ-दण्ड ।

अर्थात्—अर्थ यानी प्रयोजन । गृहस्थ को खेत, घर, घन, धान्य या शरीर पालन आदि कामों के लिए आरम्भ द्वारा भूतोपमर्दन करना पड़ता है, वह भूतोपमर्दन अर्थ दण्ड है । दण्ड, निग्रह, यातना और विनाश ये चार पर्याय हैं । किसी कार्य से, यानी प्रयोजन से दिया गया दण्ड अर्थ-वाची शब्द दण्ड है और दण्ड का लक्षण है भूतो का उपमर्दन, यानि खेत घर आदि के सिलसिले में भूतो (जीवों) का उपमर्दन अर्थदण्ड है और इसके विपरीत अर्थात् बिना

किसी प्रयोजन के निष्कारण ही भूतों का उपमर्दन करना अनर्थ दण्ड है ।

टीकाकार ने यहा स्पष्ट कर दिया है कि अर्थदण्ड किसे कहते हैं और अनर्थ दण्ड किसे कहते है ? किसी आवश्यक कार्य के आरम्भ समारभ मे त्रस और स्थावर जीवो को जो कष्ट होता है वह अर्थदण्ड है और निष्प्रयोजन ही, विना किसी कार्य के केवल हास्य कौतूहल अविवेक या प्रमादवश जीवो को कष्ट देना अनर्थदण्ड है । जैसे कोई आदमी हाथ मे कुल्हाडी लिये जा रहा है । उसने चलते-चलते निष्कारण ही किसी वृक्ष पर कुल्हाडी मार दी । अथवा कोई आदमी हाथ मे कुदाली लिए जा रहा है । उसने व्यर्थ ही जमीन पर कुदाली मार दी । इसी तरह किसी के हाथ मे लकडी होने से बैठे हुए जानवर पर मार दी तो यह अनर्थदण्ड है । इस तरह के अनर्थदण्ड से निवृत्त होना, ऐसे अनर्थदण्ड को त्यागने की प्रतिज्ञा करना, अनर्थदण्ड विरमण व्रत है ।

श्रावक ने मूल व्रत स्वीकार करते समय जिन वातो का आगार रखा है, उस छूट का उपयोग करने मे अर्थ अनर्थ यानी सार्थक और निरर्थक का अन्तर समझ कर निरर्थक उपयोग से बचना अनर्थदण्ड विरमण व्रत है । अनर्थदण्ड विरमण व्रत का उद्देश्य अर्थ अनर्थ को जान कर अनर्थ से बचना है, निष्कारण ही किसी त्रस या स्थावर जीव को कष्ट देने से बचना है अर्थात् यह कार्य मेरे लिए आवश्यक है या नही, इस बात का विवेक करके उन कार्यों से बचना है, जिनके किये विना अपनी कोई आवश्यकता नही रुकती है और जिनके करने से किन्ही जीवो को निष्कारण ही कष्ट होता है ।

श्रावक होने के कारण इस बात का ध्यान रखना उसका कर्तव्य है कि मेरे द्वारा वही कार्य हो, मैं उसी आरम्भ-समारम्भ में पहुँचूँ जिसका करना मेरे लिए आवश्यक है और जिसके करने से मेरा कोई उद्देश्य पूरा होता है। इस तरह का ध्यान रख कर उसे ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए, जिससे किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति नहीं होती, जिसके किये बिना कोई आवश्यकता नहीं रहती और जो केवल प्रमाद, कौतूहल अथवा रूढ़ि परम्परा के कारण किये जाते हैं। श्रावक के लिए आरम्भ या हिंसा खुली है, फिर भी श्रावक इस छूट का उपयोग केवल सार्थक कार्यों में ही कर सकता है, निरर्थक कार्यों में नहीं कर सकता। इसलिए श्रावक को प्रत्येक कार्य के विषय में यह विचार कर लेना चाहिए कि मेरे द्वारा किया जाने वाला यह कार्य मेरे किस आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति करता है? मेरा यह कार्य सार्थक है या निरर्थक? और इस तरह का विवेक करके उसे उन कार्यों से सर्वथा बचना चाहिए जो किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं, किन्तु निरर्थक हैं। इस तरह के निरर्थक कार्य चाहे रूढ़ि परम्परा के नाम पर किये जाते हों अथवा और किसी कारण से श्रावक को तो अनर्थदण्ड-विरमण व्रत स्वीकार करके ऐसे निरर्थक कार्य त्याग ही देने चाहिए।

आजकल रूढ़ि परम्परा के नाम पर ऐसे अनुचित कार्य भी किये जाते हैं, जो किसी तरह लाभप्रद होने के बदले हानिप्रद ही होते हैं। इस तरह के कामों के औचित्य अनौचित्य के विषय में दूसरे लोग विचार करें या न करें और जो अनुचित निरर्थक अथवा हानिप्रद कार्य हैं, उन्हें त्यागें, या न त्यागें, लेकिन श्रावक को तो इस विषय में

विवेक करना ही चाहिए और रूढि के गुलाम न रह कर उन कामो को त्यागना ही चाहिए, जो अनुचित हानिप्रद अथवा निरर्थक है । ऐसा करने पर श्रावक हानि से भी बच सकता है, व्यर्थ के कर्म बन्ध से भी बच सकता है, चित्त को समाधि भाव मे भी रख सकता है और मूल व्रतो का पूरी तरह पालन करने मे भी समर्थ हो सकता है ।

जिस व्यक्ति ने पूर्ण त्यागवृत्ति धारण नही की है, उस व्यक्ति को जीवन-निर्वाह के लिए अथवा गृहकार्य चलाने के लिए अर्थ-दण्ड का पाप करना ही पडता है । यह पाप श्रालस्य मे पडे रहने, उद्योग त्याग देने अथवा अकर्मण्य बन बैठने से नही छूटता किन्तु तभी छूटता है, जब पूर्णतया त्यागवृत्ति धारण की जावे । लेकिन जब तक पूर्ण त्यागवृत्ति स्वीकार नही की है, तब तक अपूर्णविस्था मे अल्पपाप और महापाप का विवेक करके महापाप से तो बचना चाहिए । यह व्रत विशेषत इसी बात की प्रतिज्ञा कराता है कि मैं प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध मे विवेक करूंगा और अनर्थ दण्ड से बचूंगा । इस व्रत का उद्देश्य प्रत्येक कार्य के विषय मे विवेक करके अनर्थदण्ड से बचना और व्यर्थ के पाप से आत्मा को बचाये रखना है ।

अर्थ-दण्ड और अनर्थ-दण्ड की व्याख्या कुछ विचित्र सी है । जो कार्य एक व्यक्ति के लिए अर्थ दण्ड है, वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए अनर्थ-दण्ड हो सकता है । इसलिए इस विषय का कोई निर्णय नही दिया जा सकता कि कौनसा कार्य साधारणतया अर्थदण्ड है और कौनसा अनर्थ-दण्ड है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की परिस्थिति एकसी नही होती, पृथक्-पृथक् होती है । इसका निर्णय प्रत्येक व्यक्ति

स्वयं ही अपने विवेक की सहायता से कर सकता है ।

शास्त्रकारो ने अनर्थदण्ड के प्रधानत. चार भेद किये हैं । वे कहते है—

अणत्थादण्डे चउविहे पण्णात्ते तंजहा, अ्रवज्झाणाचरिए, पमायाचरिए, हिंसप्पयाणे, पावकम्मोवएसे ।

अर्थात् अनर्थ-दण्ड चार प्रकार का होता है-अपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, हिंसा मे सहायक होना और पाप-कर्म का उपदेश देना ।

(१) अपध्यान

अपध्यान किसे कहते हैं, इसके लिए कहा है—अप्रशस्त ध्यानमपध्यानम् ।

अर्थात्—जो ध्यान अप्रशस्त यानी बुरा है, वह अपध्यान कहलाता है ।

ध्यान का अर्थ है—अन्तर्मूर्हृत्तं मात्र किसी प्रकार के विचारो मे चित्त की एकाग्रता होना । निरर्थक बुरे विचारो में चित्त को एकाग्र करने से जो अनर्थ-दण्ड होता है, शास्त्रकार उसे अपध्यानाचरित, अनर्थ-दण्ड कहते हैं, यानी बुरे विचारो से होने वाला अनर्थ-दण्ड ।

अपध्यान के शास्त्रकारो ने आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दो भेद किये हैं । आर्तध्यान 'आ' और 'ऋत' इन दो शब्दो से बना है । ऋत का अर्थ दुःख है । ऋत शब्द मे

‘आ’ उपसर्ग लगा कर ऋत को प्रबल बनाया गया है। इस प्रकार आर्तध्यान का अर्थ दुःख के कारण उत्पन्न बुरे विचारों में मन को एकाग्र करना है। शास्त्रकारों ने आर्तध्यान के भी चार भेद किये हैं—

(१) अनिष्ट का संयोग होने पर, (२) इष्ट का वियोग होने पर, (३) रोगादि होने पर और (४) इष्ट की प्राप्ति के लिए उत्पन्न चिन्ता या दुःख। इस चार तरह के दुःख के होने पर पीडा से अथवा दुःख से मुक्त होने के लिए उत्पन्न बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना आर्तध्यान है। आर्तध्यान के इन चारों भेदों के विषय में कुछ अधिक स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, जो नीचे किया जाता है।

अपनी हानि करने वाले, या जिस हानि को हमने अपनी हानि मान रखी है वह हानि करने वाले का संयोग होना अनिष्ट-संयोग, यानी न चाहा हुआ मिलन, कहलाता है। अपना या अपने स्वजन का शरीर, धन आदि नष्ट करने वाले—विष, अग्नि शस्त्र, हिंस्र पशु, दुष्ट या दैत्यादि भयंकर प्राणियों का संयोग हो जाना अनिष्ट-संयोग से उत्पन्न दुःख के कारण, अथवा ऐसे अनिष्ट-संयोग से छुटकारा पाने के लिए, मन में जो बुरे तथा दुःख भरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों में मन का तल्लीन होना, आर्तध्यान का पहला भेद है।

अपने प्रिय राज्य, धन, स्त्री, पुत्र प्रभृति के वियोग का दुःख होने पर जो दुःखपूर्ण बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना, आर्तध्यान का दूसरा भेद है।

स्वयं ही अपने विवेक की सहायता से कर सकता है ।

शास्त्रकारो ने अनर्थदण्ड के प्रधानतः चार भेद किये हैं । वे कहते हैं—

अणत्थादण्डे चउविहे पणत्ते तजहा, अवज्झाणाचरिए, पमायाचरिए, हिस्पपयाणे, पावकम्मोवएसे ।

अर्थात् अनर्थ-दण्ड चार प्रकार का होता है—अपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, हिंसा में सहायक होना और पाप-कर्म का उपदेश देना ।

(१) अपध्यान

अपध्यान किसे कहते हैं, इसके लिए कहा है—अप्रशस्तं ध्यानमपध्यानम् ।

अर्थात्—जो ध्यान अप्रशस्त यानी बुरा है, वह अपध्यान कहलाता है ।

ध्यान का अर्थ है—अन्तर्मूर्च्छा मात्र किसी प्रकार के विचारो मे चित्त की एकाग्रता होना । निरर्थक बुरे विचारो मे चित्त को एकाग्र करने से जो अनर्थ-दण्ड होता है, शास्त्रकार उसे अपध्यानाचरित, अनर्थ-दण्ड कहते हैं, यानी बुरे विचारो से होने वाला अनर्थ-दण्ड ।

अपध्यान के शास्त्रकारो ने आर्तध्यान और रौद्रध्यान ये दो भेद किये हैं । आर्तध्यान 'आ' और 'ऋत' इन दो शब्दो से बना है । ऋत का अर्थ दुःख है । ऋत शब्द मे

‘आ’ उपसर्ग लगा कर ऋत को प्रबल बनाया गया है। इस प्रकार आर्तध्यान का अर्थ दुःख के कारण उत्पन्न बुरे विचारों में मन को एकाग्र करना है। शास्त्रकारों ने आर्तध्यान के भी चार भेद किये हैं—

(१) अनिष्ट का संयोग होने पर, (२) इष्ट का वियोग होने पर, (३) रोगादि होने पर और (४) इष्ट की प्राप्ति के लिए उत्पन्न चिन्ता या दुःख। इस चार तरह के दुःख के होने पर पीड़ा से अथवा दुःख से मुक्त होने के लिए उत्पन्न बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना आर्तध्यान है। आर्तध्यान के इन चारों भेदों के विषय में कुछ अधिक स्पष्टीकरण होना आवश्यक है, जो नीचे किया जाता है।

अपनी हानि करने वाले, या जिस हानि को हमने अपनी हानि मान रखी है वह हानि करने वाले का संयोग होना अनिष्ट-संयोग, यानी न चाहा हुआ मिलन, कहलाता है। अपना या अपने स्वजन का शरीर, धन आदि नष्ट करने वाले—विप, अग्नि शस्त्र, हिंस्र पशु, दुष्ट या दैत्यादि भयकर प्राणियों का संयोग हो जाना अनिष्ट-संयोग से उत्पन्न दुःख के कारण, अथवा ऐसे अनिष्ट-संयोग से छुटकारा पाने के लिए, मन में जो बुरे तथा दुःख भरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों में मन का तल्लीन होना, आर्तध्यान का पहला भेद है।

अपने प्रिय राज्य, धन, स्त्री, पुत्र प्रभृति के वियोग का दुःख होने पर जो दुःखपूर्ण बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना, आर्तध्यान का दूसरा भेद है।

आर्तध्यान का तीसरा भेद शारीरिक रोगों से होने वाले दुःख के कारण, अथवा ऐसे दुःख से मुक्ति मिलने की चिन्ता के कारण, उत्पन्न दुःखपूर्ण बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना है और आर्तध्यान का चौथा भेद है, विषय भोग के अप्राप्त पदार्थों के कारण दुःख या प्राप्ति की चिन्ता के कारण उत्पन्न दुःखपूर्ण बुरे विचारों में मन का एकाग्र होना । उदाहरण के लिए, 'हाय ! मुझे वह चीज क्यों नहीं मिली ! मैं वह चीज कैसे प्राप्त करूँ ! आदि ।'

मतलब यह कि अनिष्ट के संयोग से, इष्ट के वियोग से, रोग की प्राप्ति से और भोग की अभिलाषा से पीड़ित व्यक्ति पीडा से घबरा कर जो बुरे विचार करता है, उन बुरे विचारों में मन का लगना आर्तध्यान है ।

अपध्यान का दूसरा भेद रौद्रध्यान है । स्वार्थ, क्रोध, मोह, लोभ, भय आदि के वश होकर दूसरे की हानि के लिए उत्पन्न विचारों में मन का एकाग्र होना रौद्रध्यान है । रौद्र का अर्थ है, भयङ्कर । जो दूसरे के लिए भयङ्कर है, ऐसे विचार में एकाग्र होना रौद्रध्यान है ।

शास्त्रकारों ने रौद्रध्यान के भी "हिंसानुबन्धी, मोसानुबन्धी, तेणाणुबन्धी और सारक्खणाणुबन्धी" ये चार भेद किये हैं । अपने या दूसरे के द्वारा मारे, कूटे, बांधे या दूसरी तरह से कष्ट पाते हुए व्यक्ति को देख कर या उसका करण अथवा आर्तनाद सुनकर प्रसन्न होना, अथवा अमुक प्राणी को किस तरह मारना, बांधना या यह काम किसके द्वारा कराना चाहिए, यह काम करने में कौन चतुर है, इस काम को कौन शीघ्र कर सकता है आदि विषयक भयङ्कर विचारों

में मन' को लगाना हिसानुबन्धी नामक रौद्रध्यान का पहला भेद है ।

रौद्रध्यान का दूसरा भेद मोसाणुबन्धी यानी मृषानुबन्धी है । झूठ को सफल बनाने, सच्ची बात को झूठी और झूठी को सच्ची ठहराने के उपाय विचारने में, अपना स्वार्थ साधने, लोगो की भावुकता या उदारता का अनुचित लाभ उठाने के लिए और लोगो को अपने प्रभाव में लाने के लिए कोई झूठा प्रपंच रचने, झूठे शास्त्र आदि बनाने का उपाय सोचने में मन को एकाग्र करना, मृषानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

चोरी, डकैती अथवा ऐसे ही दूसरे कार्य के लिए, परधन, परदारा आदि का हरण करने के विचार में तल्लीन होना, उपाय सोचना, ऐसे कार्यों में हर्ष मानना, स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

अपने को जो वस्तु प्राप्त है, उसकी रक्षा के लिए स्त्री, भूमि, धन या सुख के अन्य साधनो को दूसरे से बचाने के लिए, कोई उन्हें छीन न सके या उनमें भाग न बटा सके, इस सम्बन्धी अपना मार्ग निष्कण्ठक करने के लिए और ऐसी सामग्री पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिए क्रूर विचारो में मन का एकाग्र होना, सरक्षणानुबन्धी नाम का रौद्रध्यान है ।

(२) प्रमादाचरित

अनर्थदण्ड का दूसरा भेद प्रमादाचरित है । शास्त्रकारो ने प्रमाद के पांच भेद किये हैं । आत्मा संसार में ब्यो भटकता है, यह बताते हुए शास्त्रगार कहते हैं—

बहुत लोगो की यह आदत होती है कि वे दूसरे को पाप कर्म करने के लिए उपदेश देते रहते हैं। बकरा मारो, पशु बलि करो, चोरी करो, राज्यद्रोह करो या राष्ट्रोत्थान में बाधक बनो आदि उपदेश देना अनर्थदण्ड का चौथा भेद है।

अनर्थदण्ड के जो चार भेद बताये गये हैं, उन चारों को समझ कर श्रावक के लिए अनर्थदण्ड का सर्वथा त्याग करना ही उचित है। इसके लिए आत्मा को सावधान रखने एवं प्रत्येक कार्य के विषय में विवेक यानी विचार करने की आवश्यकता है। जो प्रत्येक कार्य के विषय में अर्थ-अनर्थ का विवेक करता है और निरर्थक कामों से बचता है, वही अनर्थदण्ड के पाप से बचा रह सकता है। अनर्थदण्ड द्रव्य से तो प्राणी, भूत, जीव, सत्व का विनाश करता है और भाव से आत्मा की हानि करता है। व्यवहार में दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाना या दूसरे जीवों को कष्ट पहुँचाने का विचार करना, निश्चय में अपने आत्मा की ही हिंसा है। इसलिये श्रावक को अनर्थदण्ड का त्याग करना चाहिए।

कहा जा सकता है कि दण्ड तो सर्वथा त्याज्य होना चाहिए, फिर अर्थ-दण्ड और अनर्थदण्ड ये भेद करके अनर्थ-दण्ड ही त्यागने का क्यों कहा गया? दण्ड मात्र त्यागने को क्यों नहीं कहा गया? इस कथन का उत्तर यह है कि वास्तव में है तो दण्ड मात्र त्याज्य, लेकिन गृहस्थों के लिए दण्ड का सर्वथा त्याग सम्भव नहीं, इसलिए गृहस्थों के वास्ते दण्ड के दो भेद किये गये हैं और कहा गया है कि गृहस्थ अनर्थदण्ड का त्याग करे। गृहस्थ अर्थदण्ड का त्याग नहीं

कर सकता । वह जितना हो सके उतना अर्थदण्ड से वचन तो अवश्य सकता है, लेकिन अनर्थदण्ड की तरह अर्थ-दण्ड का भी सर्वथा त्याग करना उसके लिए सम्भव नहीं हो सकता ।

यदि कोई गृहस्थ अर्थदण्ड का सर्वथा त्याग करेगा तो बहुत सम्भव है कि वह अर्थदण्ड के बदले अनर्थदण्ड का पाप करने में पड़ जाएगा । उदाहरण के लिए एक गृहस्थ न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जन करता है और आजीविका चलाता है । इस कार्य में उससे अर्थदण्ड तो होता ही है । अब यदि वह अर्थदण्ड से वचने के लिए न्यायपूर्वक की जाने वाली आजीविका का त्याग कर देता है तो उस दशा में वह भूखो मरने से तो रहा । फिर तो उसके लिए चोरी, डकैती, ठगई अथवा ऐसे ही दूसरे कार्य करना आवश्यक हो जाता है और चोरी अथवा चोरी की ही तरह के दूसरे कार्य करने पर मूलव्रत की भी घात होगी और अर्थदण्ड के स्थान पर अनर्थदण्ड होगा । इस प्रकार गृहस्थ होते हुए भी अर्थदण्ड सर्वथा त्यागने का प्रयत्न करना अपने को अनर्थदण्ड में डालना है । ज्ञानियो ने इस वृत्त को दृष्टि में रख कर ही गृहस्थों के लिए अनर्थदण्ड सर्वथा त्यागने और अर्थदण्ड से यथाशक्ति वचने का विधान किया है । हा, किसी समय विशेष के लिए गृहस्थ अर्थदण्ड से भी वच सकता है, जैसे कि सामायिक, पौष आदि व्रतों के समय अर्थदण्ड सर्वथा त्यागा जाता है ।

आजकल बहुत से लोग गृहस्थ श्रावक को अर्थदण्ड का विना समझे या समझाये त्याग कराते हैं । परिणाम यह होता है कि 'लेने गई पूत और खो आई पति' कहावत के

वहुत लोगो की यह आदत होती है कि वे दूसरे को पाप कर्म करने के लिए उपदेश देते रहते हैं। वकरा मारो, पशु बलि करो, चोरी करो, राज्यद्रोह करो या राष्ट्रोत्थान मे बाधक बनो आदि उपदेश देना अनर्थदण्ड का चौथा भेद है।

अनर्थदण्ड के जो चार भेद बताये गये हैं, उन चारो को समझ कर श्रावक के लिए अनर्थदण्ड का सर्वथा त्याग करना ही उचित है। इसके लिए आत्मा को सावधान रखने एवं प्रत्येक कार्य के विषय मे विवेक यानि विचार करने की आवश्यकता है। जो प्रत्येक कार्य के विषय मे अर्थ-अनर्थ का विवेक करता है और निरर्थक कामो से बचता है, वही अनर्थदण्ड के पाप से बचा रह सकता है। अनर्थदण्ड द्रव्य से तो प्राणी, भूत, जीव, सत्व का विनाश करता है और भाव से आत्मा की हानि करता है। व्यवहार मे दूसरे जीवो को कष्ट पहुंचाना या दूसरे जीवो को कष्ट पहुंचाने का विचार करना, निश्चय मे अपने आत्मा की ही हिंसा है। इसलिये श्रावको को अनर्थदण्ड का त्याग करना चाहिए।

कहा जा सकता है कि दण्ड तो सर्वथा त्याज्य होना चाहिए, फिर अर्थ-दण्ड और अनर्थदण्ड ये भेद करके अनर्थ-दण्ड ही त्यागने का क्यों कहा गया ? दण्ड मात्र त्यागने को क्यों नहीं कहा गया ? इस कथन का उत्तर यह है कि वास्तव मे है तो दण्ड मात्र त्याज्य, लेकिन गृहस्थो के लिए दण्ड का सर्वथा त्याग सम्भव नहीं, इसलिए गृहस्थो के वास्ते दण्ड के दो भेद किये गये हैं और कहा गया है कि गृहस्थ अनर्थदण्ड का त्याग करे। गृहस्थ अर्थदण्ड का त्याग नहीं

कर सकता । वह जितना हो सके उतना अर्थदण्ड से वच तो अवश्य सकता है, लेकिन अनर्थदण्ड की तरह अर्थ-दण्ड का भी सर्वथा त्याग करना उसके लिए सम्भव नहीं हो सकता ।

यदि कोई गृहस्थ अर्थदण्ड का सर्वथा त्याग करेगा तो बहुत सम्भव है कि वह अर्थदण्ड के बदले अनर्थदण्ड का पाप करने में पड़ जाएगा । उदाहरण के लिए एक गृहस्थ न्यायपूर्वक द्रव्योपार्जन करता है और आजीविका चलाता है । इस कार्य में उससे अर्थदण्ड तो होता ही है । अब यदि वह अर्थदण्ड से वचने के लिए न्यायपूर्वक की जाने वाली आजीविका का त्याग कर देता है तो उस दशा में वह भूखो मरने से तो रहा ! फिर तो उसके लिए चोरी, डकैती, ठगई अथवा ऐसे ही दूसरे कार्य करना आवश्यक हो जाता है और चोरी अथवा चोरी की ही तरह के दूसरे कार्य करने पर मूलव्रत की भी घात होगी और अर्थदण्ड के स्थान पर अनर्थदण्ड होगा । इस प्रकार गृहस्थ होते हुए भी अर्थदण्ड सर्वथा त्यागने का प्रयत्न करना अपने को अनर्थदण्ड में डालना है । ज्ञानियो ने इस बात को दृष्टि में रख कर ही गृहस्थों के लिए अनर्थदण्ड सर्वथा त्यागने और अर्थदण्ड से यथाशक्ति वचने का विधान किया है । हाँ, किसी समय विशेष के लिए गृहस्थ अर्थदण्ड से भी वच सकता है, जैसे कि सामायिक, पौष आदि व्रतों के समय अर्थदण्ड सर्वथा त्यागा जाता है ।

आजकल बहुत से लोग गृहस्थ श्रावक को अर्थदण्ड का विना समझे या समझाये त्याग कराते हैं । परिणाम यह होता है कि 'लेने गई पूत और खो आई पति' कहावत के

अनुसार अर्थदण्ड के बदले अनर्थदण्ड गले पड जाता है उदाहरण के लिए—यदि अर्थदण्ड से वचने के वास्ते स्वास्थ्य रक्षक कार्यों की उपेक्षा की जायेगी, उन्हें त्याग दिया जायेगा तो शरीर मे रोग होने पर उन भ्रष्ट दवाइयो का सेवन करना पडेगा, जिनके सेवन से महापाप होता है । अथवा अर्थदण्ड से वचने के लिए सब लोग कृपि करना त्याग दें तो क्या काम चल सकता है ? क्या उस दशा मे भूखे मरते हुए लोग, मास का सेवन न करेगे और भयंकर पाप मे न पड़ेगे ? खेती आदि करने मे अर्थदण्ड तो अवश्य होता है, लेकिन यह अनर्थदण्ड से वचाने वाला है ।

मतलब यह कि गृहस्थो से अर्थदण्ड का त्याग कराना उन्हें अनर्थदण्ड मे डालना है । इस बात को दृष्टि मे रख कर ही शास्त्रकारो ने गृहस्थो पर अर्थदण्ड त्यागने का भार न डाल अनर्थदण्ड त्यागने का ही भार डाला है और इसी से इस व्रत का नाम अनर्थदण्ड विरमण व्रत है, जिसका सब जीवो के लिए अगीकार करने का विधान है ।



अनर्थदण्ड विरमण व्रत के अतिचार

शास्त्रकारो ने अनर्थदण्ड विरमण व्रत के पाच अति-
चार बताये हैं । कहा है—

अनर्थादण्डवेरमणस्स समणोयासणेणं पच अडयारा
जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा-कदप्पे, कुक्कुइए,
मोहरिए, सजुत्ताहिगरणे, उव्वभोगपरिभोगाइरित्ते ।

अर्थात्—अनर्थदण्ड विरमण व्रत के पाच अतिचार हैं
जो जानने योग्य हैं परन्तु आचरण करने योग्य नहीं हैं । वे
पांच अतिचार इस प्रकार हैं—कन्दर्प, कौत्कुच्य, मौखर्य,
सयुक्ताधिकरण, उपभोगपरिभोगातिरिक्त ।

१ पहला अतिचार कन्दर्प है । कामवासना प्रवल
करने वाले और मोह उत्पन्न करने वाले शब्दों का हास्य या
व्यङ्ग्य में दूसरे के लिए उपयोग करना कन्दर्प नाम का पहला
अतिचार है । ॐ (सरल चित्त से हास्योत्पादक शब्दों का

ॐ काम-वासना प्रवल करने वाले या मोह उत्पन्न
करने वाले शब्दों का लेखन-कला द्वारा प्रयोग करना भी
इसी अतिचार में है ।

अनुसार अर्थदण्ड के बदले अनर्थदण्ड गले पड जाता है । उदाहरण के लिए—यदि अर्थदण्ड से बचने के वास्ते स्वास्थ्य-रक्षक कार्यों की उपेक्षा की जायेगी, उन्हें त्याग दिया जायेगा तो शरीर मे रोग होने पर उन भ्रष्ट दवाइयो का सेवन करना पडेगा, जिनके सेवन से महापाप होता है । अथवा अर्थदण्ड से बचने के लिए सब लोग कृषि करना त्याग दे तो क्या काम चल सकता है ? क्या उस दशा मे भूखो मरते हुए लोग, मास का सेवन न करेगे और भयंकर पाप मे न पड़ेगे ? खेती आदि करने मे अर्थदण्ड तो अवश्य होता है, लेकिन यह अनर्थदण्ड से बचाने वाला है ।

मतलब यह कि गृहस्थो से अर्थदण्ड का त्याग कराना उन्हें अनर्थदण्ड मे डालना है । इस बात को दृष्टि मे रख कर ही शास्त्रकारो ने गृहस्थो पर अर्थदण्ड त्यागने का भार न डाल अनर्थदण्ड त्यागने का ही भार डाला है और इसी से इस व्रत का नाम अनर्थदण्ड विरमण व्रत है, जिसका सब जीवो के लिए अगीकार करने का विधान है ।



वस्त्रादि का धारण करना या उन्हें बार-बार बदलना, अथवा आनन्द के लिए अनावश्यक ही बार-बार स्नान करना आदि उपभोग-परिभोगइरित्त में गर्भित हैं ।

श्रावको को इन पांचो अतिचारो का स्वरूप समझ कर इनसे वचते रहना चाहिए । ऐसा करने से उनका व्रत निर्मल रहेगा और वे आत्मा का कल्याण कर सकेंगे ।

इन तीन गुणव्रतो का विस्तार जितना भी किया जाए, हो सकता है । सारे संसार की समालोचना इन व्रतो के वर्णन में हो सकती है—जो महाज्ञानी लोग ही कर सकते हैं । संक्षेप में ही हमने स्वरूप समझाने की चेष्टा की है । आशा है, सुजजन इससे तत्त्वलाभ प्राप्त करके आत्मोत्थान के लिए प्रवृत्त होंगे । इत्यलम् ।



सहज प्रयोग अतिचार मे नही है ।)

२. दूसरा अतिचार कौत्कुच्य है । आंख, नाक, मुंह, भृकुटि आदि अपने अंगों को विकृत बनाकर भांड या विदूषक की तरह लोगों को हंसाना कौत्कुच्य नाम का दूसरा अतिचार है । सम्य लोगो के लिए ऐसा करना, प्रतिष्ठा की दृष्टि से भी अनुचित है क्योंकि ये कार्य प्रतिष्ठा का नाश करने वाले होते हैं ।

३ तीसरा अतिचार मौखर्य है । निष्कारण ही अधिक बोलना, निष्प्रयोजन और अनर्गल बातें कहना, थोड़ी बात से काम चल सकने पर भी अधिक बात बोलना मौखर्य नाम का तीसरा अतिचार है ।


४. चौथा अतिचार सयुक्ताधिकरण है । कूटने, पीसने और गृहकार्य के दूसरे साधन-जैसे ऊखल, मूसल, चक्की, झाडू, सूप, सिला लोटी आदि वस्तुओ का अधिक और निष्प्रयोजन संग्रह रखना सयुक्ताधिकरण नाम का चौथा अतिचार है ।

५ पांचवा अतिचार उपभोग-परिभोगातिरिक्त है । उपभोग-परिभोग परिमाणव्रत स्वीकार करते हुए जो पदार्थ मर्यादा मे रखे गये हैं उनमें अत्यधिक आसक्त रहना, उनमें आनन्द मान कर उनका बार-बार उपयोग करना, उनका उपयोग जीवन निर्वाह के लिए नहीं किन्तु स्वाद या आनन्द के लिए करना, उपभोग-परिभोग का पाचवां अतिचार है । उदाहरण के लिए पेट भरा होने पर भी स्वाद के लिए खाना अथवा आवश्यकता न होने पर भी शौक के लिए

वस्त्रादि का धारण करना या उन्हें वार-वार बदलना, अथवा आनन्द के लिए अनावश्यक ही वार-वार स्नान करना आदि उपभोग-परिभोगइरित्ते मे गर्भित हैं ।

श्रावको को इन पांचों अतिचारो का स्वरूप समझ कर इनसे बचते रहना चाहिए । ऐसा करने से उनका व्रत निर्मल रहेगा और वे आत्मा का कल्याण कर सकेंगे ।

इन तीन गुणव्रतो का विस्तार जितना भी किया जाए, हो सकता है । सारे संसार की समालोचना इन व्रतो के वर्णन मे हो सकती है—जो महाज्ञानी लोग ही कर सकते हैं । संक्षेप मे ही हमने स्वरूप समझाने की चेष्टा की है । आशा है, सुज्ञजन इससे तत्त्वलाभ प्राप्त करके आत्मोत्थान के लिए प्रवृत्त होंगे । इत्यलम् ।



चार शिक्षाव्रत

शिक्षा-व्रत

वृक्ष जब हरा-भरा सघन छायायुक्त होता है और उस पर फल-फूल होते हैं, तब वह बड़ा ही मनोहर, रम्य तथा सुन्दर दिखाई देता है एवं देखने वाले को आह्लादित करता है। किन्तु वृक्ष के ऐसा होने का कारण उसके मूल का हरा-भरा होना ही है। वृक्ष के मूल का जब तक सिंचन होता रहता है और उसको पोषक द्रव्य की प्राप्ति होती रहती है, तभी तक वृक्ष की मनोहरता और रम्यता बनी रहती है।

जिस प्रकार वृक्ष की मनोहरता और रम्यता का कारण उसका मूल है, उसी प्रकार आत्मा को परम सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति का कारण सम्यक्ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्ययुक्त त्यागमय जीवन है। ऐसा जीवन दो तरह का होता है। एक है साधुतापूर्ण जीवन और दूसरा है श्रावकत्वपूर्ण जीवन। जिनका जीवन साधुतापूर्ण है, उनके लिए तो सांसारिक-बन्धनों के सभी तन्तु टूट जाते हैं और उनका प्रयत्न मोक्ष प्राप्त करने का ही रहता है। किन्तु गृहस्थ-श्रावक के सामने अनेक सांसारिक भङ्गटे एवं अनुकूल प्रतिकूल आरुर्षण रहते हैं तथा उन्हें कौटुम्बिक और जीवन यापन सम्बन्धी बाधाएं भी घेरे रहती हैं। इन सब के होने पर भी श्रावक के लिए आत्म-कल्याण के हेतु श्रावकत्वपूर्ण

जीवन बिताना आवश्यक है । इस बात को दृष्टि में रख कर ही शास्त्रकारों ने श्रावकों के लिए पांच मूल व्रतों की रक्षा के उद्देश्य से, मूल व्रत को सिंचन देने वाले तीन गुण-व्रतों और चार शिक्षा-व्रतों का विधान किया है । जिस प्रकार मूल को सिंचन मिलता रहने पर ही वृक्ष हरा-भरा रहता है, उसी प्रकार श्रावक के पांच मूलव्रत भी तभी विशुद्ध रहेंगे जब उन्हें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों द्वारा सिंचन मिलता रहेगा ।

शिक्षाव्रत स्वीकार करने का अर्थ है, आत्मा को जागृत रखकर शुद्ध दशा प्रकट करने के लिए विशेष उद्यमी बनाना । इसलिए अब यह देखते हैं कि श्रावक के बारह व्रतों में से पिछले चार व्रतों को शिक्षाव्रत क्यों कहा जाता है ? इन चार व्रतों से शेष आठ व्रतों का क्या सम्बन्ध है और इन चार व्रतों का पिछले आठ व्रतों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

श्रावक जो व्रत स्वीकार करता है, वे सर्व देश से नहीं किन्तु एक देश से होते हैं । इसलिए श्रावक की त्याग-बुद्धि को सिंचन मिलना अत्यावश्यक है । पांच अणुव्रतों को सिंचन मिलना रहे, इसलिए तीन गुणव्रत स्वीकार करके अपनी आवश्यकताएँ सीमित कर दी जाती हैं और पुद्गलो में आनन्द मानना त्याग कर जीवन-निर्वाह के लिये बहुत थोड़े पदार्थों का उपभोग किया जाता है । लेकिन यह वृत्ति तभी टिकी रह सकती है, जब आत्मा-अनात्मा का भान हो और पदार्थ तथा आत्मा का भेद-विज्ञान हो । सामायिकादि चार शिक्षाव्रत आत्म-भान को जागृत बनाये रखने और भेदविज्ञान स्थिर रखने के साधन हैं । इसलिए इन चार व्रतों का जितना भी अधिक आचरण किया जायेगा, पूर्व के

आठ व्रतों पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा और वे उतने ही अधिक विशुद्ध होते जायेंगे ।

शिक्षाव्रत पूर्व के आठ व्रतों की भांति यावज्जीवन के लिए स्वीकार नहीं किये जाते हैं, किन्तु गृहकार्यादि से अवकाश पाकर उस अवकाश का सदुपयोग इन व्रतों के आचरण द्वारा करने का विधान है ।

सामायिक व्रत का आचरण करके श्रावक यह विचार करे कि मैंने जो रथूल अहिंसादिव्रत स्वीकार किये हैं, उन व्रतों के द्वारा मुझ में किस अंश तक समभाव आया है ? इसी प्रकार दिक्-परिमाणादि व्रतों द्वारा मुझ में सासारिक पदार्थों के प्रति कितनी विरक्ति आई है तथा मैं आत्मा को समाधि भाव में किस अंश तक स्थिर कर सका हूँ ? सामायिक व्रत मूल व्रतों और गुण व्रतों की परीक्षा स्वरूप है । देशावकाशिक व्रत द्वारा कुछ समय के लिए विशेष आत्मसंयम किया जाता है एवं न्यूनतम सामग्री से अपनी आवश्यकताएँ पूरी करके सन्तोष वृत्ति की ओर बढ़ा जाता है । ससार में जिन भोगोपभोग के पदार्थों के लिए हाय-हाय मची रहती है, कलह और विग्रह होता रहता है, जिनके न मिलने से लोग दुःखी रहते हैं, श्रावक इस देशावकाशिक व्रत को स्वीकार करके उन पदार्थों का अधिक से अधिक त्याग करता है और इस प्रकार ससार का दुःख कैसे मिट सकता है, इस बात का आदर्श रखता है ।

श्रावक जिस उच्च स्थिति पर पहुँचना चाहता है और जिस पूर्ण विरक्ति का इच्छुक है, पोषधोषवास द्वारा उस स्थिति पर पहुँचने तथा विरक्त दशा प्राप्त करने का अभ्यास

करता है और अपने जीवन को उच्चता की ओर ले जाता है अर्थात् आत्मज्योति जगाता है ।

ऊपर कहे गये तीनों व्रत अपनी आत्मा को उन्नत बनाने के लिए अभ्यास रूप हैं, लेकिन चौथा अतिथिसविभाग व्रत जैनधर्म की विशालता और विश्व-बन्धुत्व की भावना का परिचय देता है । इस व्रत का विशेष सम्बन्ध बाह्य जगत् से है । इस व्रत का प्रचलित नाम 'अतिथिसविभाग' है, लेकिन शास्त्रो मे इस व्रत का नाम 'अहा सविभाग' बताया गया है । इस नाम का यह भाव भी है कि अपने खान-पान के पदार्थों के प्रति ममत्व या गृद्धि भाव न रख कर उनका भी विभाग करना और साधु आदि को देने की भावना रखना । यद्यपि इस व्रत के पाठ मे मुख्यतया साधु की ही है, लेकिन आशय बहुत ही गहन है, लक्ष्यार्थ बहुत विशाल है । इस प्रकार यह व्रत, श्रावक की उदारता और विशाल-भावना का बाह्य जगत् को परिचय देता है ।

साराश यह है कि ये चारो शिक्षाव्रत श्रावक के जीवन को पवित्र, उन्नत तथा आदर्श बनाते है । साथ ही श्रावक को, उपस्थित सासारिक प्रसङ्गो मे न फसने देकर ससार-व्यवहार के प्रति जल-कमलवत् बनाये रखते है । इसलिए इन व्रतो का जितना भी अधिक आचरण किया जाये, उतना ही अधिक लाभ है ।





सामायिक व्रत

उपोद्घात

जैन समाज में सामायिक का बहुत ही महत्त्व है । सामायिक करने के लिए उपदेश-आदेश दिया जाता है, आग्रह किया जाता है तथा यह प्रतिज्ञा भी कराई जाती है कि एक दिन या एक महीने में तीन सामायिक अवश्य ही करूँगा । दूसरे त्याग प्रत्याख्यान या श्रावकत्व विषयक आवश्यक योग्यता की उतनी अधिक अपेक्षा नहीं की जाती, जितनी सामायिक की जाती है । साधु महात्मा और धार्मिक लोग सामायिक के लिये अधिक प्रेरणा करते भी देखे जाते हैं । उनकी सामायिक विषयक प्रेरणा को उचित एवं हितावह मानने में दो मत नहीं हो सकते क्योंकि सामायिक का महत्त्व ही ऐसा है । ऐसा होते हुए भी सामायिक के प्रति पहले के लोगों में जैसी श्रद्धा थी या वर्तमान वृद्ध लोगों में जैसी श्रद्धा देखी जाती है और वे सामायिक विषयक उपदेश-आदेश अथवा प्रेरणा का जितना आदर करते हैं, उतना आदर या सामायिक के प्रति वैसी श्रद्धा वर्तमान नवयुवकों में नहीं देखी जाती । इस अन्तर का कोई कारण भी अवश्य ही होना चाहिए । विचार करने पर इसका यही कारण जान पड़ता है कि साधु महात्माओं अथवा धार्मिक गृहस्थों की ओर से सामायिक करने के लिए की जाने वाली प्रेरणा के परिणाम में सामायिक की विशद व्याख्या,

सामायिक का महत्व एवं उद्देश्य आदि समझाने का प्रयत्न उतना नहीं किया जाता है। वर्तमान नवयुवको के सामने न तो कोई ऐसा आदर्श ही है, न साहित्य ही है, जिसको देखकर सामायिक की ओर उनकी रुचि बढ़े। सामायिक विषयक जो थोड़ासा साहित्य है, वह भी ऐसा है कि जिसे थोड़े से वे लोग ही जान सकते हैं, जिनकी गणना विद्वानों में है। जनसाधारण में सामायिक विषयक साहित्य का प्रचार नहीं है। इस कारण सामायिक करने वाले लोगों में से अनेक लोग, सामायिक के मूल उद्देश्य के विरुद्ध, सामायिक दशा में होने पर भी, ऐसे-ऐसे काम कर डालते हैं, जिनका करना उस समय सर्वथा अनुचित है। उस समय सामायिक ग्रहण किये हुए व्यक्ति को, एकांत में बैठ कर परमात्मा का भजन-स्मरण या ध्यान-चिंतन आदि करना चाहिए। परन्तु कई लोग आत्म-शुद्धि के लिए ऐसे कार्य करने के बदले सामायिक लेकर बैठे होने पर भी ऐसी बातें या ऐसे कार्य करते हैं, जिनके कारण समीप बैठे हुए अन्य सामायिक व्रतधारी लोगों के चित्त की भी एकाग्रता नष्ट होती है तथा उनका चित्त भी उन बातों या कार्यों की ओर खिंच जाता है। जहां धर्म-कार्य के लिये अनेक लोग एकत्रित होते हैं, ऐसे पीपघशाला आदि स्थानों पर तो सामायिक करने वालों का चित्त विशेष एकाग्र रहना चाहिए, चित्त में स्थिरता होनी चाहिए, किन्तु सामायिक का उद्देश्य एवं सामायिक की विधि न जानने वाले लोगों के कारण ऐसे धर्म स्थानों का भी वातावरण दूषित हो जाता है और कभी-कभी तो किसी एक के कुछ कहने पर दूसरा कुछ तथा तीसरा कुछ कहता है और होते-होते वह धर्म स्थान कलहस्थान बन जाता है।

तात्पर्य यह है कि सामायिक विषयक श्रेष्ठतम भादर्श और सरल साहित्य के अभाव के कारण तथा सामायिक मे की जाती हुई विकृतियों को देख कर वर्तमान युवको की रुचि और श्रद्धा सामायिक के प्रति कम देखी जाती है । इस बात को दृष्टि में रख कर ही सामायिक विषयक यह साहित्य जनता के सामने रखा जाता ई ।



सामायिक व्रत

सामायिक व्रत, श्रावक के बारह व्रतो मे से नववा और श्रावक के चार शिक्षाव्रतो मे से पहला है । यह व्रत पांच मूल और तीन गुण ऐसे आठ व्रतो को विशुद्ध रखने एव आत्मज्योति प्रकटाने की शिक्षा प्रदान करता है । इसी-लिए इस व्रत की गणना चार शिक्षाव्रतो मे की गई है । आत्मा मे प्रदीप्त विषय-कषाय की आग को शांत करके आत्मा को पवित्र बनाने एव बन्धन-रहित करने के लिये सामायिक व्रत मुख्य साधन है । इस व्रत के आचरण से आत्मा मे परम शांति प्राप्त होती है । इसलिए सांसारिक उपाधियो से समय बचाकर इस व्रत के आचरण मे जितना भी अधिक समय लगाया जा सके, उतना ही श्रच्छा है ।

अब देखना यह है कि सामायिक किसे कहते है ? सामायिक किस उद्देश्य से की जाती है ? सामायिक करने से लाभ क्या होता है और सामायिक किस तरह करनी चाहिए जिससे उस सामायिक का दूसरो पर प्रभाव पडे और अपने ध्येय के समीप पहुंचने मे सिद्धि प्राप्त हो । इन चार विषयो मे से प्रथम सामायिक किसे कहते हैं, यह बताने के लिये टीकाकार कहते हैं—

समो रागद्वेषवियुक्तो यः सर्वभूतान्यात्मवत्-पश्यति,

तस्य आयो । लाभ प्राप्तारिति पर्यायाः ॥ अन्यच्च समस्य आय. समाय, समो हि । प्रतिक्षणमपूर्वेज्ञानदर्शनचरण—पर्यायैर्भवाटवीभ्रमणसकल्पविच्छेदकै — निरुपमसुखहेतुभिरयः कृतचिन्तामणि—कामधेनुकल्पद्रूमोपमैर्युज्यत स एव समायः प्रयोजनमस्य क्रियानुष्ठानस्येति मूलगुणानामाधारभूत सर्व-सावद्यविरतिरूप-चारित्र्यम् सामायिक, समाय एव सामायिकम् ।

अर्थात्—रागद्वेष रहित होकर सब जीवो को आत्म-तुल्य मानने को 'सम' कहते हैं । इस समभाव के आय (समभाव के लाभ) को 'समाय' कहते हैं । इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिये विशेष रूप से यह कहते हैं कि प्रतिक्षण अपूर्व ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की पर्याय से जो भव-रूपी अटवी में भ्रमण करने के सकल्प को विच्छेद करके उस निरुपम परम सुख का कारण है, जिस परम सुख के लिये कोई उपमा ही नहीं है तथा ससार में सुख के उत्कृष्ट साधन माने जाने वाले चिन्तामणि कामधेनु और कल्प वृक्ष को भी जो परम तुच्छ बना देता है, उसको 'सम' कहते हैं । ऐसे समत्व का आय (समत्व का लाभ) 'समाय' कहलाता है । इस समाय में जिस क्रिया के द्वारा प्रवृत्ति की जाती है, उसी क्रिया को सामायिक कहते हैं ।

टीकाकार के इस कथन से स्पष्ट है कि सामायिक शब्द 'सम' और 'आय' इन दो शब्दों के संयोग से 'क' प्रत्यय लगकर बना है । सम + आय = समाय का मतलब है समभाव की प्राप्ति । इस प्रकार जिस क्रिया के द्वारा सम-भाव की प्राप्ति होती है और राग-द्वेष कम पड़ता है, विषय-कपाय की आग शांत होकर चित्त स्थिर होता है तथा

सासारिक प्रपञ्चो की ओर आकर्षित न होकर आत्मभाव में रमण किया जाता है, उस क्रिया को शास्त्रकार 'सामायिक' कहते हैं ।

वस्त्र उतार कर और आसन विछा कर बैठ जाना और मुखवस्त्रिका मुख पर बाध रजोहरण, पूंजनी, माला आदि धारण कर लेना, सामायिक के अनुरूप साधन अवश्य है, लेकिन इन साधनों को लेकर बैठ जाना ही सामायिक नहीं है । सामायिक तो तत्र है, जब उक्त साधनों से युक्त होकर त्याज्य कार्यों को त्याग दिया जावे और चित्त को शांत तथा एकाग्र करके प्रशस्त विचार किया जावे । यानी आत्मा-अनात्मा अथवा जीव और पुद्गल के स्वरूप का विचार किया जावे, या पदस्थ पिंडस्थ आदि चार प्रकार के ध्यान में आत्मा को लगा दिया जावे । पदस्थ पिंडस्थ आदि ध्यान आत्मा का सच्चा स्वरूप प्रकट करते हैं और आत्मा को समभाव में स्थापित करते हैं । इसलिये सामायिक में किये जाने वाले चारों प्रकार के ध्यानों का रूप, एक कवि के कथनानुसार संक्षेप में बताया जाता है—

अक्षर पद को अर्थ रूप ले ध्यान में,
जे ध्यावे इम मन्त्र रूप इक तान में ।
ध्यान पदस्थ जु नाम कह्यो मुनिराज ने,
जे यामे ह्वं लीन लहे निज काज ने ॥

अर्थात्—पंच परमेष्ठी मन्त्र के पैंतीस अक्षरों का भिन्न-भिन्न रूप में विकल्प कर उनका ध्यान करना और पंच-परमेष्ठी मन्त्र के पाँचों पदों का भिन्न-भिन्न अर्थ विचार कर उस अर्थ में लीं लगाना, अथवा पंच-परमेष्ठी मन्त्र के

स्वर व्यंजन का वर्गीकरण करके अपने नाभि-मण्डल में मन्त्र के पदों से कमल का रूप कल्पना, एक पद को मध्य में रखकर शेष चार पदों को चारों दिशा में रख कर उस कमल में आत्मा को स्थित करना इत्यादि पदस्थ ध्यान है ।

या पिण्डस्थ ध्यान के माहि, देह विषे स्थित आत्म ताहि ।
चिन्ते पंच धारणा धारि, निज आधीन चित्त को पारि ॥

अर्थात् - इस देह में रहे हुए अखण्ड अविनाशी शाश्वत अमूर्त और सिद्ध स्वरूप आत्मा का पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और तत्त्वरूपवती इन पांच तत्त्वों की कल्पना द्वारा ध्यान करना, पिण्डस्थ ध्यान है । पांच तत्त्वों की कल्पना में किस-किस प्रकार कल्पना की जाती है, यह संक्षेप में नीचे बताया जाता है ।

पृथ्वी की कल्पना करने में द्वीप समुद्र आदि का ध्यान करता हुआ स्वयं भूरमण समुद्र का ध्यान करके अपने को स्वयं भूरमण समुद्र जैसा शांत तथा गम्भीर बनाकर, उस समुद्र में रहे हुए कमल का ध्यान करे और उस कमल के मध्य की कर्णिका पर आत्मा को स्थित करे ।

अग्नि की कल्पना करने में यह माने कि पृथ्वी तत्त्व विषयक कमल की कर्णिका पर स्थित आत्मा, कर्म-मल को पवित्र भावना रूपी अग्नि से भस्म करने में समर्थ है ।

वायु की कल्पना करने में यह माने कि पवित्र भावना रूपी अग्नि द्वारा जलाए गए कर्म-मल की भस्मराशि

उड जाने पर आत्मा निर्मल और शुद्ध होता है ।

जल के विषय में जिस पर को भस्मराशि उड गई है, उस आत्म-तत्त्व को निर्मल रखने के लिये जलधार की कल्पना करे और उस जलधार से आत्मा पर लगे हुए भस्मकण धोकर आत्मा को शुद्ध करे ।

तत्त्व रूपवती की कल्पना में, निर्मल तथा ज्योतिर्मय आत्मा के स्वरूप का दर्शन करे ।

यह पिण्डस्थ ध्यान की बात हुई । आगे रूपस्थ ध्यान के विषय में कवि कहता है—

सर्व विभवयुत जान, जे ध्यावे अरिहन्त को ।

मन वमि करि सनि मान, ते पावे तिस भाव को ॥

अर्थात् - ज्ञानादि अनन्त चतुष्टय के धारक, अष्ट महा प्रातिहार्य, चौतीस अतिशय और बाणी के पैंतीस गुण-युक्त, इन्द्र तथा देवों के पूजनीय, ज्ञानवरणीय आदि घाती कर्म के नाशक, अनन्त केवलज्ञान रूप लक्ष्मी से युक्त अरिहन्त भगवान् के स्वरूप का ध्यान करके यह माना कि मेरी भी आत्मा ऐसी ही है । अन्तर केवल यही है कि अरिहन्त भगवान् ने आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश रोकने वाले कर्म रूपी आवरण को नष्ट कर दिया है, लेकिन मेरी आत्मा कर्ममल से आच्छादित है । उस कर्म-मल को हटा देने पर इस परमात्म-स्वरूप में और मेरे में कोई अन्तर नहीं है । इस प्रकार की भावना करते हुए, जीवनमुक्त-अजन्मा और नष्ट-पाप परमात्मा से तन्मयता साधना रूपस्थ ध्यान है ।

इति विगतविकल्पं क्षीणरागादिदोषं ।
 विदितसकलवेद्य त्यक्तविश्वप्रपञ्चम् ॥
 शिवमजमनवद्यं विश्वलोकैकनाथम् ।
 परमपुरुषमुच्चैर्भाविशुद्ध्या भजस्व ॥

अर्थात्—जिनके समस्त विकल्प मिट गए हैं, रागादि दोष क्षीण हो चुके हैं, जो समस्त पदार्थों को जानते हैं, जिनने जन्म-मरण का प्रवाह नष्ट कर दिया है, जो पाप-रहित हो गये हैं, जो समस्त लोक के नाथ होकर लोकाग्र पर स्थित हैं, उन रूपातीत सिद्ध भगवान् के स्वरूप का चिन्तन करके अपने को उसमें लीन कर दे, उनके स्वरूप से आत्मा की तुलना करता हुआ सत्ता की अपेक्षा से आत्मा को भी उनके समान जान कर आत्मा का वैसा ही रूप प्रकट करने के लिये उनके ध्यान में ललीन हो जाना रूपातीत ध्यान है ।

ऊपर बताये गये ध्यानो में रमण करने का नाम ही सामायिक है । ऐसे ध्यान के द्वारा आत्मा समभाव को प्राप्त होता है ।



सामायिक का उद्देश्य

सामायिक क्यों करनी चाहिए ? सामायिक का उद्देश्य क्या है ? इसके लिए कहा गया है कि —

समभावो सामादय, तराकचरण सत्तुमित्तविउसउत्ति ।

गिरभिस्सग चित्तं, उच्चिय पवित्ति पहाणारण ॥१॥

इस गाथा में कहा है कि समभाव की प्राप्ति अर्थात् तृण और कचन, शत्रु और मित्र पर राग-द्वेष रहित बनकर समभाव का प्राप्त करना ही सामायिक का उद्देश्य है किन्तु इस तरह का समभाव पूर्णतया तो तभी प्राप्त होता है, जब रागद्वेष का सर्वथा नाश हो जावे और रागद्वेष का पूर्णतया नाश तब प्राप्त होता है, जब वीतराग दशा प्रकट हो । जब तक रागद्वेष सर्वथा नष्ट नहीं हो जाता, तब तक वीतराग दशा प्रकट नहीं हो सकती और जब तक वीतराग दशा प्रकट नहीं होती है, तब तक रागद्वेष का सर्वथा नाश भी नहीं होता है, न पूर्ण समभाव की प्राप्ति ही होती है । वीतराग दशा प्रकट करने का मार्ग, आत्मा को शुल्कध्यान में लगा कर मोहकर्म की प्रकृतियों को उड़ाना और ग्यारहवे या बारहवें आदि गुणस्थान पर पहुंचाना है ।

यह प्रश्न होता है कि जब तक इस स्थिति पर न पहुंचा जाय, तब तक क्या करना चाहिए ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिये जैन सिद्धांत कहता है कि पूर्ण

समभाव तो वीतराग दशा प्रकट होने पर ही होगा, अतः वीतरागावस्था को ध्येय बनाकर, वह अवस्था प्राप्त करने के लिए क्रिया करते ही रहना चाहिए । क्रिया न करके केवल यह कह कर बैठ रहने से कि 'ज्ञानी महाराज ने ज्ञान में जैसा देखा होगा वैसा होगा, अथवा जब हमारी कपाय मन्द होकर चित्त शांत होगा तब करेंगे । कोई भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता । इस तरह के कथन का अर्थ तो यही हुआ कि हमारे किये कुछ भी नहीं होता है । लेकिन ऐसा मान बैठना जैन सिद्धांत को न समझना है । जिन लोगो को जैन सिद्धांत का थोडा भी अभ्यास है, वे तो यही मानेंगे कि हमें क्रिया अवश्य ही करनी चाहिए । यद्यपि होता तो वही है, जो अतिशय ज्ञानियो ने अपने ज्ञान में देखा है, लेकिन उन ज्ञानियो ने अपने ज्ञान में किन भावो को देखा है, इस बात का पता अल्पजो को नहीं हो सकता । इसलिए अल्पजो के लिये तो यही सिद्धांत मानना ठीक है कि जैसा हम करेंगे, वैसा ही होगा । शास्त्र में भी कहा है —

अप्पा कत्ता विकत्ता य दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मिसममित्त च दुप्पट्ठिओ सुपट्ठिओ ॥

(श्री उत्तराध्ययन सूत्र)

अर्थात् सन्मार्ग और कुमार्ग पर लगा हुआ अपना आत्मा ही सुख और दुख का कर्ता है, अपना प्रात्मा ही अपना मित्र और अमित्र (शत्रु) है ।

इस प्रकार आत्मा ही कर्ता तथा भोक्ता है । आत्मा

जैसा करता है, वैसा ही फल भोगता है। इसके लिये कहा है—

सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णा फला भवन्ति ।

दुच्चिण्णा कम्मा दुच्चिण्णा फला भवन्ति ॥

अर्थात् आत्मा जैसा शुभ या अशुभ कर्म करता है, वैसा ही शुभ या अशुभ फल भी भोगता है ।

किये हुए शुभाशुभ कर्म का फल भोगने में तो आत्मा का वश चलता भी है और नहीं भी चलता है, लेकिन कर्म करने में तो आत्मा स्वतन्त्र है। ऐसा होते हुए भी कई लोग कर्म या भाग्य की ओट ले लेते हैं, लेकिन ऐसा करना केवल अपनी कायरता को ढाँकने का प्रयत्न करना है। यदि आत्मा चाहे तो वह सब कुछ करने में समर्थ है तथा असाध्य को भी साध्य बना सकता है। इसलिए यही उचित है कि आत्मा को सावधान रख कर क्रिया की जावे। क्रिया करने का कोई ध्येय तो अवश्य ही होना चाहिए। आत्मकल्याण के लिये समभाव की प्राप्ति को ध्येय बना कर क्रिया करना ही श्रेष्ठ है। समभाव प्राप्त करने के लिये अभ्यास रूप जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया का नाम ही सामायिक है। सामायिक का स्वरूप बताने के लिये कहा गया है कि—

सावद्यकर्ममुक्तस्य, दुर्घ्यानिरहितस्य च ।

समभावो मुहूर्त्तं तद्, व्रत सामायिकाह्वयम् ॥

अर्थात्—सावद्य (पाप सहित) कर्म से मुक्त होकर, आत्मा को पतित करने वाले आर्त्त रौद्र ध्यान को दूर करके,

आत्मा को पवित्र बना कर मुहूर्त्त मात्र के लिये समभाव धारण करना ही सामायिक व्रत है ।

सामायिक ग्रहण करने के पाठ से भी सामायिक की यही व्याख्या ध्वनित होती है । सामायिक ग्रहण करने के पाठ में भी यह प्रतिज्ञा की जाती है कि—

करेमि भते सामाइय सावज्जं जोग पच्चक्खामि जाव नियम पज्जुवासामि, दुविह तिविहेण न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा कायसा, तस्स भते । पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ।

अर्थात् — (सामायिक ग्रहण करने वाला कहता है) हे भगवन् । मैं सामायिक व्रत ग्रहण करता हूँ और जितने समय के लिए मैं नियम करता हूँ, उतने समय के लिए सावद्य व्यापार (कार्य) का दो करण, तीन योग से त्याग करता हूँ । यानी मन-वचन काय के योग से न तो मैं स्वयं ही सावद्य कार्य करूँगा, न दूसरे से ही कराऊँगा । इतना ही नहीं, किन्तु सामायिक ग्रहण करने से पहले मैंने जो सावद्य अनुष्ठान किये हैं, उन सबकी वचन से निन्दा करता हूँ, मन से घृणा करता हूँ और उन कपायादि दुष्प्रवृत्तियों से अपनी आत्मा को हटाता हूँ ।

इस प्रकार सामायिक करने के लिए वे समस्त कार्य त्यागे जाते हैं, जो सावद्य (पापयुक्त) है, जिनके करने से पाप का बन्ध होता है और आत्मा में पापकर्म का स्रोत आता है ।

शात्रकारो ने पाप की व्याख्या करते हुए अठारह कार्यों में पाप बताया है । उन अठारह में से किसी भी कार्य को

करने पर कर्म का बन्ध होकर आत्मा भारी होता है और जो आत्मा कर्म के बोझ से भारी है, वह समभाव को प्राप्त नहीं कर सकता । जिन कार्यों से कर्म का बन्ध होकर आत्मा भारी होता है, थोड़े में उन पाप कार्यों का भी वर्णन किया जाता है ।

१ प्राणातिपात यानी जीवहिंसा—इस सम्बन्ध में प्रश्न होता है कि जीव तो शाश्वत है । जीव का अजीव न तो कभी हुआ है, न होता ही है और न होगा ही । फिर हिंसा किसकी होती है और पाप क्यों लगता है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि जीव का नाश तो कभी नहीं होता, परन्तु जीव ने अपना जीवत्व व्यक्त करने के लिए जो सामग्री एकत्रित की है, और जीव की जिस सामग्री को प्राण कहा जाता है, उस सामग्री को नष्ट करना या धक्का पहुचाना—यानी प्राण नष्ट करना या प्राण को आघात पहुचाना ही हिंसा है । इसके लिए कहा भी है कि—

‘प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

इसका भावार्थ यह है कि ऐसा विचार करना, ऐसी भाषा बोलना या ऐसा कार्य करना कि जिससे किसी भी प्राणी के प्राणों को आघात पहुचे वह हिंसा है और हिंसा ही ‘प्राणातिपात’ पाप है ।

२. मृपावाद—जो बात जैसी है या जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा न कह कर विपरीत कहना, बताना और वास्तविकता को छिपाना ‘मृपावाद’ है । ऐसा करने से कई

प्रकार के अनर्थ होते हैं, इसलिए यह भी पाप है ।

३. अदत्तादान—जो पदार्थ अपना नहीं किन्तु दूसरे का है, वह सचित्त अचित्त या मिश्र पदार्थ कुछ भी हो, उस पदार्थ को मालिक से छिपा कर गुप्त रीति से गहण करना चोरी है । अथवा दूसरे के अधिकार की वस्तु पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेना भी चोरी है । क्योंकि इससे उसकी आत्मा दुःख पाती है । इस तरह की चोरी 'अदत्तादान' नाम का पाप है ।

४. मैथुन—मोह दशा से विकल होकर स्त्री आदि मोहक पदार्थ पर आसक्त हो स्त्री-पुरुष का परस्पर वेद-जन्य चेष्टा करना (विकार मे प्रवृत्त होना) मैथुन है । 'मैथुन' मे फसे हुए लोग अकृत्य भी कर डालते हैं और आत्म-भाव को भूल जाते हैं । इसलिए 'मैथुन' भी पाप है ।

५. परिग्रह—किसी भी सचित्त अचित्त अथवा मिश्र पदार्थ के प्रति ममत्व रखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना, प्राप्त पदार्थ का संग्रह करना, उन्हें अपने अधिकार मे रखने की चेष्टा करना और उनके प्रति आसक्त रहना 'परिग्रह' है । परिग्रह के लिए अनेक अनर्थ किये जाते हैं । इसलिए यह भी पाप है ।

६. क्रोध---किसी निमित्त के कारण अथवा अकारण अपने या दूसरे के आत्मा को तप्त करना 'क्रोध' है । जब क्रोध होता है तब अज्ञानवश हिताहित नहीं सूझता है लेकिन क्रोधावेश मे किये गये कार्य के लिए फिर पश्चात्ताप होता

है । क्रोध, कलह का मूल है इसलिए 'क्रोध' भी पाप है ।

७. मान—दूसरे को तुच्छ और अपने आपको महान् मानना 'मान' है । मानी व्यक्ति ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग कर डालता है जिन्हें सुनकर दूसरे को बहुत दुःख होता है और दूसरे के हृदय में प्रति-हिंसा की भावना जागृत होती है । इसलिए 'मान' भी पाप है ।

८. माया—अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को ठगने और धोखा देने की जो चेष्टा की जाती है, उसे 'माया' कहते हैं । माया के कारण दूसरे प्राणी को कष्ट में पड़ना पड़ता है, इसलिए 'माया' भी पाप है ।

९. लोभ—हृदय में किसी चीज की अत्यधिक चाह रखने का नाम 'लोभ' है । लोभ ऐसा दुर्गुण है कि जिसके कारण सभी पापों का आचरण किया जा सकता है । दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि क्रोध, मान और माया से तो एक एक सद्गुण का ही नाश होता है, लेकिन लोभ सभी सद्गुणों को नष्ट करता है । इसी कारण 'लोभ' की गणना पाप में की गई है ।

१०. राग—किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति रूप प्रेम होने का नाम 'राग' है अथवा सुख की अनुसंगति को भी 'राग' कहते हैं । वास्तव में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है परन्तु जब उस वस्तु को अपनी मान लिया जाता है, तब उसके प्रति राग होता है और जहाँ राग है वहाँ सभी अनर्थ सम्भव हैं । इसलिए 'राग' को भी पाप में माना गया है ।

११. द्वेष—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल बात सुनकर

या कार्य अथवा पदार्थ देख कर जल उठना, उस बात, कार्य या पदार्थ को न चाहना और उस बात कार्य या पदार्थ को निशेष करने की भावना अथवा प्रवृत्ति करना द्वेष है। 'द्वेष' की गणना भी पाप में है।

१२. कलह--किसी भी अप्रशस्त सयोग के मिलने से मन में कुठकर वाग्युद्ध करना 'कलह' है। कलह से अपनी आत्मा को भी परिताप होता है और दूसरे को भी। इसलिए 'कलह' भी पाप है।

१३. अभ्याख्यान--किसी भी मनुष्य पर कोई बहाना पाकर दोषारोपण करना, कलङ्क चढ़ाना 'अभ्याख्यान' है, जो पाप है।

१४. पैशुन्य--किसी मनुष्य के सम्बन्ध में चुगली खाना, इधर की बात उधर लगाना 'पैशुन्य' है। 'पैशुन्य' की गणना भी पाप में है।

१५. परपरिवाद--किसी की बढ़ती न देख सकने के कारण उस पर सच्चा-भूठा द्वेषण लगा कर उसकी निन्दा करना 'परपरिवाद' है। यह भी पाप है।

१६. रति-अरति--निज स्वरूप को भूल कर परभाव में पड़ा हुआ, पुद्गलों में आनन्द मानने वाला व्यक्ति अनुकूल वस्तु की प्राप्ति से आनन्द और प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति से दुःख मानता है। यह 'रति-अरति' है, जो पाप है।

१७--मायामृषावाद--कपट संहित भूठ बोलना, यानी इस तरह चालाकी से बोलना या ऐसा व्यवहार करना कि प्रकट में सत्य दीखे परन्तु वास्तव में भूठ है और जिसको

दूसरा व्यक्ति सत्य तथा सरल मान कर नाराज न हो 'मायामृषा' है । आजकल जिसे पॉलिसी कहते हैं, वह पॉलिसी शास्त्र के शब्दों में मायामृषा है, जो पाप है ।

१८ मिथ्यादर्शनशल्य - तत्त्व में अतत्त्व-बुद्धि और अतत्त्व में तत्त्व-बुद्धि रखना, देव को कुदेव और कुदेव को देव, गुरु को कुगुरु और कुगुरु को गुरु, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानना या ऐसी बुद्धि रखना 'मिथ्यादर्शन-शल्य' रूप विपरीत मान्यता का पाप है ।

ये अठारहो पाप स्थूल रूप हैं । सूक्ष्म रूप तो बहुत गहन हैं । सामायिक ग्रहण करने के समय इन अठारहो पापों का त्याग किया जाता है ।

सामायिक दो तरह की होती है एक देशसामायिक दूसरी सर्वसामायिक । देशसामायिक ग्रहण करने वाला श्रावक अपने आवकाशानुसार समय के लिए उसी पाठ से सामायिक ग्रहण करता है जो पाठ ऊपर कहा गया है । सर्वसामायिक केवल वे ही लोग ग्रहण करते हैं या कर सकते हैं, जिन्हें सासारिक विषयो से घृणा हो गई है, चक्रवर्ती को प्राप्त होने वाले सुख के साधन तथा भोग्य पदार्थ भी जिन्हें नहीं ललचा सकते हैं, दुःख के पहाड़ भी जिन्हें क्षुब्ध नहीं कर सकते हैं और जो पौद्गलिक पदार्थ से सर्वथा निर्मम हो गए हैं । यद्यपि इस विषय में भी चार भंग हैं । कई लोग सर्वसामायिक ग्रहण करने के समय इस स्थिति पर पहुँचे हुए भी नहीं होते हैं, किन्तु दुःख अथवा किसी प्रलोभन के कारण उत्पन्न वैराग्य से सर्व विरति

सामायिक स्वीकार कर लेते हैं और फिर ज्ञान होने पर उक्त स्थिति पर पहुंच जाते हैं । इसलिए यही कहा जा सकता है कि सर्व-सामायिक वे ही लोग ग्रहण करने के योग्य है जिनमे उक्त योग्यता विद्यमान हो या होने की सम्भावना हो । सर्व-सामायिक वही ग्रहण करता है और सर्व-सामायिक ग्रहण करने का पाठ भी वही पढता है जो गृहस्थावस्था त्याग कर दीक्षा ग्रहण करता हो । सर्व सामायिक ग्रहण करने वाला अठारह पापों का यावज्जीवन के लिए त्याग करता है और देश-सामायिक ग्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी सुविधानुसार एक, दो, चार, पांच या अधिक मुहूर्त के लिए । यह भेद काल की अपेक्षा से हुआ । भाव की अपेक्षा सर्व-सामायिक ग्रहण करने वाला व्यक्ति अठारह पापो का तीन योग से त्याग करता है और देश सामायिक ग्रहण करने वाला दो करण, तीन योग से त्याग करता है । गुहस्थ श्रावक गृहस्थावस्था से पृथक् नही हो गया है, इस कारण उससे अनुमोदन का पाप नही छूट सकता । इसलिए वह दो करण और तीन योग से ही पाप का त्याग करता है । यानि यह प्रतिज्ञा करता है कि इतने समय के लिए मैं मन वचन और काय द्वारा न तो कोई पाप करूंगा ही और न कराऊंगा ही । इसके विरुद्ध सर्व-सामायिक स्वीकार करने वाला सामायिक ग्रहण करने के समय यह प्रतिज्ञा करता है कि मैं जीवन भर मन, वचन, काय द्वारा न तो कोई पाप करूंगा, न कराऊंगा और न किसी पाप का अनुमोदन ही करूंगा यानि सर्व-सामायिक स्वीकार करने वाला व्यक्ति पाप के अनुमोदन का भी त्याग करता है ।

दोनों प्रकार की सामायिक का उद्देश्य तो यही है

कि जो आत्मा अनादिकाल से विषय-कषाय में फंस कर पापपूर्ण कार्य करने के कारण कर्मों के लेप से भारी हो रहा है, उसको इन कार्यों के त्याग और समभाव की प्राप्ति द्वारा हल्का किया जावे । देश या सर्व सामायिकपूर्ण समभाव प्राप्त करने का अनुष्ठान है । लेकिन अनुष्ठान तभी सफल होता है, जब वह विधिपूर्वक किया जावे और आत्मा एकाग्र होकर उस अनुष्ठान को करे । अनुष्ठान तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक चित्त में एकाग्रता न हो और चित्त तभी एकाग्र हो सकता है, जब उसको स्थिर किया जावे तथा इन्द्रियो में चंचलता न रहे । इसलिए सामायिक करने वाले मुमुक्षु को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए और यह पता लगाते रहना चाहिए कि मेरे मन की चंचलता मिटी है या नहीं और इन्द्रिया विषयलोलुप होकर विषयो की ओर दौड़ती तो नहीं है ! सामायिक मन और इन्द्रियो की चंचलता मिटाने का अर्थ्यास है । अतः सामायिक की शुद्धता और सफलता तभी समझनी चाहिए, जब इन्द्रिया विषयो की ओर आकर्षित न हो और मन इधर-उधर न दौड़े । चाहे जैसे मुहावने शब्द या गान-वाद्य हो अथवा चाहे जैसे कठोर एव कर्कश शब्द हो, उनको मुनकर कान न तो हर्षित हो और न व्याकुल ही हो । सामने चाहे जैसा सुन्दर या भयकर रूप आवे, आखे उस रूप को देख कर न तो प्रसन्नता माने न व्यथित या भयभीत हो । इसी प्रकार जब पांचो इन्द्रिया अनुकूल विषय की ओर आकर्षित न हो, प्रतिकूल विषय से घृणा न करे, तथा मन में भी ऐसे समय पर रागद्वेष न आवे किन्तु समतोल रहे, तब समझना कि हमारी सामायिक शुद्ध है एव हमारी साधना सफलता की ओर बढ़ रही है । यदि इसके विरुद्ध प्रवृत्ति हो तो उस

दशा में सावना-अनुष्ठान का सफल होना कठिन है । इस लिए सामायिक करने वाले को इन्द्रियों और मन की चंचलता मिटाने तथा प्रत्येक दशा में समाधिभाव रखने का प्रयत्न करना चाहिए और इसी बात को अपना लक्ष्य बना कर इस लक्ष्य की ओर अधिक से अधिक बढ़ते जाना चाहिए । ऐसा करने पर सामायिक-क्रिया के द्वारा कभी पूर्ण समभाव भी प्राप्त किया जा सकता है और आत्मा पूर्णता को पहुँच सकता है । जब आत्मा में पूर्ण समभाव होगा तब आत्मा जीवन-मुक्त होकर परमात्मा बन जायेगा ।

इन्द्रियों और मन की चंचलता एकदम से नहीं मिट सकती । इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है । जब इन्द्रिया अपने विषयो की ओर आकर्षित हो और अपने साथ मन को भी उस ओर घसीटने लगे, तब इन्द्रियो को रोकने के लिए ज्ञान-ध्यान आदि शुभ एवं प्रशस्त क्रिया का अवलम्बन लेना चाहिए । ऐसा करने पर इन्द्रिया विषयो की ओर जाने से रुक जायेगी और मन भी रुक जायेगा । छद्मस्थ जीवों के मन वचन के योग का निरोध स्थायी रूप से नहीं हो सकता । श्री प्रज्ञापनादि सूत्रों से भगवान् महावीर ने मन-वचन के योग की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त की बताई है । छद्मस्थ जीवों के मन और वाणी के परमाणु अन्तर्मुहूर्त्त से अधिक समय तक एक स्थिति में नहीं रह सकते । वे तो पलटते ही रहते हैं । गीता में भी मन की दुर्दमता के विषय में कहा है—

चंचल हि मनः कृष्ण ! प्रमाथि वलवद् दृढम् ।
तस्याह निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥

अर्थात्—हे कृष्ण ! मन बड़ा ही चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला एवं दृढ़ है । इसलिए उसे वश में करना वैसा ही दुष्कर जान पड़ता है, जैसा दुष्कर वायु को वश में करना है ।

अर्जुन के इस कथन के उत्तर में कृष्ण ने कहा—

असंशय महाबाहो ! मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ॥

अर्थात्—हे महाबाहु ! निःसन्देह मन चंचल और दुर्निग्रह है परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से उस को भी वश में किया जा सकता है ।

सामायिक करना मन को वश में करने का अभ्यास है । इसलिए समभाव प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि वह मन को ऐसे प्रशस्त कामों में लगावे कि जिससे वह इन्द्रियों के साथ विषयो की ओर न दौड़े और न इन्द्रिया ही विषय-लोलुप हो । इसके लिए सामायिक ग्रहण किए हुए व्यक्ति को निकम्मा न बैठना चाहिए, न सासारिक प्रपच की बातों में ही लगना चाहिए । निकम्मा बैठना, उधर-उधर की सासारिक प्रपचपूर्ण अथवा विषय-विकार से भरी हुई और ऐसी बात करना जिनसे अपने या दूसरे के हृदय में रागद्वेष बढे, सामायिक का उद्देश्य भूलना है और जब उद्देश्य ही विस्मृत कर दिया जायेगा तब क्रिया सफल कैसे हो सकती है ? इसलिए सामायिक के समय ऐसे सब कार्य त्याग कर सूत्र सिद्धान्त का अध्ययन-मनन करना चाहिए, तत्त्वों का विचार करना चाहिए अथवा जिनका ध्यान-स्मरण

करने से परमपद की प्राप्ति हो सकती है, उन प्राप्त महा-पुरुषों की भक्ति और उन महापुरुषों के गुणानुवाद में मन लगा देना चाहिए। ऐसा करने पर आत्मा समभाव के समीप पहुँचेगा।

मन को स्थिर करने के लिए शास्त्रकारों ने पाँच प्रशस्त साधन बताये हैं। वे पाँच साधन इस प्रकार हैं—वाचना, पूछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म-कथा। इन पाँचों का रूप थोड़े में बताया जाता है।

१—वाचना से मतलब है प्रशस्त साहित्य का पढ़ना। प्रशस्त साहित्य वही है जो सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी अर्हन्त भगवान् का कहा हुआ प्रवचन हो और जिसे सर्व अक्षर सन्निपातो गणधरो ने सूत्र रूप में गूथा हो। ऐसे ही साहित्य के आधार से निर्मित ग्रन्थों की गणना भी प्रशस्त साहित्य में है।

इस व्याख्या के अनुसार यह प्रश्न होता है कि क्या ऐसे साहित्य के सिवा शेष साहित्य प्रशस्त नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जावेगा कि जिसकी दृष्टि सम है, जिसको सच्चे तत्त्व का बोध है उसके लिए सभी साहित्य प्रशस्त हो सकता है, ऐसा नन्दीसूत्र में कहा है। समदृष्टि और सच्चे तत्त्व को जानने वाला व्यक्ति जिस साहित्य को भी देखेगा, उस साहित्य में से तत्त्व निकाल कर उस तत्त्व का सम्यक् परिणाम ही करेगा। लेकिन ऐसी शक्ति प्राप्त वाक्य ही प्रदान करते हैं, इसीलिए जिसे प्राप्त वचन का बोध है, वही व्यक्ति दूसरे साहित्य से लाभ

उठा सकता है । जिसको आप्त वचन का बोध नहीं है, वह व्यक्ति यदि दूसरा साहित्य देखेगा तो लाभ के बदले हानि ही उठायेगा ।

२—मन को स्थिर करने का दूसरा साधन 'पूछना' है । आप्त-साहित्य के वाचन से हृदय में तर्क-वितर्क का उत्पन्न होना स्वाभाविक है । क्योंकि आप्त वाक्य अनन्त आणय वाले हैं, छद्मस्थ व्यक्ति उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता । इसलिए हृदय में उत्पन्न तर्क-वितर्क के विषय में विशेष ज्ञानी से पूछ-ताछ करके समाधान किया जाता है ।

३—तीसरा साधन 'पर्यटना' है । जो जानकारी प्राप्त की है जो ज्ञान मिला है, उसे हृदयंगम करने के लिए उस ज्ञान का बार-बार चिंतन करना, पर्यटना है । जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण नहीं हटता है, तब तक प्राप्त ज्ञान भी नहीं टिकता । इसलिए प्राप्त ज्ञान का पुनः पुनः आवर्तन अथवा पारायण करते रहना चाहिए । सामायिक से पर्यटना करने से चित्त स्थिर रहता है और आत्मा पर-भाव में नहीं जाता है ।

४—चौथा साधन प्राप्त ज्ञान के बाह्य रूप से ही सन्तुष्ट न होकर उसके भीतरी तत्त्व की खोज करना 'अनु-प्रेक्षा' है । यानि प्राप्त ज्ञान से मुझे क्या बोध लेना चाहिए, इस बात को दृष्टि में रख कर प्राप्त ज्ञान के अन्तस्तल तक पहुंचने का प्रयत्न करना और अनुभव बढ़ाना अनुप्रेक्षा है । बाह्य ज्ञान की अपेक्षा अनुभूत ज्ञान महा निर्जरा और सम-भाव को समीप करने वाला है । कहा है—

मन वच तन थिरते हुए, जो सुख अनुभव मांय ।
इन्द्र नरेन्द्र फरोन्द्र के, ता समान सुख नांय ॥
(शांति प्रकाश)

५—धर्मकथा—उक्त चारों साधनों द्वारा आत्मा जो अनुभव प्राप्त करती है, उस अनुभव का दूसरे को लाभ देना, लोगों को हिताहित का बोध करा कर धर्म के सम्मुख करना और पतित होने से बचाना धर्मकथा है ।

उक्त पांचों साधन इन्द्रिय और मन का निग्रह करके समाधि भाव में प्रवर्तने के लिए प्रशस्त हैं । सामायिक ग्रहण किये हुए व्यक्ति को इन्हीं साधनों का सहारा लेना चाहिए, जिससे सामायिक ग्रहण करने का उद्देश्य, आत्मा को पूर्ण समाधि भाव में स्थित करना सफल हो ।



सामायिक से लाभ

अब यह देखते हैं कि सामायिक करने से क्या लाभ होता है ? क्योंकि जब तक कार्य का फल ज्ञात नहीं होता, तब तक कार्य के प्रति रुचि नहीं होती और बिना रुचि का कार्य पूर्णता तक नहीं पहुंचता । इसलिए यह जानना आवश्यक है कि सामायिक करने से लाभ क्या होता है ?

सामायिक से क्या लाभ होता है, यह बताने के लिए श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २९वें अध्ययन में गुरु-शिष्य के संवाद रूप से प्रश्नोत्तर किया गया है कि—

प्रश्न—सामाइएण भते । जीवे किं जग्यइ ?

उत्तर - सामाइएणं सावज्जजोगविरइ जग्यइ ।

इस प्रश्नोत्तर में शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् ! सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ? शिष्य के इस प्रश्न के उत्तर में गुरु ने कहा कि सामायिक से जीव को सावद्य योग यानी पाप-प्रवृत्ति से दूर होने रूप महाफन की प्राप्ति होती है ।

इस प्रश्नोत्तर में गीतार्यं गुरु ने जो उत्तर दिया, उसे

उन महा प्रज्ञावान् शिष्य नै समझ लिया होगा, लेकिन साधारण लोगों की समझ में तो उक्त उत्तर तभी आ सकता है, जब उसका कुछ विशेष स्पष्टीकरण किया जावे । गुरु ने सामायिक का फल बताते हुए न तो देव-भव सम्बन्धी सुख का प्राप्त होना कहा है, न लब्धि आदि किसी सिद्धि का ही मिलना बताया है, जिसे इसी लोक में प्रत्यक्ष किया जा सके । इसलिए इस उत्तर का स्पष्टीकरण होना और भी आवश्यक है ।

कार्य का फल देखने के लिए पहले यह देखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है ? हम सामायिक किस उद्देश्य से करते हैं ? आत्मा अनादिकाल से पौद्गलिक सुख से परिचित हो रहा है और इस कारण पौद्गलिक सुख के साधन ही एकत्रित करता है, वैसे ही वैसे उन साधनों के साथ लगी हुई चिन्ता से घिर कर अधिक दुःखी होता जाता है । सामायिक ऐसे दुःख से छूटने के लिए ही की जाती है । वास्तव में पौद्गलिक साधनों में सुख होता तो छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्तियों को ऐसे साधनों की क्या कमी हो सकती है, जो वे ऐसे साधनों को त्याग कर निकले ? इससे यही स्पष्ट है कि पौद्गलिक साधनों में सुख नहीं है । इसलिए सामायिक इस प्रकार के साधन प्राप्त करने के लिए नहीं की जाती है किन्तु जिस प्रकार बन्धन से जकड़ा हुआ आत्मा, ज्ञान होने पर बन्धनमुक्त होने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार इस संसार की उपाधि से मुक्त होने के लिए ही सामायिक की जाती है । ऐसी दशा में सामायिक के फल स्वरूप इहलौकिक या पारलौकिक सुख सम्पदा चाहना या सामायिक के फल के सम्बन्ध में ऐसी कल्पना करना भी

सर्वथा अनुपयुक्त है । किसी आदमी ने शारीरिक सुख के लिए वढिया-वढिया वस्त्र पहन रखें हो, लेकिन उन वस्त्रों के कारण गर्मी लगने लगे और घवराहट होने लगे तब शांति तभी हो सकती है, जब वे वस्त्र उतार कर अलग कर दिये जावे । इसके विरुद्ध यदि अधिक वस्त्र शरीर पर लाद लिए गये तो उस दशा में गर्मी या घवराहट भी नहीं मिट सकती, न शान्ति ही हो सकती है । इसी के अनुसार जिन पौद्गलिक सयोगों के कारण आत्मा भारी हो रहा है, उन्हीं सयोगों में अधिक फसने पर आत्मा को शांति नहीं मिल सकती । शांति तो उनका त्याग करने पर ही मिल सकती है ।

कहना यह है कि सामायिक का फल इहलौकिक या पारलौकिक नहीं है, किन्तु सामायिक का फल निर्जरा अथवा रागद्वेष रहित समभाव की प्राप्ति है । श्री दशवैकालिक सूत्र के नवें अध्यायन के चौथे उद्देशक में यह स्पष्ट कहा गया है कि आत्मकल्याण के लिए किये जाने वाले अनुष्ठान इहलौकिक सुख, पारलौकिक ऋद्धि या कीर्ति श्लाघा, महिमा आदि के लिए नहीं, किन्तु केवल निर्जरा के लिए ही होने चाहिए । यही बात सामायिक के लिए भी है । आत्मा के लिए जो जो असमाधि के कारण हैं, उन सासारिक उपाधियों से छूटने के लिए ही सामायिक की जाती है । इसलिए सामायिक का फल ऐसी उपाधियों के कारण होने वाली पाप प्रवृत्ति का त्याग ही है । यह फल बहुत अश में सामायिक ग्रहण करते ही प्रत्यक्ष हो जाता है । अर्थात् जिस समय सामायिक ग्रहण की जाती है, उसी समय आध्यात्मिक सुख में बाधक प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाता है और

समाधि का अनुभव होने लगता है। सासारिक उपाधियों का छूटना ही सम-भाव है और सम-भाव की प्राप्ति ही सामायिक का फल है।

इस प्रकार सामायिक का फल तत्काल प्राप्त होता है। यदि सामायिक ग्रहण करते ही उक्त फल न मिला, समभाव न हुआ, आत्मा विषय-कषाय की आग से जलता ही रहा, पौद्गलिक सुखों की लालसा न मिटी तो समझना कि अभी न तो हम विधिपूर्वक सामायिक ही ग्रहण कर सके हैं, न हमें सामायिक का फल ही मिला है। जिस सामायिक का तात्कालिक फल प्राप्त नहीं हुआ है, उसका परम्परा पर प्राप्त होने वाला फल भी कैसे मिल सकता है? शास्त्रकारों ने स्पष्ट ही कह दिया है कि इस आत्मा ने द्रव्य सामायिक बहुत की है और रजोहरण मुखवस्त्रिका आदि उपकरण भी इतने धारण किये तथा त्यागे हैं कि एकत्रित करने पर उनका ढेर पर्वत की तरह हो सकता है, फिर भी उन सामायिकों या उपकरणों से आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। इस असफलता का कारण सामायिक के तात्कालिक फल का न मिलना ही है। जिस सामायिक का तात्कालिक फल मिलता है, उसका परम्परा-फल भी मिलता है और जिसका तात्कालिक फल नहीं मिलता, उसका परम्परा से भी फल नहीं मिलता।

लोग सामायिक के फल स्वरूप पौद्गलिक सुख चाहते हैं। यानि इस भव में धन, जन, प्रतिष्ठा आदि और पर-भव में इन्द्र अहमिन्द्रादि पद प्राप्त होने की इच्छा करते हैं। यदि यह मिला तब तो सामायिक आदि धर्म करणी को

सफल समझते हैं अन्यथा निष्फल मानते हैं । इस प्रकार के विपरीत फल चाहने के कारण ही आत्मा अब तक सामायिक के वास्तविक फल से वंचित रहा है । यदि अब भी आत्मा की भावना ऐसी ही रही यानि आत्मा सामायिक के फल स्वरूप इसी तरह की सांसारिक सम्पदा चाहता रहा तो आत्मा उस आध्यात्मिक लाभ से वंचित रहेगा ही, जिसके सामने ससार की समस्त सम्पदा तुच्छ है । सामायिक के वास्तविक फल की तुलना में सांसारिक सम्पदा किस प्रकार तुच्छ है, यह बताने के लिए भगवान् महावीर के समय की एक घटना का वर्णन किया जाता है ।

एक समय मगधाधीश महाराजा श्रेणिक ने श्रमण भगवान् महावीर से अपने भावी भव के सम्बन्ध में पूछा । वीतराग भगवान् महावीर को राजा श्रेणिक की प्रसन्नता श्रप्रसन्नता की कोई अपेक्षा न थी । इसलिए राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने राजा श्रेणिक से कहा कि—राजन् ! यहां का आयुष्य पूर्ण करके तुम रत्नप्रभा पृथ्वी यानी प्रथम नरक में उत्पन्न होओगे । राजा श्रेणिक ने भगवान् से फिर प्रश्न किया कि प्रभो ! क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि जिससे मैं नरक की यातना से बच सकू ? भगवान् ने उत्तर दिया कि उपाय तो अवश्य हैं लेकिन ये उपाय तुम कर न सकोगे । जब श्रेणिक ने भगवान् से उपाय बताने के लिए आग्रह किया तब भगवान् ने उसे ऐसे चार उपाय बताये, जिनमें से किसी भी एक उपाय के करने पर भी वह नरक जाने से बच सकता था । उन चार उपायों में के एक उपाय पूनिया श्रावक की सामायिक खरीद लेना था ।

महाराजा श्रेणिक पूनिया श्रावक के पास जाकर उससे बोले-भाई पूनिया ! तुम मुझ से इच्छानुसार धन ले लो और उसके बदले मे मुझे अपनी सामायिक दे दो । राजा के इस कथन के उत्तर मे पूनिया श्रावक ने कहा—सामायिक का क्या मूल्य हो सकता है, यह मैं नहीं जानता हूँ । इसलिए जिनने आपको मेरी सामायिक लेना बताया है, आप उन्ही से सामायिक का मूल्य जान लीजिए ।

राजा श्रेणिक फिर भगवान् महावीर की सेवा मे उपस्थित हुआ । उसने भगवान् को पूनिया श्रावक का कथन सुना कर पूछा कि पूनिया श्रावक की सामायिक का क्या मूल्य हो सकता है ? भगवान् ने राजा श्रेणिक से पूछा-तुम्हारे पास इतना सोना है कि जिसकी छप्पन पहाडिया बन जावें, परन्तु इतना धन तो सामायिक का दलाली के लिए भी पयाप्त नहीं है, फिर सामायिक का मूल्य कहा से दोगे ? भगवान् का यह कथन सुन्कर राजा श्रेणिक चुप हो गया ।

यह घटना इसी रूप मे घटी हो या दूसरे रूप में अथवा कथानक की कल्पना मात्र ही हो, किन्तु बताना यह है कि सामायिक के फल के सामने सांसारिक सम्पदा तुच्छ है, फिर वह कितनी और कैसी भी क्यों न हो ?

सामायिक की सफलता-निष्फलता को सामायिक करने वाला स्वय ही जान सकता है । कोई निन्दा करे या प्रशंसा करे, गाली दे या धन्यवाद दे, मारे-पीटे या छाया करे, धन हरण करे या प्रदान करने लगे, फिर भी अपने मन मे

किसी भी प्रकार का विषम भाव न लावे, रागद्वेष न होने दे, किसी को प्रिय अप्रिय न माने, हृदय में हर्ष शोक न होने दे, किन्तु अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही स्थितियों को समान माने, दुःख से छूटने या सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करे । यह माने कि ये पौद्गलिक संयोग-वियोग आत्मा से भिन्न हैं और आत्मा इनसे भिन्न हैं । इस संयोग वियोग से न तो आत्मा का हित ही हो सकता है न अहित ही । ऐसा सोच कर जो समभाव में स्थिर रहते हैं, उन्हीं की सामायिक सफल है । इस प्रकार जिनमें आत्मदृढता है, वे ही सामायिक को सफल बना सकते हैं । इसके विरुद्ध जिनकी आत्मा कमजोर है, वे लोग थोड़ा दुःख होते ही घबरा कर और थोड़ा सुख होते ही प्रसन्न होकर सामायिक के ध्येय को भूल जाते हैं । वे सामायिक को सफल बना सकते । जिनकी आत्मा दृढ है, वे लोग यह भावना रखते हैं कि—

होकर सुख में मग्न न फूलू, दुःख में कभी न घबराऊँ ।
 पर्वत नदी शमशान भयकर, अटवी से नहिं भय खाऊँ ॥
 रहूँ सदा अडोल अकम्पित, यह मन दृढतर बन जावे ।
 इष्ट वियोग, अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे ॥

जो इस प्रकार की भावना रखता है और ऐसी भावना को कार्यान्वित करता है, वही प्रत्येक स्थिति में समभावी रह सकता है और सामायिक का फल प्राप्त करता है ।

यह तो हुई सामायिक का फल जानने की बात । किन्तु सामायिक करने वाले को सत्सार में अपना

वाह्य व्यवहार भी ऐसा रखना चाहिए कि जिससे जनता में भी सामायिक का फल प्राप्त होना जाना जा सके। इसके लिए उन कामों से सदा बचे रहना चाहिए, जो आत्मा में विषम-भाव उत्पन्न करते हैं। यद्यपि संसार-व्यवहार में रहे हुए व्यक्ति के लिए हिंसा, झूठ आदि का सर्वथा त्याग करना कठिन है फिर भी सामायिक करने वाले श्रावक का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं अन्य समय में भी हिंसा, झूठ आदि से जितना भी बच सकूँ, उतना ही अच्छा है। इस बात को लक्ष्य में रख कर श्रावक को उन कामों से सदा बचे रहना चाहिए, जिनसे इस लोक में अपकीर्ति होती है और परलोक बिगड़ता है।

कई लोग समझते हैं कि 'हम संसार-व्यवहार में चाहे जो कुछ करें, हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप कार्य का कितना भी आचरण करें, सामायिक कर लेने पर वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हम पाप-मुक्त हो जाते हैं। संसार-व्यवहार तो पापपूर्ण ही है। पाप किये बिना संसार-व्यवहार चल ही नहीं सकता।' इस तरह समझने के कारण कई लोग कृत पाप से मुक्ति पाने के लिए ही सामायिक करते हैं किन्तु पाप-कार्य का त्याग आवश्यक नहीं मानते हैं। लेकिन इस तरह की समझ वाले लोगों ने सामायिक करने का उद्देश्य ही नहीं समझा है और न उन्हें सामायिक का फल ही ज्ञात हुआ है। ज्ञानियों का कथन है कि जो लोग कृत-पाप से मुक्ति पाने के लिए सामायिक करते हैं अर्थात् पाप-कार्य का त्याग न करके सामायिक द्वारा पाप के फल से बचना चाहते हैं, वे लोग वास्तव में सामायिक नहीं करते हैं, किन्तु धर्मठगाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार से धर्म का

अपमान कराते हैं और सामायिक का महत्त्व घटाते हैं । इतना ही नहीं किन्तु वे लोग अपने को अधिक पाप में फंसाते हैं । सामायिक से पाप नष्ट हो जाते हैं या पाप का फल नहीं भोगना पडता, ऐसी मान्यता वाले लोग पाप-कर्म करने की ओर से निर्भय हो जाते हैं और पुनः पुनः पाप करते हैं । इसलिए इस तरह की मान्यता त्याज्य है । सामायिक करने वाले का उद्देश्य पाप-कार्य से सदा वचते रहना ही होना चाहिए । उसकी भावना यह रहनी चाहिए कि सामायिक के समय ही नहीं, किन्तु ससार व्यवहार के समय भी मुझे आत्मा को विस्मृत न होने देना चाहिए और यदि मुझे आरम्भादि में प्रवृत्त होना पड़े तो उन कार्यों में गृद्धि या मूर्छा न रख कर इस तरह का विवेक रखना चाहिए कि जिसमें आस्रव के स्थान पर भी सवर उपजे । जो लोग ऐसी भावना रखते हैं और ऐसी भावना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं, उन्ही का सामायिक करना सफल है और उन्होने सामायिक करने का उद्देश्य भी समझा है । जिसमें इस तरह की भावना नहीं है, अथवा जो ऐसी भावना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं करता है, उसने सामायिक का उद्देश्य भी नहीं समझता है, न उसकी सामायिक ही सफल हो सकती है । ऐसे व्यक्ति का सामायिक करना, केवल प्रशसा या प्रतिष्ठा अथवा धर्म-ठगार्ड के लिए या स्वार्थ-साधन के लिए चाहे हो, सामायिक के वास्तविक फल के लिए नहीं है ।

कई पूर्वाचार्य, सामायिक के फल स्वरूप कई पल्योपम या सागरोपम के नरक का आयुष्य टूटना और देवता का आयुष्य वधना बताते हैं । किसी अपेक्षा से यह बात ठीक

भी हो सकती है, लेकिन इस फल की कामना के बिना जो सामायिक की जाती है, उसका फल बहुत ज्यादा है । इस-लिए सामायिक इस तरह के पारलौकिक फल की कामना रख कर करना ठीक नहीं है. किन्तु इसलिए करनी चाहिए कि मेरा आत्मा सदा जागृत रहे और पाप से बचा रहे । जिस प्रकार घड़ी में एक वार चाबी देने पर वह किसी नियत समय तक बराबर चला करती है, इसी तरह सामायिक करने वाले को भी एक वार सामायिक करने के पश्चात् पाप कर्म से सदा बचते रहना चाहिए तथा ससार व्यवहार में भी समाधि भाव रखना चाहिए, किसी पारलौ-किक या इहलौकिक फल की लालसा न करनी चाहिए । ऐसे फल की लालसा से सामायिक का महत्त्व घट जाता है । इसके विरुद्ध जो सामायिक ऐसे फल की लालसा के के बिना केवल आत्मशुद्धि के लिए ही की जाती है, उसका महत्त्व बहुत अधिक है ।



सामायिक कैसी हो ?

सामायिक इस तरह करनी चाहिए कि जिससे दूसरे के हृदय में सामायिक के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो और दूसरे लोग सामायिक करने के लिए उद्यत हों। सामायिक करने के लिए सबसे पहले भूमिका की शुद्धि होना आवश्यक है। यदि भूमि शुद्ध होती है तो उसमें बोया हुआ बीज भी फल-दायक होता है। इसके विरुद्ध जो भूमि शुद्ध नहीं है, उसमें बोया गया बीज भी सुन्दर और सुस्वादु फल नहीं दे सकता। इसके अनुसार सामायिक के लिए भी भूमिका की शुद्धि आवश्यक है। सामायिक के लिये चार प्रकार की शुद्धि आवश्यक है। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। इस शुद्धि के साथ जो सामायिक की जाती है, वही सामायिक पूर्ण फलदायिनी हो सकती है। इन चारों तरह की शुद्धि की भी थोड़े में व्याख्या की जाती है।

१. द्रव्य शुद्धि—सामायिक के लिए जो द्रव्य—जैसे भण्डोपकरण, वस्त्र, पुस्तक आदि आवश्यक हैं, उनका शुद्ध होना जरूरी है। भण्डोपकरण यानी मुहपत्ती, आसन, रजो-हरण, (पूजनी) माला (मुमरनी) आदि ऐसे हो, जिनसे किसी प्रकार की अयतना न हो। ये उपकरण जीवों की यतना (रक्षा) के उद्देश्य से ही रखे जाते हैं, इसलिए ऐसे होने चाहिए कि जिनके द्वारा जीवों की यतना हो सके।

कई लोग सामायिक में ऐसे आसन रखते हैं जो रुवें वाले या सिले हुए होते हैं, अथवा सुन्दरता के लिए रग-विरगे टुकड़ों को जोड़ कर बनाये गए होते हैं। ऐसे आसन का भली-भाँति प्रतिलेखन नहीं हो सकता। इसलिए आसन ऐसा होना ही अच्छा है जो साफ हो, बिना सिला हुआ एक ही टुकड़े का हो, बहुरंगा न हो, न विकारोत्पादक भड़कीला ही हो, किन्तु सादा हो। इसी प्रकार पूंजनी और माला भी सादी तथा ऐसी होनी चाहिए कि जिनसे जीवों की यतना हो, किन्तु अयतना न हो। कई लोगों के पास ऐसी पूजनिया होती हैं, जो केवल शोभा के लिए ही होती हैं, जिनसे सुविधापूर्वक पूजा नहीं जा सकता। इस तरह के उपकरण शुद्ध नहीं कहे जा सकते। पूजनी सादी होनी चाहिए तथा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे भली-भाँति पूजा जा सके। इसी तरह माला भी ऐसी हो कि जिसे फिराने पर किसी तरह अयतना न हो। वस्त्र भी सादे एवं स्वच्छ होने चाहिए। ऐसे चमकाले भड़कोले न होने चाहिए कि जिनसे अपने या दूसरे के चित्त में किसी प्रकार की अशांति हो, न ऐसे गन्दे ही हो कि जिनके कारण दूसरे को घृणा हो अथवा जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो। पुस्तकें भी ऐसी हो जो आत्मा की ज्योति को प्रदीप्त करें। जिनसे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होता हो, ऐसी पुस्तकें न होनी चाहिए।

२. क्षेत्र शुद्धि - क्षेत्र से मतलब उस स्थान से है, जहाँ सामायिक करने के लिए बैठना है, या बैठा है। ऐसा स्थान भी शुद्ध होना आवश्यक है। जिस स्थान पर बैठने से विचार-धारा टूटती हो, चित्त में चंचलता आती हो,

अधिक स्त्री-पुरुष या पशु-पक्षी का आवागमन अथवा निवास हो, विषय-विकार उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हो, दृष्टि में विकार आता हो, या क्लेश उत्पन्न होने की सम्भावना हो, उस स्थान पर सामायिक करने के लिए बैठना ठीक नहीं है। सामायिक करने के लिए वही स्थान उपयुक्त हो सकता है, जहाँ चित्त स्थिर रह सके, आत्मचित्तन किया जा सके। गुरु महाराज या स्वधर्मी बन्धुओं का सामीप्य हो, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो सके। इस तरह के स्थान पर सामायिक करना क्षेत्र-शुद्धि है। आत्मा को उच्च दशा में पहुँचाने वाले साधनों में क्षेत्र शुद्धि भी आवश्यक है।

३ काल शुद्धि—काल का मतलब है—समय। समय का विचार रख कर जो सामायिक की जाती है, वह सामायिक निर्विघ्न और शुद्ध होती है। समय का विचार न रख कर सामायिक करके बैठने पर सामायिक में अनेक प्रकार के सकल्प विकल्प होते हैं और चित्त शान्त नहीं रहता है। इसलिए सामायिक का काल भी शुद्ध होना चाहिए।

४ भाव शुद्धि - भाव शुद्धि से मतलब है मन, वचन और काय की एकाग्रता। मन, वचन, काय के योग की एकाग्रता जिन दोषों से नष्ट होती है, उन दोषों का त्याग करना, भाव शुद्धि है। भाव शुद्धि के लिए उन दोषों को जानना और उनसे वचना आवश्यक है जो दोष मन, वचन, काय के योग की एकाग्रता भंग करते हैं।

इन चारों तरह की शुद्धि के साथ ही सामायिक

बत्तीस 'दोषों' से रहित होनी चाहिए । किन् कार्यों से 'सामायिक दूषित' होती है और कौन से दोष सामायिक का 'महत्त्व' घटाते हैं, यह नीचे बताया जाता है ।

अविवेक जस्सो कित्ती-लाभत्थी, गव्व-भय नियाणत्थी ।
संसय रोस अविणउ अबहुमाणए दोसा भणियव्वा ॥

१. अविवेक—सामायिक के सम्बन्ध में विवेक न रखना । कार्य के औचित्य-अनौचित्य अथवा समय-असमय का ध्यान न रखना 'अविवेक' नाम का पहिला-दोष है ।

२ यशकीर्ति—सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा, अथवा मेरी प्रतिष्ठा होगी, समाज में मेरा आदर होगा, या लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे आदि विचार से सामायिक करना 'यश-कीर्ति' नाम का दूसरा दोष है ।

३. 'लाभार्थ'—धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना 'लाभार्थ' नाम का तीसरा दोष है । जैसे इस विचार से 'सामायिक करना कि सामायिक करने से व्यापार में अच्छा लाभ होता है, 'लाभार्थ' नाम का दोष है ।

४ 'गर्व'—सामायिक के सम्बन्ध में यह अभिमान करना कि मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरी तरह या मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है, या मैं कुलीन हूँ आदि गर्व करना 'गर्व' नाम का चौथा दोष है ।

५. भय—किसी प्रकार के भय के कारण जैसे राज्य, पक्ष या लेनदार आदि से बचने के लिए सामायिक करके बैठ जाना 'भय' नाम का पाचवाँ दोष है ।

६. निदान—सामायिक का कोई भीतिक-फल चाहना, 'निदान' नाम का छठा दोष है। जैसे—यह सकल्प करके सामायिक करना कि मुझे 'अमुक पदार्थ' या सुख मिले, अथवा सामायिक करके यह चाहना कि यह मैंने जो सामायिक की है, उसके फल स्वरूप मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो 'निदान' दोष है।

७ सन्देह—सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना 'सन्देह' नाम का सातवां दोष है। जैसे यह सोचना कि मैं जो सामायिक करता हूँ, मुझे उसका फल मिलेगा या नहीं अथवा मैंने इतनी सामायिक की फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिला आदि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना, 'सन्देह' नाम का सातवां दोष है।

८ कपाय—राग द्वेषादि के कारण सामायिक में क्रोध, मान, माया, लोभ करना 'कपाय' नाम का आठवां दोष है।

९ अविनय—सामायिक के प्रति विनय-भाव न रखना अथवा सामायिक में देव, गुरु, धर्म की आसातना करना, उनका विनय न करना 'अविनय' नाम का नवां दोष है।

१० अवहुमान—सामायिक के प्रति जो आदरभाव होना चाहिए, उस आदरभाव के बिना किसी दवाव से या किसी प्रेरणा से वेगारी की तरह सामायिक करना, 'अवहुमान' नाम का दसवां दोष है।

ये दसो दोष मन के द्वारा लगते हैं। इन दस दोषों से बचने पर सामायिक के लिए मन—शुद्ध होती है और

मन एकाग्र रहता है ।

कुक्षयण सहसाकारे सच्छन्द संक्षेप कलहं च ।

विगहा वि हासोऽशुद्ध निरवेकखो मुरामुणा दोसा दस ॥

१ कुवचन—सामायिक में कुत्सित वचन बोलना 'कुवचन' नाम का दोष है ।

२ सहसाकार—बिना विचारे सहसा (निश्चयात्मक) इस तरह बोलना कि जिससे दूसरे को हानि हो और सत्य-भंग हो तथा व्यवहार में अप्रतीति हो, 'सहसाकार' नाम का दोष है ।

३ सच्छन्द—सामायिक में ऐसे गीत गान, जिनसे अपने या दूसरे में कामवृद्धि हो, 'सच्छन्द' दोष है ।

४ संक्षेप—सामायिक के पाठ या वाक्य को संक्षिप्त करके बोलना 'संक्षेप' दोष है ।

५ कलह—सामायिक में कलहोत्पादक वचन बोलना, 'कलह' दोष है ।

६ विकथा—बिना किसी सदुद्देश्य के स्त्री-कथा आदि चार विकथा करना, 'विकथा' दोष है ।

७ हास्य—सामायिक में हंसना, कीतूहल करना अथवा व्यंग पूर्ण शब्द बोलना, 'हास्य' दोष है ।

८ अशुद्ध—सामायिक का पाठ जल्दी-जल्दी शुद्धि का ध्यान रखे बिना बोलना या अशुद्ध बोलना, 'अशुद्ध' दोष है ।

९ निरपेक्ष—सामायिक में बिना सावधानी रखे बोलना

‘निरपेक्ष’ दोष है ।

१० मुम्मन—सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करना किन्तु गुनगुन बोलना ‘मुम्मन’ दोष है ।

ये दस दोष वचन सम्बन्धी हैं । इन दस दोषों से वचना वचन-शुद्धि है ।

कुआसनं चलासणं चलद्विष्टी,
सावज्ज किरिया लंबणा कुंचण पसारणं ।
निद्दा वेयावच्चति वारस काय दोसा ॥

१. कुआसन—कुआसन से बैठना जैसे पांव पर पाव चढाना आदि ‘कुआसन’ दोष है ।

२. चलासन—स्थिर आसन न बैठ कर बार-बार आसन बदलना, ‘चलासन’ दोष है ।

३. चल दृष्टि—दृष्टि को स्थिर न रखना, बार-बार इधर-उधर देखना ‘चल दृष्टि’ दोष है ।

४ सावद्य क्रिया—शरीर से सावद्य क्रिया करना, इशारा करना, घर की रखवाली करना, ‘सावद्य क्रिया’ दोष है ।

५. आलम्बन—विना किसी कारण के दीवाल आदि का सहारा लेकर बैठना, ‘आलम्बन’ दोष है ।

६ अकुंचन पसारन—विना प्रयोजन ही हाथ-पाव फैलाना समेटना, ‘अकुंचन पसारन’ दोष है ।

७ आलस्य—सामायिक में बैठे हुए आलस्य मोडना, ‘आलस्य’ दोष है ।

८. मोडन—सामायिक में बैठे हुए हाथ-पैर की उंगलियां चटकाना 'मोडन' दोष है ।

९. मल-दोष—सामायिक में बैठे हुए शरीर-पर-से मल उतारना 'मल' दोष है ।

१०. विमासन—गले में हाथ लगा कर शोक-ग्रस्त की तरह बैठना, अथवा विना पूंजे शरीर खुजलाना या चलना 'विमासन' दोष है ।

११ निद्रा—सामायिक में बैठे हुए निद्रा लेना, 'निद्रा' दोष है ।

१२. वैयावृत्य अथवा कम्पन—सामायिक में बैठे हुए निष्कारण ही दूसरे से वैयावृत्त कराना 'वैयावृत्य' दोष है और स्वध्याय करते हुए घूमना याती हिलना या शीत-उष्ण के कारण कापना 'कम्पन' दोष है ।

ये द्वाऱह दोष काय के है । इन दोषों को टालने-से कायशुद्धि होती है । मन, वचन और काय के दोष ऊपर बताये गये हैं, इन सब से वचना भाव-शुद्धि है । द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की शुद्धि से सामायिक के लिए शुद्ध भूमिका तैयार होती है । विशुद्ध-भूमिका में पडा हुआ बीज ही नीरोग अकुर देता है और जो वृक्ष नीरोग है, वही फलद्रूम होता है ।

सामायिक की भूमिका की विशुद्धि के पश्चात् सामायिक ग्रहण करने की विधि का भी पूरी तरह-पालन होना चाहिए । सामायिक ग्रहण करने के लिए तत्पर व्यक्ति को

अपने शरीर पर एक धोती और एक ओढ़ने का वस्त्र, इन दो वस्त्रों के सिवाय और कोई वस्त्र न रखना चाहिए। सिले हुए वस्त्र जैसे कोट, कुर्ता आदि और सिर पर जो वस्त्र हो, चाहे वह टोपी हो, पगड़ी हो, या साफा हो, त्याग देना चाहिए यानी उतार कर अलग रख देना चाहिए। पश्चात् सामायिक के लिए उपयोगी उपकरण जैसे रजोहरण मुख-वस्त्रिका और आसन आदि ग्रहण करके, उस भूमि को प्रमार्जित करना चाहिए, जहा बैठ कर सामायिक करना है। भूमि प्रमार्जन करके प्रमार्जित भूमि पर आसन बिछा, मुंहपत्ती बाध लेनी चाहिए और फिर नमस्कार मन्त्र का स्मरण करना चाहिए। नमस्कार मन्त्र का स्मरण करने के पश्चात् गुरु महाराज को वन्दन करके उनसे सामायिक करने की आज्ञा मागनी चाहिए।

यह सब हो जाने पर सामायिक करने से पहिले जीवों की अपने द्वारा जो विराधना हुई है, उसका ईरियापथिक पाठ द्वारा स्मरण करना चाहिए और विशेष स्मरण करने के लिए कायोत्सर्ग करना चाहिए। कायोत्सर्ग का उद्देश्य, कायोत्सर्ग करने को विधि और कायोत्सर्ग में रहने पर शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं के होने पर भी कायोत्सर्ग अभंग रहने के लिए, कायोत्सर्ग के नियमों का स्मरण 'तस्स उत्तरी' पाठ द्वारा करके यह प्रतिज्ञा करे कि मेरा कायोत्सर्ग तद तक अभंग रहे, जब तक मैं 'अरिहन्त भगवान् को नमस्कार रूप' वाक्य न बोलूँ। 'तस्स उत्तरी' पाठ पूर्ण होते ही, कायोत्सर्ग करके उन दोषों को विशेष रूप से स्मरण करके आलोचना करे, जो जीवों की विराधना से हुए हो।

कायोत्सर्ग समाप्त होने पर आत्मा को शुद्ध दशा में—

सामायिक के समय चित्त स्थिर रखने में समर्थ होते हैं ।

सामायिक में चित्त स्थिर रखने के लिए खान-पान और रहन-सहन का शुद्ध होना भी आवश्यक है । इसलिए भूमिका शुद्ध करके सामायिक करने पर भी जब कभी सामायिक में चित्त न लगे, तब अपने खान-पान और रहन-सहन की आलोचना करके, चित्त स्थिर न रहने के कारण की खोज करनी चाहिए और उस कारण को मिटाना चाहिए । खान-पान और रहन-सहन की छोटी-सी अशुद्धि भी चित्त को अस्थिर बना देती है । यह बताने के लिए एक कथित घटना का उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक न होगा ।

एक धर्मनिष्ठ श्रावक था । वह नियमित रूप से सामायिक किया करता था और इसके लिए उन सब नियमोपनियमों का भली प्रकार पालन करता था, जिनका पालन करने पर शुद्ध रीति से सामायिक होती है, अथवा सामायिक करने का उद्देश्य पूरा होता है ।

एक दिन वह श्रावक, नित्य की तरह सामायिक करने के लिए बैठा । नित्य तो उसका चित्त सामायिक में लगता था परन्तु उस दिन उसके चित्त की चंचलता न मिटी । उसने अपने चित्त को स्थिर करने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ । वह सोचने लगा कि आज ऐसा कौनसा कारण हुआ है, जिससे मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है किन्तु इधर-उधर भागा ही फिरता है ? इस तरह सोच कर उसने अपने सब कार्यों की आलोचना की, अपने खान-पान की आलोचना की किन्तु उसे ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जो सामायिक में चित्त को स्थिर न रहने दे ! अन्त में उसने विचार किया कि मैं अपनी पत्नी से तो पूछ

देखूँ कि उसने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके कारण मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है। इस तरह विचार कर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज सामायिक में मेरा चित्त अस्थिर रहा, स्थिर नहीं हुआ। मैंने अपने कार्य एवं खानपान की आलोचना की, फिर भी ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जिससे चित्त में अस्थिरता आवे। क्या तुमसे कोई ऐसा कार्य हुआ है, जिसका प्रभाव मेरे खान-पान पर पड़ा हो और मेरा चित्त सामायिक में अस्थिर रहा हो।

उम श्रावक की पत्नी भी धर्मपरायणा श्राविका थी। पति का कथन सुनकर उसने भी अपने सब कार्यों की आलोचना की। पश्चात् वह अपने पति से कहने लगी कि मुझसे दूसरी तो कोई ऐसी श्रुति नहीं हुई है, जिससे आपके खान-पान में दूषण आवे और आपका चित्त सामायिक में न लगा हो परन्तु मेरे घर में आज आग नहीं थी। मैं भोजन बनाने के लिए चूल्हा सुलगाने के वास्ते पड़ोसिन के घर के द्वार पर पहुंची, तब मुझे याद आया कि मैं आग ले जाने के लिए कुछ लाई नहीं, फिर आग किसमें ले जाऊंगी? मैं आग लाने के लिए कड़ा ले जाना भूल गई थी। पड़ोसिन के द्वार पर कुछ कंडे पड़े हुए थे। मैंने सहज भाव से उन कडों में से एक कड़ा उठा लिया और पड़ोसिन के यहा के उस कडे को भी मैंने भोजन बनाते समय चूल्हे में जला दिया। पड़ोसिन के घर से मैं बिना पूछे जो कड़ा लाई थी, वह कड़ा चोरी या वे-हक का था। इसलिए ही सकता है कि मेरे इस कार्य के कारण ही आपका चित्त सामायिक में न लगा हो, क्योंकि उस कडे

को जला कर बनाया गया भोजन आपने भी किया था ।

पत्नी का कथन सुन कर श्रावक ने कहा—वस ठीक है ! उस कंडे के कारण ही आज मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगा क्योंकि वह कड़ा अन्यायोपाजित था । अन्यायोपाजित वस्तु या उसके द्वारा बनाया गया भोजन जब पेट में हो तब चित्त स्थिर कैसे रह सकता है ? अब तुम पड़ोसिन को एक के बदले दो कण्डे वापस करो, उससे क्षमा मागो और इस पाप का प्रायश्चित्त करो । श्राविका ने ऐसा ही किया । यह कथानक या घटना ऐसे ही घटी हो या रूपक मात्र हो इसका मतलब तो यह है कि जो शुद्ध सामायिक करना चाहता है, उसको अपना खान-पान और रहन-सहन भी शुद्ध रखना चाहिए और जब भी सामायिक में चित्त न लगे, अपने खान-पान और रहन-सहन की आलोचना करके अशुद्धि मिटानी चाहिए । जिस व्यक्ति का आहार-विहार शुद्ध है तो चित्त स्थिर अवश्य रहेगा लेकिन यदि शुद्ध नहीं है तो उस दशा में सामायिक में चित्त स्थिर कैसे रह सकता है ?

सामायिक में बैठे हुए व्यक्ति को शांत और गम्भीर भी रहना चाहिए । साथ ही सब के प्रति सम-भाव रखना चाहिए, चाहे किसी के द्वारा अपनी कौसी भी हानि क्यों न हुई हो या क्यों न हो रही हो । सामायिक में बैठा हुआ श्रावक इस पंचम आरे में भी किस प्रकार समभाव रखता है तथा भौतिक पदार्थ की हानि से अपना चित्त अस्थिर नहीं होने देता है, यह बताने के लिए एक घटना का वर्णन किया जाता है, जो सुनी हुई है ।

दिल्ली में एक जौहरी श्रावक सामायिक करने के लिए बैठा। सामायिक में बैठते समय उसने अपने गले में पहना हुआ मूल्यवान कण्ठा उतार कर अपने कपडों के साथ रख दिया था। वहाँ पर एक दूसरा श्रावक भी उपस्थित था। उस दूसरे श्रावक ने जौहरी श्रावक को कण्ठा निकाल कर रखते देखा था। जब वह जौहरी श्रावक सामायिक में था तब उस दूसरे श्रावक ने जौहरी के कपडों में से वह कण्ठा निकाला और जौहरी को कण्ठा बता कर उससे कहा—'मैं यह कण्ठा ले जाता हूँ।' यह कह कर वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता के लिए तबल दिया। यद्यपि वह कण्ठा मूल्यवान था और जौहरी श्रावक के देखते हुए बल्कि जौहरी श्रावक को बताकर वह दूसरा श्रावक कण्ठा ले जा रहा था, फिर भी जौहरी श्रावक सामायिक से विचलित नहीं हुआ। यदि वह चाहता तो उस दूसरे श्रावक को कण्ठा ले जाने से रोक सकता था, अथवा हो-हल्ला करके उसको पकड़वा सकता था लेकिन यदि वह ऐसा करता तो उसकी सामायिक भी दूषित होती और सामायिक लेते समय उसने जो प्रत्याख्यान किया था, वह भी टूटता। जौहरी श्रावक दृढ़ निश्चयी था, इसलिए कण्ठा जाने पर भी वह सामायिक में समभाव प्राप्त करता रहा।

सामायिक करके जौहरी श्रावक अपने घर आया। उस समय भी उसको कण्ठा जाने का खेद नहीं था। उसके घर वालों ने उसके गले में कण्ठा न देख कर, उससे कण्ठे के लिए पूछा भी कि कण्ठा कहा गया? लेकिन उसने घर वालों को भी कण्ठे का पता नहीं बताया। उनसे यह भी नहीं कहा कि मैं सामायिक में बैठा हुआ था, ...

सोंठ लेने गये है । वह आदमी श्रावक को पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर, बाजार में जाकर श्रावक की खोज करने लगा, परन्तु उसे श्रावक का पता न मिला । वह फिर श्रावक के घर आया और उसने श्रावक को पुत्र-वधू से कहा कि सेठजो बाजार में तो नहीं मिले, वे कहा गये हैं ? श्रावक को पुत्र-वधू ने उत्तर दिया—अब वे मोची-बाजार में जूना-पहनने गये हैं । वह आदमी फिर श्रावक की खोज में गया, परन्तु श्रावक वहां भी नहीं मिला । इसलिए लौट कर उसने फिर श्रावक को पुत्र-वधू से कहा - वे तो मोची बाजार में भी नहीं मिले ! मुझे उनसे एक आवश्यक कार्य है, इसलिए, ठीक बता दो कि वे कहाँ गये है । पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे सामायिक में हैं ।

वह आदमी बैठ गया । श्रावक को सामायिक समाप्त हुई । सामायिक पाल कर उसने उस आदमी से बातचीत की और फिर अपनी पुत्र-वधू से कहने लगा कि-तुम जानती थी कि मैं सामायिक में बैठा था, फिर भी तुमने उस आदमी को सच्ची बात न बता कर व्यर्थ के चक्कर क्यों दिए ? श्वसुर के इस कथन के उत्तर में वधू ने नम्रता-पूर्वक कहा—मैंने जैसा देखा, उस आदमी से वैसा ही कहा । आप शरीर से तो सामायिक में बैठे थे, लेकिन आपका चित्त पसारी और मोची के यहां गया था या नहीं ?

पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर, उस श्रावक ने अपनी भूल स्वीकार की और भविष्य में सावधान रह कर सामायिक करने की प्रतिज्ञा की ।

यह कथा कल्पित है या वास्तविक है, यह नहीं कहा

जा सकता । इसके द्वारा बताना यह है कि निश्चय नय वाले द्रव्य सामायिक को सामायिक नहीं मानते, किन्तु उसी सामायिक को सामायिक मानते हैं जो मन, वचन, काय को एकाग्र रख कर उपयोग सहित की जाती है और जिसमें आत्म-भाव में तल्लीनता होती है । ऐसी सामायिक से ही आत्म-कल्याण भी होता है और ऐसी सामायिक का ही लोगो पर प्रभाव भी पडता है, यानी धर्म और सामायिक के प्रति लोगो के हृदय में श्रद्धा होती है ।

सामायिक व्रत के अतिचार

सामायिक व्रत के पांच अतिचार हैं, मन दुष्प्रणिधान, वचन-दुष्प्रणिधान, कार्यदुष्प्रणिधान, सामायिक मति-भ्रंश और सामायिकानवस्थिति ।

(१) मन का सामायिक के भावों से बाहर प्रवृत्ति करना, मन को सांसारिक प्रपंचों में दौडाना और अनेक प्रकार के सांसारिक कार्य विषयक संकल्प-विकल्प करना, मन-दुष्प्रणिधान नाम का अतिचार है ।

(२) सामायिक के समय विवेक-रहित कटु, निष्ठुर व असम्य वचन बोलना, निरर्थक या सावद्य वचन कहना, वचन-दुष्प्रणिधान है ।

(३) सामायिक में शारीरिक चपलता दिखलाना, शरीर से कुचेष्टा करना, बिना कारण शरीर को फैलाना, सिकोड़ना या असावधानी से चलना, कार्यदुष्प्रणिधान है ।

(४) मैंने सामायिक की है, इस बात को भूल जाना कितनी सामायिक ग्रहण की है, यह विस्मृत कर देना अथवा सामायिक करना ही भूल जाना, सामायिक मति-भ्रंश है ।

(५) सामायिक से ऊवना, सामायिक का समय पूरा

हुआ या नहीं, इस बात का बार-बार विचार लाना या सामायिक का समय पूर्ण होने से पहिले ही सामायिक समाप्त कर देना, सामायिकानवस्थिति है । यदि सामायिक का समय पूर्ण होने से पहिले जान-बूझ कर सामायिक समाप्त की जाती है, तब तो अनाचार है लेकिन 'सामायिक का समय पूर्ण हो गया होगा' ऐसा विचार कर समय पूर्ण होने से पहिले ही सामायिक समाप्त कर दे तो अतिचार है ।

इन पाचो अतिचारो को जान कर इनसे बचने पर ही सामायिक व्रत का पूरी तरह पालन हो सकता है ।



देशावकाशिक व्रत

श्रावक के वारह व्रतों में से दसवा और शिक्षा व्रतों में से दूसरा व्रत देशावकाशिक है। श्रावक अहिंसादि पांच अणुव्रतों को प्रशस्त बनाने और उनमें गुण उत्पन्न करने के लिए दिक् परिमाण तथा उपभोग-परिभोग परिमाण नाम के जो व्रत स्वीकार करता है, उनमें वह अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार जो मर्यादा रखता है, वह जीवन भर के लिए होती है। यानि दिक् व्रत और उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत जीवन भर के लिए स्वीकार किये जाते हैं और इसलिए इन व्रतों को स्वीकार करते समय जो मर्यादा (छूट) रखी जाती है वह भी जीवन भर के लिए होती है। लेकिन श्रावक ने व्रत लेते समय जो मर्यादा रखी है, अर्थात् आवागमन के लिए जो क्षेत्र रखा है तथा भोग्योपभोग्य के लिए जो पदार्थ रखे हैं, उन सब का उपयोग वह प्रति दिन नहीं करता है। इसलिए एक दिन रात के लिए उस मर्यादा को भी घटा देना, आवागमन के क्षेत्र और भोग्योपभोग्य पदार्थ को मर्यादा को कम कर देना ही देशावकाशिक व्रत है। स्थानाङ्ग सूत्र के चतुर्थ स्थान के तीसरे उद्देशे में टीकाकार इस व्रत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं—

देशे दिग्ब्रतग्रहीतस्य दिक्परिमाणस्य विभागोऽवका-
 ष्वस्थानमवतारो विषयो तस्य तद्देशावकाशं तदेव देशावका-

शिकम् दिग्ब्रतग्रहीतस्य दिक्परिमाणस्य प्रतिदिनं संक्षेप करण लक्षणो वा ।

अर्थात्—दिक् ब्रत धारण करने में जो अवकाश रखा है, उसको प्रति दिन संक्षेप करने का नाम देशावकाशिक ब्रत है ।

इस पर से यह प्रश्न होता है कि उक्त टीका में तो दिक्परिमाण ब्रत में रखी गई मर्यादा घटाने को ही देशावकाशिक ब्रत कहा गया है । उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थ की मर्यादा घटाने का विधान इस जगह नहीं है । फिर दिक् ब्रत और उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत, इन दोनों में रखी गई मर्यादा घटाने का विधान क्यों किया जाता है ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए वृत्तिकार कहते हैं:—

दिग्ब्रत संक्षेपकरणमणुब्रताऽऽदिसंक्षेपकरणम्याप्युप-
लक्षणं दृष्टव्यं तेषामपि संक्षेपस्यावश्यं कर्तव्यत्वात् ।

अर्थात्—देशावकाशिक ब्रत में दिक् ब्रत की मर्यादा का संक्षेप करना मुख्य है, लेकिन उपलक्षण से अन्य अणु-ब्रतों को भी अवश्य संक्षेप करना चाहिए, ऐसा वृद्ध पुरुष प्रतिपादन करते आये हैं ।

इस कथन से स्पष्ट है कि जिस ब्रत में जो मर्यादा रखी गई है, उन सभी मर्यादाओं को घटाना, आवश्यकता में अधिक रखी हुई मर्यादा को परिमित कर डालना ही देशावकाशिक ब्रत है । उदाहरण के लिए चौथे अणुब्रत में स्वदार विषयक जो मर्यादा रखी गई है, उनको भी घटाना । इसी प्रकार पांचवें और सातवें ब्रत में रखी गई मर्यादा भी घटाना । इस प्रकार ब्रत स्वीकार करते समय जो मर्यादा

रखी गई है, उस मर्यादा को घटा डालना, यही देशावकाशिक व्रत है ।

अब यह बताया जाता है कि इस देशावकाशिक व्रत को स्वीकार करने का उद्देश्य क्या है ।

विवेकी श्रावक की सदा यह भावना रहा करती है कि 'वे लोग धन्य हैं, जिन्होंने अनित्य, अशाश्वत एवं अनेक दुःख के स्थान रूप गृहवास को त्याग कर संयम ले लिया है । मैं ऐसा करने के लिए अभी सशक्त नहीं हूँ, इसी से गार्हस्थ्य जीवन विता रहा हूँ । फिर भी मुझसे जितना हो सके, मैं गृहवास में रहता हुआ भी त्याग-मार्ग को अपनाऊँ ।' इस भावना के कारण श्रावक ने 'व्रत स्वीकार करते समय जो मर्यादा रखी है उस मर्यादा को भी वह घटाता है, जो अवकाश रखा है उसे भी संक्षेप करता है और इसी के लिए व्रत को स्वीकार करता है ।

श्रावक के लिए प्रति दिन चौदह नियम चिन्तन करने की जो प्रथा है, वह प्रथा इस देशावकाशिक व्रत का ही रूप है । उन चौदह नियमों का जो प्रतिदिन विवेकपूर्वक चिन्तन करता है, उन नियमों के अनुसार मर्यादा करता है तथा मर्यादा का पालन करता है, वह सहज ही महा लाभ प्राप्त कर लेता है । ग्रन्थों में वे नियम इस प्रकार कहे गए हैं—

सचित्त द्रव्य विगर्ह, पत्रो ताम्बुल वत्थ कुसुमेषु ।

वाहण सयण विलेपण, वम्भ दिशि नाहण भत्तेषु ॥

अर्थात्—१-सचित्त वस्तु, २-द्रव्य, ३-विगय, ४-जूते, खडाऊ, ५-पान, ६-वस्त्र, ७-पुष्प, ८-वाहन, ९-शयन, १०-विलेपन, ११-ब्रह्मचर्य, १२-दिक्, १३-स्नान और १४ भोजन ।

१ सचित्त—पृथ्वी, पानी, वनस्पति, फल-फूल, सुपारी, इलायची, वादाम, घान्य-बीज आदि सचित्त वस्तुओ का यथाशक्ति त्याग अथवा यह परिमाण करे कि मैं इतने द्रव्य और इतने वजन से अधिक उपयोग मे न लूँगा ।

२ द्रव्य—जो पदार्थ स्वाद के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार से तैयार किये जाते हैं, उनके विषय मे यह परिमाण करे कि आज मैं इतने द्रव्य से अधिक द्रव्य उपयोग मे न लूँगा । यह मर्यादा खान-पान विषयक द्रव्यों की की जाती है ।

३-विगय—शरीर मे विकृति उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय कहते हैं । दूध, दही, घृत, तेल और मिठाई ये पाच सामान्य विगय हैं । इन पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सके, उतने का करे अथवा मर्यादा करे कि आज मैं अमुक-अमुक पदार्थ काम मे न लूँगा अथवा अमुक पदार्थ इतने वजन से अधिक काम मे न लूँगा ।

मधु और मक्खन ये दो विशेष विगय हैं । इनका निष्कारण उपयोग करने का त्याग करे और सकारण उपयोग करने की मर्यादा करे ।

मद्य एवं मांस ये दो महा विगय है । श्रावक को इन दोनों का सर्वथा त्याग करना चाहिए ।

४ पद्मी—पाव की रक्षा के लिए जो चीजें पहनी जाती हैं, जैसे-जूते, मीजे, खडाऊ, बूट आदि इनकी मर्यादा करे ।

५ ताम्बूल—जो वस्तु भोजनोपरान्त मुखशुद्धि के

लिए खाई जाती है, उनकी गणना ताम्बूल में है, जैसे-पान, सुपारी, इलायची, चूरन आदि । इनके विषय में भी मर्यादा करे ।

६ वस्त्र—पहनने, ओढने के कपड़ों के लिए यह मर्यादा करे कि अमुक जाति के इतने वस्त्र से अधिक वस्त्र काम में न लूंगा ।

७ कुसुम—सुगन्धित पदार्थ, जैसे-फूल, इत्र, तेल व सुगन्धादि के विषय में भी मर्यादा करे ।

८ वाहन—हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाड़ी, ताँगा, मोटर, रेल, नाव, जहाज आदि सवारी के साधनों की (चाहे वे साधन स्थल के हो अथवा जल या आकाश के हो) यह मर्यादा करे कि मैं अमुक-अमुक वाहन के सिवाय आज और वाहन काम में न लूंगा ।

९ शयन—शैया, पाट, पाटला, पलंग, विस्तर आदि के विषय में मर्यादा करे ।

१० विलेपन—शरीर पर लेपन किए जाने वाले द्रव्य जैसे—केसर, चन्दन, तेल, साबुन, अजन-मजन आदि के सम्बन्ध में प्रकार एवं भार की मर्यादा करे ।

११ ब्रह्मचर्य—स्थूल ब्रह्मचर्य यानी स्वदार-सन्तोष, परदार-विवर्जन रूप व्रत स्वीकार करते समय जो मर्यादा रखी है, उसका भी यथाशक्ति सकोच करे, पुरुष पत्नी-संसर्ग के विषय में और स्त्री पति-संसर्ग के विषय में त्याग अथवा मर्यादा करे ।

१२ दिशि—दिक्परिमाण व्रत स्वीकार करते समय आवागमन के लिए मर्यादा में जो क्षेत्र जीवन भर के लिए रखा है, उस क्षेत्र का भी सकोच करे तथा यह मर्यादा करे कि आज मैं इतनी दूर से अधिक दूर ऊर्ध्व, अधः या तिर्यक् दिशा में गमनागमन न करूंगा।

१३ स्नान - देश या सर्व स्नान के लिए भी मर्यादा करे कि आज इससे अधिक न करूंगा। शरीर के कुछ भाग को घोना देश स्नान है और सब भाग का घोना सर्व स्नान कहा जाता है।

१४. भत्ते—भोजन, पानी के सम्बन्ध में भी मर्यादा करे कि मैं आज इतने परिमाण से अधिक न खाऊंगा, न पीऊंगा। ये चौदह नियम देशावकाशिक व्रत के ही अन्तर्गत हैं। इन नियमों से व्रत विषयक जो मर्यादा रखी गई है उसका सकोच होता है और श्रावकपना भी सुशोभित होता है।

कई लोग इन चौदह नियमों के साथ असि, मसि और कृषि इन तीनों को और मिलाते हैं। ये तीनों कार्य आजीविका के लिए किये जाते हैं। आजीविका के लिए जो कार्य किये जाते हैं, उनमें से पन्द्रह कर्मदान का तो श्रावक को त्याग होता ही है, शेष जो कार्य रहते हैं, उनके विषय में भी प्रतिदिन मर्यादा करे।

१ असि—शस्त्र, औजारादि के द्वारा परिश्रम करके अपनी जीविका की जाय, उसे 'असि' कर्म कहा जाता है।

२. मसि—कलम, दावात कागज के द्वारा लेख या गणितकला का उपयोग किया जाय, उसे 'मसि' कर्म कहा जाता है ।

३. कृपि—खेती के द्वारा या उन पदार्थों का क्रय-विक्रय करके आजीविका की जाय उसको 'कृपि' कर्म कहा जाता है । उपर्युक्त तीनों विषयों में श्रावकोचित्त कार्य की मर्यादा रख कर शेष का त्याग करे ।



देशावकाशिक व्रत की दूसरी व्याख्या

जिस प्रकार नियमों का चिन्तन करके और प्रत्येक नियम के विषय में मर्यादा करके स्वीकृत व्रतों में जो मर्यादा रखी गई है, उसको द्रव्य और क्षेत्र से संकोच किया जाता है, उसी प्रकार पाच अणुव्रतों में काल की मर्यादा नियत करके एक दिन-रात के लिए श्राद्ध सेवन का त्याग करना भी देशावकाशिक व्रत है। इस तरह के त्याग को वर्तमान समय में दया या छः काया कहा जाता है। दया या छः काया करने के लिए, श्राद्ध द्वार के सेवन का एक दिन-रात के वास्ते त्याग करके विरतिपूर्वक घर्म-स्थान में रहा जाता है। ऐसी विरति, त्यागपूर्ण जीवन विताने के लिए अभ्यास रूप है। दया या छः काया रूप व्रत उपवास करके भी किया जा सकता है और उपवास करने की शक्ति न हो तो आयुर्विल आदि करके भी किया जा सकता है। रसहीन भोजन न किया जा सके तो एकाशना करके भी किया जा सकता है। कारणवश ऐसा कोई तप न हो सके तो एक से अधिक द्वार भोजन करके भी किया जा सकता

है । ❀ लेकिन दया या छ काया व्रत करके जितना भी तप और त्यागपूर्वक रहा जावे, उतना ही अच्छा है ।

दया या छ. काय-व्रत स्वीकार करने के लिए किये जाने वाले प्रत्याख्यान, जितने करण और योग से चाहे, उतने करण व योग से कर सकते हैं । कोई दो करण तीन योग से पांच आस्रव द्वार के सेवन करने का त्याग करते हैं । यानी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मन, वचन और काय से पांच आस्रव द्वारों का सेवन न करूंगा, न दूसरे से कराऊंगा । इस तरह की प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति, प्रतिज्ञा करने के पश्चात् जितने समय तक के लिए प्रतिज्ञा ली है उतने समय तक, न तो स्वय ही व्यापार, कृषि या दूसरे आरम्भ, समारम्भ के कार्य कर सकता है, न अन्य से कह कर ही करवा सकता है । लेकिन इस तरह की प्रतिज्ञा करने वाले के लिए जो वस्तु बनी है, उस वस्तु का उपयोग

❀ कई लोग दया या छ: काया करके भी रसनेन्द्रिय पर संयम नहीं रखते हैं, किन्तु उस दिन विशेष सरस और पौष्टिक भोजन करते हैं । अन्य दिनों की अपेक्षा जिस दिन दया या छ: काया व्रत किया जाता है, उस दिन विशेष स्वादिष्ट एवं इन्द्रियो को उत्तेजित करने वाला पौष्टिक आहार करते हैं, वल्कि कई लोग तो इस व्रत का उद्देश्य न जानने के कारण, श्रेष्ठतम भोजन करने पर ही दया या छ: काया का होना मानते हैं । इस कारण बहुत से लोगो की दृष्टि में दया या छ काया व्रत उपहास का कारण बन गया है । ऐसे लोग कहने लगते हैं कि दया या छ काया का व्रत तो उत्तम भोजन करने के लिए ही किया जाता

करने से प्रतिज्ञा नहीं टूटती है । इस व्रत को एक करण तीन योग से भी स्वीकार किया जा सकता है । जो व्यक्ति एक करण तीन योग से यह व्रत स्वीकार करता है और आस्रव द्वार के सेवन का त्याग करता है, वह स्वयं तो आरम्भ, समारम्भ के कार्य नहीं कर सकता लेकिन यदि दूसरे से कह कर आरम्भ, समारम्भ के काम कराता है तो ऐसा करने से उसका त्याग भंग नहीं होता क्योंकि उसने दूसरे से द्वारा आरम्भ, समारम्भ, कराने का त्याग नहीं किया है ।

इसी तरह इस व्रत को स्वीकार करने के लिए जो प्रत्याख्यान किए जाते हैं, वे एक करण और एक योग से भी ही सकते हैं । ऐसे प्रत्याख्यान करने वाला व्यक्ति, केवल

है । यद्यपि दया छ, काया करने वाले को रसनेन्द्रिय वश में रखनी चाहिए । लेकिन जिनसे ऐसा नहीं होता है या जो ऐसा नहीं करते हैं, उन लोगों की निन्दा करके रह जाना और स्वयं कुछ न करना, यह बड़ी भारी भूल है । जो लोग स्वयं कुछ न करके भी करने वाले की निन्दा करते हैं, उनके लिए उचित तो यह है कि वे अपनी अशक्तता को समझ कर जो लोग दया व्रत करते हैं, उनकी सहायता करे, किन्तु इसके बदले किसी भी रूप में दया करने वाले की निन्दा करके और कर्म बाधते हैं । इसलिए कोई किसी भी रूप में दयाव्रत करे, उसकी निन्दा करना अनुचित है । इसी प्रकार दयाव्रत करने वाले लोग भी यदि रसनेन्द्रिय पर समय रखें तो किसी को इस व्रत की निन्दा करने का अवसर ही न मिले और यह व्रत शार्दूल माना जावे ।

शरीर से ही आरम्भ, समारम्भ के कार्य नहीं कर सकता । मन और वचन के सम्बन्ध में तो उसने त्याग ही नहीं किया है, न कराने या अनुमोदन का ही त्याग किया है ।

कई लोगो को यह भी पता नहीं होता कि हमने किस प्रकार के त्याग द्वारा दया या छः काया व्रत स्वीकार किया है । ऐसे लोग व्रत के लिए किए जाने वाले प्रत्याख्यान के भेदो को नहीं जानते और ऐसे लोगों को त्याग कराने वाले नीची श्रेणी का ही त्याग कराते हैं । ये त्याग बहुत ही अल्प हैं, इनमें आश्रवों को बहुत कम अंश में त्यागा जाता है और अधिकांश प्रत्याख्यान नहीं होते ।

ऐसा होते हुए भी, ऐसे लोगों की वृत्ति की तुलना मुनियो की वृत्ति से की जाती है, जो असगत है । यदि इस सम्बन्ध में विवेक से काम लिया जावे तो किसी को इस व्रत के विषय में कोई आक्षेप करने का अवसर न मिले ।

दया व्रत भी एक प्रकार का पौषध व्रत ही है । पौषध उसे कहते हैं, जिसके द्वारा धर्म का पोषण किया जावे । पौषध की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि—

पोसं-पुष्टि प्रक्रमाद् धर्मस्य घत्ते करोतीति पौषधः ।

अथवा

पोसेइ कुसल वम्मे, जंता हारादि चागऽणुट्टाण ।

इह पोसहोत्ति भण्णति, विहिणा जिणभासिएणोय ॥

अर्थात्—प्राणातिपात विरमण आदि के शुभ आचरणों द्वारा धर्म को पोषण देना पौषध है ।

पूर्वकाल में इस तरह के पौषध होने का प्रमाण श्री भगवती सूत्र के १२वें शतक के प्रथम उद्देशक में शंखजी और पोखलीजी श्रावक के अधिकार में पाया जाता है, जिनने आहार करके पक्खी पौषध किया था । इस पौषध को करने के लिए, पाच आश्रव द्वार के सेवन का त्याग करके सामायिकादि में समय लगाना चाहिए । यह व्रत स्वीकार करने वाले श्रावक को, व्रत के दिन किस प्रकार की चर्या रखनी चाहिए, यह संक्षेप में बताया जाता है-

श्रावक को जिस दिन पौषध (दया या छ काया) करना है, उस दिन समस्त सावद्य व्यापार त्याग कर, पौषध करने योग्य धर्मोपकरण लेकर पौषधशाला अथवा जहां साधु-महात्मा विराजते होः उस स्थान पर उपस्थित होना चाहिए । पश्चात् साधुजी महाराज को वन्दन-नमन करके अपने शरीर और वस्त्रों का प्रतिलेखन करे तथा उच्चार प्रस्रवण आदि परठने योग्य चीजों को परठने की भूमि का परिमार्जन करे । फिर ईर्यापथिकी क्रिया के पाठ से, उक्त क्रिया से निवृत्त होकर गुरु महाराज या बड़े श्रावक की जव अकेला ही हो तब स्वतः गुरु महाराज की आज्ञा लेकर पौषध व्रत (दया या छ काया) स्वीकार करे तथा सामायिक व्रत लेकर स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान आदि से धर्म का पुष्ट अवलम्बन ग्रहण करे । ऐसा कोई कार्य न करे जिसे व्रत में बाधा पहुँचे । यदि स्वाध्याय करने की योग्यता न हो तो नमस्कार मन्त्र का जाप करे और गुरु

छ श्राविका को अपनी पौषधशाला या महासतियों के स्थान में उपस्थित होना चाहिए ।

महाराज उपदेश सुनाते हों तो उपदेश श्रवण करे । पश्चात् सामायिकादि पार कर आहार करने के लिए जावे । आहार करने के लिए जाने के समय, पीषघशाला से निकलते हुए 'आवस्सही आवस्सही' कहे और 'मार्ग' में यतनापूर्वक ईर्या-शोधन करता हुआ चले । भोजन करने के स्थान पर पहुचकर 'ईर्यापथिक कायोत्सर्ग' करे । फिर भोजन करने के पात्र का प्रति-लेखन करके आहार करने बैठे । उस समय यह भावना करे कि 'मुझे आहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन आहार करके कोई विशेष निपजाऊँ । वे पुरुष घन्य हैं, जो आहार त्याग कर अथवा आयम्बिल करके या निवी करके पीषघ करते हैं । मुझ में ऐसी क्षमता नहीं है, इसीसे मैं इस प्रकार का आहार करता हूँ । इस प्रकार त्यागवृत्ति वाले लोगो की प्रशंसा करता हुआ आहार करे, जो नीचे बताई गई विधि से हो-

असुरसुर अवचव अद्दुअमविल विय अपरिसाडि ।

मण वय काय गुत्तो, भुंजइ साहुव्व उवउत्तो ॥

अर्थात्—भोजन करते समय सुड़सुडाट न करे, न चप चपाट करे । इसी तरह न बहुत जल्दी भोजन करे, न बहुत धीरे । भोज्य पदार्थ नीचे न गिरने दे, किन्तु मन, वचन, काय को गोप कर साधु की तरह उपयोग सहित आहार करे ।

इस विधि से भोजन करे और वह भी परिमित । लिए कहा है कि 'जाया मायाए भुच्चा ।' यानि जिससे जितने आहार से जीवन यात्रा निभ सके, क्षुधा मिट जावे, आलस्य न हो, प्रकृति सात्विक और शरीर स्वस्थ रहे वैसा और उतना ही परिमित आहार करे ।

आहार करके प्रासुक जल से तृपा मिटावे और हाथ, मुंह स्वच्छ करे । फिर नमस्कार मन्त्र का उच्चारण करके उठे, तथा त्रिविहार या चौविहार का प्रत्याख्यान करके जिस स्थान पर पीपध किया है, उसी स्थान पर उपस्थित होकर सामायिकादि धर्मकार्य में लग जावे ।

आहार करने पर 'निहार' भी करना अनिवार्य होता है । इसलिए पीपध में निहार-उच्चार-प्रत्यवण आदि परठने की आवश्यकता हो, तब 'आवस्सही आवस्सही' कह कर साधु की तरह ईर्या शोधता हुआ और यदि रात हो तो पूजता हुआ स्थंडिल भूमि पर जावे । वहां भूमि का परि-मार्जन या प्रतिलेखन करके, शक्रेन्द्र महाराज की आज्ञा माग कर परठे । परठने के पश्चात् प्राणुक जलादि से सुद्धि करके तीन बार 'वोसिरे-वोसिरे' कहे और फिर अपने स्थान पर आकर 'निस्सही-निस्सही' कह कर तथा ईर्यावही का काथोत्सर्ग कर ज्ञान, ध्यान में तल्लीन हो जावे ।

पीपध के दिन, दिन के पिछले प्रहर में पहनने तथा श्रोतने, विछाने के वस्त्र और मुखवस्त्रिका रजोहरण आदि का प्रतिलेखन करके, रात में शयन करने के लिए मंधारा जमा ले । दिवस की समाप्ति पर देवसी प्रतिक्रमण करके परमात्मा का गुणानुवाद तथा स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान आदि करे । जब एक प्रहर रात व्यतीत हो जावे, उसके बाद परमात्मा का स्मरण करता हुआ रजोहरण से अपना शरीर एवं संधारे का ऊपरी भाग पूजे और निद्रा का प्रमाद मिटा

६ यह विशेष उच्चार (बड़ी नीत) के लिए है ।

लै । फिर रात के पिछले पहर में जागृत होकर निद्रा लेने के समय देखे गए कुस्वप्न और दुःस्वप्न के लिए कायोत्सर्ग करके, स्वाध्याय या परमात्मा के भजन में मग्न हो जावे । लेकिन उस समय इस तरह न बोले, जिससे दूसरे की निद्रा भंग हो जावे । फिर समय होने पर रायसी प्रतिक्रमण करके सूर्योदय हो जाने पर ओढने विछाने तथा पहनने के वस्त्र एवं मुखवस्त्रका रजोहरण आदि का प्रतिलेखन करके यह जाने कि सोते समय मेरी असावधानी से किसी जीव की विराधना तो नहीं हुई है । पश्चात् पौषघ (दया या छः काया) प्रत्याख्यान पारे ।

यह पांच अगुत्रतो के पालन और पाच आस्रव द्वारा के सेवन का त्याग करने रूप पूर्ण दिन-रात के देशावकाशिक व्रत की बात हुई । अब थोड़े समय के लिए पाच आस्रव के सेवन का त्याग करने रूप देशावकाशिक व्रत का स्वरूप बताया जाता है । इस प्रकार के देशावकाशिक व्रत को आधुनिक समय में 'संवर' कहा जाता है । थोड़े समय के देशावकाशिक व्रत यानि संवर के विषय में कहा गया है कि—

दिग्ब्रतं यावज्जीव, सवत्सर चातुर्मासी परिमाण वा ।

देशावकाशिक तु, दिवसप्रहरमुहूर्त्तादि परिमाण ॥

अर्थात्—दिव्ब्रत जीवन भर, वर्ष भर या चार मास के लिए स्वीकार किया जाता है किन्तु देशावकाशिक व्रत दिन, प्रहर या मुहूर्त आदि के लिए भी किया जाता है ।


इससे स्पष्ट है कि जो देशावकाशिक व्रत दिन भर यानी चार या आठ पहर के लिए स्वीकार किया जाता है उसको पौषध कहते हैं और जो प्रहर, मुहूर्त आदि थोड़े समय के लिए स्वीकार किया जाता है, उसे संवर कहते हैं ।

थोड़े समय का देशावकाशिक व्रत यानी संवर जितने भी थोड़े समय के लिए स्वीकार करना चाहे कर सकता है । पूर्वाचार्यों ने सामायिक व्रत का काल कम से कम ४८ मिनट के एक मुहूर्त का नियत किया है । इससे कम समय के लिए यदि पांच आश्रव का त्याग करना है, तो उस त्याग की गणना सवर नाम के देशावकाशिक व्रत में ही होगी । जब अवकाशभाव अथवा अन्य कारणों से विधिपूर्वक सामायिक करने का अवसर न हो, तब इच्छानुसार समय के लिए आश्रव से निवृत्त होने के वास्ते संवर किया जा सकता है ।

वर्तमान समय में देशावकाशिक व्रत चौविहार उपवास न करके कई लोग प्रासुक पानी का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से किये गये देशावकाशिक व्रत को भी पौषध कहते हैं । परन्तु वास्तव में इस तरह का पौषध, देशावकाशिक व्रत ही है । पौषध ग्यारहवें व्रत में होता है, वैसे ही दणवे व्रत में भी हो सकता है । ग्यारहवें व्रत का पौषध तब होता है, जब चारों प्रकार के आहार का पूर्णतया त्याग कर दिया जावे और चारों प्रकार के पौषध को पूरी तरह अपनाया जावे । जो इस तरह नहीं किया जाता है, किन्तु सामान्य रूप में किया जाता है, उसकी गणना दशवें व्रत के पौषध यानी देशावकाशिक व्रत में है । इसके अनुसार तप

करके पानी का उपयोग करने अथवा शरीर में लगाने, मलने रूप तेल का उपयोग करने पर भी उपवास में दशवे व्रत का ही पौषघ हो सकता है, ग्यारहवें व्रत का पौषघ नहीं हो सकता ।

तात्पर्य यह है कि इस प्रकार पौषघ के अनेक भेद हैं । जिसमें चारो आहार का त्याग और चारो प्रकार के पौषघ का पालन किया जाता है, वह ग्यारहवें व्रत का पौषघ है । शेष पौषघ दशवें व्रत के पौषघ में ही हैं । दशवे व्रत का पौषघ तपपूर्वक भी किया जा सकता है और आहार करके भी । इसलिए यदि थावक चाहे और विवेक से काम ले तो वह प्रत्येक समय दशवां व्रत निपजा सकता है ।



देशावकाशिक व्रत के अतिचार


देशावकाशिक व्रत की रक्षा के लिए ज्ञानी महापुरुषों ने व्रत को दूषित करने वाले कामों की गणना अतिचार में करके, उन कामों यानी अतिचारों से बचते रहने के लिए सावधान किया है। देशावकाशिक व्रत के पांच अतिचार हैं, जो इस प्रकार हैं—आनयनप्रयोग प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, बाह्यपुद्गलप्रक्षेप। इन अतिचारों की व्याख्या नीचे की जाती है —

१ आनयनप्रयोग — दिशाओं का सकोच करने के पश्चात् आवश्यकता उत्पन्न होने पर मर्यादित भूमि से बाहर रहे हुए सचित्तादि पदार्थ किसी को भेज कर मगवाना अथवा किसी को भेज कर मर्यादित क्षेत्र से बाहर के समाचार मगवाना।

इस विषय में टीकाकारों ने बहुत कुछ निरखा है। उनका कथन है कि यदि श्रावक स्वयं काम करे तो वह विवेक से काम ले सकता है और चिकने कर्म का बन्ध टाल सकता है, लेकिन दूसरे के द्वारा काम कराने पर श्रावक उन लाभ से वंचित ही रहता है।

करके पानी का उपयोग करने, अथवा शरीर में लगाने, मलने रूप, तेल का उपयोग करने पर भी उपवास में दशवें व्रत का ही पौषध हो सकता है, ग्यारहवें व्रत का पौषध नहीं हो सकता ।

तात्पर्य यह है कि इस प्रकार पौषध के अनेक भेद हैं । जिसमें चारों आहार का त्याग और चारों प्रकार के पौषध का पालन किया जाता है, वह ग्यारहवें व्रत का पौषध है । शेष पौषध दशवें व्रत के पौषध में ही हैं । दशवें व्रत का पौषध तपपूर्वक भी किया जा सकता है और आहार करके भी । इसलिए यदि थावक चाहे और विवेक से काम ले तो वह प्रत्येक समय दशवा व्रत निपजा सकता है ।



देशावकाशिक व्रत के अतिचार

देशावकाशिक व्रत की रक्षा के लिए ज्ञानी महापुरुषों ने व्रत को दूषित करने वाले कामों की गणना अतिचार में करके, उन कामों यानी अतिचारों से बचते रहने के लिए सावधान किया है। देशावकाशिक व्रत के पांच अतिचार हैं, जो इस प्रकार हैं—आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, बाह्यपुद्गलप्रक्षेप। इन अतिचारों की व्याख्या नीचे की जाती है—

१ आनयनप्रयोग—दिशाओं का सकोच करने के पश्चात् आवश्यकता उत्पन्न होने पर मर्यादित भूमि से बाहर गृहे हुए सच्चित्तादि पदार्थ किसी को भेज कर मंगवाना अथवा किसी को भेज कर मर्यादित क्षेत्र से बाहर के समाचार मंगवाना।

इस विषय में टीकाकारों ने बहुत कुछ लिखा है। उनका कथन है कि यदि श्रावक स्वयं काम करे तो वह विवेक से काम ले सकता है और चिकने कर्म का बन्ध टाल सकता है, लेकिन दूसरे के द्वारा काम कराने पर श्रावक इस नाश से वंचित ही रहता है।

२ प्रेष्यप्रयोग—दिशाओं की मर्यादा का संकोच करने के पश्चात् प्रयोजनवश मर्यादा से बाहर की भूमि से किसी दूसरे के द्वारा कोई पदार्थ या सन्देश भेजना प्रेष्यप्रयोग नाम का अतिचार है । अपना पाप टालने के उद्देश्य से दूसरो को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने की आज्ञा देना भी प्रेष्य-वर्ण प्रयोग नाम का अतिचार है ।

३ शब्दानुपात—मर्यादा के बाहर की भूमि से सम्बन्धित कार्य उत्पन्न होने पर मर्यादा की भूमि में रह कर ऐसा टिचकारा या खेंखारा आदि शब्द करना कि जिससे दूसरे लोग शब्द करने वाले का आशय समझ सकें और उसके पास आ जावें या कार्य कर सकें, यह शब्दानुपात नाम का अतिचार है ।

४ रूपानुपात—मर्यादा में रखी हुई भूमिका के बाहर का कोई कार्य उत्पन्न होने पर इस तरह की शारीरिक चेष्टा करना कि जिससे दूसरा व्यक्ति आशय समझ जावे, यानि शारीरिक चेष्टा द्वारा संकेत करना, रूपानुपात नाम का अतिचार है ।

५ बाह्यपुद्गलप्रक्षेप—मर्यादित भूमि के बाहर का कार्य उपस्थित होने पर डेला, ककर आदि चीजें मर्यादित भूमि के बाहर फेक कर दूसरे को संकेत करना, बाह्यपुद्गलप्रक्षेप नाम का अतिचार है ।

ऊपर बताये गए अतिचारों में से प्रारम्भ के दो अति-चार, अतिचार की कोटि में तभी तक हैं, जब तक अतिचार में बताए गए कार्य बिना उपयोग से यानी भूल से किये

जावें । इस पर से यह प्रश्न होता है कि जब प्रारम्भ के दोनों अतिचारो में बताया गये कार्यों को करने वाला व्यक्ति व्रत की अपेक्षा रखता है और इसीलिए वह स्वयं न जाकर दूसरे को भेज रहा है, तब उसका कार्य भूल से हुआ कैसे कहा जा सकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह दशवां व्रत दो करण, तीन योग से भी होता है । इसलिए ऐसा व्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति मर्यादित भूमि के बाहर न तो स्वयं ही जा सकता है, न किसी को भेज ही सकता है । ऐसा होते हुए भी अपने लिए मर्यादित भूमि से बाहर न जाने का ध्यान तो रखना, लेकिन दूसरे को न भेजने का ध्यान न रखना, और भेज देना, अतिचार है । यदि दूसरे को न भेजने के नियम का ध्यान होने पर भी इस नियम की अपेक्षा करके दूसरे को मर्यादित भूमि से बाहर भेजा जावे, तब तो अनाचार ही है । शेष तीन अतिचार, व्रत की अपेक्षा रखते हुए भी माया कपट से किए जाते हैं, परन्तु व्रत की अपेक्षा रखी जाती है । इसलिए अतिचार ही है, लेकिन प्रबल अतिचार हैं ।

इन अतिचारो को समझ कर व्रतधारी को इनसे बचते रहना चाहिए । इन अतिचारो से बचे रहने पर ही व्रत का पूरी तरह पालन होता है ।



(४) अन्त समय में समस्त सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर, संलेखणा संधारा आदि करके शेष जीवन को समाधि प्राप्त करने में लगा देना, यह चौथा विश्राम-स्थल है ।

इन चारों प्रकार के विश्राम-स्थलों में से पीपघोपवास गृहस्थ श्रावक के लिए उसी प्रकार का तीसरा विश्राम-स्थल है, जैसा तीसरा विश्राम-स्थल भारवाहक के लिए रात्रि-निवास रूप बताया गया है । पीपघोपवास की व्याख्या करने के लिए शारत्रकार लिखते हैं—

पीपघे उपवसनं पीपघोपवासः नियम—
विशेषाभिधानं चेदं पीपघोपवासः ॥

अर्थात् - धर्म को पुष्ट करने वाले नियम विशेष धारण करके उपवास सहित पीपघशाला में रहना पीपघोपवास व्रत है ।

शास्त्रकारों ने पीपघोपवास के चार भेद कहे हैं । वे इस प्रकार हैं—

पोसहोववासे चउव्विहे पन्नत्ते, त जहा-आहारपोसहे,
सरीरपोसहे, वभचेरपोसहे, अब्वावाहारपोसहे ।

अर्थात्—पीपघोपवास चार प्रकार का होता है । आहार पीपघ, शरीर पीपघ, ब्रह्मचर्य पीपघ और अव्यापार पीपघ । इनका स्वरूप इस प्रकार है —

१ आहार पीपघ—आहार का त्याग करके धर्म को पोषण देना, आहार पीपघ है ।

प्रति दिन आहार करने के कारण शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे धर्म कार्य में बाधा होती है। साथ ही आहार प्राप्त करने में, पकाने में और खाने, पचाने आदि में भी समय जाता है। उस समय को बचाकर धर्म का पीपण करने में लगाने और आहार करते रहने के कारण उत्पन्न विकारों को शमन करने के लिए समय को उपवासपूर्वक धर्मानुष्ठान में लगाने का नाम आहार त्याग पीपघ है। वह आहार त्याग पीपघ दो प्रकार का है, देश से और सर्व से। क्षुधा-वेदनीय का परिपह नहीं जीत सके, इसलिए क्षुधा-कुक्करी को टुकड़ा फेंकने रूप शरीर को भाडा देने के लिए आयंवल करना, निवी करना अथवा एकामना वियामना करके धर्म को पीपण देना देश से आहार पीपघ है और सम्पूर्ण दिन रात्रि चौविहार उपवास करना सर्व से आहार त्याग पीपघ है।

२ शरीर पीपघ—रनान, उवटन, विलेपन, पुष्प, गन्व, अलंकार, वस्त्र आदि से शरीर को अलकृत करने का त्याग करके धर्मानुष्ठान में लगाना, शरीर पीपघ है।

शरीर पीपघ भी दो प्रकार का होता है। एक तो देश से और दूसरा सर्व से। शरीर-अलंकार के साधनों में से कुछ त्यागना और कुछ न त्यागना, देश से शरीर पीपघ है। जैसे आज मैं उवटन न लगाऊंगा, तेन मदन न करूंगा या अमुक कार्य न करूंगा। इस प्रकार अलंकार के कुछ साधनों का त्याग करना, देश से शरीर पीपघ है और दिन रात के लिए शरीर-अलंकार के सभी साधनों का सर्वथा त्याग करना, सर्व से शरीर पीपघ है।

३ ब्रह्मचर्यं पीपघ—तीव्र मोह के उदय के कारण वेद-जन्य चेष्टा रूप मैथुन और मैथुनाङ्ग का त्याग करके आत्म-भाव में रमण करना और धर्म का पोषण करना, ब्रह्मचर्य पीपघ है ।

ब्रह्मचर्य पीपघ के भी दो भेद हैं । एक देण से ब्रह्म-चर्य पीपघ और दूसरा सर्व से ब्रह्मचर्य पीपघ । अपनी पत्नी के सम्बन्ध में कोई मर्यादा करना देश से ब्रह्मचर्य पीपघ है और मैथुन का सर्वथा त्याग करके धर्म का पोषण करना, सर्व से ब्रह्मचर्य पीपघ है । इसे (प्रतिपूर्णा पीपघ) व्रत की कोटि में शुमार किया जाता है जिसका त्याग इस प्रकार पाठ बोलकर किया जाता है ।

“ग्यारहवां पडिपुण्ण पोसहचर्यं, सव्वं असणं पारां ग्याइमं साइमं पच्चक्खामि, अवम्भसेवणं पच्चक्खामि, उमुक-गगि-हिरण्ण-सुवण्ण-माना वण्णग विलेवणं पच्चक्खामि सत्थमुसलाई सव्वसावज्ज-जोजं पच्चक्खामि जाव अहोरात्र पज्जुवासामि; दुविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि वयसा, कायसा, तस्स भरते पडिक्कमामि, निन्दामि-हामि श्रप्पाण वोसिरामि ।”

इस पाठ द्वारा चारों प्रकार की शरीर शुश्रूषा, अब्रह्मचर्य और स का पूर्ण अहोरात्र के लिये त्याग, कि प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने के करने में जितनी भी देरी हो जावे, जाने के बाद

उसे ही प्रतिपूर्ण पीपध माना जाता है । सम्पूर्ण आठ प्रहर से कम पीपध को प्रतिपूर्ण पीपध में नहीं लिया जाता है ।

यदि कोई सम्पूर्ण आठ प्रहर का स-सामायिक पीपध व्रत नहीं करके कम समय के लिये पीपध करना चाहे तो वह प्रतिपूर्ण पीपध तो नहीं कहा जाता, और शास्त्रीय विधि से तो ऐसा नहीं होता किन्तु ग्यारहवें व्रत में शुमार किये जाने योग्य पीपध कर सकता है ॐ ऐसा व्यवहार है ।

ॐ वर्तमान समय में ग्यारहवें पीपध व्रत के लिए पूरे आठ प्रहर के स्थान पर कम समय का करने की प्रथा भी है । बल्कि किसी-किसी देश में पीपध व्रत की मर्यादा कम से कम पांच प्रहर की और किसी-किसी देश में चार प्रहर की भी है । यानि यह प्रथा है कि मूर्खास्त में पहले पीपध स्वीकार कर लिया जाता है और रात भर पीपध में रह कर मूर्खोदय होने पर पीपध पाल लिया जाता है । इस तरह धारणा और परम्परा के आधार पर अनेक प्रथाएँ हैं लेकिन कम समय के लिए पीपध करने वाले को भी एक दिन और एक रात के लिए यानि आठ प्रहर के लिए चारों प्रकार का आहार, अन्नहाचर्य, शरीर-अलकार और आजीविका सम्बन्धी व्यापार का त्याग तो करना ही चाहिए । परन्तु वर्तमान समय में आठ प्रहर में कम समय के लिए पीपध करने वालों द्वारा इस नियम का पूरा पालन होता नहीं देखा जाता । मूत्रों में तो प्रतिपूर्ण पीपध करने वाले के लिए आहारादि के माद्य व्यापारदि का त्याग भी आवश्यक बताया गया है । इसलिए जिन प्रकार पानी पीकर उपवास करने वाला या शरीर पर तैलादि मदन करने कराने वाला व्यक्ति ग्यारहवाँ पीपध व्रत नहीं कर सकता, उसी

सर्व सावद्य योग के त्यागपूर्वक पौषधोपवास व्रत करने वाले का क्या कर्त्तव्य होता है, यह बताने के लिए सुख-विपाक मूत्र में सुबाहुकुमार के वर्णन में कहा गया है कि—

तए णं मुवाहुकुमारे अन्नया कयाई चाउदस्सट्टमुदिट्ठ-
पुण्णमासिणीपु जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छई उवाग-
च्छइत्ता पोसहसालं-पमज्जइ, पमज्जित्ता उच्चारपासवणा
भूमि पडिलेहेइ, पडिलेहित्ता दब्भसथारं संथरइ, संथरइत्ता
दब्भसंथारं दुरूहइ, दुरूहइत्ता अट्टमभत्तं पग्गिण्हइ,
पग्गिण्हइत्ता पोसहसालाए पोसहिए अट्टमभत्तं पोसहं
पडिजागरमाणे विहरइ ।

अर्थात्—वह सुबाहुकुमार (श्रमणोपासक) किसी समय चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या या पूर्णिमा आदि पर्व दिन में जहा पर अपनी पौषधशाला थी वहां आया । उसने सबसे पहले पौषधशाला को स्वच्छ किया और परिमार्जन करके यह देखा कि कहीं ऐसे जीव तो नहीं हैं, जिनके कारण मेरे पौषध व्रत में कोई बाधा पहुंचे तथा असावधानी में मेरे से उन जीवों की विराधना हो जावे । फिर उसने ऐसी भूमि-का निरीक्षण और परिमार्जन किया, जिसे परठने की भूमि

प्रकार व्यापार करके भी ग्यारहवां पौषध व्रत नहीं किया जा सकता । किन्तु इस नियम की ओर लोगों का लक्ष्य कम ही रहता है । ग्यारहवा व्रत, चारों प्रकार के पौषध और सामायिक सहित हो सकता है । सामायिक रहित या चारों प्रकार के पौषध का देश से पालन करने पर ग्यारहवा व्रत नहीं हो सकता ।

अथवा स्थण्डिल भूमि कहते हैं और शारीरिक धर्म के कारण मल-मूत्र त्याग कर जहा परठा जा सके। फिर पीपघशाला में दर्भादिक (घास) का सथारा (विछीना) किया। उस सथारे पर बैठकर उसने अष्टम भक्त यानि तीन दिन के उपवाम (तेला) की तपस्या स्वीकार की और वह चारों प्रकार के पीपघ सहित समाधिभाव में आत्मा को स्थिर करके विचरने लगा।

मुवाहुकुमार राजपुत्र था। वह पाच सौ रानियो का पति था, उसके यहां प्रचुर सस्या में दासी दास थे। यह सब होते हुए भी वह श्रावक था। मुवाहुकुमार केवल नाम का ही श्रावक न था, किन्तु जीव, अजीव के स्वरूप और पुण्य, पाप के फल का जानकार था। इस जानकारी के कारण न तो उसे मुख के समय हर्ष होता था, न दुःख के समय खेद होता था। वह श्रावक, सवर आदि तत्त्वों को भी समझता था, इसलिए यथासम्भव सवर और निर्जरा के कारणों का ही व्यवहार करता था। वह मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक था, इससे अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में पीपघ किया करता था। वह किस प्रकार पीपघ करता था, यह ऊपर बताया ही जा चुका है। वह धर्म से सम्बन्धित कामों को नीकरो से नहीं कराता था, किन्तु स्वयं करता था। इसीलिए उमने स्वयं ही पीपघशाला का परिमार्जन किया। इसी प्रकार धर्म करने के लिए जिस सादगी की आवश्यकत है, वह सादगी भी उसमें थी। इसका प्रमाण है दर्भ का सथारा। जो धार्मिक कार्यों में इस प्रकार कर्तव्यनिष्ठ रहता है और सादगी रखता है, वही धर्म का पालन भी

कर सकता है और वही मोक्ष भी प्राप्त करता है । ऐसे ही व्यक्ति की धार्मिकता का प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है ।

पौषध व्रत स्वीकार करने के पश्चात् क्या करना चाहिए, यह बात सामायिक व्रत का वर्णन करते हुए बताई जा चुकी है । फिर भी थोड़े में यहां उन बातों का पुनः वर्णन अप्रासङ्गिक न होगा ।

पौषध व्रत स्वीकार करने वाले श्रावक का जीवन, जितने समय के लिए पौषध व्रत स्वीकार किया है उतने समय के लिए साधु जीवन के अनुरूप हो जाता है । इसलिए पौषध व्रतधारी व्यक्ति को वैसे ही कार्य करना उचित है, जिसे करने से पौषध व्रत स्वीकार करने का उद्देश्य पूर्ण हो । पौषध व्रत-धारी श्रावक को इन्द्रियो तथा मन पर सयम रखकर, समस्त सासारिक सकल्प विकल्प त्याग देने चाहिए तथा आत्म-चिंतन, तत्त्व-मनन एवं परमात्म-भजन में ही तल्लीन रहना चाहिए । उसको सारा दिन और सारी रात इन्हीं कार्यों में विताना चाहिये । पौषध व्रत स्वीकार करने के पश्चात् गृह-संसार, आजीविकोपार्जन, खान-पान और शरीर-शुश्रूषा सम्बन्धी चिन्ता तो छूट ही जाती है । इसलिए पौषध व्रत का अधिक से अधिक समय घर्माघन में ही लगाना चाहिए । रात में भी जितना हो सके उतना धर्म-जागरण करना चाहिए ।

पूर्व कालीन श्रावको का जो वर्णन सूत्रों में है, उससे पाया जाता है कि अमुक श्रावक रात्रि का प्रथम भाग व्यतीत हो जाने पर जब धर्म-जागरण कर रहा था, तब उसके

पास देव आया जिसने श्रावक से अमुक-अमुक बातें कहीं, या श्रावक को अमुक उपसर्ग दिया अथवा उस धर्म-जागरण करते हुए श्रावक ने ऐसी-ऐसी भावना की। इस वर्णन से स्पष्ट है कि देवता लोग धर्म-जागरण करने वाले श्रावक के पास ही आते हैं। किसी सोये हुए श्रावक को देव ने जगाया, ऐसा वर्णन कही भी नहीं पाया जाता। इसलिए पीपथ व्रत-धारी श्रावक को रात के समय अधिक से अधिक धर्म-जागरण करना चाहिए। पञ्चम गुण स्थान पर स्थित लोगों को शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं है। आर्त्त, रोद्र और धर्म ये तीन ही ध्यान हो सकते हैं। इनमें से पीपथ व्रत-धारी के लिए आर्त्त-ध्यान और रोद्र-ध्यान तो सर्वथा त्याज्य ही है। उसके लिए तो धर्म-ध्यान ही श्रेष्ठ रहता है, जो प्रणस्त भी है। इसलिए पीपथ व्रत-धारी श्रावक को पीपथ व्रत का समय धर्म-ध्यान में ही लगाना चाहिए।

शास्त्रकारों ने धर्म-ध्यान के आज्ञा-विचय, अपाय-विचय विपाक-विचय और मस्थान-विचय ये चार भेद बताये हैं। इन चारों भेदों का स्वरूप इस प्रकार है—

१ आज्ञा-विचय—जैन सिद्धान्त में वस्तु-स्वरूप का जो वर्णन है, सर्वज्ञ वीतराग भगवान् की आज्ञा की प्रधानता देकर उस वस्तु-स्वरूप का चिन्तन करना, आज्ञा-विचय नाम का धर्म-ध्यान है। यह आज्ञा दो प्रकार की है। एक तो आगम आज्ञा और दूसरी हेतुवाद-आज्ञा। आगम-आज्ञा वह है, जो आप्त वचन द्वारा प्रतिपादित होने पर ही प्रमाण मानी जाये और हेतुवाद आज्ञा वह है, जो अन्य प्रमाणों से भी प्रतिपादित हो।

हों, उनका समाधान करने के लिए गुरु महाराज से पृच्छा करना, पूछना है ।

(३) सीखे अर्थात् प्राप्त किये हुए ज्ञान का बार-बार चिन्तन करना और प्राप्त ज्ञान हृद करना पर्यटना है ।

(४) प्राप्त ज्ञान के अर्थ एव भेदोपभेद को जानने के लिए उस पर विचार करना अनुप्रेक्षा है ।

धर्म-ध्यान की चार अनुप्रेक्षाएं भी हैं—एकानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और ससारानुप्रेक्षा । हृदय में उत्पन्न विचारधारा अर्थात् भावना को अनुप्रेक्षा कहते हैं । इन चारों अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप भी संक्षेप में बताया जाता है—

१ एकानुप्रेक्षा—आत्मा को समस्त सासारिक संयोगों से भिन्न तथा अकेला मान कर तत्सम्बन्धी भावना करना, एकानुप्रेक्षा है ।

२ अनित्यानुप्रेक्षा—समस्त सासारिक एव पौद्गलिक संयोगों को अनित्य (सदा न रहने वाले) मानकर तत्सम्बन्धी भावना करना, अनित्यानुप्रेक्षा है ।

३ अशरणानुप्रेक्षा—समस्त सांसारिक सम्बन्धों के लिए यह मानना कि ये मेरे लिए शरणदाता नहीं हो सकते और ऐसा मान कर तत्सम्बन्धी भावना करना, अशरणानुप्रेक्षा है ।

४ ससारानुप्रेक्षा—ससार के जन्म-मरण के क्रम एवं आवागमन सम्बन्धी विचार करके किसी से स्नेह न रखने की भावना करना संसारानुप्रेक्षा है ।

पौषध व्रत-धारी श्रावक को अपना समय धर्मध्यान में ही बिताना चाहिए। साथ ही उन दोषों से बचे रहना चाहिए, जिनसे पौषध व्रत दूषित होता है। ऐसे दोषों से बचने के लिए उन दोषों की जानकारी होना आवश्यक है। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जो पौषध व्रत स्वीकार करने से पहिले दिन करने पर भी व्रत दूषित होता है और कुछ ऐसे हैं जो पौषधव्रत स्वीकार करने पर किये जाने से व्रत दूषित होता है।

पौषध व्रत के निमित्त से १ सरस आहार करना, २ मैथुन करना ३ केण, नख कटाना, ४ वस्त्र धुलाना, ५ शरीर मण्डन करना और ६ मरलता से न खुल सकने वाले आभूषण पहनना, ये छः दोष पौषध करने से पूर्व के हैं। इनके सिवाय बारह दोष वे हैं, जो पौषध व्रत स्वीकार करने के पश्चात् आचरण में आने पर व्रत दूषित होता है। ये बारह दोष इस प्रकार हैं—

जो व्रत-धारी नहीं है, उसकी ७ व्यावच (सेवा) करना अथवा उससे व्यावच कराना या ऐसे व्यक्ति को आदर देना, ८ शरीर में पसीना होने पर शरीर को मल कर मल उतारना, ९ दिन में नीद लेना, रात में एक पहर रात जाने से पहले ही सो जाना अथवा पिच्छली रात को धर्म-जागरण न करना, १० त्रिना पूजे शरीर तुजलाना, ११ विना पूजे परठना, १२ निन्दा या विक्रया करना, १३ भय घाना या भय देना, १४ नांमार्गिक व्रतचीत या कथा वार्ता करना, १५ स्त्री के अंगोपांग निहागना, १६ गुले मुंह अथवा नाभे योगना १७ कलह करना और १८ किसी सामाजिक नाते में चुनाना। जैसे पौषध व्रत-धारी को काकाजी, मामाजी, नृगराजी, सात्वती आदि नाते में न बोलना चाहिये।

ये दोष पौषघ व्रत को दूषित करते हैं, इसलिए इन दोषों से बचे रहना चाहिए। साथ ही दृढ सहनशील एवं शान्त रहना चाहिए। कई बार पौषघ व्रतधारी को अनेक प्रकार के परिपह एवं उपसर्ग भी होते हैं। यदि उस समय सहनशीलता न रही तो पौषघ व्रत भंग हो जाता है। उपासकदशाङ्ग सूत्र में चुलनीपिता आदि श्रावको का वर्णन है, जिनमें से कई श्रावकों को पौषघ व्रत से विचलित करने के लिए देव आया। देव ने उनके सामने अनेक भयंकर दृश्य उपस्थित किये। उनके पुत्रों को लाकर उन्हीं के सामने मार डाला और मृत शरीर के टुकड़े तेल के कड़ाह में डाल कर पुत्रों का रुधिर मांस व्रत में बैठे हुए पिता (श्रावक) के शरीर पर छोटा। जब यह सब करने पर भी वे श्रावक अविचल रहे, तब किसी की माता को मारने का कथा, किसी की पत्नी को मारने का भय दिखाया, किसी को गोग का भय दिखाया और किसी को धन-हरण का। इस तरह के सीमातीत भयंकर दृश्यों को देखकर व सुनकर उन व्रतधारी श्रावको की सहनशीलता कायम न रही। वे उस देव को पकड़ने के लिए उठे, लेकिन उनके हाथ वह देव न आया किन्तु खम्भा आया। उस खम्भे को पकड़ कर उन श्रावको ने जोर से हल्ला किया।

इस तरह के वर्णन देकर शास्त्रकार उन श्रावको के लिए 'भागवए' 'भग्नियमे', 'भग्यपोमहे' लिखते हैं। यानि यह लिखते हैं कि उन श्रावको का व्रत और पौषघ भंग हो गया। इस पर वे समझ लेना चाहिए कि पौषघ व्रत को अभंग रखने के लिए श्रावक को कैसा सहनशील रहना चाहिए। जो अपना पौषघ व्रत अभंग रखना चाहता है, वह

मरणदायक उपसर्ग भी शान्तिपूर्वक सह लेता है और उपसर्ग से विचलित होकर व्रत भंग नहीं करता है । महाराज उदायन पीपघ व्रत में थे । रात के समय एक साधु वेश-धारी ठग ने उनको घोर उपसर्ग दिया अर्थात् उनके प्राण ले लिये । यदि महाराज उदायन चाहते तो हो-हल्ला कर सकते थे और उस दशा में सम्भव था कि उनके प्राण भी बच जाते अथवा वह ठग पकड़ा भी जाता । लेकिन वे उस स्थिति में सहनशील ही रहे । इस तरह की क्षमा, सहन-शीलता और दृढता से ही उन्होंने तीर्थकर नाम गौत्र का उपार्जन किया तथा वे अगली चौबीसी में तीसरे तीर्थकर भगवान् होंगे ।

अनुकूल परिपह लुभावने होते हैं अतएव उनको जीतना भी अधिक कठिन होता है तथापि प्रतिकूल परिपह की ही तरह अनुकूल परिपह होने पर भी पीपघ व्रत-धारी श्रावक को दृढ रहना चाहिए । कैसा भी अनुकूल परिपह हो, विचलित न होना चाहिए । भगवान् शान्तिनाथ के पूर्व-भवों के वर्णन में एक जगह कहा गया है कि एक समय महाराजा मेघरथ पीपघ में बैठे हुए थे । उसी समय ईशानकल्प (स्वर्ग) में ईशानेन्द्र महाराज ने अपनी इन्द्रानियों की सभा में प्रसंगवश, राजा मेघरथ की प्रशंसा करते हुए कहा—पीपघ व्रत में बैठे हुए महाराजा मेघरथ को धार्मिक वृत्ति में विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है । यही महाराज भविष्य में जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में शान्तिनाथ के नाम से पंचम चतुर्वर्ती और गौलहवें तीर्थकर होंगे ।

इन्द्र द्वारा की गई महाराजा मेघरथ की प्रशंसा सुन-

कर अन्य इन्द्रानिया तो प्रसन्न हुई, लेकिन सुरूपा और अति-रूपा नाम की इन्द्रानियो ने महाराजा मेघरथ की धर्म-दृढता की परीक्षा लेने का विचार किया । वे दोनों अप्सराएँ मर्त्यलोक में वहाँ आईं, जहाँ महाराजा मेघरथ पीपधशाला में पीपधव्रत धारण करके ध्यानस्थ थे । उन अप्सराओं ने स्त्रियोचित हाव-भाव एवं कामोद्दीपक रागरगों द्वारा महाराजा मेघरथ को विचलित करने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु महाराजा मेघरथ अविचल ही रहे और क्षुब्ध न हुए । जब रात समाप्त हो चली और प्रातःकाल होने लगा, तब वे अप्सराएँ हार मान कर अपनी लीला समेट महाराजा मेघरथ को नमन करके तथा अपने अपराध के लिए क्षमा माग कर अपने स्थान को गईं ।

मतलब यह है कि पीपध व्रतधारी श्रावक को अनुकूल परिपह होने पर भी दृढ ही रहना चाहिए, विचलित न होना चाहिए । चाहे अनुकूल परिपह हो या प्रतिकूल परिपह हो, धैर्यपूर्वक उन्हें सह कर अविचल रहने और उनके प्रतिकार की भावना न करने पर ही पीपध व्रत अभंग रहता है । यदि परिपह के कारण विचलित हो उठा, परिपह के प्रतिकार अथवा परिपह देने वाले को दण्ड देने का प्रयत्न किया या ऐसी भावना की तो उस दशा में पीपध व्रत भंग हो जायेगा । परिपह देने वाले को दण्ड देने की बात तो दूर रही, उसके प्रति कठिन शब्द का प्रयोग करने पर भी व्रत दूषित हो जाता है ।

महाशतक श्रावक जब गृहकार्य त्याग कर, प्रतिमा वहन कर रहे थे, तब तथा सथारा कर चुके थे तब, इस तरह दो बार उनकी पत्नी रेवती शृंगार करके महाशतकजी

को विचलित करने के लिए उनके पास गई। वह महाशतकजी के सामने अनेक प्रकार के हावभाव करने लगी तथा विषय भोग का आमन्त्रण देने लगी। उसने इस तरह बहुत प्रयत्न किया लेकिन वह हड़ ही बने रहे। रेवती प्रथम वार तो निराश होकर लौट गई, लेकिन दूसरी वार संयारा में फिर महाशतकजी के पास जाकर महाशतकजी को विचलित करने का प्रयत्न करने लगी। उस समय महाशतकजी को अवधिज्ञान हो गया था। महाशतकजी ने अवधिज्ञान द्वारा रेवती का भविष्य जानकर आवेश में आ रेवती से कहा कि तू निरर्थक कष्ट क्यों उठाती है। शीघ्र ही तुझे अर्ण रोग होगा, जिससे तू आज के सातवें दिन मर कर रत्नप्रभा नाम की प्रथम पृथ्वी में चौरासी हजार वर्ष की आयु वाले नारकीय जीव के रूप में उत्पन्न होगी। महाशतकजी का यह कथन सुनकर, रेवती भयभीत होकर वहां से चली गई और आर्त-रौद्र ध्यान करती हुई मर कर नरक में गई।

यद्यपि महाशतकजी ने जो कुछ कहा था, वह सत्य ही था, परन्तु था अप्रिय। इसलिए भगवान् ने महाशतकजी का व्रत दूषित हुआ मानकर गौतम स्वामी द्वारा महाशतकजी को आलोचना, प्रायश्चित्त करने की सूचना दी। महाशतकजी ने भगवान् की सूचना शिरोधार्य की और वंग्राही किया।

मतलब यह है कि पीपध व्रतधारी को अप्रिय एवं कठोर सत्य बात भी न कहनी चाहिए। इसी तरह उन सब मानसिक, वाचिक तथा कायिक कार्यों से बचे रहना चाहिए, जिनमें पीपध व्रत दूषित होता है और वे ही कार्य करने चाहिए, जिनके करने से धर्म पुष्ट होता है।

पौषधोपवास व्रत के अतिचार

ग्यारहवें पौषधोपवास का उद्देश्य प्रमादावस्था से आत्मा को निकाल कर अप्रमत्तावस्था में स्थित होना है। इसलिए इस व्रत में प्रमाद को किंचित् भी स्थान नहीं है। थोड़ा भी प्रमाद करने पर पौषधोपवास व्रत दूषित हो जाता है। पौषधोपवास व्रत किस-किस तरह के प्रमाद से दूषित होता है, यह बताने के लिए भगवान् ने पौषधोपवास व्रत के पाच अतिचार बताये हैं, जो इस प्रकार हैं—

१ अप्रतिलेखित - दुष्प्रतिलेखितशय्यासंधारा—पौषध के समय काम में लिये जाने वाले पाट, पाटला, विछौना, संधारा आदि का प्रतिलेखन न करना, अथवा विधि-पूर्वक प्रतिलेखन न करना, यानि मन लगा कर प्रतिलेखन की विधि से प्रतिलेखन न करना और इस प्रकार के शय्या-संधारा को काम में लेना, अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित शय्या-संधारा नाम का अतिचार है।

प्रतिलेखन प्रातःकाल भी होना चाहिए और सायकाल भी। रात के समय अन्धेरे में छोटे जीव नहीं दिख सकते। इसलिए सायकाल को ही प्रतिलेखन कर लिया जाता है,

जिससे विछीने आदि में कोई जीव न रह जाय और उसकी विराधना न हो जाय । रात्रि समाप्त होने के पश्चात् प्रातः-काल विछीना आदि का प्रतिलेखन यह देखने के लिए किया जाता है कि रात के समय मेरे द्वारा किसी जीव की विराधना तो नहीं हुई है ! यदि हुई हो तो उसका प्राय-श्चित्त किया जावे ।

२ अप्रमार्जित-दुष्प्रमार्जित शय्यासंधारा—पाट पाटला, विस्तर आदि का प्रमार्जन न करना, अथवा विधि-रहित प्रमार्जन करना, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्यासंधारा नाम का दूसरा अतिचार है ।

प्रतिलेखन और प्रमार्जन में अन्तर है । इसी से दोनों के विषय में अलग-अलग अतिचार कहे गये हैं । प्रतिलेखन दृष्टि द्वारा होता है यानि दृष्टि से देय लिया जाता है कि कोई जीव तो नहीं है । लेकिन प्रमार्जन, पूंजनी या रजोहरण द्वारा होता है । दिन के प्रकाश में तो प्रतिलेखन किया जाता है, लेकिन प्रकाश न होने के कारण जब प्रतिलेखन नहीं हो सकता, तब रात्रि आदि में रजोहरण या पूंजनी द्वारा प्रमार्जन किया जाता है और इस प्रकार यतना ली जाती है ।

३ अप्रतिलेखितदुष्प्रतिलेखित उच्चारप्रव्रवण भूमि—शरीर-चिन्ता में निवृत्त होने के लिए त्यागे जाने वाले पदार्थों को त्यागने के न्यान का प्रतिलेखन ही न करना या भली भांति प्रतिलेखन न करना, अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रव्रवण भूमि नाम का अतिचार है ।

४ अप्रमार्जितदुष्प्रमार्जितउच्चारप्रस्रवणभूमि — तीसरे अतिचार न मे जिस स्थान का वर्णन किया गया है, उस स्थान का प्रमार्जन न करना या भली भाँति प्रमार्जन न करना, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चारप्रस्रवण-भूमि नाम का अतिचार है ।

५ पौषधोपवास समननुपालन—पौषधोपवास व्रत का सम्यक् प्रकार से उपयोग सहित पालन न करना या सम्यक् रीति से पूरा न करना, पौषधोपवास समननुपालन नाम का अतिचार है ।

इन अतिचारों से बचे रहने पर व्रत निर्दोष रहता है और आत्मा का उत्थान होता है ।



अतिथि-संविभाग व्रत

श्रावक के वारह व्रतो मे से वारहवां और चार शिक्षा व्रतो मे से चौथा व्रत अतिथि-संविभाग है । श्रावक का जीवन कैसा धार्मिक हुआ है, श्रावक होने के पश्चात् जीवन मे क्या विशेषता आई है और पाच अणुव्रतो तथा तीन गुण-व्रतो के पालन का प्रभाव उसके जीवन पर कैसा पडा है आदि बातों को जानने का साधन श्रावक के चार शिक्षा व्रत हैं । चार शिक्षा व्रतो मे से प्रथम के तीन शिक्षाव्रतों का लाभ तो श्रावक को ही मिलता है, लेकिन चौथे अतिथि-संविभाग व्रत का लाभ दूसरे को भी मिलता है । इस व्रत का पालन करने से ब्राह्म जगत् को यह ज्ञान होता है कि जैन दर्शन कैसा विशाल है और जैन धर्म पालन करने वाले मे विश्ववन्धुत्व की भावना कैसी प्रौढ रहती है ।

अतिथि-संविभाग का अर्थ है, अतिथि के लिए विभाग करना जिमके आने का कोई दिन या समय नियत नहीं है, जो बिना सूचना दिये अनायास आ जाता है, उसे अतिथि कहते हैं । ऐसे अतिथि का सत्कार करने के लिए भोजनादि पदार्थों मे विभाग करना अतिथि-संविभाग है और ऐसा करने की प्रतिज्ञा करने का नाम अतिथि-संविभाग व्रत है ।

सूत्रों में इस व्रत को 'अहासंविभाग व्रत' कहा है, जिसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार लिखते हैं कि—

यथा सिद्धस्य-स्वार्थं निर्वर्तितस्येत्यर्थ, अशनादिः समिति-संगतत्वेन पश्चात्कर्मादिदोषपरिहारेण विभजनं, साधवे दान-द्वारेण विभागकरण यथा सविभाग ।

अर्थात्—गृहस्थ द्वारा अपने लिए बनाये हुए आहारादि में से जो साधु एषणा समिति सहित पश्चात्कर्म आदि दोषों का परिहार करके अशनादि ग्रहण करते हैं, उनको दान देने के लिए विभाग करना अतिथि-संविभाग व्रत है ।

जो महात्मा आत्मज्योति जगाने के लिए सांसारिक खटपट त्याग कर संयम का पालन करते हैं और सन्तोष वृत्ति को धारण करते हैं, उनको जीवन-निर्वाह के लिए अपने वास्ते तैयार किये हुए आहारादि में से उन श्रमण निर्ग्रन्थों के कल्पानुसार दान देना, अतिथि-संविभाग व्रत है । साधु महात्मा को श्रावक अपने लिए बनाई गई चीजों में से कौन-कौन सी चीजें दे सकता है और साधुओं को किन-किन चीजों का दान देना श्रावक का कर्तव्य है, यह बताने के लिए शास्त्र में निम्न पाठ आया है:—

कप्पइ मे समरो निग्गन्थे फासुएसणिज्जं असणं पाण खाइमं साइमं वत्थ पडिग्गह कंवल पायपुच्छण पडिहारिय पीढ फलग सिज्जा संधारा ओसह भेसज्जेणं पडिलाभेमरो विहरइ ।

अर्थात्—(श्रावक कहता है) मुझे श्रमण-निर्ग्रन्थों को अर्धकर्मादि सोलह उद्मन दोष और अन्य छठ्ठीस दोष रहित प्रामुक एव एषणिक (उन महात्माओं के लेने योग्य) अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, कम्बल (पात्र, जो शीतादि से

वचने के काम में आता है,) पादपोछन (जो जीव-रक्षा के लिए पूजने के काम में आते हैं, वे रजोहरण या पूजनी आदि) पीठ (बैठने के काम में आने वाले छोटे पाट), (सोने के काम में आने वाले बड़े लम्बे पाट), शय्या (ठहरने के लिए घर), सगारा (विद्याने के लिए घास आदि), श्रीपथ और भेषज क्षीये चौदह प्रकार के पदार्थ, जो उनके जीवन-निर्वाह में सहायक हैं, प्रतिलाभित करते हुए विचरना कल्पता है। इन पदार्थों से मुनि महात्माओं को प्रतिलाभित करना श्रावक का कर्त्तव्य है और इस कर्त्तव्य के पालन करने की प्रतिज्ञा करना, इसी का नाम अतिथि-संविभाग व्रत है।

दान के उत्कृष्ट पात्र मुनि महात्माओं को उनके कल्पानुसार प्रामुख एवं एषणिक पदार्थ का दान वही श्रावक दे सकता है, जो स्वयं भी ऐसे पदार्थ काम में लाता है, क्योंकि मुनि महात्मा वही पदार्थ दान में ले सकते हैं, जो पदार्थ दान में देने वाले ने अपने लिए या अपने कुटुम्बियों के लिए बनाया हो। इसके विरुद्ध जो पदार्थ मुनि के लिए बनाया गया है अथवा खरीद कर लाया गया है, वह पदार्थ मुनि महात्मा नहीं लेते, किन्तु उसे दूषित और अग्राह्य मानते हैं। इसलिए जो श्रावक, अतिथि-संविभाग व्रत का पालन करने के लिए मुनि को दान देने की इच्छा रखता है, उसे अपने खान-पान, रहन-सहन आदि के काम में बनी ही चीजें लेनी होंगी, जिनमें से मुनि महात्माओं को भी

(१) श्रीपथ उसे कहते हैं जो एक ही चीज को कूट या पीस कर बनाई गई हो और भेषज उसे कहते हैं जो अनेक चीजों से मिलकर बना हो।

प्रतिलाभित किया जा सके । जो श्रावक ऐसा नहीं करता है, वह मुनि महात्मा को दान देने का लाभ भी नहीं ले सकता । उदाहरण के लिए कोई श्रावक अपने खाने पीने में सचित्त तथा अप्रासुक पदार्थ ही काम में लेता है, रगीन बहुत महोन अथवा चमकीले वस्त्रों का उपयोग करता है, अथवा कुर्सी, पलंग, टेबल आदि ऐसी ही चीजें घर में रखता है, जो साधु मुनिराज के काम में नहीं आ सकती, तो वह श्रावक मुनिराजों को अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, पाट आदि चीजों से प्रतिलाभित कैसे कर सकता है ? श्रावक का दूसरा नाम श्रमणोपासक यानि साधु का उपासक (सेवा करने वाला) है । मुनि महात्मा श्रावकों से शरीर सम्बन्धी सेवा तो लेते नहीं । इसलिए श्रावक, मुनिराजों की सेवा उन चीजों से मुनिराजों को प्रतिलाभित करने के रूप में ही कर सकता है कि जो चीजें मुनि महात्मा के समयी जीवन में सहायक हो सकती हैं और वे भी मुनि महात्मा के लिए बनाई हुई न हों, किन्तु अपने या अपने कुटुम्बियों के लिए बनाई अथवा खरीदी हुई हों । ऐसी दशा में जब श्रावक मुनि महात्मा के काम में आने वाली चीजों का उपयोग ही न करता होगा, तब वह मुनि महात्माओं को ऐसी चीजों से प्रतिलाभित कैसे कर सकेगा ? साधु मुनिराजों को प्रतिलाभित करने का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जिसके पास ऐसी चीजें हों ।

आज गृहस्थों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी सकुचित हो रही है कि वे जितने कपड़े सिलवाने होते हैं, उतने ही के लिए बाजार से कपड़ा खरीद लाते हैं । उनके घर में बिना सिला हुआ कपड़ा मिलना कठिन होता है । इसके लिए आर्थिक

दुरवस्था का वहाना भी अमंगल है । क्योंकि आर्थिक दुर-
वस्था का वहाना तो तब ठीक हो सकता है, जब सिले हुए
कपड़े आवश्यकता से अधिक न हो । लेकिन होता यह है
कि लोग इतने अधिक सिले हुए कपड़े भर रखते हैं, कि जो
वर्षों तक रखे रहते हैं, और जिन्हे पहनने का क्रम ही नहीं
आता है । इसलिए बिना सिला हुआ कपड़ा न रहने का
कारण आर्थिक दुरावस्था नहीं हो सकता, किन्तु अविवेक
ही हो सकता है । जिसमें उस प्रकार का अविवेक है, वह
मुनिराजो को प्रतिलाभित कैसे कर सकता है ! यदि श्रावकों
में इस विषयक विवेक हो, तो मुनिराजो को ऐसी दुकानों
पर वस्तु याचने के लिए बयो जाना पड़े, जहां सचित्त द्रव्य
के सघटे की सम्भावना रहती है और दूसरे दोषों की भी
सम्भावना रहती है ।

जैन शास्त्रों में धर्म के चार अंग प्रधान कहे गये हैं ।
जिनमें से दान-धर्म, धर्म की पहली सीढ़ी है । दान के भेदों
में भी अभय-दान और गुणान्न-दान को ही श्रेष्ठ कहा गया
है । गुणान्न-दान वह है, जिसका द्रव्य भी शुद्ध हो, दाता
भी शुद्ध हो और पात्र भी शुद्ध हो । इन तीनों का संयोग
मिाने पर महात् लाभ होता है ।

द्रव्य शुद्ध हो, इस कथन का मतलब वस्तु की श्रेष्ठता
नहीं है, किन्तु यह मतलब है कि जो द्रव्य अन्न, कर्मादि १६
दोषों से रहित हो, तथा जो गुणित महात्माओं के तप, सवम
का सहायक एवं वट्टक हो । ऐसा ही द्रव्य शुद्ध माना जाता
है । दाता वह शुद्ध है, जो बिना किसी प्रति-फल की इच्छा
अथवा स्वार्थ-भावना के दान देता है तथा जिसके हृदय में

पात्र के प्रति श्रद्धा भक्ति हो । पात्र वह शुद्ध है, जो गृह-प्रपंच को त्याग कर समय पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हो और जो संयम का पालन करने के लिए ही दान ले रहा हो । इन तीनों बातों का एकीकरण होने पर ही श्रावक इस वारहवें व्रत का लाभ पाता है । वारहवें व्रत के पाठानुसार तो व्रत की व्याख्या यहा ही पूर्ण हो जाती है परन्तु इस व्रत का उद्देश्य केवल मुनि महात्माओं को ही दान देना नहीं है, किन्तु श्रावक के जीवन को उदार एवं विशाल बनाना भी इस व्रत का उद्देश्य है । जीवन निर्वाह के लिए जो अत्यन्त आवश्यक है उस भोजन में भी जब श्रावक दूसरे के लिए विभाग करता है तब दूसरी ऐसी कौन-सी वस्तु हो सकती है, जिसमें श्रावक दूसरे का विभाग न करे किन्तु जिसके अभाव में दूसरे लोग दुःख पावें और श्रावक उसको अनावश्यक ही भण्डारों के तालों में बन्द कर रखे । श्रावक अपने पास के समस्त पदार्थों में से दूसरे को भाग दे देता है और पदार्थ पर से ममत्व उतार कर दूसरे की भलाई कर सकता है क्योंकि श्रावकपन स्वीकार करने के पश्चात् मनुष्य का जीव नहीं बदल जाता है । श्रावकपन स्वीकार करने वाले के लिए शास्त्र में कहा गया है—

समणोवासाए जाए आभगयजीवाजीवे जाव

पंडिलाभेमाणे विरहइ ।

अर्थात्—वह श्रमणोपासक अवस्था में जन्मा है और जीव अजीव का ज्ञाता होकर यावत् प्रतिलाभित करता हुआ विचरता है ।

इस पाठ के द्वारा श्रावक को द्विजन्मा कहा गया है। श्रावक का एक जन्म श्रावकपन स्वीकार करने के पहले होता है और दूसरा जन्म श्रावकपन स्वीकार करने के पश्चात् होता है। श्रावक होने से पहिले वह व्यक्ति जित भोग्योप-भोग्य पदार्थों में आसक्त रहता था, ममत्वपूर्वक जिनका संग्रह करता था और जिनके लिए क्लेश, कंकाश एवं महान् अनर्थ करने के लिए उताह हो जाता था, वही श्रावक होने के पश्चात् उन्ही पदार्थों को अधिकरण रूप (कर्म बन्ध का कारण) मानता है और उनसे ममत्व घटाता है तथा सचित्त नामग्री से दूसरे को सुख-सुविधा पहुँचाता है। इस प्रकार श्रावकत्व स्वीकार करने के पश्चात् मनुष्य की भावना भी बदल जाती है और कार्य भी बदल जाते हैं। उसकी भावना विनाल हो जाती है। ऐसा होने पर ही श्रावक अपने लिए लगाये गये 'द्विजन्मा' विशेषण को मार्थक कर सकता है। लेकिन यदि श्रावक होने पर भी सांसारिक पदार्थों के प्रति ममत्व बढा हुआ ही रहा, दीन दुःखियों को सुखी बनाने की भावना न आई तो उम दणा मे यह कैसे कहा जा सकता है कि उमका 'द्विजन्मा' विशेषण मार्थक है ?

आज के बहूत ने श्रावक दूसरे का हित करने और दूसरे का दुःख मिटाने के समय आरम्भ, समारम्भ की दुहाई देने लगते है, और आरम्भ, समारम्भ से बचने के नाम पर कृपणता एवं अनुदारता का व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा करना बुरो भूल है। अपने भोग-विलास एवं सुख सुविधा के समय तो आरम्भ, समारम्भ की उपेक्षा करना और दीनों का दुःख मिटाने के समय आरम्भ, समारम्भ की आठ नना

कैसे उचित हो सकता है ? श्री भगवती सूत्र के दूसरे शतक के पाचवें उद्देश्य में तुंगिया नगरी के श्रावको की ऋद्धि का इस प्रकार वर्णन है—

अड्ढा, दित्ता, विच्छिण्णविपुलभवनसयणासराजाण-
वाहणाइणा, बहुधणवहुजायरुवरयसा आओगपा योग सम्प-
उत्ता, विच्छड्डिडय विपुलभत्तपाणा, बहुदासीदासगोमहिसग-
वेलग । प्रभूआ, बहु जरास्स अपरिभूया पभिगयजीवाजीवा
जाव उसियफलिहा अभंगदुवारा ।

इस पाठ से स्पष्ट है कि तुंगिया नगरी के श्रावकों के यहाँ बहुत से दासी-दास एवं पशुओं का पालन होता था, बहुत सा भात, पानी निपजता था और उनकी सहायता से बहुत लोगो की आजीविका चलती थी । इस कारण उनके यहाँ अधिक आरम्भ, समारम्भ का होना स्वाभाविक ही है । श्रावक होकर भी उनके यहाँ अधिक समारम्भ होता था । तो क्या वे आरम्भ समारम्भ को नहीं समझते थे ? क्या आरम्भ-समारम्भ को घटाने विषयक तत्त्व को वे नहीं मानते थे ? वे इस तत्त्व को न जानते रहे हो, यह सम्भव नहीं । क्योंकि उक्त वर्णन में आगे चल कर तुंगिया नगरी के श्रावको के लिए कहा गया है कि वे आस्रव, सवर निर्जरा अविकरण, वन्ध और मोक्ष, इन तत्त्वों में कुशल थे । ऐसा होते हुए भी, वे दूसरे लोगो का पालन करने के समय आरम्भ, समारम्भ की आड़ नहीं लेते थे । क्योंकि उनमें उदारता थी, दया थी । आज के लोग शास्त्र में वर्णित बातों को पूरी तरह समझने के बदले, उनका दुरुपयोग कर डालते हैं । शास्त्रकारों ने इस विषय को स्पष्ट करने के

लिए ही उनकी द्रव्य ऋद्धि व उनके कार्य आदि का विवरण दिया है और साथ ही यह भी बता दिया है कि वे कैसे तत्त्वज्ञ थे । इनना ही नहीं, किन्तु उनकी उदारता का भी परिचय दिया है और यह भी बताया है कि जनहित के समय वे आरम्भ-समारम्भ की आड़ नहीं लिया करते थे ।

सांगंश यह है कि श्रावक अनुदार या कृपण नहीं होता है, किन्तु वह अपनी वस्तु का लाभ दूसरे लोगों को भी देता है । ज्ञाता सूत्र के आठवें अध्यायन में अरणाक श्रावक का वर्णन है । उस वर्णन में कहा गया है कि जब अरणाक श्रावक व्यापार के लिए विदेश जाने को तैयार हुआ, तब उसने अपने कुटुम्बियों एवं सजातियों को आमन्त्रित करके प्रीति-भोजन कराया और फिर उनसे स्वीकृति लेकर विदा हुआ । वह अपने साथ बहुत से उन लोगों को भी ले गया था, जो व्यापार करने की इच्छा रखते थे । समुद्र में एक देव ने अरणाक को घर्म में विचलित करने के लिए उपमार्ग दिये, लेकिन अरणाक अविचल ही रहा । तब वह देव अरणाक को दो जोड़े दिव्य कुण्डल के देकर चला गया । अरणाक ने उन दिव्य कुण्डलों पर भी ममत्व नहीं किया, किन्तु दूसरे को भेंट कर दिये ।

राजप्रणयीय सूत्र के अनुसार राजा प्रदेशी ने श्रावक होते ही यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं राज्य की आय के चार भाग करूँगा । जिनमें से एक भाग दानशाला में व्यय किया जाएगा, जिसमें श्रमण माहृण आदि पण्डितों को शान्ति मिलना करे ।

उस तरह के वर्णनों से स्पष्ट है कि श्रावक कृपण

नही होता है, किन्तु उदार होता है । वह दूसरे की भलाई से सम्बन्धित कामों के प्रसंग पर आरम्भ-समारम्भ या दूसरी कोई आड़ लेकर वचने का प्रयत्न नहीं करता है । बल्कि वह जनहित का भी वैसा ही ध्यान रखता है, जैसा ध्यान अपना या कुटुम्ब के लोगों के हित का रखता है । बल्कि कभी-कभी वह दूसरे की भलाई के लिए अपने आपको भी कष्ट में डाल देता है । ऐसे ही श्रावक धर्म की प्रशंसा भी कराते हैं तथा राजा प्रजा में आदर भी पाते हैं ।

उपासक दशाङ्ग-सूत्र में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए कहा गया है कि आनन्द श्रावक बहुत से राजा राजेश्वर, तलवर, (कोतवाल) माडम्बी, कौटुम्बी, सेठ, सेना-पति, सार्थवाह आदि को कार्य में, कार्य के कारण में, मंत्र (सलाह) में, कुटुम्ब की व्यवस्था में, गुप्त विचारों में, रहस्य की बातों में किसी बात के निश्चय पर आने में, व्यवहार कुशल था, पूछने लायक था और वार-वार पूछने लायक था । वह उस नगर में मेढी-प्रमाण, आधार-भूत, शालम्बन-भूत, चक्षु-भूत एवं मार्गदर्शक था । यदि आनन्द श्रावक जनहित के कार्यों से आरम्भ-समारम्भ के नाम से या श्रीर किसी वहाने से बचा रहता, कृपणता और अनुदारता का व्यवहार करता होता, तो वह इस प्रकार की प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकता था ? किसी मनुष्य का ऐसा प्रभाव तभी हो सकता है और उसे ऐसी प्रतिष्ठा तभी प्राप्त हो सकती है, जब उसमें सत्य के साथ ही उदारता भी हो ।

धर्म में दान सबसे पहला अंग है । सूत्रों में भी जहाँ किसी की ऋद्धि, सम्पदा आदि की प्रीति के कारण का

प्रश्न किया गया है, वहा यह प्रश्न भी किया गया है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म मे क्या दिया था ? बल्कि दूसरे कारण के विषय में प्रश्न करने से पहले इसी कारण के विषय मे प्रश्न किया गया है । व्यवहार मे भी वही व्यक्ति प्रतिष्ठित माना जाता है, जो उदार है । कृपण व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता, फिर चाहे वह कंसा भी क्यों न हो । उदार व्यक्ति की कीर्ति, उस व्यक्ति के न रहने पर भी अमिट रहती है । बल्कि लोग प्रातः काल उन लोगों का स्मरण विज्ञेप रूप से करते हैं जो दान के द्वारा अपनी कीर्ति फैला गये हैं । इस विषय मे पंडित कालीदास द्वारा कहा गया यह श्लोक भी प्रसिद्ध है—

देय भोज ! धन धन मुकृतिभिनो सत्रयरतम्यवै,
श्रीकर्णम्य वलेश्व विक्रमपते रद्यापि कीर्ति स्थिता ।
अस्माक मधु दानभोगरहित, नष्ट चिरात् सन्नित ।
निर्वाणादिति नैजपाययुगल, धर्पन्ति यन् मक्षिका ॥

(चाणक्यनीति अध्याय ११ वां)

कहा जाता है कि राजा भोज ने एक मक्खी को पैर धिक्ते देखकर, कालिदास से प्रश्न किया कि यह मक्खी क्या कहती है ? भोज के इस प्रश्न के उत्तर मे कालिदास ने उक्त श्लोक कहा । इस श्लोक का भावार्थ यह है कि हे राजा भोज ! तुम्हारे पास जो धन है वह मुकृत में नगदो, संनय करके न रगो । कर्ण बलि और विक्रम की विमल कीर्ति इस भूतल पर अत्र तक भी इसी कारण फैली हुई है कि उनने अपने पान का धन मुकृत में लगाया था । मैं

(शहद की मक्खी ने) अपना मधु रूपी द्रव्य न तो किसी को दिया, न स्वयं ही खाया । परिणाम यह हुआ कि वह मेरा चिर संचित द्रव्य नष्ट हो गया, यानि लोग लूट कर ले गये । मैं अपनी इस कृपणता के लिए पैर घिसकर पश्चात्ताप करती हूँ । जो लोग मेरी तरह कृपण रहेंगे, उन्हें भी इसी प्रकार पश्चात्ताप करना पड़ेगा । क्योंकि कृपण का धन दान या भोग में नहीं लगता, किन्तु व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है ।”

धन किसी न किसी मार्ग से जाता जरूर है । वह एक जगह स्थिर नहीं रहता । फिर दान देकर उसका सदुपयोग क्यों न कर लिया जावे ? भर्तृहरि ने कहा है —

दान भोगो नाशस्तिस्त्रो, गतयो भवन्ति वित्तग्य ।
यो न ददाति न भुक्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

अर्थात्—धन की दान भोग और नाश ये तीन गतियाँ हैं । यानि दान देने से जाता है, भोग में लगाने से जाता है या नष्ट हो जाता है । जो धन न दान में दिया जाता है, न भोग में लगाया जाता है, उसकी तीसरी गति अवश्य-भावी है । यानि नष्ट हो जाता है ।

दान और भोग में न आया हुआ धन जब नष्ट ही हो जाता है तब दान द्वारा उसका सदुपयोग ही क्यों न कर लिया जावे ? क्योंकि ऐसा न करने पर धन तो नष्ट ही जावेगा, तब पश्चात्ताप के सिवाय और बच पावेगा ही क्या ? इस बात को दृष्टि में रख कर ही, श्रावक के लिए उद्धारता रखने का उपदेश दिया जाता है । जो श्रावक इस

उपदेश को कार्यान्वित करता है, वह अपने आत्मा का भी कल्याण करता है और ससार में जैन धर्म का महत्त्व भी फैलाता है। लोग समझने लगते हैं कि जैन धर्मानुयायी श्रावक धन के दास नहीं होते, किन्तु धन के स्वामी होते हैं और वे धन का सदुपयोग करते हैं, उनमें कृपणता नहीं होती, किन्तु उदारता होती है।

इस बारहवें व्रत का श्रेष्ठतम आदर्श तो है श्रमण निर्ग्रन्थो को उनके कल्पानुसार प्रायुक्त और एषणिक चौदह प्रकार का आहार देना। जो सगार-व्यवहार और गृहादि को त्याग चुके हैं, जिनको शरीर-रक्षा के लिए आहार एवं वस्त्र तथा समयपालन के लिए आवश्यक उपकरणों की ही आवश्यकता रहती है, जिनमें अन्य सभी आवश्यकताएँ निशेष कर दी हैं। ऐसे महात्माओं को दान देने का फल महान् है। इसलिए श्रावक का प्रयत्न यही रहना चाहिए कि ऐसे उत्कृष्ट पात्र को वह दान दे सके, और ऐसा दान देने के संयोग को प्राप्ति की ही भावना भी रखना चाहिए। लेकिन इस तरह के संयोग विशेषतः उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, जिनके द्वार अभंग हैं। यानि दान के लिए किसी भी वास्तविक बन्ध नहीं है, किन्तु सभी अतिथियों के लिए खुले हैं। ऐसे लोगों को कभी ऐसे महात्माओं को दान देने का भी सुयोग मिल जाता है, जो गृह-संसार के त्यागी हैं और दान के उत्कृष्ट पात्र हैं। इसके विरुद्ध जिनका द्वार अतिथि के लिए बन्द रहता है, उसको ऐसा महान् शुभ संयोग कितना प्रसार मिल सकता है !

एक राजा के हाथ में जहनी फोड़ा हो गया था।

वैद्यों ने कहा कि यह फोडा प्राण-घातक है लेकिन यदि यह राजहंस की चोंच से फूट जावे, तो उस दशा में राजा के प्राण बच सकते हैं ।

वैद्यों द्वारा बताये गये उपाय के विषय में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि कैसे तो राजहंस आवे और कैसे वह इस छाले को फोड़े ! इस प्रश्न को हल करने के लिए राजा ने एक मकान बनवाया जिसकी छत में ऐसा छेद रखा कि राजा का हाथ तो नीचे रहे, लेकिन वह छाला छत के ऊपर निकला रहे । यह करके उसने छत पर पक्षियों के चुगने के लिए अन्न डलवाना प्रारम्भ किया । साथ ही छाले के आस-पास हंस के चुगने के लिए मोती भी डलवाने लगा । उस छत पर अन्न चुगने के लिए पक्षी आने लगे तथा पक्षियों को चुगते देखकर हंस भी आने लगे । होते-होते उन हंसों के साथ एक दिन राजहंस भी आ गया । राजहंस मोती चुगने लगा । मोती चुगते हुए राजहंस ने राजा के हाथ के छाले को मोती समझ कर उस पर भी चोंच मार दी, जिससे छाला फूट गया और राजा स्वस्थ हो गया ।

यद्यपि उस राजा का उद्देश्य राजहंस को बुलाना था, लेकिन राजहंस तभी आया, जब दूसरे पक्षी आते थे । यदि राजा ने दूसरे पक्षियों के लिए चुगने का प्रबन्ध न किया होता, तो राजहंस कैसे आ सकता था ! इसी के अनुसार श्रावक का लक्ष्य तो है पंच महाव्रतधारी उत्कृष्ट पात्र को दान देना, लेकिन ऐसे महात्माओं को वह अतिथि रूप में अपने यहां तभी पा सकता है और तभी उन्हें दान भी दे सकता है, जब वह सामान्य अतिथि का सत्कार करता रहेगा

और उन्हें दान देता रहेगा । ऐसा करते रहने पर उसे कभी उन महात्माओं को दान देने का भी मुयोग मिल सकता है, जो दान के उत्कृष्ट पात्र हैं और जिन्हें दान देने पर महान् फल प्राप्त हो सकता है । इसलिए श्रावक का कर्त्तव्य है कि वह सभी अतिथियों का यथाशक्ति सत्कार करे । श्रावक के लिये शास्त्र में यह विशेषण आया है कि उसका अभंग द्वार सदा खुला ही रहता है ।

कोई कह सकता है कि 'श्रावक का वारहवां व्रत पंच महा-व्रतधारी मुनिराजो को आहागदि देने से ही निषजता है, इसलिए शास्त्र में उन्हीं को दान देने का विधान है । दूसरो को दान देने का विधान नहीं है, किन्तु निषेध पाया जाता है । उदाहरण के लिए उपासक दणान्न सूत्र में आनन्द श्रावक के वर्णन में आया है कि आनन्द श्रावक ने यह प्रतिज्ञा ली कि अथ मे मुझे अन्य तीर्थों को अन्य तीर्थियों के देवों को और अन्य तीर्थियों द्वारा ग्रहित जैन-माधु-लिंग को वन्दन नमस्कार करना, उनका आदर-सत्कार करना उनके बोले बिना उनमें बोलना और उन्हे अशातादि देना नहीं कर्त्तव्य है । इस वर्णन में अन्य लोगो को दान देना श्रावक के लिए निषिद्ध होना स्पष्ट ही है ।'

उम प्रकार के कथन का समाधान यह है कि श्रावक के लिए धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से यह सब करना निषिद्ध है । क्योंकि धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से अन्यतीर्थों के साथ ऐसा व्यवहार करने पर मिथ्यात्व का पोषण होता है । श्रावक को देवा-देवी अथवा लोग भी अन्य तीर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे मिथ्यात्व की वृद्धि होगी ।

इसलिए धर्म बुद्धि या गुरु-बुद्धि से तो श्रावक के लिए पंच महाव्रतधारी महात्माओं के सिवाय दूसरे लोगों को दान देना निषिद्ध ही है लेकिन व्यवहार-बुद्धि, उपकार-बुद्धि या अनुकम्पा की भावना से दान देने का निषेध कहीं भी नहीं है, किन्तु विधान है । उदाहरण के लिए उपाशक दशाङ्ग सूत्र में ही सकडाल पुत्र श्रावक के वर्णन में कहा गया है कि गोशालक मखली पुत्र से प्रश्नोत्तर करने के पश्चात् सकडाल पुत्र ने गोशालक को पाट आदि चीजे दी । इस प्रकार धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से तो दूसरे को दान देने का निषेध है, लेकिन व्यवहारादि-बुद्धि से दूसरे को दान देने का श्रावक के लिए निषेध नहीं है । इसलिए श्रावक का कर्त्तव्य है कि वह सभी अतिथियों को दान देने के लिए अपने घर का द्वार खुला रमे ।



अतिथि-संविभारग व्रत के अतिचार

शास्त्रकारो ने इस वारहवें व्रत के पाच अतिचार बताये हैं, जिनमे वचना व्रतधारी श्रावक का कर्तव्य है । अतिचारो से बचे रहने पर ही श्रावक का व्रत निर्दोष रह सकता है और अतिचारो का सेवन करने पर व्रत दूषित हो जाता है । इस व्रत के पाच अतिचार इस प्रकार हैं:—

१ सन्नित्तनिक्षेपण—जो पदार्थ अन्नित्त होने के कारण मुनि महात्माओ के लेने योग्य हैं, उन अन्नित्त पदार्थों मे सन्नित्त पदार्थ मिला देना, अथवा अन्नित्त पदार्थों के समीप सन्नित्त पदार्थ डाल देना, सन्नित्तनिक्षेपण नाम का पहला अतिचार है ।

२ सन्नित्तपरिधान—अन्नित्त पदार्थ के ऊपर सन्नित्त पदार्थ ढांक देना, सन्नित्त परिधान नाम का दूसरा अतिचार है ।

३ कालातिश्रम जिस वस्तु के देने का जो समय है, वह समय टाल देना, कालातिश्रम नाम का तीसरा अतिचार है । उदाहरण के लिए किसी देश मे अतिथि को ब्राह्मण देने का समय दिन का दूसरा प्रहर है । इस समय को टाल

देना, अतिथि को आहार देने के लिए उद्यत न होना, काला-तिक्रम नाम का तीसरा अतिचार है ।

४ परोपदेश—वस्तु देनी न पड़े, इस उद्देश्य से अपनी वस्तु को दूसरे की बताना, अथवा दिये गये दान के विषय में यह संकल्प करना कि इस दान का फल मेरे पिता, माता, भाई आदि को मिले, परोपदेश या परोपदेश्य नाम का चौथा अतिचार है ।

५—मात्सर्य—दूसरे को दान देते देखकर उसकी प्रतिस्पर्धा करने की भावना रखकर दान देना, यानि यह बताने के लिए कि मैं उससे कम नहीं हूँ किन्तु बढकर हूँ, दान देना, मात्सर्य नाम पांचवां अतिचार है ।

ये अतिचार, वारहवें व्रत को दूषित करने वाले हैं । इसलिए इन अतिचारों से बचते रहना चाहिए । ये अतिचार जब तक अतिचार के रूप में हैं, तब तक तो व्रत को दूषित ही करते हैं, लेकिन अनाचार के रूप में होते ही व्रत नष्ट कर देते हैं । इनके सिवाय कुछ अन्य कार्य भी ऐसे हैं, जिनसे व्रत भंग हो जाता है । वे कार्य इस प्रकार हैं—

दागान्तराय दोसा न देई दिज्जन्तयं च वारेई ।

दिण्णे व परितप्पई इति क्रिवणता भवे भगी ॥

अर्थात्—पूर्व सचित्त दानान्तराय कर्म के दोष से ऐसी कृपणता रहती कि स्वयं भी दान नहीं देता है, दूसरे को भी दान देने से रोकता है और दान देकर दुखी है इस तरह की कृपणता से, अतिथि-संविभाग व्रत भंग हो जाता है ।

अनेक लोग कृपणता के कारण दान भी नहीं देना चाहते और अपनी कृपणता को छिपाकर उदारता दिखाने एव पात्र तथा अन्य लोगों की दृष्टि में भले रहने के लिए 'नाही भी नहीं करते, किन्तु अतिचारो मे वर्णित कार्यों का आचरण करने लगते हैं यानि या तो अचित्त पदार्थ मे सचित्त पदार्थ मिला देते हैं या अचित्त पदार्थ पर सचित्त पदार्थ टाक देते हैं, या भोजनादि का समय टाल देते हैं, अथवा अपनी चीज को दूसरे की वता देते है । ऐसा करके वे कृपण लोग अपनी चीज भी बचा लेना चाहते हैं, और साधु मुनिराजो के समीप भक्त एव उदार भी बने रहना चाहते है । लेकिन ऐसा करना कपट है, अतिचार है और व्रत को दूषित करना है । इसलिए श्रावक को ऐसे कामो से बचना चाहिए ।

इस कथन पर से कोई कह सकता है कि जिसमे दान देने की भावना ही नहीं है, उस व्यक्ति मे दान देने की भावना से निपजने वाला चारहवा व्रत ही कहा है ! और जब व्रत नहीं है, तब अतिचार कैसे ? इस कथन का समाधान यह है कि यह व्रत एक तो श्रद्धा रूप होना है, दूसरा प्रस्पणा रूप होता है और तीसरा स्पर्शना रूप होता है । इन तीनों भेदो मे से स्पर्शना रूप व्रत तो मयोग मिलने पर ही होता है, लेकिन श्रद्धा और प्रस्पणा रूप व्रत तो सदा ही बना रह सकता है । मायाचार या कपट ने श्रद्धा और प्रस्पणा रूप व्रत भी दूषित हो जाता है । उम्निए अतिचार मे बताये गये कामो मे श्रावक को नावधानीपूर्वक दूर रहना चाहिए ।

षट् आवश्यक

षट् आवश्यक

एक कहता है—'अगर ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है तो क्रिया की क्या आवश्यकता है ?' दूसरा कहता है—'क्रिया ही कन्याणकारिणी है । ज्ञान प्राप्त कर लेने से कोई लाभ नहीं है ।'

लक्ष्य दोनों का एक है, फिर भी लक्ष्य की उपलब्धि के मार्गों में समन्वय न होने के कारण दोनों में से एक भी लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता । ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय ही दोनों पंरों के समान लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक होता है । जो ज्ञान क्रिया का निषेध करता है वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है । जो क्रिया अज्ञानपूर्वक की जाती है वह समार भ्रमण का कारण होती है । दोनों का सम्यक् समन्वय परमार्थ-साधक है ।

न केवल परमार्थ-साधन में ही, अपितु व्यवहार में भी ज्ञान और क्रिया-दोनों की आवश्यकता होती है । कोई मनुष्य स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है, पर केवल स्वतंत्रता को ज्ञान लेने मात्र से वह प्राप्त नहीं हो सकती और न उसे

जाने बिना प्रयत्न करने से । ज्ञान और क्रिया दोनों होने पर ही वह प्राप्त हो सकती है । कडकड़ाती भूख लगने पर भोजन के ज्ञान से ही भूख नहीं मिट सकती, और भोजन का स्वरूप समझे बिना भूख मिटेगी ही कैसे ? इस प्रकार प्रत्येक व्यावहारिक सिद्धि के लिए ज्ञान और तदनुकूल क्रिया अनिवार्य रूप से अपेक्षित है । शास्त्र में कहा है—‘पढमं नागं तन्नो दया ।’ पहले ज्ञान की आवश्यकता है, फिर दया अर्थात् चारित्र्य या क्रिया सम्भव है । ज्ञानहीन क्रिया अन्धी है और क्रिया-हीन ज्ञान पगु है ।

हत ज्ञान क्रियाहीन हता चाज्ञानिना क्रिया ।

मुख के द्वारा भोजन क्रिया जाता है, यह तो सभी जानते हैं, पर भोजन पथ्य है या अपथ्य, यह जानना भी आवश्यक है । अपथ्य भोजन करने वाले रोगी और परिणामत दुखी देखे जाते हैं । इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक सिद्धि के लिए, चाहे वह व्यावहारिक हो या पारमार्थिक हो, तुच्छ हो या महान् हो, ज्ञान और क्रिया दोनों अपेक्षित हैं । जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता, इसी प्रकार अकेले ज्ञान और अकेली क्रिया से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती ।

ज्ञान-रहित क्रिया बहुत बार हानिकारक सिद्ध होती है । इसी प्रकार क्रिया-रहित ज्ञान तोतारटंत मात्र है । एक आदमी ने तोते को सिखाया कि—‘विल्ली आवे तो उससे वचना चाहिए ।’ तोते ने यह शब्द रट लिये । एक बार विल्ली घाई और उसने तोते को अपने निर्दय पंजे में पकड़

लिया । उस समय भी तोता यही रटता रहा—'विल्ली आवे तो उससे बचना चाहिए ।' लोग कहने लगे—मूर्ख तोता ! अब कब विल्ली आयगी और कब तू बचेगा !

आशय यह है कि तोते को ज्ञान होने पर भी क्रिया के अभाव में वह बच न सका । उस प्रकार क्रियाविहीन ज्ञान निरर्थक होता है ।


जैन शास्त्रों में जीवन के उत्थान और आत्मा के शाश्वत कल्याण के लिए अनेक प्रकार से क्रियाओं का विधान किया गया है । अब तक श्रावक के बारह व्रतों पर जो प्रकाश डाला गया है, वह गृहस्थों के लिए क्रिया का ही रूप है । इन व्रतों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से श्रावक के योग्य सभी कर्त्तव्यों का समावेश हो जाता है, तथापि एक आवश्यक कर्त्तव्य का जो आवश्यक के ही नाम से प्रसिद्ध भी है, विवेचन शेष रह गया है । उसका समावेश हुए बिना गृहस्थ-धर्म का विवेचन अधूरा ही रहेगा । अतएव उस पर विचार कर लेना उचित होगा ।

जो क्रिया अवश्य करने योग्य है उसे आवश्यक कहते हैं । यह नित्य-क्रिया भी है और नैमित्तिक क्रिया भी है । साधुओं के लिए भी उपयोगी है और श्रावकों के लिए भी उपयोगी है, अतएव अनिवार्य है ।

आवश्यक छह हैं—(१) सामायिक (२) चतुर्विंशति-
न्व (३) वन्दना (४) प्रतिप्रमाण (५) सायोज्यगं और

(६) प्रत्याख्यान । यहां क्रमशः इन आवश्यकों की व्याख्या की जायगी ।

यद्यपि वारह व्रतो में 'सामायिक' नामक एक पृथक् व्रत है और उस पर विवेचन किया जा चुका है, तथापि सामायिक का महत्त्व इतना श्रधिक है कि उसे पडावश्यकों में भी प्रथम स्थान दिया गया है । अतएव आवश्यक-प्रकरण में उस पर पुनः किंचित् विचार कर लेना अनुचित न होगा । सामायिक के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है:—



१-सामायिक

प्रश्न—सामाङ्ग्यं भते । जीवे किं जग्यङ्ग ?

उत्तर—सामाङ्ग्यं सावज्जजोगविरङ्ग जणलङ्ग ।

अथत्—

प्रश्न—भगवन् ! सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ?


उत्तर—सामायिक करने से सावद्य योग से निवृत्ति होती है ।

यहा सक्षेप मे सामायिक का फल बतलाया गया है । अन्य ग्रन्थो मे इसका बहुत कुछ विस्तार भी पाया जाता है । विशेषावश्यक भाष्य मे सामायिक के विषय मे चारह हजार श्लोक लिखे गये हैं ।

सामायिक समस्त धर्मक्रियाओ का आधार है । जैसे आकाश सभी के लिए आधार भूत है, चाहे कोई गृह बनाकर गृहाकाश कहे या मठ बनाकर मठाकाश कहे, मगः आकाश है सब के लिए आधार भूत, इसी प्रकार सामायिक भी समस्त धार्मिक गुणो का आधार है दूसरे गुण सब आधे

(६) प्रत्याख्यान । यहाँ क्रमशः इन आवश्यकों की व्याख्या की जायगी ।

यद्यपि वारह व्रतो में 'सामायिक' नामक एक पृथक् व्रत है और उस पर विवेचन किया जा चुका है, तथापि सामायिक का महत्त्व इतना अधिक है कि उसे षडावश्यकों में भी प्रथम स्थान दिया गया है । अतएव आवश्यक-प्रकरण में उस पर पुनः किञ्चित् विचार कर लेना अनुचित न होगा । सामायिक के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया है:—



१-सामायिक

प्रश्न—सामाहणं भते ! जीवे किं जणयइ ?

उत्तर—सामाहणं सावज्जजोगविरइ जणलइ ।

अर्थात्—

प्रश्न—भगवन् ! सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—सामायिक करने में सावद्य योग से निवृत्ति होती है ।

यहां सक्षेप में सामायिक का फल बतलाया गया है । अन्य ग्रन्थों में इसका बहुत कुछ विस्तार भी पाया जाता है । विशेषावश्यक भाष्य में सामायिक के विषय में वारह हजार श्लोक लिखे गये हैं ।

सामायिक समस्त धर्मक्रियाओं का आधार है । जैसे आकाश सभी के लिए आधार भूत है, चाहे कोई गृह बनाकर गृहाकाश कहे या मठ बनाकर मठाकाश कहे, मगर आकाश है सब के लिए आधार भूत, इसी प्रकार सामायिक भी समस्त धार्मिक गुणों का आधार है दूसरे गुण सब आधे

है । आधार के बिना आधेय टिक नहीं सकता । इस नियम के अनुसार सामायिक के अभाव में अन्य गुण भी नहीं टिक सकते । जैसे पृथ्वी के आधार बिना कोई वस्तु नहीं टिक सकती और आकाश के आधार बिना पृथ्वी नहीं टिक सकती, इसी प्रकार सामायिक का आश्रय पाये बिना दूसरे गुण नहीं टिकते ।

‘सम’ और ‘आय’ इन दो शब्दों के संयोग ‘सामायिक’ शब्द बना है । अर्थात् समभाव का आना ही सामायिक है । अपनी आत्मा जिस दृष्टि से देखी जाती है उसी दृष्टि से दूसरों की आत्मा को देखना समभाव कहलाता है । इस प्रकार का समभाव एकदम नहीं आ सकता, लेकिन अभ्यास करते रहने से जीवन में समभाव का आना कठिन भी नहीं है ।

कहा जा सकता है कि—‘ऐसा समभाव लेकर बैठे तो पेट भी नहीं भर सकता और आखिर भूखी मर कर प्राण गवाने पड़ेगे । सप्ताह-व्यवहार चलाने के लिए छल-कपट करना आवश्यक है और जिसमें जितना बल और साहस हो, उसे उतना ही अधिक छल-कपट करना चाहिए । ऐसा न करके, समभाव को छाती से चिपटा कर बैठ रहे तो जीवन कष्टमय बन जायगा ।’

इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजन कहते हैं—समभाव धारण करने से जीवन कष्टमय बनता ही नहीं है । विषमभाव में ही कष्टों की सृष्टि होती है । बहुत से लोगों की यह मान्यता है कि ‘बलीया के दो भाग’ वाली नीति रखने से ही जीवन-व्यवहार ठीक-ठीक चल सकता है । परन्तु

ज्ञानी पुरुषों का कथन इससे विपरीत है । उनके कथनानुसार समभाव धारण करने से ही जीवन-व्यवहार भली-भाँति चलता है ।

इस प्रकार दोनो प्रकार के लोग अपनी-अपनी मान्यता प्रकट करते हैं । इस कारण प्रकृत विषय मतभेद का विषय बन जाता है । मगर तटस्थभाव से विचार करने पर अन्त में यही प्रतीत होता है कि ज्ञानी पुरुषों का कथन ही ठीक है ।

इस बात का निर्णय करने के लिए आप यह विचार कीजिए कि दुनिया का काम पढ़े-लिखे लोगों में चल रहा है या अपढ़ लोगों से ? अगर पढ़े-लिखे लोगों में ही काम चलता हो तो दुनिया में पढ़े-लिखे अधिक हैं या अपढ़ लोग अधिक हैं ? और अगर सभी लोग पढ़-लिख जाए तो दुनिया का काम ठीक तरह चल सकेगा ? नहीं, तो क्या पढ़ना बुरी बात है ? दुनिया में अपढ़ अधिक हैं और अपढ़ों द्वारा ही दुनिया का काम चलता है, ऐसा विचार करके क्या कोई पढ़ना छोड़ देता है ? सगर में गरीबों की संख्या ज्यादा है, इस विचार से क्या कोई अपने पास का पैसा फेंक देता है ? रोगियों की संख्या अधिक जानकर कोई स्वयं रोगी बनने की इच्छा करता है ?

सगर में रोगी भले ही अधिक हों, लेकिन कोई स्व-च्छा से रोगी नहीं बनना चाहता । कभी रोग उत्पन्न हो जाता है तो उसे मिटाने का प्रयत्न किया जाता है । इसी प्रकार दुनिया में विषमभाव भी है । मगर विषमभाव सदा

इतने समभाव का अभ्यास तो कर ही लेना चाहिए कि जब आप सामायिक में बैठे हों और उस समय कोई आपको गालियां दे तो भी उस पर समभाव रह सके। आपके अन्तःकरण में इतना समभाव आ जाय तो आपको समझना चाहिए कि अब हमारा तीर निशाने पर लगने लगा है। इससे विपरीत मुंहपत्ती बांधते बांधते कानों में निशान पड जाए और सामायिक करते-करते वर्षों व्यतीत हो जाए, फिर भी जब आप सामायिक में बैठें और कोई गाली दे तो आप समभाव न रख सके तो समझना चाहिए कि आपका लक्ष्य कही है और आप तीर कही अन्य जगह मार रहे हैं। यहां तक जो कुछ कहा गया है वह देशविरती सामायिक को लक्ष्य में रखकर ही कहा गया है। सर्वविरति सामायिक के लिए इसमें भी अधिक समझना चाहिए। सर्वविरति सामायिक में पूर्ण समभाव की आवश्यकता रहती है।

सामायिक अथवा समभाव का फल क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा कि सामायिक से समभाव की प्राप्ति होती है और समभाव के सावद्य योग से निवृत्ति होती है। मन, वचन और काय के योग से जो पाप होते हैं, वह सावद्य योग कहलाते हैं। यह सावद्य योग सामायिक से दूर हो जाता है।

सामायिक का फल वतलाते हुए अनुयोगद्वार सूत्र में तथा अन्यत्र भी कहा गया है:—

जस्स मामाणिओ अप्पा, संजमे नियमे तवे ।

तस्स सामाइयं होइ, इह केवलिभासिय ॥

जो समो सव्वभूएसु, तमेसु यावरेसु व ।
तस्स मामाइयं होड, इह केवलिभासियं ॥

इन गाथाओं का आशय यह है कि समभाव से वर्तने वाले के ही तप-नियम-संयम आदि सफल होते हैं। समभाव के अभाव में तप और नियम आदि सफल नहीं होते। तप करना और द्रुमों को कण्ट देना, संयम लिया मगर दूसरों पर हुकूमत चलाई, तो यह तप और संयम समभावविहीन है। तप-संयम की सच्ची सफलता समभाव की विद्यमानता में ही है।

सामायिक की अवस्था में आत्रमणकारी पर भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध न आवे तो समझ लीजिए कि मैं भगवान् के कथनानुसार समभाव का पालन कर रहा हूँ। इसके विरुद्ध अगर क्रोध भड़क उठता है तो जानी रहते हैं—अभी तुझमें संयम नहीं आया क्योंकि तू समभाव में दूर है। संयम तो समभावपूर्वक ही होता है। समभाव के अभाव में संयम टिक ही नहीं सकता। इस प्रकार सामायिक करते समय क्रोध भी नहीं करना चाहिए और प्रसिद्धा मिलने पर अभिमान भी नहीं करना चाहिए। जब कोई नमस्कार करे तो समझना चाहिए कि यह नमस्कार मुझे नहीं, मेरे समभाव को है। अतएव मुझे तो समभाव ही की रक्षा करनी चाहिए। अहंभाव समभाव के विरुद्ध है अतएव अहंभाव का तो त्याग करना ही चाहिए। जब मन में अहंभाव आवे तो समझना चाहिए कि अभी तक मुझ में समभाव नहीं आया है।

कहने का आशय यह है कि प्रत्येक कार्य में सामायिक की आवश्यकता है अर्थात् समभाव रखने की आवश्यकता है । समभाव के बिना किसी भी कार्य में और किसी भी स्थान पर शान्ति नहीं मिल सकती, फिर भले ही वह कार्य राजनीतिक हो या सामाजिक हो । सामायिक होने पर ही सब कार्यों में शान्ति मिल सकती है । जिसमें समभाव होता है उसका हृदय माता के हृदय के समान बन जाता है । सामायिक करने से अर्थात् समभाव धारण करने से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा ही है कि समभाव धारण करने से अर्थात् सामायिक करने से सावद्य योग दूर हो जाता है । और जिस सामायिक में सावद्य योग निवृत्त हो जाता है, वही सच्ची और सफल सामायिक है ।

यहां यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सामायिक करने से जिस सावद्य योग की निवृत्ति होती है, वह सावद्य योग क्या है ? इस सम्बन्ध में कहा है -

कर्मं सावज्जं जं गरहियं ति कोहाईअ व चत्तारि ।

सह तेहि जो होउ जोगो पच्चक्वार्णं भवइ तस्स ॥

इस गायी में सावद्य योग की व्याख्या की गई है । इसका भावार्थ यह है कि निन्दनीय कार्य सावद्य कहलाता है अथवा क्रोध, मान, माया और लोभ को सावद्य योग कहते हैं, क्योंकि समस्त निन्दनीय कर्म कपाय के अवीन होकर ही किये जाते हैं । निन्दनीय कर्मों का कारण कपाय है, अतः कारण में कार्य का उपचार करके कपाय भी सावद्य योग

कहा गया है । इस सावद्य के साथ जो व्यापार (प्रवृत्ति) की जाती है, वह सावद्य योग कहलाती है । सावद्य योग का प्रत्याख्यान कहलाता है ।

इस गाथा में आये हुए 'सावज्ज' शब्द का 'सावज्यं' भी अर्थ होता है और 'सावद्य' भी । पापयुक्त कार्य सावद्य कहलाता है और गहित या निन्दित कार्य 'सावज्यं' कहा जाता है ।

आर्य की व्याख्या करते हुए एक वार मैंने कहा था—

आगत मकलहेयधर्मस्य इति आर्यः ।

अर्थात् - समस्त हेय धर्मों—पाप कर्मों का त्याग करने वाला आर्य है । जो कार्य आर्य पुरुषों द्वारा त्यागे गये हैं अथवा उसके द्वारा जो निन्दित हैं वे सब कार्य सावद्य हैं । श्रेष्ठ पुरुष कभी निन्दित कार्य नहीं करते । जिन कार्यों में जगत् का कल्याण होता है वह श्रेष्ठ कार्य हैं और संसार का अहित करने वाले कार्य निन्दित कर्म है । मारा संसार जुझा लेने लगे तो क्या संसार का अहित नहीं होगा ? ऊपर में तो जुग में श्रल्प आरम्भ दिखाई देता है परन्तु वास्तव में जुआ चलना दुनिया के लिए अत्यन्त अहितकर है । इसी कारण शास्त्र में उसे महाप्रमाद कहा है । धर्म प्रसार संसार के समस्त मनुष्य अंगर चोरी करने लगे तो दुनिया का काम कैसे चल सकता है ? क्या उस स्थिति में संसार दुगों में व्याप्त नहीं हो जायगा ? इसी कारण ऐसे कृत्य निन्दित माने गये हैं । इसी तरह के और-धर्म कार्य भी सावज्यं कार्य हैं । निन्द्य कार्य त्याज्य ही हैं । अतएव

निन्दित कार्यों का त्याग करके अनिन्दित कार्यं करोगे तो समभाव की रक्षा होगी और आत्मकल्याण भी हो सकेगा । समभाव की रक्षा करने से सावद्य योग की निवृत्ति अवश्य होती है । अतएव सावद्य योग से निवृत्त होओ और समभाव की रक्षा करो । इसी में कल्याण है ।

सावद्य योग से निवृत्त होने के लिए आत्मा को किसी आलम्बन की आवश्यकता रहती है । एक वस्तु से निवृत्त होने के लिए दूसरी वस्तु का अवलम्बन लेना जरूरी है । दूसरी का अवलम्बन लिए बिना एक से निवृत्त होना कठिन है । उदाहरणार्थ—आप लोग शाकाहारी हैं इसलिए मांसाहार से बचे हुए हैं । अगर आपको शाकाहार प्राप्त न होता तो मासाहार से बचना क्या सम्भव था ? इस प्रकार दूसरी वस्तु सामने उपस्थित हुए बिना किसी का त्याग नहीं किया जा सकता । यद्यपि उपदेश तो निराहारी बनने का दिया जाता है परन्तु वह अवस्था सहसा प्राप्त नहीं हो सकती । अतएव सर्वप्रथम मासाहार से बचना आवश्यक है । मांसाहार से बचने का उपाय यही है कि शाकाहार प्रस्तुत हो । शाकाहार का अवलम्बन लेना भी मांसाहार छोड़ने का और धीरे-धीरे निराहारी बनने का एक मार्ग है । महारम्भी वस्त्र का त्याग करने के लिए अल्पारम्भी वस्त्र का आलम्बन लिया ही जाता है । इसी प्रकार जब सावद्य योग से निवृत्त होना हो तो निरवद्ययोग का अवलम्बन लेना आवश्यक हो जाता है । परमात्मा की प्रार्थना करना निरवद्य कार्य है । यह निरवद्य कार्य सावद्य योग का त्याग करने के लिए आलम्बनभूत है ।

२-चतुर्विंशतिस्तव

प्रश्न—चउव्वीसत्थण भन्ते । जीवे किं जणयड ?

उत्तर—चउव्वोसत्थणं दसणविसोहि जणयड । ६ ।

अथत्

प्रश्न—चौविंश जिनो की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—चतुर्विंशतिस्तव मे दर्शनविशुद्धि होती है ।

भगवान् ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर पर्यन्त चौवीस तीर्थकरो का स्तवन करना, उनकी प्रार्थना करना या उनकी भक्ति करना चतुर्विंशतिस्तव कहलाता है । चौवीस तीर्थकरो की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होना है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने फरमाया है कि चौवीस तीर्थकरो की स्तुति करने से दर्शन की विशुद्धि होती है ।

नीरंको के स्तवन के भेद हैं । जैसे-नामस्तवन, स्थापनास्तवन, द्रव्यस्तवन, कालस्तवन, क्षेत्रस्तवन आदि । इन सब भेदों को स्पष्ट करने के लिए कुछ विवेचन करना आवश्यक है ।

नामस्तवन के भी दो भेद हैं । एक भेद-नामस्तवन, दूसरा अभेद-नामस्तवन । भगवान् ऋषभदेव को ऋषभदेव कहना और भगवान् महावीर को महावीर कहना अभेद-नाम है । इस अभेद नाम का स्तवन करना अभेद-नामस्तवन कहलाता है । किसी एक जीव या एक अजीव अथवा किसी जीवाजीव या अनेक जीवों अथवा अनेक अजीवों को तीर्थकर का नाम देना भेद नाम कहलाता है । भेद नाम में और अभेद नाम में बहुत अन्तर है । अभेद नाम से उसी वस्तु का बोध होता है किन्तु भेद नाम से किसी भी वस्तु को, किसी भी नाम से संबोधन किया जा सकता है । जैसे रुपया को रुपया कहना अभेद नाम है लेकिन बालक का रुपया नाम रख देना भेद नाम है । भेद नाम से भेद जैसा और अभेद नाम से अभेद जैसा कार्य होता है । भेद नाम से अर्थक्रिया की सिद्धि नहीं होती और अभेद नाम से अर्थक्रिया सिद्ध होती है । थाली में भोजन के नाम से पत्थर जैसी कोई वस्तु रख दी जाय तो उससे क्षुधा शान्त नहीं होती, क्योंकि वह भोजन अभेद नाम नहीं वरन् भेद नाम है । भेद नाम वाले भोजन से भूख नहीं मिट सकती । इस प्रकार के भेद नाम से अर्थक्रिया की सिद्धि नहीं होती । अर्थक्रिया तो अभेद नाम से ही सिद्ध होती है । यह नामस्तवन की बात हुई ।

इसी प्रकार तीर्थङ्करों का नाम लिखकर उन नामों में स्थापना की जाय या मूर्ति में उनकी स्थापना की जाय तो हम उसे भेदनिक्षेप से तो मानते हैं, मगर अभेद निक्षेप से नहीं । इसी प्रकार इस तरह की नामस्थापना को वन्दना भी नहीं कर सकते । हम अभेद निक्षेप को ही वन्दन करते

हैं । भेद निक्षेप को हम स्वीकार तो करते हैं किन्तु श्रय-
क्रिया की सिद्धि तो अभेदनिक्षेप में ही हो सकती है और
उसलिए अभेद को ही नमस्कार करते हैं ।

अब द्रव्यतीर्थङ्कर की बात लीजिए । जो चौबीस
तीर्थङ्कर हो चुके हैं । वे जब तक केवली नहीं हुए थे,
वरन् राजा अवस्था में थे, तब तक द्रव्यतीर्थङ्कर थे । ऐसे
द्रव्यतीर्थङ्करों का स्तवन करना द्रव्यस्तवन है । हम द्रव्य-
तीर्थङ्कर को नमस्कार नहीं करते और न उनका स्तवन ही
करते हैं, किन्तु जब उनमें तीर्थङ्कर के योग्य गुण प्रकट हो
जाते हैं तभी उन्हें नमस्कार करते हैं और तभी उनका
स्तवन करते हैं ।

तीर्थङ्करों को किम प्रयोजन में नमस्कार किया जाता
है अथवा उनका स्तवन किम्लिए किया जाता है, यह बात
प्रतिक्रमण में बोली ही जाती है—

नोग्ग्न उज्जोगगरे, घम्मतित्ययरे जिसे ।

अग्निहंते कित्तइस्मं, चउवीमं पि केवली ॥

अर्थात्—चौबीस तीर्थङ्कर भगवान् लोक में उद्योत
करने वाले हैं, मैं उनका स्तवन करता हूँ । ऐसा होने पर
भी जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक वह वस्तु दिखाई
नहीं देती । प्रकाश होने पर ही वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई देती
है । भगवान् पंचास्तिकाय रूप लोक को प्रकाशित करने
वाले हैं । हम लोग भगवान् के ज्ञान-प्रकाश ने ही पंचास्तिकाय
को जान पाते हैं ।

श्रीभगवतीसूत्र में मंडूक श्रावक का प्रकरण आता है। उसमें कहा गया है कि मंडूक श्रावक को कालोदधि ने पूछा था—‘तुम्हारे भगवान् महावीर पचास्तिकाय का प्रतिपादन करते हैं। उनमें से चार को अरूपी और एक पुद्गल को रूपी कहते हैं, लेकिन अरूपी क्या तुम्हें दिखाई देता है?’ मंडूक श्रावक ने इस प्रश्न का उत्तर दिया—‘हम अरूपी को नहीं देख सकते।’

कालोदधि—जिस वस्तु को तुम देख नहीं सकते, उस पर श्रद्धा करना और उसे मानना कोरा पाखंड नहीं तो क्या है?’

मंडूक—हे देवानुप्रिय ! तुम्हारे कथनों का आशय यह हुआ कि जो वस्तु देखी जा सके उसे ही मानना चाहिए; जो न देखी जा सके, उसे नहीं मानना चाहिए। किन्तु मैं पूछता हूँ कि पवन, गन्ध और शब्द को तुम आँखों से देख सकते हो ? समुद्र के एक किनारे पर खड़े होकर दूसरा किनारा देख सकते हो ? अगर नहीं, तो क्या पवन, गन्ध, शब्द और हमारे किनारे को नहीं मानना चाहिए ? तुम्हारा पक्ष तो यही है कि जो वस्तु देखी न जा सके, उसे मानना ही नहीं चाहिए।

मंडूक का यह उत्तर सुनकर कालोदधि प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा—भगवान् महावीर के गृहस्थ शिष्य इतने कुशल हैं तो स्वयं भगवान् कैसे होंगे ?

मंडूक श्रावक जब भगवान् महावीर के पास आया तब भगवान् ने उससे कहा—‘हे मंडूक ! तूने कालोदधि को ऐसा उत्तर दिया था ?’

मंडूक बोला—हां भगवन् । मैंने यही उत्तर दिया था । मेरे उत्तर को आप अपने ज्ञान से जानते ही हैं ।

भगवान् ने कहा—हे मंडूक । तुने कालोदधि को समीचीन उत्तर दिया था । यदि तुम कहते कि मैं घर्म-न्तिकाय देवता हूँ तो तुम अनन्त अरिहन्तो की अद्वैतना करते । मगर तुमने जो उत्तर दिया, वह समीचीन है ।

लोक-व्यवहार में भी अनुमान को प्रमाण मानना पड़ता है । उसके बिना व्यवहार में भी काम नहीं चल सकता । ऐसी स्थिति में घर्म के विषय में अनुमान प्रमाण क्यों न माना जाय ? नदी को देखकर प्रत्येक मनुष्य उसके उद्गम स्थान का अन्दाज लगाना है आप सिर्फ नदी देख रहे हैं, उसका उद्गम-स्थान आपको दिखाई नहीं देता, फिर भी नदी देखने से उसका उद्गम स्थान मानना ही पड़ता है । उसी प्रकार एक भाग को देखने से दूसरा भाग भी मानना पड़ता है । एही न्याय से सर्वज्ञ और वीतराग भगवान् ने जो कुछ कहा है उसे भी सत्य मानना चाहिए । तीर्थङ्कर भगवान् ने अपने ज्ञान-प्रकाश द्वारा देखकर ही प्रत्येक बात का प्ररूपण किया है, इसी कारण कहा गया है कि जो भगवान् तीन लोक में उद्योत करने वाले हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ । एसी तरह जो अरिहन्त भगवान् घर्म की स्थापना करते हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ । ऐसे अरिहन्त भगवान् चौबीस हैं और वे सम्पूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं ।

चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन तो बहुत ने योग करते हैं, किन्तु स्तवन के गुण भलीभांति समझकर स्तवन किया

जाय तो सब प्रकार की शंकाएं निर्मूल हो जाती हैं । चौबीस तीर्थङ्करों की स्तुति करने का फल वतलाते हुए भगवान् ने कहा है कि चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने से दर्शन की विशुद्धि होती है । इस कथन का आशय यह है कि चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन करने वाले का सम्यक्त्व इतना निर्मल हो जाता है कि देवता भी उसे सम्यक्त्व से विचलित नहीं कर सकते । अर्थात् उसका दर्शन अत्यन्त निर्मल और प्रगाढ हो जाता है । दर्शन की विशुद्धि करने के लिए चौबीस तीर्थङ्करों का स्तवन निरन्तर करते रहना चाहिए । कदाचित् स्तवन का फल प्रत्यक्ष या तत्काल दृष्टि-गोचर न हो तो भी उसी प्रकार स्तवन करते रहना चाहिए । दवा का फल प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता, फिर भी वैद्य पर विश्वास करके रोगी उसका सेवन करता रहता है और आगे चलकर दवा अपना गुण प्रकट करती है, इसी प्रकार भगवान् के कथन पर विश्वास रखकर तीर्थङ्करों का स्तवन करते रहोगे तो दर्शन की प्राप्ति अवश्य होगी । मोह और मिथ्यात्व का अवश्य ही विनाश होगा । शास्त्र में कहा है -

श्रद्धा परम दुल्लहा ।

अर्थात्—श्रद्धा बहुत दुर्लभ है ।

यह कथन उस श्रद्धा के विषय में है, जो श्रद्धा "जीवित" होती है । जैसे मुर्दा मनुष्य किसी का नहीं समझा जाता, उसी प्रकार मरी हुई श्रद्धा भी किसी काम

की नहीं होती । अगर किसी मनुष्य में मुर्दापन आता दिखाई देता है तो उसे दवा देकर स्वस्थ किया जाता है । इसी प्रकार अगर आपकी श्रद्धा में मुर्दापन आ रहा हो तो उसे भी चौबीस जिनो की स्तुति द्वारा जीवित बनाओ । ऐसा करने में श्रद्धा-गुण की प्राप्ति होगी । अतएव चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति करने में वीरता और धीरता रखो । उदासीनता का त्याग करो ।



३-वन्दना

प्रश्न—वन्दनाएण भते ! जीवे कि जणावइ ?

उत्तर—वन्दनाएण नीयागोयं कम्म खवेइ उच्चागोयं निवधइ, सोहग्ग च णं अप्पडिहय आणाफलं निवत्तेइ, दाहिणभावं च ण जणयइ ।

अर्थात्

प्रश्न—भगवन् ! वन्दना करने से जीव को क्या लाभ होता है?

उत्तर—वन्दना करने से जीव नीचगोत्र कर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्र का वध करता है, सुभग, सुस्वर आदि का वध करता है, सब उसकी आज्ञा मानते हैं और वह दाक्षिण्य को प्राप्त करता है ।

चीवीस तीर्थङ्करो की प्रार्थना करने के सम्बन्ध में पहले विवेचन किया जा चुका है । जिनकी प्रार्थना की जाती है, जिनका स्तवन किया जाता है, उन तीर्थङ्कर भगवान् को वन्दना-नमस्कार भी करना ही चाहिए । अतः यहाँ वन्दना के विषय में कहा जायगा । कदाचित् कोई तीर्थङ्करो की

प्रार्थना न कर सके परन्तु वन्दना तो सभी कर सकते हैं।
व्रत. शास्त्र में वन्दना के फल के विषय में प्रश्न किया गया है।

‘वदि’ धातु से वन्दना शब्द बना है। वदन शब्द का अर्थ अभिवादन करना भी होता है। वंदना कब करना चाहिए ? इस प्रश्न के उत्तर में यह क्रम है कि सर्वप्रथम सामायिक करना चाहिए अर्थात् पहला सामायिक आवश्यक है, तत्पश्चात् तीर्थीय जिनस्तवन आवश्यक है और फिर वन्दन आवश्यक है। वदना करने की भी विधि है। वन्दना किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय पर शास्त्रकारों ने बहुत प्रकाश डाला है। आज तो वन्दना करने की विधि में भी न्यूनता नजर आती है, मगर शास्त्रीय वर्णनों से प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में विधिपूर्वक ही वन्दना के फल के सम्बन्ध में भगवान् से प्रश्न किया गया है। भगवान् ने वन्दना आवश्यक का बहुत फल प्रकट किया है। वंदना के २५ आवश्यक वतलाये गये हैं। वे पच्चीस आवश्यक क्या हैं, उस विषय में कहा है -

दुयो राय अहाजायं कीयम्म वारमावस्य होई ।

चउ गौरं तिगुल न, दुप्पवेन एग निवसण ॥

वन्दना के पच्चीस आवश्यकों का निरूपण इस प्रकार किया गया है—दो बार नमन कीर्तिकर्म अर्थात् वन्दना आवश्यक, एक वधाजान आवश्यक वारह आवर्तन आवश्यक, चार मन्त्रक नमन के आवश्यक, दो बार गुरु के अविग्रह में प्रीति करना आवश्यक और एक बार गुरु के अविग्रह में से निरापना आवश्यक। उन पच्चीस आवश्यकों के होने पर ही वन्दना पूर्ण होती है।

यहाँ यह देखना है कि इन पच्चीस आवश्यकों का अर्थ क्या है ? साध्वी या अन्य स्त्री गुरु से सत्ताईस हाथ दूर रहे और शिष्य या अन्य पुरुष साढे तीन हाथ दूर रहे, यह गुरु का अविग्रह-क्षेत्र है । अगर स्थान का संकोच न हो तो गुरु से पुरुष या शिष्य साढे तीन हाथ की और साध्वी या स्त्री सत्ताईस हाथ की दूरी पर रहकर, विनीत भाव से, नीची दृष्टि करके, हाथ में ओषा और मुख पर मुखवस्त्रिका सहित, गुरु को नमस्कार करते हुए 'खमासणा' का यह पाठ बोलते हैं—

इच्छामि खमासमणो वदिउ ।

अर्थात्—हे क्षमाश्रमण ! मैं आपको वन्दन करने की इच्छा करता हूँ ।

कहा जा सकता है कि जब वन्दन करने की इच्छा है ही तो इस प्रकार कहने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस प्रकार कहनेवाले व्यक्ति को गुरु के अविग्रह में प्रवेश करना है, अतएव वह गुरु की स्वीकृति चाहता है । अविग्रह के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा चार भेद हैं । इन सब का यहाँ वर्णन न करते हुए सिर्फ इतना कह देना आवश्यक है कि गुरु के क्षेत्र अविग्रह में प्रवेश करना है, इसी हेतु गुरु की स्वीकृति ली जाती है । गुरु को इच्छापूर्वक नमस्कार करना चाहिए । नमस्कार करने में उद्दता होना उचित नहीं है और इसी कारण आचार्य के क्षेत्र-अविग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति ली जाती है । अगर आचार्य अविग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति देना

चाहते होंगे तो वे 'छन्द्रेणं' अर्थात् जैसी तुम्हारी इच्छा' कहेंगे अगर वे अविग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं देना चाहते होंगे तो 'तिविहेण' कहेंगे यह कहने का तात्पर्य यह है कि वही से मन, वचन और काय में नमस्कार कर लो ।

अगर आचार्य 'छन्द्रेणं' कह कर अविग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृति दें तो उस समय बालक के समान अथवा दीक्षा धारण के समय के समान नम्रता धारण करके, हाथ में ओषा रखकर और मुख पर मुखवस्त्रिका सहित में 'निस्तहि निस्तहि (अर्थात् मैं मन, वचन, काय से सावद्य योग का त्याग करता हूँ) कहते हुए अविग्रह में प्रवेश करना चाहिए और फिर गुरु के चरणों में निकट पहुंचकर बारह प्रकार का आवर्त्तन करना चाहिए । आवर्त्तन करते समय 'अहोकाय कायसंफामिय' ऐसा बोलते जाना चाहिए । 'अहोकायं काय' उसमें छह अक्षर हैं । उन छह अक्षरों में से दो दो अक्षरों का एक एक आवर्त्तन होता है । उस प्रकार 'अहोकायं काय' उन छह अक्षरों के तीन आवर्त्तन हुए । 'अहोकायं काय' ऐसा बोलते हुए आवर्त्तन करना और 'संफामिय' शब्द का उच्चारण करते समय अपने हाथ और मस्तक द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए ।

'अहोकायं कायसंफामिय' का अर्थ है 'हे गुरु महाराज ! घायली नीची काया अर्थात् चरण तो मैं अपनी ऊंची काया अर्थात् मस्तक में स्पर्श करता हूँ ।'

आवर्त्तन और चरणस्पर्श करने के पश्चात् उस प्रकार करना चाहिए—

‘खमण्डजो भे ! किलामो अप्पकिलताण वहु सुभेण भे दिवसो वड्ढकतो ।’

अर्थात् - हे पूज्य ! अपनी ऊंची काया द्वारा आपकी नीची काया का स्पर्श करते समय आपको जो कुछ क्लेश हुआ हो, मेरा वह अपराध क्षमा कीजिए ।

यह कैसी सूचना दी गई है ? इस क्षमायाचना से इस रहस्य का ज्ञान होता है कि जब गुरु के चरणस्पर्श करने में भी गुरु को कष्ट न पहुंचने जैसी सूक्ष्म बात का ध्यान रखा जाता है तो फिर दूसरे प्रकार का कष्ट न होने देने के विषय में कितना ध्यान रखना चाहिए ! जिस घर में एक कौड़ी भी वृथा खर्च नहीं की जाती, उस घर में रुपया-पैसा वृथा खर्च कैसे किया जा सकता है ? इसी प्रकार जहां चरणस्पर्श करने में भी कष्ट न पहुंचाने का ध्यान रखा जाता है और इतनी सूक्ष्म बात के लिए भी क्षमायाचना की जाती है, वहां अन्य बातों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता होगा ? मगर इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि गुरु को कष्ट होने का विचार करके उनके चरणों का स्पर्श ही न किया जाय । एक कौड़ी भी वृथा खर्च न करना ठीक हो सकता है किन्तु आवश्यकता पड़ने पर भी खर्च न करना कृपणता है । इसी प्रकार गुरु को कष्ट न हो, इस बात का ध्यान रखना तो उचित है मगर उन्हें कष्ट होने के विचार से चरणों का स्पर्श ही न करना अनुचित है । गुरु को कष्ट हो, इस प्रकार से उनके चरणों का स्पर्श करना यद्यपि अनुचित है, फिर भी चरणस्पर्श किया जाता है और ऐसा करने में किसी अंग में गुरु को कष्ट

पहुँच जाना शक्य और सम्भव है, इसी कारण यह कहा गया है कि—हे गुरु ! आपके चरणों का स्पर्श करने में आपको जो कोई कष्ट हुआ हो, उसके लिए क्षमा कीजिए । आप क्षमामागर हैं, अतः मेरा अपराध भी क्षमा करें ।

'अहोनायं कायसफामियं' इन शब्दों का ह्रस्व-दीर्घ रीति में उच्चारण करके चरणस्पर्श करना चाहिए और फिर क्षमायाचना करके गुरु को हाथ जोड़कर, नमस्कार करके इस प्रकार कहना चाहिए:—

बहुभुजेण भे ! दिवसो वडकन्तो ? जत्ता भे ! जव-
गिण्ज च भे !

इस पाठ में देवमी, रायमी, पक्की, चौमासी या मव-
त्मरी का जो दिन हो, उसका उच्चारण करना चाहिए । इस पाठ का अर्थ यह है—'हे गुरु ! दिवस, रात्रि पक्की, चौमासा या मवत्मरी का काल आनन्दपूर्वक व्यतीत हुआ ?' इस प्रकार गुरु से कुशल-प्रश्न पूछना चाहिए । फिर 'जत्ता भे' इतना कहकर पदला आवर्त्तन, 'जवगि' कहकर दुमरा और 'ज्जं च भे' कहकर तीसरा आवर्त्तन करना चाहिए ।

इन तीन आवर्त्तनों के समय उच्चारण किये हुए शब्दों में 'जत्ता भे' का अर्थ यह है कि—'गुरु महाराज ! मूल गुण और उत्तर गुण रूपी, आपको समययात्रा तो आनन्द-पूर्वक चलयती है न ? 'जवगिज्जं' का अर्थ यह है कि आप इन्द्रियों का और मन का दमन तो कराकर करते हैं न ? 'ज्जं च भे' का आशय यह कि 'हे गुरु ! आपकी नयन-यात्रा, आपके इन्द्रियदमन और आपसी स्तना तो मैं स्वीकार करता हूँ ।'

गुरु को आवर्त्तन करने का उद्देश्य क्या है ? किस हेतु से आवर्त्तन करना चाहिए ? इन प्रश्नों का निर्णय करने के लिए यह विचार करना चाहिए कि वर और कन्या अग्नि की प्रदक्षिणा किसलिए करते हैं ? वर-कन्या जब तक अग्नि की प्रदक्षिणा नहीं करते तब तक वे कुंवारे समझे जाते हैं । अग्नि की प्रदक्षिणा करने के अनन्तर आर्य वाला प्राणो का उत्सर्ग कर सकती है पर नियम का भंग नहीं करती । स्त्रियां अपनी मर्हादा का इतना ध्यान रखती हैं तो क्या पुरुषो को मर्यादा का पालन नहीं करना चाहिए ?

जैसे पति-पत्नी अग्नि की प्रदक्षिणा करके एक दूसरे के धर्म को स्वीकार करते हैं उसी प्रकार शिष्य भी आवर्त्तन द्वारा वीरता पूर्वक गुरु का धर्म स्वीकार करता है । गुरु का धर्म स्वीकार करने के पश्चात् वह शिष्य यदि गुरु के धर्म के विरुद्ध प्रवृत्ति न करे तो ही उमका आवर्त्तन और वदन सच्चा समझो ।

कहने का आशय यह है कि गुरु के अविग्रह में प्रवेश करते समय दो बार मस्तक भुंकाना दो आवश्यक हुए । फिर नवदीक्षित के समान नम्र हो जाना यह एक आवश्यक हुआ । तदन्तर चारह आवर्त्तन करना चारह आवश्यक है । इस प्रकार यहा तक पन्द्रह आवश्यक हुए । चार बार मस्तक नमाने के चार आवश्यक हुए, तीन गुणियों के तीन आवश्यक, दो आवश्यक प्रवेश करते समय के और एक आवश्यक निकलते समय का । इस तरह सब मिलकर पच्चीस आवश्यक होते हैं ।

तीन गुप्ति का अर्थ यह है कि मन, वचन और काय को एकाग्र करके गुरु को वन्दना करनी चाहिए। गुरु को वन्दना करते समय उम प्रकार विचार करना चाहिए कि अनेक जन्म-जन्मान्तर में भटकने के बाद मुझे जो मन की प्राप्ति हुई है, उसकी मायकता गुरु को वन्दन करने में ही हो सकती है। अतएव मन को एकाग्र कामों में नहीं पिरोना चाहिए। मान लीजिए, किसी मनुष्य को कीमती मोती मिला हो तो क्या वह मामूली मिठाई के बदले उसे दे देगा? अगर नहीं तो मन अनेक जन्म-जन्मान्तरों के अनन्तर मिला है, उस मन को एकाग्र कामों में पिरो देना क्या उचित कहा जा सकता है? अनेक विध कठिनाइयां भेलने के बाद जो मन मिला है, उसकी कीमत समझकर और मन को एकाग्र करके गुरु को वन्दना की जाय तभी मन का पाना मायक कहा जा सकता है। जिस वन्दना का फल गया तक बतलाया गया है कि क्या हुआ नीच गोत्र कर्म भी वन्दना में क्षीण हो जाता है और उच्च गोत्र का बध होता है। उम वन्दना के समय भी यदि मन एकाग्र न हुआ तो फिर किन समय होगा? मगर लोक सत्कार्य में मन एकाग्र नहीं करते और गहरी अधोगति का कारण है।

मन एकाग्र करना ही मन की गुप्ति है, फिर वचन में यद्गमानपूर्वक श्रेष्ठ श्लोकों को बोलते हुए गुरु को वन्दना करना मायगुप्ति है।

यह सब पञ्चीन आवश्यक हुए। उन आराधनों का रक्षा करके और वन्दना के यत्नीय योग टालकर गुरु को वन्दना ही पानी है, यही गन्धी वन्दना है।

आज वंदना की यह विधि क्वचित् ही दिखाई देती है, अतएव वदनाविधि जानने का और विधिपूर्वक वदना करने का प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार विधिपूर्वक की जाने वाली थोड़ी भी वंदना अधिक लाभदायक सिद्ध होती है । जिन लोगो ने विधिपूर्वक युद्ध करने की शिक्षा प्राप्त की है, वे सख्या मे थोडे होने पर भी विधिपूर्वक युद्ध करके विजयी होते है और अशिक्षित योद्धा बहुसंख्यक होने पर भी हार जाते हैं । इसी प्रकार विधिरहित बहुत वदना की अपेक्षा विधियुक्त अल्प वंदना अधिक फलदायक होती है । इसी ए वदना की विधि सीखने की आवश्यकता है । प्राचीन काल के लोग विधिपूर्वक ही वदना करते थे । आप लोग वदना की विधि सीखकर, विधिपूर्वक वन्दना करेगे तो आपका कल्याण होगा ।

विधिपूर्वक वन्दना करने से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान् ने फरमाया है कि विधिपूर्वक वन्दना करने से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करके उच्च-गोत्र का वध करता है ।

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उसके विषय मे यह समझ लेना आवश्यक है कि उच्चगोत्र किसे कहते हैं और नीचगोत्र कर्म क्या है ? आजकल नीचगोत्र और उच्चगोत्र कर्म का अर्थ समझने मे भूल होती है और इससे अनेक लोग भ्रम में पड़ गये हैं । वीरमगांव मे मुझ से प्रश्न किया गया था कि शास्त्र मे उच्च और नीच गोत्र का नाम आता है ? मैंने कहा—हां, शास्त्र मे दोनों का नाम आता है । तो उच्च गोत्र उच्च होगा और नीच गोत्र नीच होगा ? उत्तर में

मने कहा—तुम इस प्रकार तो कहते हो पर शास्त्र में कहीं ऐसा आया तो बताओ कि किमी मनुष्य को छूना नहीं चाहिए! अतिरिक्त नीचगोत्र क्षय किया जाता है या उसकी रक्षा की जाती है ? जब नीचगोत्र क्षय किया जाता है तो वह नीच गोत्र ही बना रहता है, यह कैसे कहा जा सकता है ? नीच गोत्र वाला उच्च गोत्री भी बन सकता है ।

गोत्र का अर्थ करते हुए कहा गया है:—

मा वाणी त्रायते रक्षति इति गोत्र ।

‘गो’ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं । यहाँ ‘गो’ शब्द का अर्थ वाणी है और ‘त्र’ का अर्थ पालन करना है । इस प्रकार गोत्र का अर्थ ‘वाणी का पालन करना’ होता है । उस अर्थ के अनुसार श्रेष्ठ पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और नीच पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला नीचगोत्री कहलाना है ।

कहा जाता है कि नीच गोत्र वाले को मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि नीच-गोत्र कर्म का क्षय भी हो जाता है और तब वह मुक्ति का अधिकारी क्यों न होगा ? नीचगोत्र में उत्पन्न होकर के भी उच्च पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला मुक्ति प्राप्त कर सकता है । गोत्र दो प्रकार का है—एक जन्म-जान गोत्र और दूसरा कर्मजात गोत्र । जन्मजात गोत्र कर्म द्वारा बदला जा सकता है । श्री उत्तराध्ययनसूत्र में कहा है —

गोपामनुलग्नबुधो, गुणुत्तन्धरो मुग्धो ।

एरिण्म वल्लो नाम, आसी भिक्वू जिहंदिधो ॥

—उत्तराध्ययन १२-१ ।

इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न हो जाने पर भी महापुरुषों की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हो करके भी नीच वाणी को पालने वाला नीचगोत्रवान् है। महाभारत में भी कहा है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति भी चाण्डाल बन सकता है। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि उच्चता और नीचता जन्मजात ही नहीं किन्तु कर्मजात भी है।

आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि हम उच्च कुल में जन्म चुके हैं, इसलिए अब हमें कुछ भी करना शेष नहीं रहा, इससे विपरीत आपको यह विचारना चाहिए कि हम जितने अंशों में महापुरुषों की वाणी का पालन करते हैं उतने अंशों में तो उच्च गोत्र के हैं और जितने अंशों में उस वाणी का पालन नहीं करते उतने अंशों में उच्चगोत्री नहीं हैं। इस प्रकार विचार करने से ही अपनी अपूर्णता देखी जा सकती है और फलस्वरूप अपूर्णता दूर करने का प्रयत्न करके आत्मा का कल्याण किया जा सकता है।

अहंकार को जीतना वन्दना का एक प्रधान प्रयोजन है। वन्दना का अर्थ नम्रभाव धारण करना है। नम्रभाव धारण करने वाला ही अहंकार को जीत सकता है परन्तु वन्दना सांसारिक पदार्थों की स्वार्थ भावना से नहीं होनी चाहिए। सांसारिक पदार्थों की कामना से तो सभी लोग नमनभाव धारण कर लेते हैं। क्या व्यापारी अपने ग्राहक को नमन नहीं करता? वचन में मैंने इस स्थिति का अनुभव किया है कि व्यापारी किस प्रकार ग्राहक को नमन

करते हैं । मैं जब छोटा था और दुकान पर बैठता था तब मुझे यह अनुभव हुआ था कि ग्राहक की कितनी प्रशंसा और कितना आदर किया जाता है । लेकिन यह सब नमनभाव उसकी गाठ का पैसा निकलवाने के लिए ही होता है । इस प्रकार स्वार्थ सिद्धि के लिए तो वंदना की ही जाती है किन्तु यहाँ जिस वंदना की चर्चा चल रही है, वह ऐसी नहीं होनी चाहिए । वह गुणों की वंदना होनी चाहिए । गुण देखकर उन्हें प्राप्त करने के लिए की जाने वाली वंदना ही सच्ची वंदना है । इस प्रकार की वंदना से अहंकार पर विजय प्राप्त की जा सकती है और परमात्मा से भेंट हो सकती है ।

आज वंदना करने में भी पक्षपात किया जाता है । अर्थात् यह कहा जाता है कि वे हमारे हैं अतएव उन्हें मैं वंदना करता हूँ और वमुक्त मेरे नहीं हैं, अतः मैं उन्हें वंदना नहीं करता । वन्दना करने में भी इस प्रकार का पक्षपात चलाया जाता है । दृश्यस्थ पक्षपात में सर्वथा मूक्त नहीं हो सकता, लेकिन वह पक्षपात तेरे-मेरे का नहीं होना चाहिए, वरन् पक्षपात गुणों के प्रति होना चाहिए और यह देवना चाहिए कि उनमें वंदना करने योग्य गुण हैं या नहीं ।

शास्त्रों का कथन है कि तुम उन्हीं को वंदना करो, जिनमें गद्यम आदि गुण हैं । जिनमें यह गुण नहीं हैं, उन पान्त्या आदि को शास्त्र ने वंदना न करने का विधान किया है । शास्त्र तो पान्त्या, कुशीन या स्वप्नद्रन्दचारी लोगों के प्रति द्रोह नहीं है, किन्तु शास्त्र ने उन्हें वंदना करने वालों को भी यह सूचना कर दी है कि पान्त्या आदि को वंदना करना उन्हें और अधिक पतित करने के समान है । अतः

आप उन्हें वंदना करेंगे तो वे विचार करेंगे—‘लोग हमें वन्दना तो करते ही हैं, फिर यदि संयम का पालन न किया तो भी क्या हर्ज है?’ इस प्रकार विचार कर वे लोग अधिक पतित हो जाते हैं। अतः ऐसे लोगों को वन्दना करना उन्हें अधिक पतित करने के समान है। वंदना गुणों के लिए ही की जाती है अतः जिनमें सयमादि गुण हों उन्हीं को वंदना करना उचित है। जिन्होंने सयमादि गुणों को स्वीकार तो किया है, किन्तु जो उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं है, उन पासत्था आदि को वन्दना करना अपने को और उनकी पतित करने के समान है।

संबोधसत्तरी में कहा है—

पासत्थ वंदमाणस्स नेव क्कित्ति न निज्जरा होई ।
होई कायकिलेसो, अण्णाणां वंधई कम्मं ॥

अर्थात् जो ज्ञान दर्शन और चरित्र आदि गुणों को धारण तो करता है, परन्तु उनका निर्वाह नहीं करता, उसे पासत्था कहते हैं। ऐसे (पाश्वंस्थ) लोगों को और इसी कोटि के कुशील और स्वच्छन्दी लोगों को वंदना करना अनुचित है। कतिपय लोगों का कहना है कि हमें किसी के प्रति राग-द्वेष नहीं रखना चाहिए और सभी को वंदना करनी चाहिए। मगर यह कथन ठीक नहीं है। राग-द्वेष नहीं होगा तो वंदना किये बिना ही मुक्ति मिल जायगी। अगर कोई वंदना करता है तो उसे सोचना चाहिए कि वह कसको और किस उद्देश्य से वन्दना कर रहा है? राज-रूप आदि को जो वन्दना की जाती है वह उसकी मत्ता

के कारण की जाती है, लेकिन वन्दना करने योग्य गुणों से रहित पासत्या आदि की वन्दना करने का उद्देश्य क्या है ? यहाँ जिस वन्दना का प्रकरण चल रहा है, वह वन्दना संयमादि गुणों से हीन पुरुषों को करना उचित नहीं है । क्यों उचित नहीं है. यह बताने के लिए इस गाथा में कहा है कि पासत्या को वन्दना करने से कीर्ति भी नहीं मिलती । कहा जा सकता है कि कीर्ति न मिले तो न सही, निर्जरा तो होगी ? मगर आगे इसी गाथा में कहा है कि पासत्या आदि को वन्दना करने से निर्जरा भी नहीं होती । कोई कह सकता है—निर्जरा न हो तो न सही, वन्दना करने में हानि क्या है ? इसके उत्तर में कहा है—पासत्या आदि को वन्दना करने से निरर्थक कायक्लेश होता है । कदाचित् कहा जाय कि ऐसा कायक्लेश तो होता ही रहता है, उसके अतिरिक्त और कोई हानि तो नहीं होती ? इस प्रश्न के उत्तर में, गाथा में बतलाया गया है कि पासत्या आदि को वन्दना करने से सिर्फ कायक्लेश ही नहीं होता वरन् अनाज्ञा कर्म का बंध भी होता है अर्थात् भगवान् की आज्ञा के दिव्य कार्य करने का पाप लगता है ।

मान लीजिए, चम्पा के फूलों की माला अशुचि में पड़ गई है । यद्यपि चम्पा के फूलों की माला आपकी दृष्टि में अच्छी वस्तु है, फिर भी अशुचि में पड़ी हुई वह माला पहनने योग्य नहीं है । इसी प्रकार जो लोग पासत्यापन ही अशुचि में पड़ गये हैं, उनके प्रति बुद्धिमान् पुरुष किसी प्रकार का स्नेह धारण नहीं करते किन्तु नाव ही गुणी जनों के प्रति जाने योग्य वन्दना भी नहीं करते । विशोधयाम् में भी कहा है—

‘जे भिक्खू पासत्थ वंदई, वंदत वा साइज्जइ, एवं कुसीलं उसत्तं, अहाछंदं संसत्तं ।’


इस प्रकार पार्श्वस्थ आदि को वन्दना करने का बहुत कुछ निषेध किया गया है । यह ठीक है कि वन्दना करने से बहुत लाभ होते हैं, मगर गुणरहित को वन्दना करने से लाभ के बदले उलटी हानि ही होती है । वन्दना के जो बत्तीस दोष बतलाये गये हैं, उनके वर्णन करने का अभी समय नहीं है । अतएव संक्षेप में मैं इतना ही कहता हूँ कि पञ्चीम आवश्यक सहित और बत्तीस दोषरहित वंदना करने का फल नीच गोत्र का क्षय करना और उच्च गोत्र का बांधना है।

गोत्र की व्याख्या पहले की जा चुकी है । श्रेष्ठ पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला उच्चगोत्री है और नीच पुरुष की वाणी का अनुसार करने वाला नीचगोत्री है । किसी-किसी कुल में अमुक प्रसंगों पर मदिरापान करने की परम्परा होती है । ऐसे नीच संस्कार का आचरण करना नीचगोत्र होने का कारण है । इसी प्रकार किसी के कुल में ऐसी पद्धति होती है कि अमुक प्रसंग पर कोई शुभ कृत्य करना ही चाहिए । यह उच्च या श्रेष्ठ की वाणी का आचरण है । इस प्रकार जो जैसों की वाणी का पालन करता है, उसके कुल में संस्कार भी प्रायः वैसे ही बन जाते हैं और उस वाणी के पालन करने के आधार पर ही वे उच्चगोत्र के अथवा नीचगोत्र के माने जाते हैं । उच्चगोत्र वालों के कुल के संस्कारों में आत्मा उन्नत बनता है अन्नत नहीं बनता । किसी कुल के संस्कार ऐसे भी होते हैं कि उनकी बदौलत उन्हें अच्छी बात रुचिकर नहीं होती और पाप-

कृत्यों के प्रति घृणा नहीं होती । किसी कुल के संस्कार ऐसे होते हैं कि चाहे जो हो पर उस कुल में जन्मने वाले पाप कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते । उदाहरणार्थ— तुम्हारे सामने कोई लाख रूपयों की खेली रख दे तो भी तुम वकरे की गर्दन पर छुरी फेरने को तैयार नहीं होओगे । यह उच्च-गोत्र और कुल के संस्कारों का ही प्रभाव है । कभी-कभी उच्चगोत्र वालों में भी कोई बुरी बात घुम जाती है । जैसे तुम लोगों को वकरा मारने में जैसी घृणा है, वैसी ही घृणा क्या असत्य भाषण और व्यभिचार के प्रति भी है ?

प्राचीन काल में व्यभिचार हिंसा से भी अधिक बुरा माना जाता था । मगर आजकल व्यभिचार के प्रति उतनी घृणा नहीं देखी जाती । महाजनक श्रावक की पत्नी रेवती हिंसा का क्रूर कर्म करती थी, फिर भी महाशतक ने उसे घर में बाहर नहीं निकाल दिया था । महाशतक ने रेवती को घर से बाहर क्यों नहीं निकाल दिया ? इसका कारण मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि महाशतक यह विचार करता था कि नेती का पान-पान चराचर है लेकिन मुझ पर इसका अनुराग है और वह व्यभिचार से बची हुई है । अगर मैं उसे बाहर कर दूंगा तो वह और अधिक बिगड़ जायगी और सम्भव है व्यभिचार आदि के पापों में भी पड़ जाय ! इस प्रकार विचार कर उन्होंने स्वयं तो मांसमद्यमत्त का आदर नहीं किया, किन्तु रेवती को व्यभिचार आदि पापों से बचाने के लिए घर में बाहर भी नहीं निकाला । इन तरह पढ़ने के जमाने में व्यभिचार हिंसा में बड़ा पाप माना जाता था ।

जाते हैं और विकार दूर हो जाने पर मन, वचन और काय की शुद्धि होती है और आत्मा को शान्ति प्राप्त होती है । अतएव अगर आप पूर्ण आत्मशान्ति प्राप्त करना चाहते हैं और सुभागी बनना चाहते हैं तो गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करके ऐसा समझो कि यह सब गुरु के चरणों का ही प्रताप है । व्यवहार में तो कहते ही ही कि यह सब गुरुचरणों का प्रताप है, लेकिन हृदय में भी यही कहो और गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करो । साधारणतया साधुजन प्रत्येक बात उपदेश रूप में ही कहते हैं-आदेश रूप में नहीं । फिर आज आपको जो कुछ भी शुभ संयोग मिला है वह किसी महात्मा की कृपा से ही मिला है । यह बात ध्यान में रखकर गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करोगे तो आत्मा को पूर्ण शान्ति प्राप्त होगी और आत्मकल्याण होगा ।



४-प्रतिक्रमण

गुरु को विधिपूर्वक वन्दना करने के लिए हृदय के भाव शुद्ध रखने चाहिए मगर कभी-कभी शुद्ध भाव हृदय में निकल जाते हैं और अशुद्ध भाव उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं । इन अशुद्ध भावों को बाहर निकालने और आत्मा में पुनः शुद्ध भाव लाने के लिए प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता बनलाई गई है । अतएव प्रतिक्रमण के सम्बन्ध में भगवान् ने प्रश्न किया गया है—

प्रश्न—पडियकमरोण भन्ते ! जीवे किं जगयइ ?

उत्तर—पडियकमरोणं वय-द्विद्वाडं पिहेइ, पिहियवर-द्विद्दं पुग जीवे निरदासवे असवलनन्ति अट्टमु पवयणमायानु उवड्ढो उपुरत्तो (अण्णत्तो) नुपण्हिए विहरइ ॥ १ ॥

मघत्ति

प्रश्न—भगवन् ! प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—प्रतिक्रमण करने से अहिमा आदि व्रतों के

अतिचार (दोष) रूकते हैं और अतिचारों को रोकने वाला जीव आस्रव को रोकता हुआ तथा निर्मल चारित्र का पालन करता हुआ आठ प्रवचनमाता (पांच समिति और तीन गुप्ति) रूप संयम में उपयुक्त, अप्रमत्त और मुप्रणिहित होकर विचरता है अर्थात् निजस्वरूप को प्राप्त करता है ।

किस उद्देश्य से प्रतिक्रमण करना चाहिए और प्रतिक्रमण करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में अभी ऊहापोह न करते हुए सिर्फ इतना कहता हूँ कि भगवान् की आज्ञा के अनुसार प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करो के साधुओं को प्रतिक्रमण करना ही चाहिए । बीच के बाईस तीर्थङ्करो के साधु ऋजु-सरल होते हैं अतएव जब उन्हें दोष लगता है तब वे प्रतिक्रमण करते हैं और जब दोष नहीं लगता तो प्रतिक्रमण नहीं करते । मगर प्रथम और अन्तिम तीर्थङ्करो के साधुओं को तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए ।

अब विचार करना है कि प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है ? दूसरे लोग जिस प्रकार संव्या वन्दन आदि करते हैं, वही स्थान जैनदर्शन में प्रतिक्रमण का है । परन्तु संव्या-वन्दन और प्रतिक्रमण में भेद है । प्रतिक्रमण का स्वरूप और उसका उद्देश्य बतलाते हुए कहा है -

स्वस्थानात् परस्थानं प्रमादस्य वशाद् गतं ।
तत्रैव क्रमण भूयः प्रतिक्रमणमुच्यते ॥
क्षायोपशमिकाद् भावादौदयिकस्य वशगतः ।
तत्रापि च स एवार्थः प्रतिकूलं गमात्स्मृतः ॥

पुरुष जिस स्थान से स्वलित हुआ हो, उसी स्थान पर उसका फिर वा जाना प्रतिक्रमण कहलाता है । जो आत्मा स्व-स्थान का त्याग करके प्रमाद के वश होकर पर-स्थान में चला गया हो, उसे फिर स्वस्थान में लाना प्रतिक्रमण है । जैसे कोई बालक अपना घर छोड़कर दूसरे के घर चला जाय तो उसे वापस अपने घर लाया जाता है, इसी प्रकार आत्मा जब अपने स्थान से, दूसरे स्थान पर चला गया हो तो उसी को प्रतिक्रमण द्वारा अपने स्थान पर लाया जाता है ।

घर में से चली गई छुट वस्तु को फिर अपने घर लौटा लाने का प्रयत्न माना समार करना है । आप लोग तिजोरी में से रुपया निकाल देते हैं किन्तु आपका प्रयत्न तो यही रहता है कि निकाला हुआ रुपया व्याज सहित लौटकर आवे । रुपया लौटकर आवेगा, उन भाजा ने आप उसे छोड़ नहीं देते । जिस रुपये की भाजा छोड़ दी जाती है, वह जूआ में लगाया हुआ गमभा जाता है । जिसमें लगाया रुपया लौटकर नहीं आता, वह जूआ है, व्यापार नहीं । व्यापार तो वही माना जाता है जिसमें लगाया रुपया व्याज के साथ वापस लौटता है । उस प्रकार सभी लोग यह चाहते हैं कि जो छुट वस्तु हमारे यहाँ से गई है, वह वापस लौट आवे । माना समार इसी प्रयत्न में संलग्न है ।

स्वस्थान में चला गया आत्मा प्रतिक्रमण द्वारा फिर स्वस्थान पर लाया जाता है । प्रतिक्रमण द्वारा आत्मा को फिर स्वस्थान पर लाने में आत्मा के भाव अपूर्ण हो जाते हैं । आत्मा के भाव क्षायोपशमिक, मोदकमिक और क्षान्तिक

हैं । इन भावों से अलग होकर आत्मा का श्रौद्धिक भाव में जाना स्वस्थान से परस्थान जाना है । इस परस्थान से आत्मा को फिर स्वस्थान में लाना ही प्रतिक्रमण कहलाता है ।

जैनशास्त्र परमात्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की बात कहकर ही नहीं रह जाते । वे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उपाय भी बतलाते हैं । प्रतिक्रमण के उपदेश का प्रयोजन ईश्वर के साथ सम्बन्ध जोड़ना ही है । प्रतिक्रमण करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—प्रतिक्रमण करने से व्रत में पड़े हुए छिद्र ढक जाते हैं । अर्थात् श्रंगीकार किये हुए व्रतों में अतिचार रूपी जो छिद्र पड जाते हैं, वह प्रतिक्रमण करने से मिट जाते हैं ।

‘प्रतिक्रमण’ शब्द ‘प्रति’ और ‘क्रमण’ इन दो शब्दों के संयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है—परस्थान में प्राप्त आत्मा को स्वस्थान पर लाना । स्वीकार किये व्रतों में दोष आना भी आत्मा का अपने स्थान से पतित होना है । उस पतित स्थान से आत्मा को फिर वापस लौटाना और अपने स्थान पर अर्थात् व्रतपालन में स्थिर करना प्रतिक्रमण कहलाता है ।

आत्मा जब व्रतों को श्रंगीकार करता है तो सावधानी से ही श्रंगीकार करता है, परन्तु फिर प्राकृतिक दुर्बलता के कारण या छद्मस्थिता के कारण व्रतों का पालन करने में किसी न किसी प्रकार भी भूल हो जाना सम्भव है । भगवान् ने अपने ज्ञान से यह बात जानकर आज्ञा दी है कि

मेरे शासन के साधु-साध्वियों को प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस काल में यह सम्भव नहीं है कि उनके व्रतों में कोई भी दोष न लगे । अतएव नियमित रूप में प्रतिक्रमण करना ही चाहिए ।

पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज बहुत बार कहा करते थे कि पक्का मकान थोड़े दिनों तक सभाला न जाय और उस मकान में जब कोई छिद्र दृष्टिगोचर हो, तब छिद्र को ढक दिया जाय तो उस मकान के तत्काल पड जाने की सम्भावना नहीं रहती और न उसे और कोई हानि होने का डर रहता है परन्तु जो मकान कच्चा होता है उस निरन्तर सम्भालने की आवश्यकता बनी रहती है और कही जग सा छिद्र नजर आया कि तत्काल मूंद देना आवश्यक हो जाता है । इसी प्रकार बीच के वाईन तीर्थकरों के शासन के साधुओं के व्रत पक्के मकान समान होते हैं । अतएव जब वे अपने व्रतों में छिद्र देखते हैं तो प्रतिक्रमण करते हैं, छिद्र नहीं देखते तो प्रतिक्रमण भी नहीं करते । परन्तु नवी-सर्वे तीर्थद्वार के साधुओं के व्रत कच्चे मकान के समान हैं । अतः उन्हें अपने व्रतों की सदैव सार-सम्भाल रखनी चाहिए और व्रतों में पड़े हुए छिद्रों को प्रतिक्रमण द्वारा माचते रहना चाहिए ।

आप अपने कपड़ों में जब छिद्र पटा देखते हैं तो उसे माँध कर बन्द कर देते हैं, तो फिर व्रतों में पड़े हुए छिद्रों को बन्द करने में कौन बुद्धिमान् पुरख बिलम्ब करेगा ? जो बुद्धिमान् होगा और जो अपनी धारणा का बख्शाण करता

चाहता होगा, वह अपने व्रतो में पड़े हुए छिद्रों को प्रति-
क्रमण द्वारा तत्काल बन्द कर देगा। नौका में छेद हो गया
हो और उस छेद के रास्ते नौका में पानी भर रहा हो तो
क्या कोई बुद्धिमान् पुरुष उस छेद को बन्द करने देगा ?
छेद बन्द न किया तो उसके द्वारा नौका में पानी भर जायगा
और परिणाम यह होगा कि नौका डूब जायगी। इसी
प्रकार अगर व्रतो में हुए छिद्र बन्द न कर दिये जाए तो
आस्रव रूपी पानी भरे बिना नहीं रहेगा और फलस्वरूप
व्रत रूपी नौका डूब जायगी। अतएव जैसे मकान में से
पानी न टपकने देने का खयाल रखा जाता है, उसी प्रकार
अपने व्रतो की भी सभाल रखनी चाहिए। जब कभी व्रतों
में छिद्र दिखाई दे तो उसे तत्काल बन्द कर देना चाहिए।

मल्ल कुशती नड़ने के बाद और वीर योद्धा युद्ध करने
के बाद सध्या समय अपनी शुश्रूषा करने वाले को बतला
देता है कि आज सारे दिन मुझे अमुक जगह चोट लगी है
और अमुक जगह मुझे दर्द हो रहा है। जब मल्ल या योद्धा
अपना दर्द बतला देता है तो शुश्रूषा करने वाला सेवक औपध
या मात्स्य द्वारा उस दर्द को मिटा देता है और दूसरे दिन
मल्ल कुशती करने के लिए और योद्धा युद्ध करने के लिए
तैयार हो जाता है। इसके विपरीत मल्ल या योद्धा अपना
दर्द शुश्रूषा करने वाले सेवक के आगे प्रकट न करे वल्कि
छिपा ले तो उसका दर्द दूर न होगा और नतीजा यह होगा
कि मल्ल कुशती करने और योद्धा युद्ध करने के लिए फिर
जन्दी तैयार नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो साधु दैवसिद्धि
और रात्रिक प्रतिक्रमण में अपने व्रतो की सारणा-वारणा
कर लेता है और लगे हुए दोषों को प्रतिक्रमण द्वारा दूर

कर देना है, वह साधु निश्चित रूप से अपने कर्मों को जीत
 विना है ।

कहने का आशय यह है कि प्रतिक्रमण द्वारा आन्व
 रूपी पानों आने का छिद्र ढक जाता है और प्रतिक्रमण करने
 वाला निरुद्ध-आन्व बन जाता है । निरुद्ध-आन्व होने से
 उनका चारित्र्य भी अमत्रल अर्थात् निर्मल रहता है । सबल
 का अर्थ है—मलिन-गराव । किसी वस्तु में दाग लग जाने
 से गरावी आ जाती है, उसे सबल कहते हैं । दाग वाली
 वस्तु अच्छी नहीं कहलाती । व्रतों में लगा हुआ दाग प्रति-
 क्रमण रूपी निर्मल नीर में धुल जाता है और इस कारण
 चारित्र्य निर्मल रहता है ।

प्रतिक्रमण करना एक प्रकार से फिमली हुई आत्मा
 को सावधान करना ही है । प्रतिक्रमण करना आत्मात्पी
 धरी को चावी देना है । अगर कोई घड़ी ऐसी हो कि जब
 तक जगमें चावी घुमाई जाती रहे तब तक वह चलती रहे और
 चावी घुमाना बन्द करते ही वह बन्द भी हो जाय, तो यही
 एतद जायना कि घड़ी विगड़ी है । एक बार चावी देने पर
 नियत समय तक चलने वाली घड़ी ही अच्छी घड़ी कहलाती
 है । तभी प्रकार एक बार प्रतिक्रमण रूपी चावी देने के
 पानात् आत्मा को नियत समय तक तो सावधान रहना ही
 चाहिए । अगर प्रतिक्रमण करते समय आत्मा शुभयोग में
 रहे जो प्रतिक्रमण बन्द करते ही शुभयोग में गिर जाय
 तो विगड़ी धरी के समान ही उसका व्यवहार करना चाहिए ।

५-कायोत्सर्ग

आत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण के विषय में कहा जा चुका है । प्रतिक्रमण के पश्चात् कायोत्सर्ग किया जाता है । तात्पर्य यह है कि प्रतिक्रमण करते समय व्रतो के अतिचार रूपी घाव देखकर, उन्हें बन्द करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी औषध लगाई जाती है । जिस प्रकार मैले कपड़े धोये जाते हैं और उनका मैल दूर किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा के व्रत रूपी वस्त्र पर अतिचार रूपी जो मैल चढ़ गया है, उसे साफ करने के लिए कायोत्सर्ग रूपी जल से धोना पड़ता है । यही कायोत्सर्ग है । जिस किसी उपाय से शरीर को ही नष्ट कर डालना कायोत्सर्ग नहीं है, वरत् शरीर सम्बन्धी ममता को त्याग देना ही सच्चा कायोत्सर्ग है ।

कायोत्सर्ग के विषय में भगवान् से प्रश्न किया गया है—

प्रश्न—काउसर्गेणं भन्ते ! जीवे किं जगयड ?

उत्तर—काउसर्गेणं तीयपद्गुपन्नं पायच्छित्त विसोहेइ,
वसुद्धपायच्छित्ते य जीवे निव्वुयाह्यए ओहरियभरुव्व भार-
हे पसत्थघम्मभारणोवगए सुहं मुहेण विहरड ।

अर्थात्

प्रश्न—भगवन् ! कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—कायोत्सर्ग करने से भूतकाल के और वर्त्तमान-काल के अतिचारो को प्रायश्चित्त द्वारा विष्णुद्ध किया जाता है और इस प्रकार शुद्ध हुआ जीव, जैसे सिर का वोभ्र उतरने से मजदूर सुखी होता है, उसी प्रकार अतिचार रूपी वोभ्र उतर जाने से उत्तम धर्मध्यान में लीन होता हुआ, इहलोक परलोक में सुखी होता है और अनुक्रम में मोक्ष-लाभ करता है ।

कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है, इन प्रश्न के उत्तर में ऊपर भगवान् ने जो फरमाया है, उस पर विचार करने से पहले यह देख लेना आवश्यक है कि कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है ? काय का उत्सर्ग अर्थात् त्याग करना कायोत्सर्ग है । काय के उत्सर्ग या त्याग करने का अर्थ यह नहीं है कि शस्त्र के आघात से, विषपान से या अग्नि-पानी में कूद करके मर जाना और इस प्रकार शरीर का त्याग कर देना । किन्तु शास्त्र में कही हुई रीति के अनुसार काय का त्याग करना ही कायोत्सर्ग है । कायोत्सर्ग के विषय में शास्त्र में खूब स्पष्टीकरण किया गया है । यज्ञ-पौत्र-ना विवेचन करना आवश्यक है ।

काय का त्याग दो प्रकार में होता है—प्रथम तो जीवन भर के लिए और दूसरे परिमित समय के लिए । जीवन भर के लिए किये जाने वाले कायोत्सर्ग के दो भेद हैं । एक

यावज्जीवन कायोत्सर्ग उपसर्ग आने पर किया जाता है और दूसरा बिना उपसर्ग-ही यावज्जीवन कायोत्सर्ग किया जाता है । उपसर्ग उपस्थित होने पर यावज्जीवन के लिए जो कायोत्सर्ग किया जाता है, उसमें यह भावना रहती है कि उपसर्ग के कारण अगर मैं मर गया तो मेरा यावज्जीवन कायोत्सर्ग है । अगर मैं जीवित बच गया तो जब तक उपसर्ग रहे तब तक के लिए ही यह कायोत्सर्ग है । निरूपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग में ऐसा कोई आगार नहीं रहता । निरूपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग में पादोपगमन संथारा ऐसा होता है कि जैसे वृक्ष में से काट टाली गई टाली निश्चेष्ट हो जाती और सूख जाती है, उसी प्रकार यह संथारा धारण करने वाले महात्मा अपने शरीर को 'शुष्क' कर डालते हैं । इस प्रकार का संथारा न कर सकने वाले के लिए इंगित-मरण संथारा बतलाया गया है लेकिन जो लोग इंगितमरण संथारा भी नहीं कर सकते, उनके लिए चौविहार या त्रिविहार का त्याग रूप यावज्जीवन कायोत्सर्ग बतलाया गया है । किन्तु इस प्रकार के सब निरूपसर्ग यावज्जीवन कायोत्सर्ग तभी किये जाते हैं जब ऐसा प्रतीत हो कि मरणकाल समीप आ गया है । मरणकाल सन्निकट न आया हो तो इस प्रकार का कायोत्सर्ग अर्थात् संथारा नहीं किया जा सकता । यो तो कायोत्सर्ग अर्थात् संथारा करना अच्छा ही है किन्तु जब तक मरणसमय सन्निकट नहीं है या संथारा करने का कोई कारण नहीं है, तब तक इस प्रकार के कायोत्सर्ग करने का विधान नहीं है । अतएव योग्य समय प्राप्त होने पर संथारा करना ही उचित है ।

सिंह वगैरह का कोई प्राणघातक उपसर्ग उपस्थित

होने पर भी सयारा किया जाता है, किन्तु वह संथारा इस रूप में किया जाता है कि अगर इस उपसर्ग ने मेरे प्राण चने जाएं तो यावज्जीवन के लिए मेरा कायोत्सर्ग है और यदि इस उपसर्ग से बच जाऊं तो मेरा यह कायोत्सर्ग जीवनभर के लिए नहीं है ।

कहा जा सकता है कि यह कायोत्सर्ग तो 'वृद्धा नारी प्रतिव्रता' की उक्ति चरितार्थ करता है । अर्थात् उपसर्ग से न बचे तो त्याग है, बच गये तो त्याग नहीं है, भला यह भी कोई त्याग है ? उसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उपसर्ग के समय इस प्रकार का त्याग करने से उपसर्ग के कारण पर क्रोध नहीं भटकता । कायोत्सर्ग करने के बाद उपसर्ग के कारण के प्रति इस प्रकार का क्रोध नहीं होता कि 'मैंने इसका क्या विगाटा था कि यह मुझे नष्ट पहुंचा रहा है ।' जब उपसर्ग के कारण पर क्रोध नहीं आता और उपसर्गदाता पर भी शान्तभाव बना रहता है, तभी कायोत्सर्ग ठीक रह सकता है । कायोत्सर्ग करने पर भी यदि उपसर्ग करने वाले के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ तो वह कायोत्सर्ग ही नहीं है ।

अर्जुन मानी नृदर्शन श्रावक को जब मारने आया था, तब नृदर्शन को उस पर क्रोध आना संभावित था । लेकिन नृदर्शन ने अर्जुन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि अपना मित्र समझा । उसने विचार किया कि अर्जुन परीक्षा ले रहा है कि मृतक में क्रोध है या नहीं ? मैं भगवान् का सच्चा भक्त हूँ, या नहीं ? छतएव हे प्रभो ! मैं तुम्हें नहीं प्रार्थना करता हूँ कि अर्जुन मित्र पर मुझे बदला कि क्रोध न आवे ।

उपसर्ग आने पर कायोत्सर्ग करने का महत्त्व यह है कि सुदर्शन को अर्जुन माली पर उस समय क्रोध नहीं आया। अब यह कहा जा सकता है कि ऐसा ही है तो यावज्जीवन कायोत्सर्ग करने की क्या आवश्यकता है ? मर्यादित समय के लिए ही कायोत्सर्ग क्यों न किया जाय ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सम्भव है, उपसर्ग में ही मरण हो जाय। यह बात दृष्टि में रखकर ही यावज्जीवन कायोत्सर्ग किया जाता है।

कहा जा सकता है कि फिर वह कायोत्सर्ग यावज्जीवन के लिए ही क्यों नहीं रखा जाता ? उपसर्ग से वचने के बाद वह त्याग क्यों नहीं माना जाता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मरणकाल समीप न होने पर भी कायोत्सर्ग करना उचित नहीं है। ऐसा कायोत्सर्ग आत्महत्या की कोटि में दाखिल हो जाता है। आत्महत्या का पाप भी न लगे और उपसर्ग से वचने के बाद कायोत्सर्ग भग्न करने का पाप भी न लगे, इसी उद्देश्य से उपसर्ग के समय यावज्जीवन कायोत्सर्ग करने पर भी यह छूट रखी जाती है कि अगर मैं उपसर्ग से वच जाऊँ तो मेरे त्याग नहीं है। उपसर्ग से वचने के बाद शरीर की संभाल तो रखनी ही पड़ती है, अनाएव मर्यादित त्याग किया जाता है। इस प्रकार का मर्यादित त्याग साधु अपनी रीति से करते हैं और श्रावक अपनी रीति से।

सोते समय भी इस प्रकार का संयारा करने की पद्धति है कि अगर सोते-नोते ही मेरा मरणकाल आ जाय तो मेरे यावज्जीवन संयारा है। सोते समय संयारा करने की ऐसी

पद्धति है । किन्तु इस प्रकार के संयारे में भावना की प्रबलता होना आवश्यक है । ऐसा सधारा करने के पश्चात् मन सांसारिक कामों में नहीं लगना चाहिए । कहा जा सकता है कि संस्कार के कारण स्वप्न तो आते ही होंगे ! मगर स्वप्न आने पर प्रायश्चित्त लेना चाहिए और उसका प्रति-क्रमण करना चाहिए ? अलवत्ता, जहाँ तक हो सके, सोने समय मन में किसी भी प्रकार का सांसारिक संस्कार नहीं रहने देना चाहिए ।

कायोन्मर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—कायोन्मर्ग करने में अतीतकाल और वर्त्तमानकाल के पापों के प्रायश्चित्त की विशुद्धि होती है । यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि अतीतकाल के प्रायश्चित्त की विशुद्धि तो ठीक है, पर भूतकाल की विशुद्धि में वर्त्तमानकाल के प्रायश्चित्त की विशुद्धि किन प्रकार होती है ? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए टीलकाकार कहते हैं कि समीप का भूतकाल भी वर्त्तमानकाल ही कहा जाता है । अतीतकाल का अर्थ दूरवर्ती पिछला काल है और वर्त्तमानकाल का अर्थ समीपवर्तीकाल है । जैसे—दिन के चार प्रहर होते हैं । प्रायः संध्यासमय पान-क्रमण करते हैं । उस समय सारा ही दिन भूतकाल है लेकिन दिन का चौथा प्रहर समीप का भूतकाल है अर्थात् आमप्रभूत है । इन आनप्रभूतकाल को ही यहाँ वर्त्तमानकाल कहा है ।

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उसके विषय में दूसरा प्रश्न यह उपरिपक्ष होता है कि भगवान् ने कहा है कि

कायोत्सर्ग में प्रायश्चित्त की-विशुद्धि होती है, लेकिन जिसमें पाप का छेदन हो, वही प्रायश्चित्त कहलाता है और इस प्रकार प्रायश्चित्त-का अर्थ विशुद्धि है । तो फिर प्रायश्चित्त की विशुद्धि कैसे की जाती है -? इसका उत्तर यह है कि यह प्रायश्चित्त शब्द का प्रयोग व्रत के अतिचारों के लिए किया गया है । प्रायश्चित्त करने योग्य व्रत-सम्बन्धी अति-चारों की कायोत्सर्ग करने से विशुद्धि होती है ।

कुछ लोगों का कहना है कि किये हुए पाप का फल भोगना ही पड़ता है । मगर जब सब चीजों की विशुद्धि होती है तो पाप की ही विशुद्धि क्यों न होगी ? जब ससार की समस्त वस्तुओं की विशुद्धि हो सकती है तो फिर अति-चार से अशुद्ध आत्मा की विशुद्धि न होने का क्या कारण है ?

ससार की समस्त वस्तुएँ शुद्ध की जा सकती हैं और दूसरे लोगों ने इस प्रकार की शुद्धता करके लाभ भी प्राप्त किया है, मगर हिन्दू जाति ने यह शुद्धि नहीं अपनाई और इसी कारण उसे हानि उठानी पड़ी । हिन्दू जाति ने यह समझ लिया कि एक बार जो अशुद्ध हो गया सो बस हो गया, वह फिर कभी शुद्ध नहीं हो सकता । सोना भी अशुद्ध होता है लेकिन वह शुद्ध कर लिया जाता है । अगर कोई चीकसी (सर्गफ) सोने को शुद्ध करने के बजाय फेंक दे और यह समझ ले कि एक बार अशुद्ध हो जाने के बाद उसकी शुद्धि हो ही नहीं सकती तो उसका दीवाला निकल जायगा या नहीं ? वास्तव में यह मानना भूल है कि किये हुए पापों की शुद्धि नहीं हो सकती । पापों की विशुद्धि अवश्य हो सकती है । अगर पापों की-विशुद्धि असम्भव होती

तो सामायिक प्रतिक्रमण करना भी व्यर्थ हो जाता । पापों की विशुद्धि होनी है मगर जैसा पाप हो, वैसा ही प्रायश्चित्त होना चाहिए । कपड़े पर जब तक किसी प्रकार की अशुद्धि लगी हो तब तक उसके प्रति धृष्टता बनी रहती है, मगर कपड़ा धोकर साफ कर लेने के पश्चात् पहना ही जाता है । इसी प्रकार अपने पापों को कायोत्सर्ग द्वारा धो डालने से आत्मा निर्पाप हो जाता है ।

पत्तों में अतिचार लगने से जो पाप आत्मा के लिए बोझ-रूप हो जाते हैं, कायोत्सर्ग द्वारा आत्मा उस बोझ से निवृत्त हो जाता है । कायोत्सर्ग करने पर भी आत्मा पाप से हल्का न हो तो समझना चाहिए कि कायोत्सर्ग से कुछ न कुछ छुटि अवश्य रह गई है ! दवा लेने पर भी बीमारी न मिटे तो यही समझा जाता है कि या तो दवा में कोई दोष है या दवा लेने वाले में कोई छुटि है । इसी प्रकार कायोत्सर्ग करने पर भी आत्मा पाप के भार में हल्का न हो तो समझना चाहिए कि आत्मा ने सम्यक् प्रकार से कायोत्सर्ग नहीं किया है ।

कायोत्सर्ग करने से आत्मा के ऊपर लदा हुआ भार उतर जाता है और तब आत्मा को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है, जैसे बोझ उतरने पर मजदूर को आनन्द होता है । श्री स्वामीजी स्वप्न के नीचे स्थानरुप आत्मा के लिए चार विश्रान्तिस्थान बतलाये गये हैं । उनका नाम इतना ही है कि जैसे मिर का भार उतर जाने से शान्ति मिलती है, उसी प्रकार आत्मा पर लदा हुआ पाप का भार कायोत्सर्ग द्वारा उतर जाने से आत्मा को शान्ति मिलती है । इस प्रकार

आत्मा स्वस्थ बनता है और सुखरूप विचरता है । इतना ही नहीं शांत होकर आत्मा फिर प्रशस्त धर्मध्यान में तल्लीन हो जाता है ।

तात्पर्य यह है कि कायोत्सर्ग करने से आत्मा पाप के भार से हल्का हो जाता है । आत्मा निष्पाप होकर प्रशस्त धर्मध्यान में तल्लीन रहता है और मुक्ति उसके समीप आ जाती है । इस प्रकार निष्पाप बना हुआ आत्मा कभी दुखी नहीं होता, सदा सुखी बना रहता है । सुखी बनने का उपाय यही है कि आत्मा पर पाप का जो भार लदा हो उसे कायोत्सर्ग द्वारा उतार दिया जाय । मगर दुनिया की पद्धति निराली ही नजर आती है । लोग धन-पुत्र वगैरह में मुख समझते हैं अर्थात् जिसके ऊपर पाप का भार लदा है उन्हीं को सुखी समझा जाता है और जो लोग पाप के भार से हल्के हो गये हैं उन्हें दुखी माना जाता है । यह एक प्रकार का भ्रम है । मुनी वास्तव में वही है जिसके सिर पर पाप का भार नहीं रहा, जो पाप का बोझ उतार कर हल्का बन गया है ।

आत्मा में अनन्त शक्तियाँ छिपी हुई हैं । उन्हें प्रकट करने के लिए ही शास्त्रकार कायोत्सर्ग का उपदेश देते हैं । भगवान् कहते हैं कायोत्सर्ग करने से आत्मा पाप के बोझ से मुक्त होकर सुख-लाभ करता है और प्रशस्त धर्मध्यान में लीन होकर मुक्ति के समीप पहुँचता है । काय के प्रति ममताभाव का त्याग करके कायोत्सर्ग करने वाले को किसी प्रकार का दुःख नहीं रहता । वह सुखी होता है ।

हे आत्मन् ! तुझमें और परमात्मा में जो भेद है,

वह कायोत्सर्ग द्वारा मिट जाता है । व्यतिरेक से इस कथन का अर्थ यह भी हो सकता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच भेद डालने वाला यह शरीर ही है । उदाहरणार्थ—आग पर पानी ग्वने से पानी उबलता है और उबलने पर मन्-मन् की आवाज करता है । यह आवाज करता हुआ पानी मानो यह कह रहा है कि मुझ में आग बुझा देने की शक्ति है, लेकिन मेरे और आंग के बीच में यह पात्र आ गया है । मैं इस पात्र में बन्द हूँ और इसी कारण आग मुझे उबाल रही है और मुझे उबलना पड़ रहा है । इसी प्रकार आत्मा तो मुख स्वल्प ही है, परन्तु इस शरीर के माघ बद्ध होने के कारण वह दुःख पा रहा है । कायोत्सर्ग द्वारा जत्र शरीर सम्बन्धी ममत्व-भाव त्याग दिया जाता है, तब आत्मा में किसी प्रकार का दुःख नहीं रह पाता ।



६-प्रत्याख्यान

कायोत्सर्ग करने से आत्मा सुखपूर्वक विचरता है और प्रत्याख्यान करने के योग्य बनता है । प्रत्याख्यान वही कर सकता है जो कायोत्सर्ग करता है । अतएव अब प्रत्याख्यान के विषय में विवेचन किया जाता है ।

प्रश्न पञ्चक्वाणोणं भन्ते ! जीवे किं जगयइ ?

उत्तर—पञ्चक्वाणोणं षासवदारइ निरुंभई, पञ्चक्वाणोण इच्छानिरोहं जगयइ, इच्छानिरोहं गए ण जीवे मच्च-दव्वेसु विणीयतण्हे सीईभूए विहरइ ।

अर्थात्

प्रश्न भगवन् ! प्रत्याख्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है ?

उत्तर—प्रत्याख्यान करने से (अर्थात् मूलगुण और उत्तर-गुण धारण करने से) हिंसा आदि आत्मवद्धार बन्द हो जाते हैं और इच्छा का निरोध हो जाता है । इच्छा का निरोध होने से जीव सब द्रव्यो की तृष्णा में रहित होता है और इस प्रकार शान्तचित्त हो सुखपूर्वक विचरता है ।

भगवान् ने जो उत्तर दिया है, उनके आशय पर विचार करने से पहले इस बात का विचार कर लेना आवश्यक है कि कायोत्सर्ग कर लेने पर भी प्रत्यान्वयान करने की क्या आवश्यकता है ? शरीर सम्बन्धी ममत्व का त्याग करने के उद्देश्य से कायोत्सर्ग किया जाता है । अन्य जनता में मृत्यु का जो प्रबल भय फैला है, कायोत्सर्ग द्वारा उस पर विजय प्राप्त की जाती है । कायोत्सर्ग करने से मनुष्य 'जीवियामा-मरणभयविष्वम्बक' अर्थात् जीवन की लालसा और मरण के भय से मुक्त हो जाता है । कायोत्सर्ग ने अतीत काल के पापों की शुद्धि होती है और प्रत्यान्वयान से भविष्य के पाप रक्षते हैं । उस प्रकार कायोत्सर्ग में भूतकालीन पापों की शुद्धि होती है, परन्तु भविष्य में होने वाले पापों को रोकने के लिए प्रत्यान्वयान करने की आवश्यकता है । अतएव कायोत्सर्ग करने वाले को प्रत्यान्वयान अवश्य करना चाहिए ।

प्रत्यान्वयान करने से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि मूलगुणों और उत्तरगुणों को धारण करने के लिए प्रत्यान्वयान दिया जाता है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, दानार्थ और अपरिग्रह—यह पांच मूलगुण हैं और नवकार्मों वगैरह उत्तरगुण हैं । अर्थात् साधुओं के लिये पांच महाव्रत मूलगुण हैं और नवकार्मों वगैरह उत्तरगुण हैं । इन प्रकार धारणों के लिए पांच अगुण प्रवृत्त मूलगुण हैं और नवकार्मों वगैरह उत्तरगुण हैं । मूलहिंसा न करना, सत्य न बोलना, सत्य नोरी न करना, परस्त्रीगमन न करना, और परिग्रह की सर्वथा परना, यह पांच अगुण प्रवृत्त धारण के मूलगुण हैं और सात व्रत उत्तरगुण हैं । उत्तरगुण प्राप्त करने के लिये सात व्रत मूलगुणों

के लिए वाड के समान हैं । मगर ध्यान रखना चाहिए कि वाड उसी खेत में लगाई जाती है, जिसमें कुछ हो । जिस खेत में कुछ भी नहीं होता, उस खेत के चारों ओर वाड लगाना व्यर्थ समझा जाता है । किसी श्रावक में उत्तरगुण न हो परन्तु मूलगुण हो तो उसे शास्त्र इतना अनुचित नहीं मानता, जितना अनुचित मूलगुण न होना मानता है । मूलगुणों के प्रति तनिक भी सावधानी न रखते हुए केवल उत्तरगुणों से चिपटे रहना एक प्रकार का ढोंग है । उदाहरणार्थ कोई मनुष्य व्यवहार में हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार और परधन का हरण करता रहता है और धर्मस्थान में जाकर सामायिक करने का दिखावा करता है, तो उसका यह दिखावा ठीक नहीं कहा जा सकता । इतना ही नहीं, ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने धर्म और धर्मगुरु को भी लजाता है । इससे विपरीत कोई मनुष्य सामायिक तो नहीं करता किन्तु मूल हिंसा भी नहीं करता—बल्कि दुखी जीवों पर अनुकम्पा करता है, सत्य बोलता है, प्रमाणिकता रखता है और इसी प्रकार अन्य मूलगुणों का पालन करता है तो वह घर में बैठा-बैठा भी साधुओं की महिमा बढ़ाता है । इस प्रकार उत्तरगुणों के लिए, मूलगुणों का होना आवश्यक है और मूलगुण होने पर उत्तरगुणों को अपनाने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होगी । जिसमें मूलगुण होंगे, वह अपने मूलगुणों को विकसित करने के लिए उत्तरगुणों को अपनाएगा ही । इस प्रकार मूलगुणों के साथ ही उत्तरगुणों की शोभा है । प्रत्यान्यान करने से मूलगुणों और उत्तरगुणों को धारण किया जा सकता है ।

प्रत्यान्यान करने से जीव को क्या फल मिलता है ?

भगवान् से यह प्रश्न पूछा गया है । वास्तव में प्रत्येक कार्य का फल जानना आवश्यक है । फल देखे जाने बिना किसी भी कार्य में प्रवृत्ति नहीं हो सकती । इस कथन के अनुसार प्रत्याख्यान करने में क्या फल मिलता है, यह जानना भी आवश्यक है । प्रत्याख्यान के फल के सम्बन्ध में पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि प्रत्याख्यान करने से आस्रव-द्वारों का निरोध होता है ।

हिमा, असत्य, बोगी, मंथुन और परिग्रह यह पाच आस्रव हैं । प्रत्याख्यान इन पाच आस्रवों को रोकता है । जो हिमा का त्याग करेगा वह किसी जीव को मारेगा नहीं और न दुःख ही देगा । वह स्वयं कष्ट सहन कर लेगा पर दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाएगा । जो असत्य का त्याग करेगा वह किसी के सामने झूठ नहीं बोलेंगा । चोरी का त्याग करने वाला किसी की चीज नहीं चुराएगा । मंथुन वा अथवा परस्त्री का त्याग करने वाला इस पाप में कर्दाप नहीं पड़ेगा ।

अभया रानी ने मुद्गलन सेठ को कितना भय और प्रलीभन दिया ? फिर भी मुद्गलन ने व्यभिचार का निवृत्त नहीं किया । इसका कारण यही था कि मुद्गलन परस्त्री का त्यागी था । इसी प्रकार परिग्रह का परिमाण करने वाला दूसरे के द्रव्यों पर मन नहीं करेगा और धन आने पर प्रसन्नता का तथा धन जाने पर दुःख का अनुभव नहीं करेगा । परन्तु परिग्रह का सर्वथा त्यागी तो किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं रहेगा । इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से आस्रवों का निरोध ही जाएगा । प्रत्याख्यान का महत्त्व ही यह है

कि प्रत्याख्यान करने वाले को अपने त्याग से बाहर की मूल्यवान् वस्तु मिलेगी तो भी वह लेने के लिए तैयार नहीं होगा और न उसे स्वीकार करेगा । उदाहरणार्थ—अरण्यक श्रावक को किसी देव ने कुंडलो की जोड़िया दी थी । वे कुंडल कितने कीमती होंगे ? फिर भी उसने कुंडल अपने पास नहीं रखे । उसने राजाओं को भेंट कर दिये । इसका कारण यही था कि कुंडल की जोड़ी उसके त्याग की मर्यादा के बाहर की वस्तु थी । उसने परिग्रह की मर्यादा कर ली थी । जो परिग्रह का पारमाण्य कर चुका होगा वह विन्ता-मणि या कल्पवृक्षा मिलने पर भी उसे ठुकरा देगा, क्योंकि यह अमूल्य वस्तुएँ उसका त्याग भंग करने वाली हैं । इस प्रकार को अमूल्य वस्तुएँ भी स्वीकार न करना प्रत्याख्यान का ही प्रताप है ।

सभी लोग अगर इच्छा का परिमाण कर ले तो समार में किसी प्रकार की अशान्ति ही नहीं रहे । आज समार में जो अशान्ति फैल रही है, वह इस व्रत के अभाव के कारण ही फल रही है । इस व्रत के पालन न करने के कारण ही बोल्शेविज्म-साम्यवाद उत्पन्न हुआ है । भारत-वर्ष में भी साम्यवाद का प्रचार बढ़ रहा है । धनवान् लोग पूजा दवाकर बैठ रहे और गरीब दुःख पाव, तब गरीबों को धनिकों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो, यह स्वाभाविक है । गरीबों के हृदय में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो सकती है कि हम तो मुनीव्रत उठा रहे हैं और यह लोग अनावश्यक धन दवाकर बैठे हैं । तुम ठास-ठास कर पेट भरों और बच्चे तो फँस दो, मगर तुम्हारे सामने दूसरा मनुष्य भूखी मर रहा हो और उसकी खोज खबर तक न लो ! जमी

प्रकार तुम्हारे पाग अनावश्यक वस्त्र टूटो में भरे पड़े रहे और दूसरा मनुष्य कड़कडाती हुई ठंड में सिकुड़कर मर रहा हो फिर भी उसे कपडा न दो ! तब इन दुखी मनुष्यों में तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो और द्वेषभाव से प्रेरित होकर वे तुम्हारा धन लूटने के लिए तैयार हो जाए वह स्वाभाविक है । कदाचित् तुम कहोगे कि कंगाल लोग हमारा क्या विगाट मारते हैं ? मगर यह समझना भूल है । यह कंगाल लोग थोड़े नहीं हैं और फिर आज तुम्हारे पाग जो धन है वह उन्हीं से तुम्हारे पाग आया है । अतएव तुम्हें विचारना चाहिए कि जब वस्तु भेद नहीं करती तो फिर मुझे भेद करने का क्या अधिकार है ? वस्तु तो किसी प्रकार का भेद नहीं करती । जो भोजन तुम्हारी भूख शांत कर सकता है वह क्या दूसरों की भूख नहीं मिटा सकता ? इस प्रकार जब वस्तु भेद नहीं करती तो तुम क्यों भेद करते हो ? प्राचीन काल में तो ऐसे ऐसे लोग ही गये हैं, जिन्होंने स्वयं भूखे रहकर भी दूसरों को भोजन दिया ! मगर तुम उन मरोगे नहीं बन सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हो कि तुम्हारे पाग जो वस्तु अधिक हो, उसे दवाकर मत बैठे रहो । तृष्णा के घन होकर दूसरों के दुःख की उपेक्षा तो मत करो । तृष्णा की पूर्ति न कोई कर सका है और न कभी हो ही सकेगी । अतएव उच्छ्रा का निरोध करके तृष्णा को रोको । इस विषय में जो बात जैन शास्त्र पढ़ता है, वही बात महाभारत में भी पढ़ी गई है । महाभारत में कहा है--

यश्च कामसुखं लोके, यश्च दिव्य महत्सुखं ।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हन्ति षोडशी कलाम् ॥

इस श्लोक का आशय यह है कि इस लोक में किसी को चक्रवर्ती जैसा पद भले ही प्राप्त हो जाय और देव सत्रंधी दिव्य सुख भी मिल जाय, इन दोनों सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाय और दूसरे पलड़े में इच्छा निरोध का सुख रखा जाय, तो यह दोनों सुख इच्छानिरोध के सुख की तुलना में सोलहवीं कला भी प्राप्त नहीं कर सकते । तात्पर्य यह कि दिव्य सुख, इच्छानिरोध के सुख के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं है ।

वस्तुओं की तृष्णा गौरी जाय और आवश्यकताएं कम की जाएं । ऐसा करने से आत्मा को अनुपम सुख प्राप्त होता है, क्रमशः तृष्णा पर विजय प्राप्त की जा सकती है । अतएव अपनी आवश्यकताएं घटाओ । ज्यों-ज्यों आवश्यकताएं घटाओगे त्यों-त्यों तृष्णा पर विजय प्राप्त होती जायगी और परिणामस्वरूप सुख प्राप्त कर सकोगे । इससे विपरीत आवश्यकताएं जितनी बढ़ाओगे तृष्णा भी उतनी ही बढ़ेगी और तृष्णा बढ़ने से दुःख भी बढ़ेगा । अतएव अगर सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी आवश्यकताएं कम करो और तृष्णा को जीतो । तृष्णा विजय ही सुख का एक मात्र राजमार्ग है ।

प्रत्याख्यान का फल बतलाते हुए भगवान् ने कहा है कि प्रत्याख्यान में आस्रव का निरोध होता है । भगवान् के इस उत्तर से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान् ने भी मूलगुणों पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि मूलगुणों से ही आस्रव

का निरोध होता है । हिंसा का निरोध अहिंसा से होता है और अमत्य का निरोध मत्य मे ही होता है । इसी प्रकार अन्य आन्त्रवो का निरोध भी मूलगुणो से ही होता है । इसमे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् ने मूलगुणरूप प्रत्यान्यान पर अधिक बल दिया है । भगवान् ने कहा है कि प्रत्यान्यान करने से आन्त्रवद्वारो का निरोध होता है और उससे जीव मुक्ति के सन्निरट पहुंचता है । भगवान् के इन कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यान्यान आन्त्रव निरोध के साथ ही पूर्व-कर्मो को भी नष्ट करता है । इस कथन के लिए प्रमाण यह है कि प्रत्यान्यान को मोक्ष का अंग माना है । इस विषय मे टीकाकार कहते हैं—

पञ्चव्याणो वि ण नेविऊणं भावेण जिणवरुद्धिं ।
पत्ताणता जीवा सामयसोक्ख लहुं मोक्ख ॥

अर्थात्—मूलगुण और उत्तरगुणरूप प्रत्यान्यान का भावपूर्वक नेवन करना चाहिए । ऐसा न हो कि इस का भाग कौया ना जाय ! अर्थात् प्रत्यान्यान भी दूसरे प्रयोजनो मे किया जाय ! मोक्ष के लिए प्रत्यान्यान करना हो तो भावपूर्वक ही करना चाहिए और मोक्ष के उद्देश्य मे किया जाने वाला प्रत्यान्यान ही आत्मा के लिए लाभदायक सिद्ध होना है और उसी मे आन्त्रवो का निरोध हो सकता है । अह्न मे लोग प्रत्यान्यान करके लीकित स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । उन प्रकार का प्रत्यान्यान मोक्ष का नाशक नाही होना । वही प्रत्यान्यान मोक्ष का नाशक हो सकता है जो चोचनग भगवान् द्वारा उचरित हो और जो भावपूर्वक किया जाय । जो राग और द्वेष से प्रवीन हो चुके

यश्च कामसुखं लोके, यश्च दिव्य महत्सुखं ।
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हन्ति षोडशी कलाम् ॥

इस श्लोक का आशय यह है कि इस लोक में किसी को चक्रवर्ती जैसा पद भले ही प्राप्त हो जाय और देव संबंधी दिव्य सुख भी मिल जाय, इन दोनों सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाय और दूसरे पलड़े में इच्छा निरोध का सुख रखा जाय, तो यह दोनों सुख इच्छानिरोध के सुख की तुलना में सोलहवीं कला भी प्राप्त नहीं कर सकते । तात्पर्य यह कि दिव्य सुख, इच्छानिरोध के सुख के सोलहवें भाग के बराबर भी नहीं है ।

वस्तुओं की तृष्णा गेकी जाय और आवश्यकताएं कम की जाए । ऐसा करने से आत्मा को अनुपम सुख प्राप्त होता है, क्रमशः तृष्णा पर विजय प्राप्त की जा सकती है । अतएव अपनी आवश्यकताएं घटाओ । ज्यो-ज्यो आवश्यकताएं घटाओगे त्यों-त्यों तृष्णा पर विजय प्राप्त होती जायगी और परिणामस्वरूप सुख प्राप्त कर सकोगे । इससे विपरीत आवश्यकताएं जितनी बढ़ाओगे तृष्णा भी उतनी ही बढ़ेगी और तृष्णा बढ़ने से दुःख भी बढ़ेगा । अतएव अगर सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो अपनी आवश्यकताएं कम करो और तृष्णा को जीतो । तृष्णा विजय ही सुख का एक मात्र राजमार्ग है ।

प्रत्याख्यान का फल बतलाते हुए भगवान् ने कहा है कि प्रत्याख्यान से आस्रव का निरोध होता है । भगवान् के उस उत्तर से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान् ने भी मूल-गुणों पर अधिक जोर दिया है, क्योंकि मूलगुणों से ही आस्रव

का निरोध होता है । हिंसा का निरोध अहिंसा से होता है और असत्य का निरोध सत्य से ही होता है । इसी प्रकार अन्य आन्त्रवो का निरोध भी मूलगुणों से ही होता है । इसमें स्पष्ट हो जाता है कि भगवान् ने मूलगुणरूप प्रत्यान्यान पर अधिक बल दिया है । भगवान् ने कहा है कि प्रत्यान्यान करने से आन्त्रवद्वारों का निरोध होता है और उससे जीव मुक्ति के सन्निकट पहुँचता है । भगवान् के इस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यान्यान आन्त्रव निरोध के साथ ही पूर्व-कर्मों को भी नष्ट करता है । इस कथन के लिए प्रमाण यह है कि प्रत्यान्यान को मोक्ष का अंग माना है । इस विषय में टीकाकार कहते हैं—

पञ्चव्याणो वि णं सेविञ्जण भावेण जिणवरुद्धि' ।
पत्ताणता जीवा तागयसोवत्त लहू मोक्खण ॥

अर्थात्—मूलगुण और उत्तरगुणरूप प्रत्यान्यान का भावपूर्वक सेवन करना चाहिए । ऐसा न हो कि हंस का भाग कौवा खा जाय ! अर्थात् प्रत्यान्यान भी दूनरे प्रयोजनों से किया जाय ! मोक्ष के लिए प्रत्यान्यान करना ही तो भावपूर्वक ही करना चाहिए और मोक्ष के उद्देश्य में किया जाने वाला प्रत्यान्यान ही आत्मा के लिए लाभदायक सिद्ध होना है और उसी ने आन्त्रवों का निरोध हो सकता है । बहूत में लोग प्रत्यान्यान करके लौकिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । इस प्रकार का प्रत्यान्यान मोक्ष का साधक नहीं होता । यही प्रत्यान्यान मोक्ष का साधक हो सकता है जो योगराज भगवान् द्वारा उद्दिष्ट हो और जो भावपूर्वक किया जाय । जो राग मोह द्वेष से प्रतीत हो चुके

हैं वे वीतराग भगवान् जिम्ह प्रत्याख्यान का उद्देश देते हैं, वह मोक्ष के लिए ही हो सकता है। वीतराग भगवान् द्वारा उपदिष्ट उम प्रत्याख्यान के आधार पर अनत-जीव मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, करते हैं और करेंगे तथा शाश्वत सुख प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं और प्राप्त करेंगे।

इस प्रकार प्रत्याख्यान मोक्ष का एक अंग माना गया है और इससे स्पष्ट है कि आस्रवों का निरोध करने के साथ ही पूर्वकृत पापों को भी नष्ट करता है। इसके अतिरिक्त पूर्ण प्रत्याख्यान करने वाले को चाग्निशील कहा है और चारित्र्य का अर्थ पूर्वकृत कर्मों को नष्ट करना होता है। इस कथन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रत्याख्यान आस्रव-द्वारों का निरोध करने के साथ ही पूर्वकृत कर्मों को भी नष्ट करता है।

प्रत्याख्यान से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है प्रत्याख्यान से आस्रव-द्वार बन्द होता है और इच्छा का निरोध होता है। इच्छा का निरोध प्रत्याख्यान करने से होता है, अतः राग-द्वेष भी नहीं होता। प्रत्याख्यान से किस प्रकार इच्छा का निरोध होता है, यह बात एक उदाहरण द्वारा समझाई जाती है।

कल्पना कीजिए, किसी मनुष्य ने आम खाने का प्रत्याख्यान किया। आम खाने का त्याग करने के पश्चात् जगत् में आम हैं या नहीं, इस वर्ष आम की फसल कैसी आई है, आम किस भाव विकते हैं, ऐसी बातों का वह कोई विचार तक नहीं करता। आम खाने का त्याग करने वाला आम

के भाव-भाव की चिन्ता क्यों करेगा ? आम के प्रति उसकी कोई रुचि या इच्छा ही नहीं होती । इस प्रकार प्रत्यान्यान करने वाले की इच्छा का निरोध हो जाता है । संसार के सारे काटे बीने नहीं जा मरते, परन्तु पैर में मजबूत जूता पहनने वाले के लिए तो मानो जगत् में काटे रहते ही नहीं । इसी प्रकार संसार के समस्त पदार्थ नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्यान्यान करने वाले की इच्छा, प्रत्यान्यान की हुई वस्तु की श्रोक जाती ही नहीं है । इस प्रकार प्रत्यान्यान द्वारा इच्छा का निरोध होता है ।

कितनेक लोगों का कहना है कि प्रत्यान्यान में क्या रखा है । किन्तु प्रत्यान्यान में कुछ रखा है या नहीं, वह बात गांधीजी से पूछो तो मालूम हो जायगी । गांधीजी ने प्रत्यान्यान न किया होता तो वह महात्मा बन सकते या नहीं, यह एक प्रश्न है । प्रत्यान्यान लेने के कारण ही वह बीमारी के अवसर पर भी माम मदिरा वगैरह के पाप में बच सके थे ।

इस प्रकार प्रत्यान्यान से इच्छा का निरोध होता है । इच्छा के निरोध से आत्मा को अत्यन्त लाभ पहुंचता है । प्रत्यान्यान करने में भी विवेक की अत्यन्त आवश्यकता है । ऐसा नहीं चाहिए कि बकरी निलानने में ऊट धुग जाय । अर्थात् छोटे पापों का तो प्रत्यन्यान किया जाय और उनके बंधने वाले पाप अपनाये जाए । अतएव प्रत्यान्यान करने में विवेक रचना चाहिए । अविशेषपूर्वक प्रत्यान्यान करने में लाभ के बंधने एतदधिक होती है । यही प्रत्यान्यान प्रणाली है जो इच्छा का निरोध करने के लिए रिया जाता तो ।

इच्छा का निरोध होने से क्या लाभ मिलता है ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है—इच्छा का निरोध होने से जीव को किसी भी द्रव्य की तृष्णा या लालसा नहीं रहती । तृष्णा जीव के लिए वैतरणी नदी के समान दुःखदायक है, इसलिए तृष्णा को जीतो । तृष्णा को जीतने के लिए भगवान् ने मार्ग बतलाया ही है कि इच्छा का निरोध करो और इच्छा के निरोध के लिए प्रत्याख्यान करो । इच्छा का निरोध तृष्णा को जीतने का अमोघ उपाय है । आशय यह है कि प्रत्याख्यान से इच्छा-निरोध होता है, इच्छानिरोध से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा मिटने से सन्ताप का शमन हो जाता है और सन्ताप के शमन से जीव को सुखशान्ति प्राप्त होती है । भगवान् ने जगत् के जीवों को सुख का यह मार्ग बतलाया है ।

कुछ लोग पूछते हैं कि प्रत्याख्यान करने से आत्मा सन्ताप से किस प्रकार बच सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रत्याख्यान एक ऐसी दिव्य औषधि है कि उससे तत्काल आत्मा का सन्ताप शान्त हो जाता है । इसे समझने के लिए एक उदाहरण उपयोगी होगा . -


मान लीजिए, किसी मनुष्य ने परस्त्री का त्याग किया । परस्त्री का त्याग करने से वह परस्त्री सम्बन्धी सन्ताप से बचा रहेगा । उसके विरुद्ध जो परस्त्री का त्यागी नहीं है, उसे परस्त्री मिले या न मिले, फिर भी परस्त्री विषयक सन्ताप उसके हृदय को जलाता ही रहेगा । रावण को

मीता न मिली पर सन्ताप तो मिला ही ! काम की दम दशाओ का जो वर्णन किया गया है, उससे जान हो सकता है कि रावण को किस प्रकार का सन्ताप था । परस्त्री का त्याग न होने से परस्त्री-विषयक ऐसा सन्ताप होता है कि जिससे कुल परिवार, राज्य, देश वगैरह मटियामट हो जाते हैं । अगर परस्त्री का त्याग हो तो ऐसा अवनर ही क्यों आवे ? इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से इस लोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी सन्तापो से छुटकारा मिलता है । इस सन्ताप से बचने के लिए और सुखी बनने के लिए प्रत्याख्यान करना आवश्यक है । प्रत्याख्यान न करने से किस प्रकार का काट होता है और परस्त्री का प्रत्याख्यान न करने में स्थिति कंसी वेढंगी बन जाती है, इसके लिए नाथद्वारा के महत का उदाहरण सामने ही है । प्रत्याख्यान न करने से इस लोक के व्यवहार की भी हानि होती है और परलोक की भी हानि होती है । अतएव अगर सुखी बनना है और प्रत्येक प्रकार के सन्ताप से बचना है तो प्रत्याख्यान करो । प्रत्याख्यान से आत्मा पाप से बन जायगा और सुख-शान्ति का लाभ करेगा ।

Humar

P O BIL

Dice B...



Handwritten text and a circular stamp, partially obscured and illegible.

